लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

1st Lok Sabha

[खंड 31 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXXI contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 22, शुक्रवार, 24 अगस्त, 1973 2 भाद्र, 1895 (शक)

No. 22, Friday, August 24, 1973/Bhadra 2, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
421	इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन निधियों का कथित अपव्यय किया जाना	Alleged frittering away of Export Promotion Funds by Indian Cotton Mills Federation .	1–3
423	विश्व की मंड़ी में कंश्लिष्ट माल आ जाने से जूट से बने भारतीय माल को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना	Stiff Competition faced by India's Jute Goods in World Market due to entry of Synthetics .	3–7
424	ब्याज की अदायगी में वृद्धि	Rise in Debt Service Payments . .	7
425	भारत और अमरीका के बीच नया व्यापार करार	Fresh Trade Agreement between India and USA	8
426	दिल्ली में तस्करी के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against persons arrested in Delhi for Smuggling .	8–12
428	बालयोगेश्वर के पास से बरामद हुई वस्तुओं के बारे में जांच	Inquiry into Articles seized from Balyogeshwar	12–15
429	व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा तिमाही आधार पर भारत के निर्यात के बारे में पूर्वानमान	Forecasting India's Exports on a Quarterly basis by Trade Development Authority . . .	15–16
	अल्पसूचना प्रश्न	*Short Notice Question*	
	उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरों द्वारा हड़ताल	Strike by Electrical Engineers in U.P. . .	16–23

किसी नाम पर अंकित † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
422	उत्तर बंगाल के चाय बागानों में अत्यधिक पुरानी (ओवर एज्ड) झाड़ियां	Over aged Bushes in North Bengal Tea Gardens	23–24
427	राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलोन के धागे का आयात करने के लिये किये गये प्रयास	Efforts made by STC for the Import of Nylon Yarn .	24
430	खजुराहो में 26 जुलाई, 1973 को आई० ए० बोइंग–737 और आई० ए० एफ० कैनबरा के बीच आकाश में सामने की टक्कर का बाल-बाल बचाव	Head-on collision between IA Boeing 737 and IAF Camberra narrowly averted in Khajuraho Air Space on 26th July, 1973	24–25
431	अंतर्राष्टीय एयरलाइस पायलट एसोसिएशन संघ द्वारा नई दिल्ली और कलकत्ता के हवाई अड्डों पर उतरने की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Imposition of Higher Landing Limits at New Delhi and Calcutta Airports by International Federation of Airline Pilots Association	25
432	अन्य देशों को साइकिलों का निर्यात	Export of Bicycles to other Countries . . .	26–27
433	उड़ीसा में स्टेट बैंक आफ इंडिया की अथगढ़ शाखा में धोखाधड़ी	Cheating of Athagarh Branch of State Bank of India in Orissa	27–28
434	जीवन बीमा निगम के ऊँचे ग्रेड वाल कर्मचारी और सहायकों द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन	Proposed Agitation by Higher Grade Staff and Assistants of LIC .	28
435	विदेशों में सयुंक्त उपक्रम	Joint Ventures Abroad .	28–30
436	दूर संचार परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था (आई०डी०ए०) से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from IDA for Telecommunication Project	30
437	विनियम दरों में स्थिरता लाने के लिए मूद्रा संबंधी विशद् संशोधन करने संबंधी समझौता करने के प्रयास	Efforts for Evolving an Agreement on Comprehensive Monetary Reforms for bringing Stability in Exchange Rates	30–31
438	कोरापुट जिले के रायाकाडा मे एक काटन मिल की स्थापना	Establishment of a Cotton Mill at Rayaquada in Koraput District	31–32

अता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
439	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीया मंडियों में मनीपुर के हथकरघा उत्पादों की बिक्री	Sale of Manipur Handloom Products in National and International Markets .	32
440	अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का सरकारीकरण	Taking over of Wholesale Trade of Essential Commodities . . .	32 33
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
4124	उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकारी उपक्रमों को हानि	Losses to public sector undertakings due to strike by Employees of U.P. Electricity Board .	33-34
4125	राज्य व्यापार निगम और गैर-सरकारी साधनों द्वारा 1973–74 के दौरान आयात की जाने वाली गामा-पिकोलाइन बिटापिकोलाइन और पाइराइडिन की मात्रा	Quantities of Gammapicoline, Betapicoline and Pyridine to be imported by STC and Private Sources during 1973-74	34
4126	राज्य व्यापार निगम और गैर-सरकारी साधनों के माध्यम से वर्ष 1972–73 के दौरान गामा-पिकोलाइन बीटापिकोलाइन और पाइराइडिन का आयात	Imports of Gammapicoline, Betapicoline and Pyridine through STC and Private Channels during 1972-73 . .	34–36
4127	एयर इंडिया से अकेले या इकट्ठे यात्रा करने पर किराये की पुनरीक्षित दरें	Revised Rates of Fares for Group or Individual Travel by Air India .	36–37
4128	पटसन उत्पादकों की असुविधाजनक स्थिति	Awkward Position of Jute Producers . . .	37–38
4129	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती	Recruitment of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Undertakings . .	38
4130	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिये अपेक्षाकृत कम योग्यतामान तथा निम्नर्हता मानकों का निर्धारण	Prescription of Lower Standards of Qualifications and Qualifying Standards in the case of S.C. & S.T. by National Banks . . .	39
131	आर्गनाइजेशन आफ फर्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया बम्बई आयकर की वसूली	Recovery of Income Tax from O.P.P.I. (Organisation of Pharmaceutical Producers of India), Bombay . . .	39

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4132	भारतीय सांख्यिकी सेवा ग्रेड चार में तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों को वेतन स्लिपें जारी करने की समान प्रक्रिया	Uniform procedure for issuing pay slips to ad hoc promotees in Grade IV of the Indian Statistical service .	40
4133	आयात विनियमों का उलघंन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमें	Prosecution against companies violating import regulations . . .	41
4134	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के सरकारी लेखा संकर्षन आदि में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण	Inspection conducted by Chief Vigilance Officer in Government Accounts Section etc., of State Bank of Bikaner and Jaipur . . .	41
4135	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट	Inspection Report on State Bank of Bikaner and Jaipur . . .	41–42
4136	आयात क्षतिपूर्ति लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाना	Simplification of procedure for granting Import Replenishment Licences	42
4137	मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड से आयकर की वसूली	Recovery of Arrears of Income Tax from Modi Spinning and Weaving Mills Co. Ltd. . .	42–43
4138	उत्तर बम्बई मे कस्टम अधिकारियों द्वारा तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Articles by Customs Officials in North Bombay . . .	43
4139	अहमदाबाद में चैकों के भुगतान के बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंडल गुजरात और अहमदाबाद मिल मालिक संघ के प्रतिनिधि मंडल की वित्त मंत्री से भेंट	Meeting of Deputation from Gujarat Chamber of Commerce and Ahmedabad Mill Owners Association with Minister of Finance Re: Clearance of Cheques in Ahmedabad . .	44
4140	गुजरात निर्यात निगम द्वारा अच्छा कार्य	Good performance of Gujarat Export Corporation	44
4141	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक द्वारा गुजरात के बड़ौदा जिले का रुई विकास परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये प्रायोगिक आधार पर चयन	Selection of Baroda District in Gujarat for undertaking Cotton Development Projects on experimental basis by IBRD	44–45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4142	वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिए दिये गये ऋण	Lending by Nationalised Banks for Agricultural purposes during 1971 .	45
4143	वाणिज्यक बैंकों द्वारा छोटे और सीमित किसानों को दिये गये ऋण	Loans given to Small and Marginal farmers by Commercial Banks .	45-46
4144	सम्पत्ति रहन रखो और अपना मकान बनाओ योजनाएं	Property Mortgage and Own Your House Schemes	46-47
4145	रक्षा लेखा नियंत्रक इलाहबाद द्वारा भारतीय सेना के पैंशन भोगियों को पैंशन का भुगतान	Payment of Pensions to Indian Military Pensioners by Controller of Defence Accounts, Allahabad	47-48
4146	उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि और लाभ	Profits and Losses of Public Sector Undertakings in Orissa . . .	48-49
4147	विदेशी यात्रियों द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा के विरुद्ध शिकायतें	Complaints made by Foreign Passengers against the Delhi Airport Branch of State Bank of India	50
4148	पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करार	Trade Agreements with East African countries	50-51
4149	सूडान मिश्र तथा अन्य देशों से आयात की गई रुई की मात्रा	Quantity of Cotton Imported from Sudan, Egypt and other countries .	51-52
4150	सहकारी क्षेत्र में शक्तिचालित करघों के वित्त पोषण के संबंध में ब्याज पर दी जाने वाली राज सहायता देने के बारे में निर्णय	Decision in regard to allowing of Interest subsidy in Financing of Power Looms in the Co-operative Sector .	52
4151	भारत में नशीली वस्तुओं के व्यापारियों को पकडने के लिए कार्यवाही	Steps for Hauling up Narcotics Traders in India .	52-53
4152	कच्चे पटसन के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण	Complete Control over Raw Jute Trade . .	53
4153	रतनमल हिल्ज का पर्यटकों के लिए पर्वतीय केन्द्र के रुप में विकास करने के लिए गुजरात सरकार का प्रस्ताव	Proposal from Gujarat Government for Development of Ratanmal Hills as a Hill Station for Tourists . . .	53
4154	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आय का लक्ष्य	Return Targets for Public Sector Undertakings .	53-54

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4155	अखबारी कागज के आयात के लिए कनाडा के साथ करार	Agreement with Canada for Import of Newsprint	54
4157	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of Chief Executive of Public Sector Undertakings . . .	54–55
4158	नार्थ कार्नाटक गुलबर्गा में सूखे का सामना करने के लिए वहां के बुनकरों द्वारा किये गये त्याग के कारण मैसूर राज्य में बुनकरों को धागे की सप्लाई	Supply of Yarn to Weavers in Mysore State because of their sacrifice to fight drought conditions in North Karnatik-Gulbarga	55
4159	साईकिलों और फालतू पूर्जों का निर्यात	Export of Bicycles and Spare Parts . .	55–56
4161	जंजीबार में एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना के लिये सहयोग	Collaboration for setting up an Industrial Estate in Zanzibar . .	56
4162	बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) के बुनकरों को औद्योगिक ऋण उपलब्ध न होना	Non-availability of industrial Loans to Weavers of Burhanpur (M.P.) .	56
4163	इंडियन पायलट्स गिल्ड द्वारा इंडियन एयर लाइंस के प्रबंध में प्रतिनिधित्व की मांग	Demand by Indian Pilots Guild for Representation in Management of Indian Airlines . . .	56–57
4164	निर्यात गृहों को निर्यात के लिए प्राप्त नकद राज सहायता	Cash Subsidy for Exports received by Export Houses . . .	57
4165	आल इंडिया एंड ग्रिन्डलेज बैंक एम्पलाईज फैडरेशन द्वारा बैंक के कलकत्ता स्थित कार्यालय को अन्यत्र ले जाये जाने के बारे में ज्ञापन का दिया जाना	Submission of a Memorandum by All India National and Grindlays Bank Employees Federation Re : Shifting of Bank's Office in Calcutta	57–59
4166	बंद तथा संकट ग्रस्थ चाय बागानों को अधिकार मे लेने का अधिकार दिये जाने के लिए पश्चिम बंगाल और असम सरकारों का अनुरोध	Request by West Bengal and Assam Governments for powers to take over closed and sick Tea Gardens	59
4167	भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का व्याप्त असंतोष	Unrest among the Employees of Life Insurance Corporation of India .	60
4168	"होप फोर एल० आइ० सी० आफिर्सस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया	Reaction of Government to the News Item captioned Hope for LIC Officers . . .	60–61

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4169	"एल० आई० सी० गोज० आल आऊट हैल्प मोनोपोलीस' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार	Press Report Entitled LIC goes all out to help Monopolies	61
4170	केन्द्रीय उत्पादन और सीमा-शुल्क विभाग में काम कर रहे लेबोरेटरी एटेन्डेन्ट और लेबोरेटरी कलर्क	Laboratory Attendants and Laboratory Clerks working in the Central Excise and Customs .	62
4171	राजधानी में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा टेलर प्रणाली ' अपनाना	Adoption of Teller System by Nationalised Banks in the Capital . .	62
4172	अभ्रक उद्योग में संकट	Crisis in Mica Industry .	63
4173	'काटन टैक्सटाईल एक्सपोर्ट फालिंग' शीर्षक से समाचार	"Cotton Textiles Export Falling" . . .	63
4174	पालम हवाई अड्डे पर अवतरण प्रणाली यंत्र की देखभाल और सर्विसिंग के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा सहायता देने का प्रस्ताव	Offer of Assistance by Indian Air Force in the Supervision and Servicing of ILS at Palam Airport	64
4175	पूंजीगत वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंसों के बदले निर्यात दायित्व	Export obligation in lieu of Import licences for Capital goods . .	61
4176	वर्ष 1973 के दौरान हुई विमान दुर्घटनाओं में यात्रियों को दिये गये मुआवजे की कसौटी	Criteria for payment of compensation to passengers involved in Air accidents during 1973 .	65-66
4177	राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को लाभ	Benefit to Farmers from Nationalised Banks .	66
4178	ऊनी चिथड़ों के आयात के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का नियतन	Allotment of additional Foreign exchange for the import of woollen rags	66-67
4179	"दिल्ली आई० एल० एस० अगेन आऊट आफ आर्डर" शीर्षक से समाचार	News item captioned Delhi ILS again out of order .	67
4181	देश में कम लागत वाले होटलों का निर्माण	Construction of Low priced Hotels in the country	67-68
4182	कर्मचारी संबंधी श्रमिक-विरोधी विनियमों का पुनरीक्षण करने के लिए जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी एसोसिएशन संघ द्वारा की गई मांग	Demand made by Federation of LIC Class I Officers Association for revision of Anti labour Staff Regulations	68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4183	जीवन बीमा निगम तथा फैडरेशन आफ एल० आई० सी० क्लास वन आफिसस एसोसिएशन के बीच हुए करार का क्रियान्वित न किया जाना	Non-implementation of Agreement entered into between LIC and Federation of LIC Class I Officers Association . .	68–69
4184	अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन द्वारा भारत में परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता	Aid given by International Development Association for projects in India .	69–70
4185	आय-कर से छूट की सीमा बढ़ाना	Raising of Income Tax Exemption Limit .	70
4186	सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी परामर्शदात्री परिषद की जून 1973 में बैठक	Meeting of Advisory Council of Customs and Central Excise held in June, 1973	71
4187	राज्य व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में अर्जित लाभ	Profits earned by STC during the last three years	71
4188	गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जीवन बीमा निगम के शेयर	Share of LIC in Private Sector Undertakings .	72
4189	विश्व व्यापार को उदार बनाने हेतू टोकियो सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का भाग लेना	Participation of Indian Representation in Tokyo meet aimed at Liberalising World Trade .	73
4190	चाय बोर्ड द्वारा जापान में काली चाय के लिए संवर्धन अभियान	Promotional campaign for black tea in Japan by tea Board . . .	73
4191	काजू की गिरी के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Cashew Kernel . .	74
4192	उड़ीसा को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Orissa . . .	74
4193	मनीपुर के बुनकरों को सस्ते मूल्य पर धागा सप्लाई करने के लिए मनीपुर सरकार की व्यवस्था	Arrangements by Manipur Government for supply of yarn at cheapest rates to Manipur Weavers .	74–75
4194	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन के विकास के लिए विशेष सहायता देने का अनुरोध	Request from U.P. Government for Special Assistance for Development of Tourism in the State	75
4195	मनीपुर में पर्यटक आकर्षण स्टालों के लिए विस्तृत पर्यटक योजना	Comprehensive Tourist Scheme for Tourist Attractions in Manipur	76

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4196	इम्फाल हवाई अड्डे पर टर्मिनल इमारत के निर्माण में विलंब	Delay in the construction of Terminal Building at Imphal Airport . .	76
4197	आयात की बढ़ी हुई लागत के फलस्वरुप देश में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in domestic prices as a result of increased cost of imports . .	77
4198	राष्ट्रीयकृत निजी तथा विदेशी बैंकों के जमाखाते पूंजीगत तथा उनके आस्तियां तथा उनके द्वारा दिये गये ऋण	Deposits and Capital Assets of and Credits Advanced by Nationalised, Private and Foreign Banks . .	77
4199	भारत में निजी तथा विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private and Foreign Banks in India .	77
4200	सूती कपड़ा उद्योग को अपने निर्यात संबंधी वादों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता	Additional Assistance to Textile Industry to meet its Export Commitments . .	78
4201	भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा प्रोत्साहन मूल्य न देने की शिकायत	Complaint regarding Non Clearing of Incentives by Indian Cotton Mills Federation . . .	78
4202	पुनरीक्षित फर्मों की अनुपलब्धता के कारण आयकर तथा धनकर की विवरणिकाएं भरने की तिथि का बढ़या जाना	Extension of date for filling Income Tax and Wealth Tax Returns due to Non-availability of Revised Forms . . .	78-79
4203	हवाई अड्डेवार उन परियोजनाओं के नाम जिनके लिये सरकार द्वारा पांचवीं योजना में धन देने का निर्णय किया गया	Names of Projects, Airport-wise, for which Government have decided to allocate Funds during Fifth Plan .	79
4204	पटसन बोर्डों का पुर्नगठन	Reconstitution of Jute Board . . .	79
4206	शाखाओं के विस्तार के लिए तीन वर्षीय योजना बनाने हेतु वाणिज्यक बैंकों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines issued to commercial banks for drawing up Three Year Plans for Branch Expansion . . .	79
4207	तीहीदी (उड़ीसा) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा खोलना	Opening of Branch of Nationalised Banks at Thidi (Orissa) . .	80
4209	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा द्वारा दिया गया ऋण	Loan granted by the Bhadrak Branch of State Bank of India	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4210	सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों द्वारा 1972–73 में विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि	Increase in the earnings of foreign exchange by Government run hotels during 1972-73	81
4211	भारतीय रक्षा नियम के अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना	Fixing ofp rices of essential commodities under DIR	81
4212	निर्धारित उड़ानों को चलाने के लिये इथोपियन एयर लाइंस के साथ करार	Agreement with Ethiopian Airlines for operation of scheduled flights . . .	81 82
4213	आयातित कच्चे माल की समूची बिक्री मूल्य पर राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा वितरकों का सर्विस के रूप में लाभ	Incidence of service margins of STC MMTC and distributors on overall release prices of imported raw materials . .	82
4214	आयातित कच्चे माल के वितरण के लिये गैर सरकारी संगठन पर नियंत्रण	Check on private organisations for distribution of imported raw material .	82–83
4215	गैर-सरकारी संगठनों को आयातित कच्चा माल वितरण करने का एकमात्र अधिकार देना	Giving of sole distributorship of Imported Raw Materials to Private Organisations . . .	83
4216	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित लौंग और सुपारी के वितरण की जांच	Enquiry into Distribution of Cloves and Betal Nuts Imported by STC . .	83
4217	सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को खपाने के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी ब्यूरो द्वारा आदेश जारी किये जाना	Issue of Orders by Bureau of Public Enterprises for Absorption of Deputationist in Public Sector Undertakings . .	83–84
4218	वेतन के मामले पर जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित हड़ताल	Proposed Strike by LIC Officers on Pay Issue .	84–85
4219	बम्बई में हुए रोड प्लाट बेचने के बारे में जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी एसोसिएशन द्वारा विरोध	Objection raised by LIC Class 1 Officers Association in regard to sale of Hughes Road Plot at Bombay . . .	85
4220	पांचवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में विकास के लिए चुने गये पर्यटन स्थल	Tourist spots in Tamil Nadu Selected for development during Fifth Plan . . .	85

अता० प० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4221	उत्तर क्षेत्र में अधिक कार्यालय खोलने के बारे में फैडरेशन आफ एल० आई० सी० क्लास वन आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया प्रस्ताव	Proposal made by Federation of LIC Class I Officers Association Re : Opening of More Offices in Northern Zone	86
4222	पोलैंड को रेल वैगनों का निर्यात	Export of Railway Wagons to Poland . .	86
4223	इन्दौर उज्जैन और जावरा (जिला रतलाम) के लोगों को स्टेट बैंक आफ इन्दौर और स्टेट बैंक आफ इन्डिया द्वारा दिया गया ऋण	Loans given by State Bank of Indore and State Bank of India to people in Indore, Ujjain and Jawra (District Ratlam) . .	86–87
4224	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्ति के लिये मुआवजा देने हेतु आवेदन-पत्र	Applications for Compensation for Evacuee Properties left in Former East Pakistan.	87
4225	पश्चिम बंगाल में पर्यटन के विकास में बाधक कमियों को दूर करने हेतु कार्यवाही	Steps to Remove Shortcomings Hindering Development of Tourism in West Bengal .	87–89
4226	अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के चार्ट में डम डम हवाई अड्डे को शामिल करने हेतु राजी करने के प्रयास	Efforts made to persuade international Airliners to include Dum Dum Airport in the Chart of their International Flights . . .	89
4227	देश के विभिन्नि सरकारी होटलों को होने वाली हानि के कारणों का पता लगाने हेतु स्थापित की गई समिति के निष्कर्ष	Findings of the Committee Set up to find out the causes of losses incurred by various Government Owned Hotels in the country . .	89-90
4228	जयपुर जिले (यू० सी० बी०) के लीड बैंक का कार्य सम्पादन	Performance of lead Bank of Jaipur Dist (UCB) .	90-91
4229	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ब्याज की दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति में रुकावट	Hampering of progress in Backward areas of Rajasthan as a result of increase in Interest Rates of IDBI . .	91–92
4230	राजधानी में सरकार द्वारा चलाये जा रहे अशोक होटल में दिखाए गए कत्थक तथा शास्त्रीय नृत्य क्रमों पर आपत्ति	Objections against Kathak and classical Dance Items presented by Government run Ashoka Hotel in the Capital .	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4231	आयकर अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच	CBI Enquiry against Income Tax Officers .	92–93
4232	बम्बई-दिल्ली उड़ान संख्या 185 में 23 जुलाई, 1973 को हुआ विलंब	Delayed Bombay Delhi Flight No. 185 on 23rd July, 1973 . . .	93
4233	बसंत बिहार, नई दिल्ली स्थित दुकान में आयातित वस्तुओं की बिक्री	Sale of Imported Articles in a Shop in Vasant Vihar New Delhi . . .	94
4234	मध्य प्रदेश में पशुओं के संरक्षण के लिए अधिकाधिक शरण्य-स्थलों की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव	Proposal to establish more Sanctuaries for preservation of Animals in Madhya Pradesh .	94
4235	कोरी फिल्मों पर उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के कारण फिल्म उद्योग को क्षति	Set Back to Film industry due customs and Excise Duty on Raw Films	95
4236	विदेशों में स्थित भारतीय उद्योगों से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings of Indian Industries set up Abroad .	95
4237	इंडिया लूसिंग आयरिश टी मार्केट (आयरलैंड में भारत द्वारा चाय का बाजार खोना)	India losing Irish Tea Market . .	96
4238	विमान दुर्घटनाओं के बारे में जांच न्यायालयों तथा समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की तत्काल क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त समिति	Committee constituted to ensure Prompt implementation of Recommendations by courts and Committees of Inquiry on Air Crashes . .	96
4239	'स्लो डिसबर्समैंट आफ आई० एफ० सी० लोन्स इन यू० पी० (उत्तर प्रदेश में आई० एफ० सी० ऋणों के वितरण की मंद गति)	Slow Disbursement of IFC Loans in U.P. . .	96 98
4240	फटे हुए दोषयुक्त नोटों का बदलना	Exchangeability of Mutilated/Defective Notes .	98
4241	स्थिरिकरण निधि बनाना	Creation of Stabilisation Funds . . .	99
4242	पांचवीं योजना के दौरान हस्तशिल्प का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए इसके बारे में टास्क फोर्स	Task force on Handicrafts to increase its production and Export during the Fifth Plan . .	99

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
4243	प्रशीतकों का निर्यात	Export of Refrigerators .	100
4244	जम्मू के कटरा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिला, उत्तराखंड क्षेत्र में पेड़ लगाने का विकास	Development of Plantations in Katra Area of Jammu and Uttarkhand Region of Garhwal District, U.P.	100-101
4245	गत दो वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों का सरकार द्वारा चलाये गये होटलों में ठहरना	Occupancy of Government run Hotels by Foreign Tourists during the last two years .	101
4246	पांचवीं योजना के दौरान धनराशि के उपयोग के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताएं	Priorities accorded for Utilisation of Funds during Fifth Plan by Indian Airlines .	101-102
4247	स्वर्गीय नागर-वाला से संबंधित स्टेट बैंक मामले में 60 लाख रुपये की वसूली	Recovery of Rs. 60 lakhs in the State Bank case involving late Nagarwala	102
4248	भारत से वस्तुएं निर्यात करने वाली विदेशी कम्पनियों द्वारा धन बाहर भेजना	Repatriation of Funds by Foreign Companies Exporting Goods from India . .	102-104
4249	विदेशी फर्मों द्वारा अपने देशों को भेजा गया धन	Remittances by Foreign Firms . .	104-106
4250	आल इंडिया लाइफ इंस्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन तथा ए०आई०आई०ए० की ओर से जीवन बीमा निगम को प्राप्त मांग पत्र	Charter of Demands received by LIC from All India, Life Insurance Employees Association and AIIA .	106
4252	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऋणों पर रोक	Curbs on Bank Borrowings by Reserve Bank of India . . .	107-108
4253	भारत और जापान के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Japan .	108
4254	कलकत्ते में जूट की 'आसाम बाटम' किस्म के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने हेतु जूट कारपोरेशन आफ इंडिया को सुझाव	Suggestion to JCI to increase the support price of Assam Bottom variety of Jute in Calcutta .	108
4255	पूर्वी क्षेत्र में बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Banks in Eastern Regions . . .	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4256	मैसूर राज्य में गोकर्ण को पर्यटन केन्द्र के रुप में विकसित करना	Development of Gokarana as a Tourist Centre in Mysore State . .	109
4257	कृषि आय पर कर लगाने के संबंध में राज समिति का प्रतिवेदन	Report of Raj Committee on Taxation of Agricultural income .	109-110
4258	राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की विकास दर	Growth Rate of Nationalised and Non Nationalised Banks . .	110
4259	भारत से निर्यात किये जाने वाले माल को केवल भारतीय जहाजों में ही ले जाने का प्रस्ताव	Proposal to carry Indian Export Goods only in Indian Ships .	110
4260	देश के विभिन्न क्षेत्रों में आई०डी०बी० आई०, आई०सी०आई०सी०आई० तथा आई० एफ० सी० आई० द्वारा किया गया पूंजी निवेश	Investment made by IDBI ICICI IFCI in different Regions of the country . .	110-111
4261	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा विनियमित ऋण नियंत्रण नीति	Credit Control Policy regulated by Reserve Bank of India . .	111-112
4262	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक आफ इंडिया की निक्षेप विस्तार तथा ऋण निक्षेप अनुपात की दर	Rate of Deposit Expansion and credit deposit Ratio of Central Bank of India, Punjab National Bank and Bank of India . . .	113
4263	भारत स्थित विदेशी दूतावासों आदि द्वारा भारत में विदेशी करेंसी को लाने संबंधी नियम	Rules governing the bringing of Foreign Currencies into India by Foreign Missions etc.	113-114
4264	कानपुर से बम्बई कलकत्ता को सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव	Proposal to start Direct Flight from Kanpur to Bombay and Calcutta .	114
4265	1973 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जाने वाली वस्तुएं	Items to be canalised through STC in 1973 .	114
4266	इंडियन एयरलाइंस के कार्यकरण की जांच करने हेतु नियुक्त विभिन्न समितियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करना	Inclusion of Employees Representative in various Committees appointed to go into the working of Indian Airlines .	114-115

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4267	उच्च श्रेणी लिपिकों के बारे में 40 सूत्रीय साम्प्रदायिक रोस्टर रखने के बारे में की गई अनियमितताओं के बारे में पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from Emloyees of Tourism Department regarding Irregularities in the Maintenance of 40 point Communal Roster in respect of Upper Division Clerks	115
4268	तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कठिनाईयां कम करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर राज सहायता देना	Subsidising of Consumer Articles to Reduce Hardships of Class III and IV Employees .	115-116
4269	प्रत्येक बैंक कार्यालय द्वारा सेवा किये जाने वाला औसत क्षेत्र और देश के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में नई शाखाओं का खोला जाना	Average Area served for Bank Office and Opening of New Branches in Hilly and Backward regions of the country .	116-117
4270	हिमाचल प्रदेश के जिलों में बैंक कार्यालय	Bank Offices in the Districts of Himachal Pradesh . . .	117-118
4271	रक्षा लेखा नियंत्रक (सी०डी०ए०) पटना के कार्यालय में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को परेशान किये जाने का आरोप	Alleged Victimisation of Third and Fourth Grade Employees in the Office of Controller of Defence Accounts, Patna . .	119
4272	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय में भर्ती	Recruitments made in the office of CDA, Patna .	119
4273	भारतीय पर्यटन विकास निगम के चीफ इंजीनियर का विश्व का दौरा	Trip Around the World by Chief Engineer of India Tourism Development Corporation .	119-120
4274	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और बिक्री कर की मात्रा	Incidence of Central Excise Duty and Sales Tax	120-122
4275	कराधान व्यवस्था में सुधारों के बारे में भारी उद्योग मंत्री के सुझाव	Reforms in Taxation system suggested by Minister of Heavy Industry . . .	123
4276	सूरत जिले में पांच बीघा से कम भूमि वालों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan given by Nationalised Banks to persons in Surat District of Gujarat having less than Five Bighas of land	123
4277	पटसन का मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Jute Prices .	123-124

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4278	जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को एसोसिएशनों के संघ के साथ वर्ष 1970 में किये पदोन्नति नीति संबंधी करार का उल्लंघन	Breach of Promotion policy Agreement entered into by LIC with the Federation of LIC Class I Officers Association in 1970	124
4279	जीवन बीमा निगम में नियुक्त भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा वरीयता और वेतन के निर्धारण में सुविधा हेतु किए गए अभ्यावेदन	Representations made by Ex-Emergency Commissioned Officers Employed in LIC for benefit in fixation of Seniority and Pay .	124–125
4280	भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन का वसूली लक्ष्य निश्चित करना	Fixing of Jute Procurement Target by JCI .	125
4281	फाइव स्टार होटलों में ठहरने के किराये में वृद्धि	Increase in occupancy charges of Five Star Hotels . . .	125–126
4282	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई कुल करारों में से भारतीय पर्यटन विकास निगम को आवंटित कारें	Cars allotted to ITDC out of the Total number of Cars Imported by STC	126–127
4283	गत तीन वर्षों में भारतीय पर्यटन विकास निगम को मोटरकारों से हुआ लाभ हानि	Profit/Loss to ITDC Transport fleet during the last three years .	127–128
4285	बिहार में तस्कर वस्तुओं की बिक्री	Sale of smuggled goods in Bihar . . .	128–129
4286	बैंकिंग तथा अन्य अनुभागी विषयों पर हिन्दी में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के बारे में समयबद्ध कार्यक्रम	Time Bound Programme in regard to make Available Text Books on Banking and other Allied Subjects in Hindi . . .	129
4287	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	Number of SC and ST Employees working in the Ministry of Tourism and Civil Aviation .	129–131
4288	वाणिज्य मंत्रालय में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी	SC/ST Employees working in Commerce Ministry .	131

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4289	भारत और अमरीका के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाया जाना	Strengthening of Economic relations between India and USA . .	131
4290	1973–74 में विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings during 1973-74 .	132
4291	चौथी पंचवर्षीय योजना के वित्त-पोषण के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधाएं देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से अनुरोध	Request to IMF for Additional credit facilities for financing Fourth Five Year Plan . .	132
4292	उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पंजाब नेशनल बैंक से ऋण की मांग	Loan asked for by Electricity Board of U.P. for Rural Electrification from Punjab National Bank . . .	132–133
4293	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का विकास	Development of places of Cultural and Historical Importance in Bundelkhand Area . .	133
4294	फालतू पुर्जों की कमी के कारण अप्रयुक्त पड़े निर्माण उपकरण	Construction Equipment lying idle for want of spare parts . .	133–134
4295	बम्बई, पूना और कोल्हापुर में चीनी का वायदा बाजार	Forward Trading of Sugar in Bombay, Poona and Kolhapur . .	134
4296	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	134
4297	सरकारी उद्यम ब्यूरो के कार्य के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विचार	Views of Chief Executives of Public Sector Undertakings on Role of Bureau of Public Enterprises	135
4298	देश की सांस्कृतिक परम्परा पर वृत्त चित्र बनाने और उन्हें कुछ चुने हुए पर्यटक स्थलों पर दिखाने का प्रस्ताव	Proposal to produce documentaries on the cultural Heritage of the Country and Screening them at selected Tourist Centres	135–136
4299	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सीधा ऋण देने की दर का बढ़ाया जाना	Raising of direct lending Rate by IFC . .	136–137
4300	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित दूकानों पर जब्त किये गये माल का बेचा जाना	Disposal of confiscated Goods by Sale in Shops at International Airports	137–138

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4301	डालर के मूल्य में गिरावट का भारत के निर्यात पर प्रभाव	Impact of Fall in value of Dollar India's Exports	138
4302	30 जुलाई, 1973 को पालम हवाई अड्डे पर एक विमान में बम रखे जाने संबंधी झूठे खतरे के कारण उड़ानों में विलंब	Delayed Flights due to False Alarm about Planting of a bomb in an Aircraft at Palam Airport on 30th July, 1973	139
4303	मैसूर में उद्योगों के विकास में संस्थागत वित्त संस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश	Investment made by Institutional financial Institutions in Development of Industries in Mysore .	139-140
4304	एयर इंडिया की मास्को को उड़ान	Flights of Air India to Moscow . . .	141
4305	भारत-जर्मन व्यापार पर जर्मन करेंसी के पूनर्मूल्यन का प्रभाव	Effect of Revaluation of German Currency on Indo German Trade .	
4306	इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने भूतपूर्व कर्मचारियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा	Facility of Free Passage to Former Employees by Indian Airlines . .	141
4307	संयुक्त राज्य अमेरिका को कटलरी का निर्यात	Export of Cutlery to USA	142
4308	रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी कृषि, और औद्योगिक क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दिया जाना	Providing of Financial Assistance by Reserve Bank to cooperative Agricultural and Industrial Sectors . .	142
4309	केरल के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा दिया गया ऋण	Loan advanced by Branches of Nationalised Banks in Districts of Kerala . . .	143
4310	केरल में कोचीन में एक असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of a Civil Aerodrome at Cochin in Kerala . . .	144
4311	केरल में कालीकट के निकट काड़ीपुर में हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of an Aerodrome at Karpur near Calicut in Kerala .	144
4312	भारत में घड़ियों की तस्करी को रोकने के लिए कार्यवाही.	Steps to Check smuggling of watches into India .	144-145
4313	बम्बई, और कलकत्ता के मीट्रो सिनेमाघरों को नियंत्रण में लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रस्ताव	I & B Ministry's proposal for taking over Metro Cinemas at Bombay and Calcutta . .	145

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4314	इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में विमानों की कुल उपलब्धता आवश्यकता	Total Availability/requirements of Aircraft by Indian Airlines and Air India . . .	146-147
4315	त्रिपुरा में मध्यम दर्जे का एक पटसन कारखाना लगाना	Setting up of a medium size jute Factory in Tripura . . .	147
4316	त्रिपुरा में हथकरघा कुटीर उद्योग के लिए सूत की कमी	Shortage of Yarn for Handloom cottage Industry in Tripura .	147
4317	बंगला देश को निर्यात और इस देश से आयात	Exports to and Imports from Bangladesh .	148
4318	अफीमचियों को विशुद्ध अफीम देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा केन्द्र से अनुमति मांगना	Seeking of permission by Punjab Government to feed pure opium to Addicts . . .	148
4319	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र का उद्देश्य और विकास	Purpose and development of Kandla Free Trade Zone	148-149
4320	पटसन के मूल्यों के बारे में भारत और बंगला देश के बीच समझौता	Agreement between India and Bangladesh in Jute Prices . . .	149
4321	निश्चित वेतन न पाने वाले वर्ग, छोटे व्यापारियों आदि की आय का पता लगाने के उपाय	Measures to detect income of non salaried class and small Businessmen etc.	150
4322	भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की अपर्याप्त मात्रा की खरीद	Purchase of Inadequate quantity of Jute by Jute Corporation of India . . .	150-151
4323	नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिए खुदरा दूकाने	Retail Shops for Sale of Controlled Cloth .	151-152
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .	152
	बैंक आफ बड़ौदा, बम्बई में धोखाधड़ी का समाचार	Reported fraud in the Bank of Baroda Bombay	152-155
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	155-157
	राज्य-सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	158

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	कोक-कारी और गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक–राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Coking and Non-coking coal Mines (Nationalisation) Amendment Bill. As passed by Rajya Sabha . . .	158
	विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill . .	158
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of members from the Sittings of the House . .	158
	11वां प्रतिवेदन	Eleventh Report	158
	सभा का कार्य	Business of the House .	159-161
	सूती कपड़ों की कीमतों और कपड़ा मिलों के लाभ में कमी करने के लिये की गई कार्यवाही के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	Statement by Member re: steps to reduce the prices of cotton fabrics and profits of textile mills	161
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	161
	श्री ए० सी० जार्ज	Shri A.C. George	162
	श्रद्धानन्द कालेज, दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में	Re: Incidents at Shraddhanand College, Delhi .	163
	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill . .	163
	प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने का प्रस्ताव	Extension of time for presentation of Report of Select Committee .	163
	अनुपूरक अनुदानों की मांगे (उड़ीसा) 1973-74	Supplementary Demands for Grants (Orissa), 1973-74	164
	विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented .	164
	अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मणिपुर)–1973–74	Supplementary Demands for Grants (Manipur) 1973-74 . . .	164
	बिवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented .	164
	विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक	Foreign Exchange Regulation Bill . . .	165
	बिचार करने का प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Joint Committee . . .	165

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	श्री यशवंत राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	165
	श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu .	167
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta.	170
	श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	172
	विधेयक पुरः स्थापित	Bills introduced .	175
	(1) गरीबी उन्मूलन योजना विधेयक श्री यमुना प्रसाद मण्डल का	(1) Eradication of Poverty Scheme Bill by Yamuna Prasad Mandal . .	176
	(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 125क और 221क का अंतः स्थापन) श्री मधु लिमेय का	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new articles 125A and 221A) by Shri Madhu Limaye . . .	176
	(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक (नई धारा 12ख का अन्तःस्थापन और धारा 14 का संशोधन) श्री मधु लिमेय का	University Grants Commission (Amendment) Bill, (Insertion of new section 12B and amendment of section 14) by Shri Madhu Limaye . . .	177
	(4) परिसीमन (संशोधन) विधेयक (नई धारा 9क का अन्तः स्थापन) श्री मधु लिमेय का	Delimitation (Amendment) Bill. (Insertion of new section 9A) by Madhu Limaye .	177
	(5) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 107 और 109 का लोप) श्री मधु लिमेय का	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, (Omission of Sections 107 and 109) by Shri Madhu Limaye	177
	(6) रेल पटरी की समीपस्थ भूमि का उपयोग विधेयक श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह का	Utilisation of Land Adjoining Railway Track Bill by Shri Vishwanath Pratap Singh . .	177
	(7) कुष्ठ नियंत्रण तथा कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास विधेयक श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का	Leprosy control and Rehabilitation of Lepers Bill by Shri Vishwanath Pratap Singh . .	177

अता० प्र संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	नेता जी राष्ट्रीय अकादमी विधेयक---अस्वीकृत	Netaji National Academy Bill—Negatived . .	177
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider .	177
	श्री समरगुह	Shri Samar Guha	177
	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 का संशोधन) श्री अटल बिहारी बाजपेयी का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 124) by Shri Atal Bihari Vajpayee . . .	182
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	182
	श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . . .	183
	श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	184
	श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma . . .	185
	श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	185
	श्री पी० के देब	Shri P.K. Deo .	186
	श्री बसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	188
	श्री बी० पी० मौर्य	Shri B.P. Maurya .	189
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	189
	आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion .	190
	देश की सुरक्षा के लिये परमाणु शस्त्रास्त्रों का विकास	Development of Nuclear Weapons for Defence of the country . .	190
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	190
	श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	192

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 24 अगस्त, 1973/2 भाद्र, 1895 (शक)

Friday, August 24, 1973/Bhadra 2, 1895 (Saka)

लोकसभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा निर्यात संवर्द्धन निधियों का कथित अपव्यय किया जाना

*421. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता के एक वर्ग ने यह आरोप लगाया है कि इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन निर्यात सम्बर्द्धन निधियों का अनेक प्रकार से, जो साधारणतया निर्यात सम्बर्द्धन के कार्यकलापों के अन्तर्गत नहीं आते, अपव्यय कर रही है ;

(ख) क्या इंडियन काटन मिल्स फैडेरेशन ने 150–160 करोड़ रुपये की निधियां एकत्रित की हैं किन्तु निर्यात प्रोत्साहनों के रूप में वास्तव में 125 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस आरोप की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में 1 अगस्त 1973 के इकनामिक्स टाइम्स में दी गई प्रेस रिपोर्ट देख ली है।

(ख) सूचना मिली है कि 2.6 करोड़ रु० के सिवाय, जिसे अभी वितरित किया जाना है अब तक संचित राशियां वितरित की जा चुकी हैं।

(ग) इंडियन काटन मिल्स फैडेरेशन के कार्यक्रमों के इस भाग से सम्बन्धित लेखे की सरकारी लेखा–परीक्षा होनी है। इस स्तर पर कोई अन्य जांच-पड़ताल करने का विचार नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विदेशी रुई से लगभग 150 से 160 करोड़ रुपये की मद्रा का अनुमानित संचय किया गया है और प्रोत्साहन के रूप में प्रतिवर्ष औसतन 25 करोड़ के आधार पर 125 करोड़ रुपये से अधिक राशि कम नहीं की गई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत मिली है कि विशेष प्रोत्साहनों, बड़े पैमाने पर व्यापार प्रोत्साहनों, काउन्टवार प्रोत्साहनों, गन्तव्य स्थल प्रोत्साहनों आदि के बहाने कुछ बड़े मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिये अधिकांश धनराशि उड़ायी गई है ।

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : हमें 'इकानामिक टाइम्स' की प्रेस रिपोर्ट के अतिरिक्त, अन्य कोई शिकायत नहीं मिली है" ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी, नहीं । इसमें बताया गया है कि :

"भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ निर्यातकों को प्रोत्साहन के रूप में धनराशि देने के लिये अतिरिक्त राशि आवंटन करने हेतु सरकार पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है । भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ की प्रतिवर्ष व्याज से लगभग 40 लाख रुपये की आय होती है । वे 20 लाख रुपये की राशि व्यय करते हैं और 20 लाख उड़ा देते हैं" ।

क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में ,अपनी प्रतिक्रिया बतलायेंगे ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : प्रश्न यह था कि क्या कोई आरोप प्राप्त हुए हैं । मैंने बताया है कि प्रेस रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है । भारी धनराशि के बारे में मैं पहले ही नकारात्मक उत्तर दे चुका हूं । धनराशि के अपव्यय के बारे में भी मैंने नकारात्मक उत्तर दिया है । इसके विपरीत, मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ कठिनाइयां हैं । उसके पास धनराशि की कमी है ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो केवल तभी प्रसन्न होंगे जब मंत्री महोदय स्वीकारात्मक उत्तर दें ।

Shri Madhu Limaye: At present Government provides various incentives to promote export trade. Everybody is aware of this that at present India is holding monopolistic position in the international market so far as mill cloth is concerned. No country is there in the field at present. Prices are increasing in foreign countries. In view of this, may I know whether the credits being given by E.C.G.C. at the subsidised rates of 7 percent are required to be given this year also? May I also know whether the Government are getting there share in foreign exchange out of these large profits earned from foreign countries or is there any under-invoicing going on?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अधिक राशि अथवा कम राशि के बीजक बनाने का प्रश्न इतना सामान्य है कि इसका उत्तर इस खास प्रश्न के संदर्भ में नहीं दिया जा सकता । जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, वर्ष 1972–73 में वस्त्र निर्यात के लिये कुल 33.98 करोड़ रुपये की राशि की नकद

सहायता दी गई जिसमें सरकार का सहयोग केवल 7.75 करोड़ रुपये की राशि का है। आंकड़ों से पता चलता है कि नकद सहायता में सरकार का सहयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वर्ष 1968-69 में 2 : 1 का अनुपात था, अब 3 : 1 का अनुपात है। अब सरकार का सहयोग एक तिहाई होता है जो कि पहले आधा हुआ करता था। ये निर्यात संवर्धन तथा विदेशी मुद्रा की आय के हित में है।

Shri Madhu Limaye : He tries neither to understand nor to reply to my Question. I have said that we are getting highly remunerative prices for the cloth in the international market and there is no competition at all. The cover provided by E.C.G.C. is being misused. What is the justification in advancing huge amounts of Bank loans now at subsidised rates of 7 percent? The Government should look into each and everything and should announce their policy.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सूचना अध्ययन के आधार पर दी गई है। यह निर्यात संवर्धन के हित में है।

श्री मधुलिमये : आजकल बाजार विक्रेताओं के हित में है।

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : जी, नहीं ऐसी बात नहीं है।

विश्व की मण्डी में संश्लिष्ट माल आ जाने से जूट से बने भारतीय माल का कड़ी प्रतिस्पधा का सामना करना

***423. श्री सरजू पांडे**
श्री बी० के० दास चौधरी } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की मंडी में संश्लिष्ट माल के आ जाने के कारण जूट से बने भारतीय माल को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो संश्लिष्ट माल के प्रवेश से भारतीय जूट निर्यात को उत्पन्न हुए खतरे से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) कालीन अस्तर पर से निर्यात शुल्क पहले ही घटा दिया गया है। अन्य मदों से शुल्क में कटौती करने के बारे में विचार किया जा रहा है। लागत में कटौती निष्पादन स्तरों में सुधार तथा नए उत्पाद निकालने और साथ ही कच्चे पटसन की उपज बढ़ाने के बारे में गवेषणा तथा विकास कार्यों में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister has given certain new suggestions regarding Jute. May I know the impact of those suggestions on our Jute trade?

Secondly, I want to know the names of those countries with which we are meeting stiff competition in the world market? I also want to know the extent of the loss Indian trade is suffering owing to entry of synthetics.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच है कि कुछ समय से जूट से बने भारतीय माल को विशेषकर पश्चिमी देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि निर्यात शुल्क में कटौती करने से हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है, मेरा कहना यह है कि निर्यात शुल्क में कटौती के परिणामस्वरूप कालीन अस्तर का निर्यात औसतन 10,000 टन प्रति माह से बढ़कर 15,000 टन प्रति माह हो गया है।

Shri Sarjoo Pandey : I have asked about the extent of loss, but he has not replied to that. May I know the extent of loss Indian trade is suffering due to stiff competition and entry of synthetics? May also I know the goods being manufactured to meet this stiff competition? Is there any such plan under consideration?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वार्षिक हानि-लाभ की मात्रा का बताना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता, विदेशों में संश्लिष्ट जैसी प्रतिस्पर्धा की वस्तुओं की उपलब्धता तथा अपनी उत्पादन लागत और निर्यात शुल्क की घट बढ़ के कारण घट बढ़ होती रहती है। अतः इस सम्बन्ध में बहुत ही सामान्य रूप से बताया जा सकता है। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में, अर्थात् विश्व बाजार में उत्पाद की प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिये हम अपनी जूट मिलों का आधुनिकीकरण कर रहेहैं और हम अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में और अधिक प्रयास कर रहे हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय के मूल उत्तर तथा माननीय मित्र के प्रश्न के मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर में स्पष्ट विरोधाभास परिलक्षित होता है। मूल उत्तर में, प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया है कि विश्व के बाजार में जूट से बनी भारतीय वस्तुओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और बाद में वह कहते हैं कि कुछ प्रोत्साहन देने तथा कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क में कटौती करने के पश्चात निर्यात में वृद्धि हुई है। इससे यही पता चलता है कि जूट से बनी वस्तुओं, कच्चे जूट, अथवा जूट की तैयार वस्तुओं के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की जो कछ बात कही गयी है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है।

क्या यह सच है कि जूट तथा जूट की वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, 1967–68 में भारत का भाग 57 प्रतिशत था और बाद में यह कम होकर 51 प्रतिशत रह गया तथा गत 2–3 वर्षों में यह फिर से 57 प्रतिशत हो गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण की योजना के अतिरिक्त सरकार का विचार जूट की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये आगे और क्या कदम उठाने का है, और क्या सरकार अधिक विदेशी मुद्रा की आय करने के विचार से निर्यात व्यापार किसी माध्यम से करने पर विचार करेगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : विदेशों में जूट की भारतीय वस्तुओं की बिक्री अपेक्षतया बढ़ाने के लिये पहले बताये गये उपायों के अतिरिक्त हमने यह निर्णय किया है कि उद्योग पर उपकर लगाया जाये। यह विकास उप-कर होगा और इससे जो राशि संचित होगी इसमें सरकारी योगदान से और वृद्धि की जायेगी। जहां तक किसी माध्यम से निर्यात करने की बात है, इस समय हम इस बारे म विचार नहीं कर र हैं।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विदेशों में जूट से बनी भारतीय वस्तुओं को संश्लिष्ट वस्तुओं के आ जाने से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्या सरकार उत्पादन में, जैसे उत्तम किस्म के कालीन तथा अन्य वस्तुओं के मामले में विविधता लाने के लिये कदम उठायेगी और क्या परम्परागत बाजारों के अतिरिक्त नये निर्यात बाजार खोजने का प्रयास करेगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जूट मिलों के आधुनिकीकरण की बात से मेरा तात्पर्य हल्के कालीन अस्तर तैयार करने से है जो संश्लिष्ट वस्तुओं के मुकाबले में अधिक स्पर्धाशील हो सकगे। जहां तक विविधता लाने की बात है, जैसा कि मैंने बताया है, यह मत विद्यमान है क्योंकि आधुनिकीकरण से तात्पर्य यह है कि जूट वस्त्र में ऐसा किया जा सकता है और हम उन पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संश्लिष्ट माल के साथ प्रतिस्पर्धा की बात कोइ नई नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि यह समस्या हाल ही के वर्षों में विशेषकर वर्ष 1971 में जटिल तो हो गई है क्योंकि इस वर्ष जब बंगला देश की जूट मिलें बन्द थी तो हमारे जूट मिल मालिकों ने अवसर का लाभ उठाने के लिये मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि की ताकि वे तत्काल लाभ कमा सकें और सरकार ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका ? इस कारण बाजारों में और संश्लिष्ट माल आया जिससे हमें हानि हुई। यदि ऐसा है तो क्या मंत्रीमहोदय इन शक्तिशाली जूट मिल मालिकों को जो इन्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन में संगठित है, अब न केवल निर्यात शुल्क में कमी का लाभ देना अपितु उनके द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राजसहायता देना उचित समझते हैं ? इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच है कि बंगला देश के संकट का वर्ष जूट उद्योग के लिय बहुत अच्छा वर्ष था परन्तु कितना, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपकों वर्ष 1971 के मूल्यों का पता नहीं है ? कालीन अस्तर 1400 रुपये प्रति क्विटल की दर पर बेचा गया था।

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : मैं केवल यह कह रहा था कि मैं निश्चयात्मक आंकड़े नहीं बता सकता। मैं प्रश्न के दूसरे भाग पर आ रहा हूं।

आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ वस्तुओं की उत्पादन लागत, उदाहरण के लिये, मूल कालीन अस्तर का मूल्य इसी प्रकार रहा है। वर्ष 1966 में 21 प्रति वर्ग गज था, वर्ष 1972 में यह बढ़कर 23 प्रति वर्ग गज हो गया जबकि प्रतिस्पर्धा रखने वाले देश उत्पादन लागत को 22 सैंट से 18 सैंट पर ले आये। अतः हमारे कालीन अस्तर के प्रतिद्वन्दियों को 1966 के प्राइमरी कालीन अस्तर की तुलना में 1 सैंट की ओर हानि हुई। परन्तु 1970 में इन्हें 3 सैंट का लाभ रहा। यह उत्पादन लागत की अपेक्षा बहुत कम है। अन्य बातों के अतिरिक्त वे उत्पादन लागत को कम कर सकने में सफल हुए हैं जबकि हम सफल नहीं हुये हैं। इस संदर्भ में मैंने आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता तथा उत्पादन लागत कम करने की बात पर बल दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या सरकार निर्यात शुल्क में रियायत देना तथा जो राज सहायता वे मांग रहे हैं उसे देने की बात उचित समझती हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : राजसहायता का प्रश्न एक अन्य प्रश्न से भी, अर्थात् पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य देना तथा यह तथ्य कि कच्चा माल तैयार वस्तुओं की कुल उत्पादन लागत का 55 प्रतिशत है जोड़ा जा रहा है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि जूट से बनी वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा की बात कोई नई बात नहीं है , रुचि रखने वाले लोग इसे ब्रिटिश सरकार के समय से ही उठा रहे हैं ? परन्तु यह वास्तविकता नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों तथा संश्लिष्ट माल की कमी जूट उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है बशर्ते सरकार संश्लिष्ट माल के निर्यात के सम्बन्ध में अपनी नीति को युक्तिसंगत बनाने के लिए तत्पर हो ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह प्रचार अनुचित और अवास्तविक नहीं है । गलीचे के अस्तर के आंकड़े मैंने इसलिये दिये हैं कि हमारे माल को अपेक्षाकृत अधिक कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है और उसे पटसन (हैसियन) के मूल्यों को ही वहन करना पड़ेगा । वर्ष 1966 में हमारे माल का प्रति वर्ग गज का मूल्य 14.1 सैंट था जबकि मुकाबले में आने वाले माल का मूल्य 20 सैंट था । वर्ष 1972 में हमारे माल का मूल्य 22 सैंट हो गया जबकि उनके माल का मूल्य 14 सैंट रहा । अतः हमारे माल में प्रतिस्पर्द्धा की क्षमता कम हो गई ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने बताया है कि निर्यात शुल्क में कमी कर दी गई है इसलिए हमारा निर्यात 10,000 टन से बढ़कर 15,000 टन हो गया है । निर्यात शुल्क में कुल कितनी छूट दी गई है ? पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार पटसन मिल मालिकों को कितनी और क्या सहायता दे रही है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने निर्यात शुल्क में लगभग 6 करोड़ रुपये की राहत दी है और इसके परिणामस्वरूप हमे 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का लाभ होगा । जहां तक आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है, यदि मिले आधुनिक नहीं होंगी तो हमारा माल भी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जायेगा ।

श्री समर गुह : कृत्रिम उत्पादों के आ जाने से भारत को गत वर्ष जूट के माल पर कितनी हानि हुई ? क्या कृत्रिम उत्पादों की तुलना में जूट के उत्पादों के प्रश्न पर बंगला देश से कोई विचार-विमर्श किया गया है क्योंकि भारत और बंगला देश का जूट के मामले में समान हित है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पहली बार दी गई छूट से निर्यात 10,000 टन से बढ़कर 15,000 टन हो गया था और दूसरी बार दी गई छूट से यह 3,000 टन से बढ़कर 18,000 टन हो गया । इससे यह सिद्ध होता है यह वृद्धि इस छूट के कारण हुई है ।

श्री समर गुह : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय: वह संगत नहीं है ।

श्री समर गुह : किन्तु उन्होंने बंगला देश के साथ जूट के मामले में संधि की है । आप इस प्रश्न की अनुमति भले ही न दें, मगर कृपया यह न कहें कि यह असंगत प्रश्न है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जूट मिल मालिक एकाधिकारी पूंजीपति है और वे कम राशि के बीजक बनाने जैसी कुप्रक्रियाओं द्वारा बहुत कमा रहे हैं; जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री दीनेन भट्टाचार्य ने कहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार जूट उद्योग तथा जूट के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करेगी जिससे यह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय मंड़ी में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला सफलता पूर्वक कर सके ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस उद्योग में जो कदाचार है उसका मुझे पता है और उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। राष्ट्रीयकरण का प्रश्न इस समय उत्पन्न नही होता।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : I would like to know the number of mills which have been given assistance for modernisation.

Mr. Speaker : You should give a separate notice for it.

ऋण की किस्त और ब्याज की अदायगी में वृद्धि

*424. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की ऋण की किस्त और ब्याज की अदायगी में निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि के समान दुगनी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यद्यपि भारत के विदेशी ऋणों के परिशोधन की रकम में वृद्धि हो रही है किन्तु यह कहना सही नहीं है कि निर्यात से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में इस वृद्धि की गति दुगुनी है।

(ख) ऋण परिशोधन का भार बढ़ने का कारण यह है कि पहले के वर्षों में किये गये विकास सम्बन्धी प्रयासों के दौरान कड़ी शर्तों पर ऋण सहायता ली गयी थी तथा पहले के ऋणों की रियायती अवधि अब समाप्त हो रहीं है।

(ग) हम निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन दोनों के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उपायों पर जोर दे रहे हैं जिससे हमारी विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हो जायेगी।

Chaudhary Ram Parkash : May I know the steps being taken by Government to make the country self-sufficient in this matter ?

Shri Yeshwantrao Chavan : We are trying our best.

श्री जी० विश्वनाथन : हमारे निर्यात की तुलना में ऋण सम्बन्धी भुगतान की राशि प्रतिवर्ष क्या है ? ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वर्ष 1961-62 के बाद के आंकड़े मेरे पास हैं। मैंने अभी यह बताया है कि यह कितने प्रतिशत है। वर्ष 1961-62 में ऋणों के परिशोधन की राशि 21 प्रतिशत थी। वर्ष 1967-68 में निर्यात आय 26.6 प्रतिशत थी और 1971-72 में यह 29.8 थी और 1972-73 में 27.1 प्रतिशत है।

भारत और अमरीका के बीच नया व्यापार करार

*425. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और कनाडा ने अमरीका और भारत के बीच नये व्यापार करार के लिये पुनः अभिरूचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, यह आशा की जाती है कि दोनों देशों के बीच अन्य बातों के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों का पुनर्विलोकन करने के लिए कनाडा का एक दल कभी नवम्बर, 1973 में भारत का दौरा करेगा।

कुमारी कमला कुमारी : मुझे कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय पर बड़ी दयालु हैं।

Shri Shankar Dayal Singh : I would like to know the changes which have taken place in the existing India's trade agreements with U.S.A. and Canada as a consequence of Prime Minister's recent visit to Canada.

श्री ए० सी० जार्ज : अमरीका और कनाडा तथा कनाडा और भारत के बीच इस समय व्यापार करार हैं। प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि दोनों देशों क बीच व्यापार और वाणिज्य का आधार सुदृढ़ बनाया जाये।

आशा है कि कनाडा से एक व्यापार-शिष्टमण्डल नवम्बर 1973 में भारत आयेगा। हम हमेशा यह चाहते हैं कि कनाडा और अमरीका से हमारे व्यापार सम्बन्ध बढ़ते रहें। आजकल भी अमरीका के साथ भारत का व्यापार दूसरे नम्बर पर आता है। कनाडा से हमें सामरिक महत्व की सामग्री प्राप्त हो रही है और हमारा व्यापार प्रति माह बढ़ रहा है।

श्री मधु दंडवते : कुछ समय पहले ऐसा समाचार छपा था कि रूस को मूंगफली निर्यात किये जाने के विरोध में पत्तन और गोदी कर्मचारियों ने मूंगफली जहाज में लादने से इन्कार कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आपने गलत ढंग से शुरू किया है।

श्री मधु दंडवते : गलत से मैं ठीक पर आ रहा हूं। उस बायकाट की प्रतिक्रिया-स्वरूप क्या रूस भारत के साथ कोई करार करेगा जिसमें ....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संदर्भ से बाहर है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

दिल्ली में तस्करी के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

*426. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की तस्करी की वस्तुओं को जब्त किया गया और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन पर मुकदमा नहीं चलाया गया था ; परन्तु विभाग के अधिकारियों द्वारा जिनके विरुद्ध निर्णय लिया गया था ; और

(ग) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें एक व्यक्ति को तस्करी के आरोप में अनेक बार गिरफ्तार किया गया परन्तु मुकदमा नहीं चलाया और जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा स्वयं निर्णय ले लिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 के दौरान दिल्ली में सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये तस्करी के माल का कुल मूल्य 55 लाख रुपये है। इस सम्बन्ध में 53 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से उन 2 व्यक्तियों के मामले में मुकदमा चलाना आवश्यक नहीं समझा गया जिनके विरुद्ध केवल विभागीय कार्रवाई की गयी थी।

(ग) कुछ नहीं। ऊपर उल्लिखित दोनों व्यक्ति पहली बार ही गिरफ्तार किये गये थे।

Shri Shashi Bhushan: Smuggled goods worth crores of rupees can be seen in the shops and even at the pavements in Delhi bazars, but during the period of three years, smuggled goods worth only Rs. 50 lakhs have been confiscated and only 55 persons have been arrested. Out of them two persons are said to have been arrested for the first time. Those who are arrested for the first time make smuggling their career afterwords. How many big smugglers have been arrested? Cases are not referred to Lord of Justice. Such cases are decided by the officers who are directly connected with smugglers. I want to know the number of pending cases which have not been sent to the courts by the law officers of the custom department in the country? How many cases have been decided by these officers? Incidents of smuggling are increasing rapidly. May I know the further steps being taken by the Government in this regard ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य की टिप्पणी को तीन भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बाजारों में तस्करी होती है तथा वहां ऐसी वस्तुएं बेची जाती हैं यह सच है। हमने इससे कभी इन्कार नहीं किया। तस्करी होती है तथा यह एक गम्भीर बुराई है। इसे रोकने के लिये हमें कदम उठाने हैं। विभिन्न उपाय किये भी गये हैं। मैंने संसद में इस बारे में समय-समय पर जानकारी दी है। आसूचना विंग में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है। हाल ही में संसद ने सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक पास किये हैं। अन्य विभिन्न उपायों की भी जानकारी दी गई है। उन्होंने देश भर में ऐसे मामलों की संख्या के बारे में विशिष्ट प्रश्न किया है। उन्होंने गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या तथा मुकदमों के बारे में भी जानकारी मांगी है। इस प्रश्न के उत्तर के लिये मुझे नोटिस मिले तभी मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूं।

Shri Shashi Bhushan: Goods worth crores of rupees are being smuggled into the country, as a result of which our economy has been completely paralysed. I want to put a direct question. Is the Government prepared to take bloody action against these smugglers? If it is not inclined to take such steps, is it not a fact that it will have to face a bloody revolution?

अध्यक्ष महोदय : "ब्लडी एक्शन" से आपका क्या तात्पर्य है ?

Shri Shashi Bhushan: Is the Government prepared to take drastic steps? Smuggling cannot be stopped if they continue their present approach.

अध्यक्ष महोदय : भावनाओं में बहने की अपेक्षा आप व्यावहारिक प्रश्न करिये ।

Shri Shashi Bhushan: Are they prepared to take strong action against them?

अध्यक्ष महोदय : "ब्लडी एक्शन" का अर्थ है कत्ल करना ।

Shri Lalji Bhai: Is there any proposal with the Government to declare smuggling as a non-bailable offence?

Mr. Speaker: What can he do if Magistrate accepts bail?

Shri Atal Bihari Vajpayee: It is a legal matter. Amendments can be made in the law to make these offences non-bailable.

Shri Lalji Bhai: Is he ready to make such a proviso in the law so that smugglers are not released on bail?

श्री के० आर० गणेश : लगभग एक सप्ताह पहले ही विधि आयोग की सिफारिशों पर सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को दण्ड तथा दस्तावेजों और साक्ष्यों के बारे में मजबूत किया गया है । जहां तक इस अपराध को गैर–जमानती बनाने का प्रश्न है, मुझे निश्चयपूर्वक पता नहीं है कि विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की है अथवा नहीं । मुझे इस बात का पता लगाना होगा ।

Shri R. S. Pandey: Is it not a fact that a comprehensive scheme was formulated by the Ministry of Finance to check smuggling by using helicopters and ferries with a view to have a close watch over the neighbouring countries like Dubai which is a gold smuggling centre? If any such scheme was formulated, I want to know the result achieved so far, and if not, what are the reasons therefor? ..

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य विशेषकर डुबाई और कुवैत से होने वाली तस्करी को रोकने के लिये तेज चलने वाले क्राप्ट को प्राप्त करने की ओर संकेत कर रहे हैं । हाल ही में कुछ निर्णय किये गये हैं तथा मेरे विचार से एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर आर्डर दे दिये जाएंगे ।

श्री राम सहाय पांडे : क्या निर्णय किया गया है ?

श्री के० आर० गणेश : निर्णय तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करना बड़ा खतरनाक होगा । महोदय ! मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं । यह बताना खतरनाक होगा कि क्या निर्णय किया गया है । पता नहीं माननीय सदस्य यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ।

श्री जी० विश्वनाथ : क्या यह सच नहीं है कि तस्करी करने वालों को उन पर छापा पड़ने से पहले ही विभाग के कर्मचारियों से पूर्व सूचना मिल जाती है, जिससे ईमानदार अधिकारी भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाते। मंत्रालय अथवा विभाग ऐसे कर्मचारियों के बिरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य की इस सामान्य टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। प्रभावोत्पादक ढंग से छापे मारे जाते हैं अन्यथा जो वस्तुएं पकड़ी गई हैं वे नहीं पकड़ी जातीं तथा ये व्यक्ति भी नहीं पकड़े जाते। जो छापे लगातार मारे जा रहे हैं वह भी सम्भव नहीं होता। कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। किन्तु विभाग के ध्यान में जब कभी ऐसे मामले आएंगे उन पर अवश्य कार्यवाही की जाएगी।

Shri D.N. Tiwary : It is a fact that Government are vigilant and that steps are being taken by them, yet the cases of smuggling are increasing. May I know the outcome of the new measures adopted by the Government to check smuggling? I want to know whether the cases of smuggling have decreased and if not what steps are proposed to be taken by the Government in this regard?

Mr. Speaker : The Hon. Minister has just now replied to this.

Shri D.N. Tiwary : Those measures have not been successful.

Mr. Speaker : Hon. Member says that the present evil can be endured but it should not increase further.

Shri K.R. Ganesh : Continuous efforts are being made to see that smuggling does not increase.

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : बहुत सी बस्तुएं देश में अवैध रूप से लाई जा रही हैं जिससे हमें इन वस्तुओं से कर नहीं मिल पाता। हम कुछ वस्तुओं को जब्त भी कर रहे हैं। क्या पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य उस कर की राशि के बराबर है जो हमें नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं इसका हिसाब लगा लें।

श्री के० आर० गणेश : मैं केवल इतना बता सकता हूं कि कौल समिति की रिपोर्ट के अनुसार तस्करी के वित्त पोषण के लिये लगभग 120 करोड़ रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथ : क्या तस्करी के वित्त पोषण के लिये ?

श्री के० आर० गणश : यह राशि निर्धारित है।

अध्यक्ष महोदय : इसका वित्त पोषण तस्करी करने वाले करते हैं।

श्री जी० विश्वनाथ : यह और भी बुरा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मंत्रालय इसका वित्त पोषण कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति।

श्री के० आर० गणेश : मेरे कहने का आशय यह है कि तस्करी के वित्त पोषण के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की राशि इतनी निश्चित की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : तस्करी के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा---जैसे कि यह सरकारी खजाने से दी जाती है । (**व्यवधान**)

श्री के० आर० गणेश : कितने का माल पकड़ा जाता है तथा जितनी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है उसमें भारी अन्तर है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैं श्री शशिभूषण द्वारा बार-बार उठाये गये प्रश्न को दोहराना चाहता हूं । यह सच है कि केवल दिल्ली में ही नहीं वरन् कलकत्ता या बम्बई जैसे अन्य बड़े नगरों में भी रेडियो ट्रांजिटर, प्रसाधन सामग्री, नायलन अथवा रेजर ब्लेड जैसी अनेक तस्करी की वस्तुएं दुकानों तथा पटरियों पर रखी रहती हैं । वस्तुत: इन वस्तुओं का वितरण सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा इन्हें पकड़े जाने के बाद सहकारी समितियों के माध्यम से होना चाहिये अत: मैंने पहले जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया है उसको नितांत अवैध और अनधिकृत घोषित किया जाना चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुए, उन्हें बाजारों में बेचे जाने की अनुमति क्यों दी जा रही है तथा उन व्यक्तियों से, जो इन वस्तुओं को खुले बाजार में बेचते हैं, तस्करी करने वाले मूल व्यक्तियों का पता लगाना सम्भव क्यों नहीं है ? ये वस्तुएं खुले बाजार में इतनी बहुतायत से कैसे बिक सकती हैं ?

श्री के० आर० गणेश : सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध हाल में की गई कार्यवाही के अतिरिक्त बम्बई और कलकत्ता में व्यापक रूप से छापे मारे गये हैं । माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि जब ये वस्तुएं खुले बाजार में बिक रही हैं तथा लोगों को यह भी ज्ञात है कि ये आयात की गई वस्तुएं हैं तो इस बात का पता लग सकता है कि वे कहां से सप्लाई की गई हैं । इसीलिये हाल में यह निर्णय किया गया था कि जिन-जिन स्थानों पर ये वस्तुएं मिलती हैं उन पर व्यापक रूप से छापे मारे जायें ।

Shri T. Sohan Lal : These goods are sold in the open market in Delhi and Government officers and their wives purchase these goods. Are Government aware of the fact that foreign goods are sold in the open market and that Government officers purchase them. If so, what action has been taken and is proposed to be taken by the Government?

Mr. Speaker : It has been replied to.

Shri T. Sohan Lal : What steps have been taken by the Government in view of the fact that Government officers purchase these commodities?

Inquiry into Articles Seized from Balyogeshwar

*428. **Shri M.C. Daga**
Shri Hukam Chand Kachwai } : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the inquiry into the alleged smuggling case in respect of Balyogeshwar has since been completed; and

(b) if so, the outcome thereof and the action proposed to be taken by Government in this regard?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बालयोगेश्वर से संबंधित तस्कर व्यापार के मामले में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल पूरी की जा चुकी है। की गई जांच पड़ताल के आधार पर श्री प्रेमपाल सिंह उर्फ बालयोगेश्वर तथा दो अन्य व्यक्तियों को 30-12-72 को कारण बताओ नोटिस तामील किये गये थे जिनमें उनसे पूछा गया था कि 7-11-72 को पालम हवाई अड्डे पर पकड़े गये लगभग 2.57 लाख रुपये के मूल्य के जवाहरातों, घड़ियों और विदेशी मुद्रा को जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिये। संबंधित पार्टियों ने कारण बताओ नोटिसों का उत्तर दिया था। संबंधित व्यक्तियों के बचाव पक्ष के वकीलों ने लिखित जिरह पेश करने के लिये 4 अगस्त, 73 तक समय मांगा था। लेकिन, श्री प्रेमपाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर के वकील ने 30-7-73 को यह अनुरोध किया कि लिखित जिरह पेश करने से पूर्व उसे श्री बिहारी सिंह की, जो इस मामले में आरोप लगाये गये व्यक्तियों में से एक हैं, प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। श्री बिहारी सिंह इस मामले से संबंधित व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा किय जाने के लिये आपत्ति की है क्यों कि उन्हें स्वयं अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनकी प्रति परीक्षा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। लिखित जिरह पेश करने के बाद मामले पर न्याय-निर्णय किया जाएगा।

Shri M. C. Daga : The incident occurred on 7th November, 1972 and after a lapse of nine months he says that the counsel of the accused persons have not submitted their written arguments. Therefore, your department is giving adjournment after adjournment. I do not know as to which countries did those watches, jewellery and foreign currency worth £2 lakhs and a few thousands belong to and where Balyogeshwar, the God, disappeared. May I know whether he is in India or not ? Where did he go ?.... (*interruptions*) kindly answer my question. What answer he has given ? Quote the law. Let me know under which law of the customs Department or any other law it has been given. He gave an answer only on 30-12-72. Seven to eight months have passed since then. What happened after that ? Where has the Balyogeshwar gone ? They have given a show-cause notice for Rs. 2 lakh, and 57 thousands. What happened after that show cause notice ? Until effective and strong steps are taken against those people, smuggling cannot be stopped in the country. The customs officials have by now become sufficiently rich. They have constructed their houses. What is all this ? (*interruptions*) I want to know why they were given opportunity to submit their written arguments?

श्री के० आर० गणेश : न्याय निर्णय की प्रक्रिया, अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। निःसन्देह वे लोग इस क्रिया को रोक देना चाहते हैं। मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। संबंधित प्राधिकरण, जो अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, को भी इस मामले पर उचित रूप से विचार करना है।

Shri M. C. Daga : I want to know the value of watches, Jewellery and foreign currencies seized, to which country they belonged, and from whose custody they were recovered and also as to where the Balyogeshwar is.

श्री के० आर० गणेश : यह जानकारी हम कई बार दे चुके हैं।

Shri M. C. Daga : My Question has not been replied to.

Mr. Speaker : He says he has given that in the House.

Shri M. C. Daga : When did he give this information, I do not know. Let him state whether bail was secured from Balyogeshwar or not and how did he leave ?

Mr. Speaker : How long is the list ?

Shri K. R. Ganesh : I have got the list and I can tell. ये तथ्य हम कई बार यहां दे चुके हैं। मैं फिर दे सकता हूं : जवाहरात लगभग 43,000 रुपये के मूल्य के थे। 24 कलाई की घड़ियां, 18,000 रुपये के मूल्य की थीं, अमरीकी डालर, पौंड स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक कुल मिलाकर 1·96 लाख रुपये के थे, अमरीकी डालरों में मात्रा चैक बिहारी सिंह के नाम में 20,300 रुपये के मूल्य के थे और प्रेमपाल सिंह रावत के नाम में कुल मिलाकर 25,700 रुपये के मूल्य के थे।

Shri S. M. Banerjee : I want to know why Balyogeshwar ji was given a passport once again and also why his passport was not seized when there are cases against him and so many things have been recovered from him ? In what manner did he manage to leave the country when prosecution is going on here? You can withhold the passports of others. I want to know who has been responsible for that and how did the Reserve Bank issue 'P' form to him?

श्री के० आर० गणेश : बालयोगेश्वर को विधि मंत्रालय की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेश जाने की अनुमति दी गई थी। उनके अनुसार, बालयोगेश्वर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कोई मामला नहीं बनाया गया था। अतः एक लाख रुपये की व्यक्तिगत जमानत के ऊपर उन्हें विदेश जाने दिया गया था।

Shri R. S. Pandey : Sir, It is ironical that Shri Rawat declared himself God and he has got many followers here in India as well as abroad. A man declaring himself to be God is apprehended on the charge of smuggling and it is all the more sorryful and surprising that he should have disappeared from the country. Much more painful for the country is the fact the 'God' cought on the charge of smuggling has been allowed to leave the country on the advice of the law Ministry. How did the Law Ministry advise that he should be permitted to go out of the country ?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये। कृपया बैठ जाइए। The question asked by you in so much excitement has not been intelligible to me. If the hon. Minister has understood it, then it is all right. You please sit down.

श्री राम सहाय पांडे : मैं जानना चाहता हूं कि जबकि उनके विरुद्ध तस्करी करने का एक मामला विचाराधीन है तब भी विधी मंत्रालय ने उन तथाकथित भगवान को देश छोड़ने की अनुमति कैसे दे दी।

अध्यक्ष महोदय : वह एक व्यक्ति है । Why do you bring God in between ? How God comes here ? If you have a question on God you cannot ask that here. The question can be put regarding an individual.

श्री के० आर० गणेश : मैं पहले ही उतर दे चुका हूं । उन्हें विधि मंत्रालय की सलाह पर प्रर्वतन निदेशालय द्वारा एक लाख रुपये की व्यक्तिगत जमानत पर जाने की अनुमति दी गई थी । पासपोर्ट नियमों के अनुसार उनका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता था जब तक कि उनके ऊपर किसी न्यायालय में मुकदमा न चल रहा हो ।

श्री राम सहाय पांडे : हम इस प्रश्न पर पूरी चर्चा चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे निवेदन करुंगा कि वह व्यवधान पैदा न करें तथा सभा मे शोर न मचायें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि बालयोगेश्वर को एक लाख रुपये की व्यक्तिगत जमानत पर जाने की अनुमति दी गई थी । परन्तु उन्हें मालूम होगा कि अमरीका में इस व्यक्ति पर एक पाई फेंक कर इसका अपमान तथा इसकी भर्तस्ना की गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे कितने मामलों में ऐसे बांड लिये गये हैं । क्या आप गत एक वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्तियों के नाम बताएंगे ?

श्री के० आर० गणेश : इसके लिये पृथक सूचना चाहिए ।

श्री जी० विश्वनाथन : ऐसा कोई मामला नहीं है ··· **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब किसी नागरिक के विरुद्ध कोई मामला विचाराधीन हो तो उसे विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाती है । यह हमारे देश का कानून है ।

श्री जी० विश्वनाथन : इस मामले में सहायक वकीलों सहित सभी लोगों को अमरीकी डालर दिये गये होंगे ।

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा तिमाही आधार पर भारत के निर्यात के बारे में पूर्वानुमान

*429. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह तिमाही आधार पर भारत के निर्यात के बारे में पूर्वानुमान का कार्य आरम्भ करें ; और

(ख) इस के परिणामस्वरुप निर्यात में गिरावट की प्रवृति को अनुकूल बनाने में कहां तक सहायता मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) निर्यातकों के सामने आई समस्याओं के विशेष उल्लेखों सहित आगामी तिमाही में भारत के संभावित निर्यातों का पूर्वानुमान उपलब्ध होने से सरकार ठीक समय पर पूर्वानुमान के अंतर्गत निर्यातों में बताई जाने वाली किसी भी गिरावट को रोकने के सभी संभव उपायों पर विचार कर सकती है ।

श्री बनमाली पटनायक : इसका अभिप्राय छोटे पैमाने तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों की निर्यात में सहायता करना है । मंडल गठन उन व्यक्तियों को लेकर किया गया है जो कि भारी तथा बड़े बड़े उद्योगों से संबंधित है । अत : छोटे पैमाने तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों की सहायता के लिये यह बोर्ड कैसे सिफारिश कर सकेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : व्यापार विकास प्राधिकरण के मुख्य कृत्य लघु उद्योग क्षेत्र के गैर-परम्परागत उत्पादों का पता लगाना है ताकि उनके निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से उन्हें तकनीकी सहायता दी जा सके ।

श्री बनमाली पटनायक : उनकी पिछली सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTON

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों द्वारा हड़ताल

अ० प्र० सं० 2

***श्री नवल किशोर शर्मा**†
श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल इंजिनियरों ने हड़ताल कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य में बिजली की सप्लाई सामान्य करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कुछ अभियंता 'बैठे रहो' हड़ताल पर हैं ।

(ख) बताया गया है कि 'बैठे रहो' हड़ताल (एक) वृद्धिमूलक तथा तकनीकी सेवाओं और प्रशासनिक सेवाओं के बीच समानता तथा (दो) अखिल भारतीय विद्युत् अभियंता संघ के प्रधान श्री हरबंस सिंह को परेशानी तथा उन पर अत्याचार समाप्त करवाने की मांगों के समर्थन में की गई है ।

(ग) 'बैठे रहो' हड़ताल से विद्युत् उत्पादन तथा सप्लाई पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है और यह सूचना मिली है कि बिजली सामान्य रुप से सप्लाई की जा रही है ।

Shri Naval Kishore Sharma : Mr. Speaker, in our country it appears.....

Mr. Speaker : Do not make a speech. Put your question. You have started like this....in our country it appears....this appears to be an unending preface.

Shri Naval Kishore Sharma : I am not making a speech but asking a question.

I was saying that at present the country is facing a flood of strikes. Besides U.P. engineers, their counterparts in other States like Punjab, Rajasthan etc. are also going on strike. One of the reasons for the strike is the treatment meted out to Shri Harbans Singh and the second one is disparity. I want to know whether any talks have been held with the striking U.P. Engineers, and if so, with what results ?

On the last occasion also, whether the U.P. Power Engineers went on strike, what were their demand ? Did those demands include the point of parity ? If so, who is responsible for not implementing the argreement reached on that occasion on this point ?

Besides, I would like to say .....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री नवल किशोर शर्मा : वही तो पूछने जा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न आप अब पूछने जा रहे हैं तो इससे पहले कहा गया भाग बेकार था ।

Shri Naval Kishore Sharma : I am putting the question, Sir. I was saying that the conduct of the striking employees could not be justified. But what steps are being taken by the Government to face the difficulty which is likely to arise in respect of power generation as a result of this strike ? Let the Hon. Minister apprise the House of the same.

डा० के० एल० राव : मैंने और उप मंत्री महोदय ने उत्तरी विधुत इंजीनियर महासंघ के प्रतिनिधियों से दो दिन तक बात-चीत की थी। मैंने उन्हें दृढ़ता से बताया था कि जहां तक इससे श्री हरबंस सिंह के मामले को संबद्ध करने का प्रश्न है हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि यह तो समूचे तौर पर पंजाब सरकार की समस्या है और उसे भ्रष्टाचार के आरोप में मुअत्तिल किया गया है । अत: हमने उन्हें बताया कि उन्हें इस समस्या को यहां नहीं जोड़ना चाहिए ।

जहां तक वेतनमानों में समानता का मामला है हमने उन्हें बताया कि यह वेतन में समानता क प्रश्न नही है । स्थिति यह है कि वेतन का आधार यह है कि कोई क्या कर्त्तव्य निभाता है और उसी के अनुकल वेतन निर्धारित किया जाता है मैंने उनसे कहा कि वे इन बातों को गहराई से सोचें और एक सही ज्ञापन पेश करें और सरकार उस पर बड़े ध्यान से तथा सहानभाति के साथ विचार करेगी ।

उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों की अन्य मांगों में यह मांग भी थी कि चेयरमैन कोई तकनीकी व्यक्ति हो। वह मांग पूरी कर दी गई थी और अब उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड का अध्यक्ष एक इंजीनियर है।

मैं माननीय सदस्य के इस वक्तव्य से बेहद खुश हूं कि हम किसी भी प्रकार की हड़ताल का समर्थन नहीं करते हैं। देश का महत्व कहीं अधिक है। मुझे यह कहने में भी बड़ी प्रसन्नता है कि राज्य के बिजली बोर्ड के अध्यक्षानुसार कुल 1500 अधिकारियों में से केवल 55 ही 'बैठे रहों' हड़ताल पर हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय डा० राव ने स्थिति का सही चित्र पेश नहीं किया है। कठिनाईयां दो प्रकार की हैं ; एक तो कार्यकरण संबंधी तथा दूसरी सिद्धान्त संबंधी। वे लोग उसी प्रकार की सेवाओं की मांग कर रहे हैं जैसी की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध हैं। 1500 इंजीनियरों में से केवल कुछ स्थायी हैं तथा अधिकांश अस्थायी हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा श्रेणी के अधिकारियों द्वारा उनको तंग तथा परेशान किया जा रहा है।

दूसरी आधारभूत बात यह है। मेरे सामने इस आशा के समाचार पत्र की कतरन रखी है कि पश्चिम बंगाल बिजली बार्ड के इंजीनियर भी श्री हरबंस सिंह के साथ किये गये दुर्व्यवहार के विरुद्ध हड़ताल करने जा रहे हैं। श्री हरबंस सिंह ने कल ही एक वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि उसने कोई ग़लत काम नहीं किया है। उसके घर से दो पिस्तौल बरामद किये गये जिनमें एक का लायसेंस है तथा दूसरा उसके पुत्र का है जो कि सेना में मेजर के पद पर है। इन परिस्थितियों में जबकि वह यह आरोप लगा रहा है कि पंजाब के मुख्य मंत्री उससे रुपये लेते रहे हैं क्या आप का यह फ़र्ज नहीं है कि आप इस मामले में एक निष्पक्ष जांच करायें और इस समस्या का हल करें तथा इस सभा के सदस्यों को संतुष्ट करें ? क्या आप इस दिशा में कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं है। कम से कम हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। महासंघ के अध्यक्ष श्री हरबंस सिंह पर. . .

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय वसु बिना सूचना दिये इस प्रकार के आरोप मत लगाइये। यह तो बहुत गंभीर आरोप हैं। ऐसे आरोप मत लगाइये।

डा० के० एल० राव : कुछ मामले चलाये गये हैं। परन्तु हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है पंजाब सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मुअत्तिल किया है। जब पंजाब सरकार ने, जो कि श्री हरबंस सिंह की नियोक्ता है, ऐसा किया है तो फिर यह उस अधिकारी का काम है कि वह यदि उक्त आरोप सही नहीं है तो सरकार से अपने को निर्दोष घोषित कराये। यह मामला दूसरों के लिए तो समस्या नहीं बनना चाहिये। इस विशिष्ट मामले में मैं इंजीनियरों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के तरीकों से आन्दोलन नहीं चलाये जाने चाहिये। आन्दोलन तो अच्छे तथा सार्वजनिक कार्यों के लिये चलाये जाते हैं परन्तु यहां वे एक ऐसे व्यक्ति की ओर से आन्दोलन कर रहे हैं जिस पर कुछ आरोप लगाये गये हैं। वे सही हैं अथवा ग़लत है, इस सबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता और इस मामले में कार्यवाही करने का दायित्व पंजाब सरकार का है। यह सारे भारत का तथा विषेश रूप से उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों का सिर दर्द नहीं है कि वे इस बात को लेकर आन्दोलन

करें। उत्तर प्रदेश राज्य इस समय बेहद कठिनाई की स्थिति में है। समचे भारतवर्ष में केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां बिजली की कमी है और वह भी बहुत ही भारी कमी है और यह सभी संबंधित लोगों तथा विशेष रुप से इंजीनियरों का कर्तव्य है कि वे यथा संभव अधिक विद्युत उत्पादन करें। मरम्मत की प्रतीक्षा में बहुत सी मशीनें पड़ी हुई हैं। उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसकी बजाये किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित मामले को लेकर आन्दोलन करना मेरे विचार से उचित नहीं है। हड़ताल करने वाले इंजीनियर चाहे थोड़े हों चाहे अधिक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उनसे पहले ही अपील की है और एक बार फिर करता हूं कि राष्ट्र के हित को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जहां बिजली की भारी कमी है तथा जिसके कारण वहां उद्योग, रोजगार तथा जीवन के हर क्षेत्र में इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वहां उनका सबसे पहले यह राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि वे सर्वप्रथम तो स्थिति को सामान्य करने तथा विद्युत उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयास करें; और कहीं किसी अन्य राज्य में किसी अन्य व्यक्ति का कोई एक मामला उठाकर हड़ताल करने का प्रयास न करें।

श्री बसन्त साठे : मंत्री महोदय स्वयं एक तकनीकी व्यक्ति होते हुए क्या यह बता सकेंगे कि क्या बिजली बोर्ड में इंजीनियर तथा अन्य तकनीकी कर्मचारी एवम् अधिकारी अपने समक्ष प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से प्रशासनिक मामलों में किसी प्रकार कम कुशल होते हैं और क्या यही कारण नहीं है कि सरकारों तथा प्राधिकारियों के लिये यह संभव नहीं हो सका है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ समानता देने की उनकी मांग को पूरा करते और क्या इसी कारण इस संवर्ग के अधिकारियों में यह दुर्भावना नहीं फैली है और इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

दूसरे, क्या यह सही नहीं है कि वस्तुतः श्री हरबंस सिंह का मामला शोषण किये जाने का एक मामला है क्योंकि वह महासंघ का अध्यक्ष है ? यदि वह महासंघ का अध्यक्ष न होता तो क्या फिर भी उसके विरुद्ध यही कार्यवाही की जाती जो अब की गई है ? मेरे ये दो प्रश्न हैं।

डा० के० एल० राव : जहां तक हम समझते हैं यह परेशान करने का मामला नहीं है और हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। पंजाब सरकार ने उसे मुअत्तिल किया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया है, इसलिये शोषण करने का तो कोई प्रश्न नहीं है और न ही मेरे पास इस बात को सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण ही है।

फिर, इंजीनियरी सेवाओं के लिये समानता का जहां तक प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के विद्युत-इंजीनियर उच्च अर्हतायें प्राप्त हैं, बड़े ही प्रतिभाशाली हैं तथा वे बहुत ही अच्छा कार्य करते रहे हैं और इसका प्रश्न ही नहीं है कि उन्हें अपने कार्य तथा योग्यता के लिये उपयुकत वेतन न मिले।

पांचवीं योजना में भी हम विद्युत का व्यापक रूप से विकास करने जा रहे हैं, और हम उत्पादन को अब से दुगना करने जा रहे हैं .....

श्री वसन्त साठे : मैंने तो यह पूछा है कि क्या वे प्रशासनिक दृष्टि से कम योग्य हैं ?

डा० के० एल० राव : मैं समझता हूं और मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि हम विद्युत का बड़े व्यापक स्तर पर विकास करने जा रहे हैं इसके लिये हम विद्युत इंजीनियरों का हार्दिक सहयोग चाहते हैं।

जहां तक उनकी प्रशासनिक योग्यता आदि का प्रश्न है वह बिलकुल उतनी ही है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इंजीनियर किसी भी तरह कम योग्य या कम कुशल नहीं है। परन्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समानता का न तो कोई प्रश्न ही है और न ही कोई आवश्यकता ही है। इंजीनियरों के कृत्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों आदि के कृत्यों से भिन्न हैं। इंजीनियर, कार्यकारी इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर, आपरेटर आदि सब अपने अपने कार्यों में दक्ष हैं और केवल जब कोई इंजीनियर एक ऐसा पद ग्रहण करता है जहां उस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आना चाहिये, तब उसे भी वही वेतन मिलना चाहिये और उसमें कोई भेद नहीं किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि किसी इंजीनियर को किसी संगठन का सचिव बना दिया जाता है, जैसा कि हमने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष के मामले में किया है, तो उसे तदनुसार वही दर्जा और वही वेतन उपलब्ध होंगे। उसे वही वेतन और दर्जा मिलेगा जो किसी अन्य आई० ए० एस० अधिकारी को मिलता है। मैं बता चका हूं कि ये लोग बड़े कार्यकुशल हैं तथा उन्हें हर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। वेतन के मामले में उन्हें यथोचित अध्ययन करने के पश्चात् तथा गहराई से सोचने के बाद एक मामला बना कर पेश करना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सही नहीं है कि विद्युत इंजीनियरों ने जान-बूझकर प्रजनन तथा नियंत्रण स्टेशन इंजीनियरों को इस हड़ताल में भाग लेने से मुक्त रखा है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में बिजली की सप्लाई बिल्कुल बन्द नहीं हुई है ? क्या मंत्री महोदय चाहते हैं कि सभी इंजीनियर हड़ताल कर दें? दूसरे, श्री हरबंस सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने की बात कही है। उन्होंने त्यागपत्र देने का भी प्रस्ताव रखा है। क्या मंत्री महोदय पंजाब सरकार को यह सलाह देंगे कि वह सारे मामले को जांचार्थ केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सपुर्द करदे क्योंकि स्वयं पंजाब सरकार का व्यवहार ही इस मामले में सन्देहास्पद है ?

डा० के० एल० राव : यह सही है कि विद्युत-प्रजनन कर्मचारी 'बैठे रहों' हड़ताल में शामिल नहीं हुए और यह एक अच्छी बात है, फिर भी मैं सभी वर्गों के इंजीनियरों से अपील करूंगा कि वे हड़ताल न करें। इससे बड़ी अस्त-व्यस्तता फैलती है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में मशीनों की ओर बहुत ध्यान दिया जाना था परन्त हड़ताल के कारण सच्चे दिल से ध्यान नहीं दिया गया। पिछले दिनों भी पिछली विद्युत संदाय उपक्रम के कुछ इंजीनियर इकट्ठे बैठ गये और नियंत्रण बोर्ड की ओर ध्यान देने की बजाय हड़ताल की सोचने लगते थे। इसीलिये मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि हड़ताल न की जाये। जहां तक श्री हरबंस सिंह का प्रश्न है, यह पूर्णतः राज्य का विषय है। यदि वह सरकार केन्द्रीय सहायता चाहती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। यदि हम हस्तक्षेप करते हैं तो माननीय सदस्य जानते हैं कि इसके फलस्वरूप केन्द्र तथा राज्य के संबंधों को लेकर राजनैतिक मामले खड़े हो जायेंगे और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। यदि वह राज्य स्वयं अनुरोध करे तो हम विचार कर सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If this strike spreads in all the States, then would it remain in State subject ?

श्री कार्तिक उरांव : यह सब मानते हैं तथा पंडित जी भी कहा करते थे कि इंजीनियर लोग तो प्रशासक बन सकते हैं परन्तु प्रशासक लोग इंजीनियर नहीं बन सकते । फिर भी यह एक मानव प्रतिभा का अपमान करने की बात है कि उच्च तकनीकी स्वरूप वाले प्रत्येक विभाग में हम देखते हैं कि उन विभागों तथा प्रभागों का प्रबन्ध तकनीकी व्यक्तियों के हाथों में नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यक्तियों के हाथों में होता है । उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के अध्यक्ष पद पर एक तकनीकी व्यक्ति की नियुकत करने में क्या कठिनाई है ? यही बात सारी मुसीबतों की जड़ है । इस पद पर एक इंजीनियर की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा का वह अधिकारी कैसे अधिक उपयुक्त होगा ? मैं जानना चाहता हूं कि इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डा० के० एल० राव : यह एक विचारणीय प्रश्न है कि तकनीकी विभागों, विशेषकर बिजली बोर्डों का प्रशासन इंजीनियरों द्वारा हो । जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, वहां के बोर्ड का चेयरमन एक इंजीनियर ही है ।

श्री विक्रम महाजन : यहा सभा में तथा बाहर व्यक्त किये गये विचारों के अतिरिक्त भी इस समस्या को हल करने के कुछ ढ़ंग हैं । एक तरीका तो यह है कि उनसे मिला जाये, उनकी मांगों के बारे में कोई समझौता किया जाये–एक प्रकार के आदान-प्रदान के आधार पर–दूसरे, समूची व्यवस्था को ठीक करना तथा तीसरे , उनसे अपील करते रहना ।

अध्यक्ष महोदय : और चौथे आप द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा जाना ।

श्री विक्रम महाजन : मेरा प्रश्न यह है । क्या उन्हें उनसे अपील नहीं करनी चाहिये ? मैं जानना चाहता हूं कि हड़ताली इंजीनियरों को वापस काम पर बुलाने तथा इस समस्या को हल करने के लिये वह क्या क़दम उठा रहे हैं और उनके साथ कोई समझौता करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ताकि देश में उत्पादन में बाधा न पड़े ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप बात-चीत करना बन्द कर दें क्योंकि मैं नहीं सुन पा रहा हूं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं । मिश्र जी, मैं सुन रहा हूं कि आप क्या बात कर रहे हैं परन्तु दूसरे सदस्य की आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूं क्योंकि आप की आवाज़ में उनकी आवाज़ दब गई है । श्री महाजन आपका अंतिम प्रश्न क्या था ?

श्री विक्रम महाजन : मेरा प्रश्न है कि क्या वह उनके साथ परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर कोई समझौता करने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं ताकि देश में विद्युत उत्पादन को और अधिक आघात न पहुंचे ? अथवा क्या वह अन्य कोई वैकल्पिक कार्यवाही करेंगे ?

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं उत्तर भारत विद्युत इंजीनियर संघ के प्रतिनिधि मंडल से मिला था और हमने दो दिन तक लंबी बातचीत की थी । कई सुझाव दिये गए हैं। मझे नहीं मालूम कि उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ । मैं इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता । हम तो अब भी यह अनुभव करते हैं कि "बैठे रहो" हड़ताल करने वाले इंजीनियर अपने सामान्य कार्य पर वापस आ जायेंगे ।

श्री एस०एम० बनर्जी : श्री हरबंस सिंह के विरुद्ध आरोप है। अतः सही कार्यवाही तो यह होती कि इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जांच कराई जाती। विद्युत इंजीनियरों की मांग यही है कि वेतन मानों के मामलों में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के समक्ष दर्जा देने की मांग रखी है। इसका कारण यह है कि चैयरमैन के निलंबित होने पर वह किसी अन्य पद पर बना नहीं रह सकता। आई० ए० एस० अधिकारी के मामले में यदि वह निलंम्बित हो जाये तो उसे उसी पद पर किसी अन्य जिले में भेज दिया जाता है। यह उनकी मुख्य मांग है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उनके लिये अच्छा मार्ग दर्शन है।

श्री एस० एम० बनर्जी : अतः मैं मंत्री महोदय से यह बताने का अनुरोध करूंगा कि क्या आई० ए० एस० के अधिकारियों के साथ समानता के प्रश्न पर विचार किया गया है? आप जानते हैं कि सारे देश में डाक्टर समानता चाहते हैं, वैज्ञानिक समानता चाहते हैं। और वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बाद सभी समानता चाहते हैं। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य बातों को छोड़कर इस प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है? यह तो एक न्यायोचित मांग है। क्या इंजीनियरों से बातचीत करके तथा उनसे कोई दीर्घावधि या अल्पावधि समझौता कर के इस समस्या का हल निकाला जायेगा?

डा० के० एल० राव : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मैं समझता हूं कि तकनीकी व्यक्तियों–इंजीनियरों का वेतन-मानों के मामले में पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये। उनकी परिलब्धियों के बारे में कोई मतभेद नहीं हैं। परन्तु हमें इस समस्या पर गहराई से विचार करना है। विभिन्न राज्यों में इंजीनियरों की सेवा–शर्तें भिन्न-भिन्न हैं। इस पर गहराई से सोचना पड़ता है। मैंने उनसे कहा है कि वे गहनता से विचार करें और यदि आवश्यक समझें तो अपनी ही एक समिति बना लें तथा एक रूपरेखा तैयार करें। हमें विश्वास है कि उसे विचाराणीन माना जायेगा।

श्री एस०एम० बनर्जी : बिजली बोर्ड के मामले में तथा विशेष रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में यदि वह निलंम्बित होने पर चैयरमैन न हीं रहता तो उसे तुरन्त पदोन्नत कर दिया जाता है वेह आदेश, यदि हैं तो, क्या हैं कि वह उसी पद पर अर्थात् चैयरमैन नहीं रहेगा। यही बात है जो उन्हें परेशान किये हुए है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दें। उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

डा० के० एल० राव : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

Shri Narsingh Narain Pandey : All the engineers in U.P. and other States are on strike on the issue relating to Shri Harbans Singh. May I know whether the U.P. Engineers, had not gone on strike earlier also and whether it is also not true that the Hon. Minister and the then Chief Minister of U.P. had reached a compromise with as a result of which the strike had been called off? Is it not a fact that the engineers are pressing their demands by liking the issue of Shri Harbans Singh with them? What is the difficulty with the Government in implementing the assurances given by it on that occasion?

डा० के० एल० राव : यदि श्री हरबंस सिंह के मामले से भिन्न अन्य उनकी कोई मांग है तो संभव है कोई समझौता हो जाये। परन्तु यदि इस प्रश्न को श्री हरबंस सिंह के मामले से जोड़ा जाता है तो फिर हमारे लिए कुछ कर सकना संभव नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय : हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, क्या हालात में सुधार लाने के लिये कोई अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध करना संभव नहीं है ?

डा० के० एल० राव : निःसंदेह, वैकल्पिक प्रबन्ध करना संम्भव होगा। हम पहले ही इस संबंध में विचार कर चुके हैं। और यह कोई बहुत कठिन काम भी नहीं है। संभव है केवल थोड़ी अवधि के लिये कुछ कठिनाई हो जबकि लोगों को कुछ दिन मोमबत्ती की रोशनी से काम चलाना पड़े। परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी और ऐसा भी कोई निश्चय नहीं है कि केवल कुछ ही व्यक्ति सब कुछ कर सकते हैं। देश तो बहुत बड़ा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर बंगाल के चाय बागानों में अत्यधिक पुरानी (ओवर एज्ड) झाड़ियां

*422. **श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल के चाय बागानों में 50 प्रतिशत झाड़ियां अत्याधिक पुरानी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे चाय बागानों में शीघ्र ही नये पौधे लगाने की सुविधा प्रदान करने के लिये चाय बोर्ड ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अनुमान है कि उत्तर बंगाल के चाय बागानो में 48 प्रतिशत झाड़ियां 50 वर्ष से अधिक पुरानी हैं।

(ख) चार्य बोर्ड की योजनाओं अर्थात् क्रमशः बागान वित्त योजना तथा पुनर्रोपण राज सहायता योजना के माध्यम से पुराने तथा अलाभकर चाय क्षेत्रों के पुनरोपण के लिये चाय बागान उद्योग को ऋण तथा राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना को और आकर्षक बनाने के लिये 1-1-72 से ऋण की मात्रा मैदानों में 7,400 रुपये प्रति हैक्टर से बढ़ाकर 11,250 रुपये प्रति हैक्टर और पहाड़ों में 9,900 रुपये प्रति हैक्टर से बढ़ाकर 13,750 रुपये प्रति हैक्टर कर दी गई है तथा राज सहायता की मात्रा मैदानों में 3,500 प्रति हैक्टर से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति हैक्टर तथा पाहड़ों में 4,500 रुपये प्रति हैक्टर से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति हैक्टर कर दी गई है।

उखाड़ने तथा पुनरोंपण में हुई फसल की हानि को देखते हुए सामान्य रूप से प्रतिस्थापन रोपण व्यवस्था को पुनरोंपण राज सहायता योजना के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है। इसके अलावा अलाभकारी चय क्षत्रों को झाड़ियों की आयु को ध्यान में रखे बिना राज सहायता का पात्र बना दिया गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलोन के धागे का आयात करने के लिए किये गये प्रयास

*427. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1973 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 3000 टन नायलोन के धागे का आयात करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये प्रयत्नों का वांछित परिणाम नहीं निकला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्यय मन्त्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय :) : (क) तथा (ख) जी हां। नायलोन धागे और उसके कच्चे माल कैप्रोलैक्टम की विश्वव्यापी कमी है, फिर भी राज्य व्यापार निगम विद्यमान कमी का पूरा करने के लिए नायलोन धागे का पता लगाने तथा उसकी यथा संभव अधिकतम खरीद-दारी करने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रहा है। कैप्रोलैक्टम और नायलोन धागे की मौके पर खरीदारियां करने के लिए राज्य व्यापार निगम का एक क्रम दल पहले ही भेज दिया गया है।

खजुराहो में 26 जुलाई, 1973 को आई०ए० बोइंग–737 और आई०ए०एफ० कैनबरा के बीच आकाश में सामने की टक्कर का बाल बाल बचाव

*430. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बातने की कृपा करें कि :

(क) क्या खुजराहा में 26 जुलाई, 1973 को आई० ए० बोइंग–737 और आई० ए० एफ० केनबरा के बीच आकाश में सामने टक्कर बाल-बाल बची और आई० ए० बोइंग के कप्तान ने ए० टी० सी०, खुजराहो और फ्लाइट इन्फोर्मेशन सेन्टर, दिल्ली को गड़बड़ (एयर मिस) की सूचना दे दी थी ;

(ख) क्या गत एक वर्ष में ऐसी गड़बड़ के कई मामले हुए ;

(ग) क्या ऐसे ही एक मामले में दोनों ही विमान इंडियन एयरलाइंसन्स के थे और यदि हां, तो ऐसी घटनाओं के क्या कारण हैं और

(घ) भविष्य म ऐसी घटनायें न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि इंडियन एयरलाइन्स के बोईंग विमान के कप्तान ने बाल-बाल बची टक्कर (एयर-मिस) की रिपोर्ट की थी, बाद में की गई जांच से ज्ञात हुआ कि दोनो विमान काफी अन्तर पर थे, और आपस में टकराने की कोई आशंका नहीं थी ।

(ख) 1 अगस्त, 1972 से नागर विमानन विभाग के पास 20 बाल-बाल बची टक्करों (एयर-मिस) की रिपोर्टें दर्ज करायी गई हैं ।

(ग) जी हां । मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) एयर मिस की घटनायें विविध कारणों के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं जिन में निर्धारित प्रक्रियाओं तथा विनियमों का अनुपालन न करना भी शामिल है । इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे उल्लंघनों की पुनरावृत्ति न होने पाये । संचार और वैमानिक यातायात नियंत्रण व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करने का भी प्रस्ताव है ।

अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन पायलट एसोसिएशन संघ द्वारा नई दिल्ली और कलकत्ता के हवाई अड्डों पर उतरने की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

*431. श्री दयाराम रवि
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अगस्त 1973 के टाइम्स आफ इंडिया में अन्तर्राष्ट्रीय एयर-लाइन पायलट एसोसिएशन संघ द्वारा नई दिल्ली और कलकत्ता के हवाई अड्डों पर उतरने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर गया है क्योंकि विमान चालकों ने इन हवाई अड्डों पर सुरक्षा के संबंध में शिकायतें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय विमान चालकों में हमारे हवाई अड्डों के बारे में ऐसी भावना के उत्पन्न होने के क्या मूल कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । किन्तु इस विषय में एयरलाइन्स विमानचालक संगठन के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) एक गलत धारणा उत्पन्न हो गई प्रतीत होती है कि दिल्ली विमान क्षेत्र की यांत्रिक अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०) दोषपूर्ण है। हाल में ही निर्माताओं के एक परामर्श-विशेषज्ञ से इस व्यवस्था की पूर्णरुपेण जांच करवायी गई जिस के अनुसार अनुमत सीमाओं के अन्तर्गत यह व्यवस्था सामान्य रुप से काम कर रही है ।

अन्य देशों को साइकिलों का निर्यात

*432. **श्री एस एस० जोजफ**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें साइकिलों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) किस-किस मेक की साइकिलों का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितनी संख्या में साइकिलों का निर्यात किया गया और उक्त अवधि में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) :

(क) भारतीय बाइसिकलों का आयात करने वाले कुछ मुख्य-मुख्य देश हैं :—

बंगलादेश

इंडोनेशिया

ईरान

मलावी

नाइजीरिया

बुल्गारिया

सं० रा० अमेरिका

मलयेशिया

सिंगापुर

श्रीलंका

थाईलैंड

इराक

कीनिया

तांजानिया

उगांडा

जाम्बिया

युगोस्लाविया

इटली

ब्रिटेन आदि

(ख) निर्यात की जा रही बाइसिकलों के प्रमुख मेक ये हैं :—

हीरो

एवन

एटलस

रैले

हरक्यूलिस

फिलिप्स

बी० एस० ए०

आर एम आई

मैचलैस

सुपर

ग्रेहाउंड

मार्शल

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई साइकिलों की संख्या तथा उन का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (अदद)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1970–71	200,906	2.32
1971–72	142,620	1.84
1972–73	211,576	2.58

(स्त्रोत : इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता)

उड़ीसा में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की अथागढ़ शाखा में धोखाधड़ी

*433. **श्री सतपाल कपूर**
श्री बरके जार्ज } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जुलाई, 1973 के इवनिंग न्यूज में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उड़ीसा में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की अथागढ़ शाखा के एक भूतपूर्व एजेण्ट और एक गैर-सरकारी फर्म ने 1969–70 में डिमांड ड्राफट परचेज स्कीम के अन्तर्गत बैंक के साथ 60 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी की है ; और

(ख) मामले के तथ्य क्या हैं तथा इस के साथ लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार ने उपर्युक्त समाचार देख लिया है।

(ख) केन्द्रीय जांच कार्यालय ने इस आरोप की जांच की है कि उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक की अभागढ़ शाखा के एजेण्ट ने, फरवरी, 1969 से अगस्त, 1970 के बीच, कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक दाण्डिक षड्यंत्र रचा तथा इन व्यक्तियों और अपने लिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा की गयी जांच से प्राप्त परिणामों के आधार पर, केन्द्रीय जांच कार्यालय ने 24 अगस्त, 1972 को पुरी के विशेष जज की अदालत में एजेण्ट तथा सात अन्य व्यक्तियों के मुकदमें के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित धारा 120-ख तथा भ्रष्टाचार रोकथाम, अधिनियम 1947 की धारा (5), (1) (ख) और (घ) के साथ पठित धारा 5(2) के अन्तर्गत 4 आरोप-पत्र दर्ज किये। चारों मामलों में मुकदमें अभी समाप्त नहीं हुए हैं।

जीवन बीमा निगम के ऊंचे ग्रेड वाले कर्मचारी और सहायकों द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन

*434. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1973 के स्टैट्समैन" में 'एल० आई० सी० हायर ग्रेड स्टाफ टू एजिटेट' और 22 जुलाई, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एल० आई० सी० असिस्टेंट्स टू प्रोटेस्ट' शीर्षकों के अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) ये दोनों समाचार जीवन बीमा निगम द्वारा 'भेदभावपूर्ण रुख' अपनाये जाने के आरोप से सम्बन्धित है, क्योंकि श्रेणी-iii और iv के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी संघों द्वारा पेश किये गये मांग पत्र पर चर्चा करने के लिये जीवन बीमा निगम ने उच्चतर ग्रेड सहायकों के संघ को आमंत्रित नहीं किया था। निगम ने चर्चा के लिये किसी संघ को वर्गवार अथवा खण्डवार आमंत्रित नहीं किया है। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इस मामले का निर्णय जीवन बीमा निगम को करना है कि चर्चा के लिये किस संघ को बुलाया जाये।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

*435. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गत छह : महीनों में किन देशों मे संयुक्त उपक्रमों की मंजूरी दी है और देशवार, उनमें किन वस्तुओं का निर्माण होगा ;

(ख) आज तक कितने संयुक्त उपक्रमों की स्वीकृति दी गई है और कितने उक्रपमों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ग) अन्य संयुक्त उपक्रमों में उत्पादन आरंभ न होनें के कारण क्या ह ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जनवरी-जून, 1973 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा मंजूरी दिये गये औद्योगिक संयुक्त उद्योगों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

क्रमांक	देश	सहयोग का क्षेत्र	भारतीय सहयोगी	मंजूरी की तारीख
1	इंडोनेशिया	पानी के मीटर	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि०, बम्बई	3–1–73
2	वही	स्टोरेज बैटरीज तथा उपकरण	बावा एक्समोटर्स लि० बम्बई	27–4–73
3	वही	वस्त्र मिल	सेंचुरी स्पि० एंड मैन्य० कं० लि०, बम्बई	10–5–73
4	कीनिया	भेषजीय उत्पाद	साराभाई 'एम' कैमिकल्स (प्रा०) लि० अहमदाबाद	14–6–73
5	मारीशस	सीमेंट संयंत्र	दी० के० सी० पी० लि० मद्रास	3–1–73
6	मलयेशिया	वस्त्र मिल	लक्ष्मी टेक्सटाइल्स एक्स-पोर्ट्र्स (प्रा०) लि० कोयम्बटूर	11–1–73
7	वही	धात्विक लचीली ट्यूबें तथा होज	जवेर चन्द गायकवाड़ (प्रा०) लि०, बड़ौदा	18–1–73
8	वही	तापक तत्व तथा निमज्जन राड विनिर्माणक एकक	हर्ष इलैक्ट्रिक एप्लायंसिज कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली	11–6–73
9	सिंगापुर	नौवहन कंपनी	श्री जी के सिंधानिया, द्वारा जे० के० आर्गेनाइजेशन, बम्बई	7–2–73
10	श्रीलंका	फाइव-स्टार होटल	ओबराय होटल्स (इंडिया) प्रा० लि०, दिल्ली	11–5–73
11	अमेरिका	(शिकागो रेस्तरां)	थई लाम्बा केटरिंग कन्सलटेंट्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	22–1–73

(ख) अभी तक सरकार ने विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 163 प्रस्थापनाएं मंजूर की हैं। इन में से, 37 में उत्पादन आरंभ हो गया है, अल्पकाल तक उत्पादन करन के बाद 4 उद्यमों को छोड़ दिया गया है, 55 प्रस्थापनाएं सक्रिय रुप से कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 67 प्रस्थापनाओं को विभिन्न कारणों से कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(ग) कार्यान्वित की जा रही 55 परियोजनाओं में से 46 परियोजनाओं को 1971 के दौरान अथवा उसके बाद मंजूर किया गया था और उन्हें सक्रिय रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। सामान्यत : किसी भी परियोजना को पूर्णत : कार्यान्वित करने में दो से तीन वर्ष तक लग जाते हैं।

दूर संचार परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (आई०डी०ए०) से वित्तीय सहायता

*436. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री 27 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर संचार परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था भारत को कुल कितनी राशि के ऋण देगी ;

(ख) उक्त परियोजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस प्रणाली में कुल कितनी सीधी एक्सचेंज लाइनें शामिल की जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 979 के उत्तर में बताया गया था, दूर संचार के लिए भारत को 8 करोड़ डालर के पांचवें ऋण के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। हमने पहले भी चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि तक के दूर-संचार कार्यक्रम के विदेशी मुद्रा के खर्च का वित्त पोषण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 18.05 करोड़ डालर के चार ऋण तथा विश्व बैंक से 2.75 करोड़ डालर का एक ऋण लिया था।

(ख) पांचवें ऋण द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली परियोजना की कुल लागत का अनुमान 389 करोड़ रुपये (53.4 करोड़ अमरीकी डालर) का है, जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 86 करोड़ रुपये (11.8 करोड़ अमरीकी डालर) का है। इसमें पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के पहले दो वर्षों के दूर-संचार के विकास का कार्यक्रम शामिल है।

(ग) लम्बी दूरी की सुविधाओं, ट्रंक ऐक्सचेंज क्षमता, अतिरिक्त सार्वजनिक टेलीफोन काल कार्यालयों, नये तार कार्यालयों और टेलक्स सेवाओं के विस्तार के अलावा 258,000 प्रत्यक्ष ऐक्सचेंज लाइनें जोड़ी जाने की सम्भावना है।

विनियम दरों में स्थिरता लाने के लिये मुद्रा संबंधी विशद संशोधन करने सम्बन्धी समझौता करने के प्रयास

*437. **श्री राजदेव सिंह**
श्री शंकर राव सावन्त } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश देश प्रयास कर रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली सोने से संबद्ध न रहे ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरुप सोने के प्रमुख बाजारों में भयंकर तेजी आ गयी है और सोने के मूल्य गत छः महीनों के दौरान दुगने से भी अधिक हो गये हैं ; और

(घ) क्या विनिमय बाजारों की अस्थिरता समाप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके सदस्य 124 देश हैं, मुद्रा सम्बन्धी विशद् संशोधनों के बारे में एक समझौता करने के लिए आशाहीन प्रयास कर रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत, जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गयी थी, सोना एक ऐसा गुणक था जिसमें विभिन्न देश अपनी मुद्राओं के सम-मूल्य को व्यक्त करते थे और इसके अलावा यह एक ऐसी मुख्य परिसम्पत्ति थी, जिसके रुप में विभिन्न देश अपनी प्रारक्षित निधियां रखते थे । ब्रेटन वुड्स प्रणाली के लगभग पूणत: : लड़खड़ा जाने के बाद, अब केवल कुछ देशों को छोड़कर, अन्य देश सामान्यत: इस बात पर सहमत हैं कि संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत सोने की भूमिका को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । भारत और अन्य विकासशील देश इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं ।

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान, प्रमुख मंडियों में सोने के मूल्य मे 60 से 80 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है । सोने के मूल्य में हुई इस वृद्धि के कई विभिन्न कारण हैं । पिछले कुछ वर्षों में, सोने के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई जबकि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सोने की गैर-मुद्रा विषयक मांग में वृद्धि हुई है । इसके ईलावा, डालर की निरंतर कमजोरी, सोने के अधिकृत मूल्य में वृद्धि किये जाने की आशा, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में अविश्वास और मुद्रा-बाजारों में विद्यमान अनिश्चितता की स्थिति के कारण सोने की मांग में, सट्टेबाजी विषयक वृद्धि भी हुई है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में व्यापक रुप से सुधार करने का विषय इस समय "20 की समिति" के विचाराधीन है ; इस समिति में विभिन्न देशों के वित्त मंत्री शामिल हैं और इसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा सितम्बर, 1972 में की गयी थी । विनिमय-दर तंत्र के बेहतर संचालन की व्यवस्था इस सुधार की एक मुख्य विशेषता होगी ।

कोरापुट जिले के रायाकाडा में एक काटन मिल की स्थापना

*438. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार का विचार कोरापुट जिले के रायाकाडा में एक काटन मिल लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ग) क्या मिल लगाने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(घ) मिल का काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) भूमि, भवन तथा मशीनों के रुप में कुल निवेश अनुमानत: 242 लाख रु० है।

(ग) प्रस्तावित मिल कारापुट जिले में रचयकुडा में स्थापित करने का विचार है ;

(घ) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1951 के अधीन एक उपक्रम लाइसेसं के लिए इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्र, स्वीकृति के लिए लाइसेसं समिति को भेज दिया गया है।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भण्डियों में मनीपुर के हथकरघा उत्पादों की बिक्री

*439. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों मण्डियों में बड़े पैमाने पर मनीपुरी हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए प्रबंध किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि मनीपुरी हथकरघा उत्पादों को समूचे विश्व में भारी मांग के बावजूद भी पर्याप्त संगठनों के अभाव के कारण उचित ढंग से मण्डी में नहीं ले जाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) मनीपुर हथकरघा वस्तुओं के विपणन की इंचार्ज मुख्य रुप में मनीपुर सरकार है। उन से इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रबंधों के संबंध में स्थिति का पता लगाया जा रहा है। अखिल भारतीय हथकरघा फैब्रिक्स विपणन सहकारी समिति, बम्बई तथा हथकरघा हस्तशिल्प निगम, दोनों ही जो अखिल भारतीय आधार पर कार्य कर रहे हैं, भारत तथा विदेशों में मनीपुर हथकरघा वस्तुओं के विपणन में सहायता करते रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। परन्तु यदि मनीपुर सरकार विशिष्ट प्रस्थापनाएं करती है, तो किसी भी और आवश्यक सहायता के बारे में विचार किया जा सकता है।

अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का सरकारी करण

*440. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का सरकारी करण करने और उनका नियंत्रित मूल्य पर वितरण सुनिश्चित करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) पांचवीं आयोजना के प्रति दृष्टिकोण 1974–79 नामक प्रकाशन में व्यापार और वितरण में सरकारी क्षेत्र की भूमिका में काफी विस्तार की परिकल्पना की गयी है। गेहूं और लेवी चीनी के थोक व्यापार को पहले ही हाथ में लिया जा चुका है और सूती कपड़े की नियंत्रित किस्मों का वितरण लगभग पूरी तरह से सरकारी अधिकरणों द्वारा किया जा रहा है। योजना आयोग ने अत्यावश्यक जिन्सों और आम जनता द्वारा काम में लाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में एक समिति की स्थापना की है जो आम जनता को उचित मूल्यों पर अत्यावश्यक जिन्से तथा वस्तुऐं मुहैया करने की दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक नीतियों और उपायों का सुझाव देगी।

Losses to Public Sector Undertakings due to Strike by Employees of U.P. Electricity Board

4124. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have made any assessment in regard to the effect on the public sector undertakings because of the strike by the Uttar Pradesh Electricity Board employees ;

(b) if so, the approximate amount of loss suffered by the State as well as Central Government ; and

(c) the number of man-days lost as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) & (b) : Yes, Sir, An assessment of the direct loss suffered by some Central Government industrial enterprises located in U.P. as a result of the State Electricity Board Emplyoees' strike is available.

(c) The position is as follows :—

Name of the enterprise	Man-days lost
(i) Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd., Rishikesh	25,600
(ii) Hindustan Aeronautics Ltd., Lucknow	2,040
(iii) Modern Bakeries Ltd., Kanpur	84
(iv) Tannery & Footwear Corporation Ltd., Kanpur	6,375
(v) Bharat Electronics Ltd., Ghaziabad	Under construction.
(vi) Scooters (India) Ltd., Lucknow	Do.
(vii) Triveni Structurals Ltd., Naini	Cannot be estimated as there was a strike in the factory during the period.

Name of the enterprise	Man-days lost
(viii) Oil & Natural Gas Commission, Dehra Dun	Nil
(ix) Bharat Pumps & Compressors Ltd., Naini, Allahabad	Nil

राज्य व्यापार निगम और गैर-सरकारी साधनों द्वारा 1973–74 के दौरान आयात की जाने वाली गामा-पिकोलाइन, बीटा पिकोलाइन और पाइराइडिन की मात्रा

4125. **श्री महाराज सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम और गैर सरकारी साधनों द्वारा वर्ष 1973–74 के दौरान देशवार अलग अलग कितनी मात्रा में गामा-पिकोलाइन, बीटा-पिकोलाइन और पाइराइडिन आयात किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : पाइराइडिन का आयात वर्ष 1971-72 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है । पाइराइडिन एक रसायन है जो विभिन्न उद्योगों द्वारा विलयक के रूप में तथा कार्बनिक रसायनों के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है । इस समय राज्य व्यापार निगम के पास इस मद के आयात करने के लिए कोई योजना नहीं है क्योंकि आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त है ।

गामा-पिकोलाइन तथा बीटा-पिकोलाइन का आयात वर्ष 1973-74 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है । दृढ़ स्वदेशी दृष्टिकोण को देखते हुए राज्य व्यापार निगम की इस समय गामा-पिकोलाइन आयात करने की कोई योजना नहीं है । बीटा-पिकोलाइन की आवश्यकताओं का अनुमान मार्गीकरण अभिकरण द्वारा पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से परामर्श करके लगाया जा रहा है तथा स्वदेशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इस समय इस वस्तु के 165 मी० टन के आयात की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका/जापान से की जा रही है ।

राज्य व्यापार निगम और गैर-सरकारी साधनों के माध्यम से वर्ष 1972–73 के दौरान गामा-पिकोलाइन, बीटा–पिकोलाइन और पाइराइडिन का आयात

4126. **श्री महाराज सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 और अप्रैल, 1973 से जून 1973 तक गामा-पिकोलाइन, बीटा-पिकोलाइन और पाइराइडिन का कितनी मात्रा में और किन-किन देशों से आयात किया गया ;

(ख) उपरोक्त आयात में से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कितना और गैर-सरकारी साधनों के माध्यम से कितना आयात किया गया ; और

(ग) इन रसायनों के लिये वर्तमान आयात नीति क्या है और इस समय किस आधार पर आयात लाइसेंस जारी किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सम्पूर्ण देश के आयात आंकड़े केवल दिसम्बर, 1972 तक "मन्थली स्टैटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इन्डिया—वाल्यूम 2—इम्पोर्टस्" में उपलब्ध हैं। अप्रैल-दिसम्बर, 1972 के दौरान गामा-पिकोलीन बीटा-पिकोलीन और पाइराडीन के आयात और उन देशों के नाम, जिनसे इनका आयात किया गया, नीचे दिये जाते हैं :

क्रमांक	मद/देश	अप्रैल—दिसम्बर, 1972	
		मात्रा (मी० टन)	मूल्य (हजार रु०)
1	गामा पिकोलीन (4-माइथाइल पाइराडीन)		
	जापान	10	54
	योग—1	10	54
2	पाइराडीन		
	नीदरलैंड	5	170
	ब्रिटेन	3	29
	संयुक्त राज्य अमरीका	40	170
	योग—2	48	369
3	बीटा-पिकोलीन*	*	*

तथापि, राज्य व्यापार निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 और अप्रैल, 73—जून, 73 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये गामा-पिकोलीन बीटा-पिकोलीन और पाइराडीन के पृथक पृथक आयात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

क्रमांक	मद	अप्रैल, 72		मार्च, 73		अप्रैल, 73		जून, 73	
		मात्रा (मे० टन)	मूल्य (हजार रु०)	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (हजार रु०)	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (हजार रु०)		
1	गामा पिकोलीन	—	—	—	—	—	—		
2	बीटा पिकोलीन	100.00	1,148	125.00†	1,450				
3	पाइराडीन	34.66	339	—	—				

*चूंकि यह मद रिवाइज्ड इन्डियन ट्रेड क्लासिफिकेशन में, जिसके आधार पर विदेश व्यापार आंकड़े संकलित किये जाते हैं, अलग से वर्गीकृत नहीं हैं, अतः आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

† 100 मे० टन मार्ग में है और शेष 25 मे० टन का लदान बाद म किया जाना है।

(ग) गामा पिकोलीन, बीटा-पिकोलीन और पाइराडीन की वर्तमान आयात नीति नीचे दर्शायी जाती है :

गामा पिकोलीन	आयात की अनुमति राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रतिबंधित आधार पर है।	रिलीज आदेश हकदारी के 20 प्रतिशत की सीमा तक जारी किये जाएंगे। देखिये पी० एन० नं० 58–आई० टी० सी० (पी० एन०) / 73 दिनांक 16–4–73.
बीटा पिकोलीन	आयात की अनुमति राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रतिबंधित आधार पर है।	
पाइराडीन	पाइराडीन बेस और पाइराडीन टैकिनकल के आयात की अनुमति राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रतिबंधित आधार पर है।	रिलीज आदेश हकदारी के 20 प्रतिशत की सीमा तक जारी किये जाएंगे।

एयर इण्डिया से अकेले या इकट्ठे यात्रा करने पर किराये की पुनरीक्षित दरें

4127. **श्री आर० एन० बमन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने हाल ही में अकेले या इकट्ठे यात्रा करने पर किराये की दरों का पुनरीक्षण किया है

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और किन–किन मार्गों पर ; और

(ग) यह दरें कब से लागू होंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिह) : (क) से (ग) इस वर्ष जुलाई से एयर इण्डिया द्वारा सामुदायिक/व्यक्तिगत यात्रा के लिए निम्नलिखित सस्ते किराये लागू किये गये हैं :

यू०के०/भारत

एयर इंण्डिया तथा बी० ओ० ए० सी० के मध्य हुए एक करार और भारत व ब्रिटेन की सरकारों के अनुमोदन के पश्चात् 9 जुलाई, 1973 से यू०के० से भारत तक परिक्रामी वैयक्तिक भ्रमण किराये (राउण्ड ट्रिप इंडिविजुअल एक्सकर्शनफेयर) यू० के० से भारत तक सामुदायिक एक-तरफा भ्रमण किराये भारत से यू० के० तक सामुदायिक एक-तरफा भ्रमण किराए प्रारम्भ किये गये हैं।

जहां तक भारत से यू०के० तक यात्रा का सम्बन्ध है, 10 या उस से अधिक यात्रियों के लिए एक-तरफा मितव्ययी श्रेणी सामुदायिक किराये निम्न प्रकार है :

बम्बई/दिल्ली से लन्दन	1613 रुपये
मद्रास से लंदन	1787 रुपये
कलकत्ता से लंदन	1816 रुपये

उपरोक्त किराये इनके लिये उपलब्ध हैं :

(क) ऐसे व्यक्ति जिन का सामान्यतया निवासस्थान यू० के० में है;

(ख) आव्रजन बीजा अथवा प्रवेश परमिट धारी आव्रजक तथा/अथवा उनके परिवार/आश्रित; और

(ग) 30 वर्ष से कम आयु के छात्र जिन्होंने पूर्ण-कालिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए नाम दर्ज करा रखे हों।

स्विटजरलैंड/भारत

स्विसेयर तथा एयर इण्डिया के मध्य विचार विमर्श और भारत तथा स्विटजरलैंड की सरकारों के अनुमोदन के पश्चात् 17 अगस्त, 1973 से दोनों देशों के मध्य विशेष युवा किराये प्रारम्भ किये गये हैं। भारत से जाने वाले यात्रियों के लिए एक-तरफा मितव्ययी-श्रेणी किराये निम्न प्रकार हैं :

बम्बई/दिल्ली से बास्ले/जनेवा/जूरिख	3,106 रुपये
मद्रास से बास्ले/जनेवा/जूरिख	3,664 रुपये
कलकत्ता से बास्ले/जनेवा/जूरिख	3,902 रुपये

ये किराये उक्त व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन की आयु 12 साल से अधिक तथा 30 साल से कम है।

पटसन उत्पादकों की असुविधाजनक स्थिति

4128. **श्री आर० एन० वर्मन**
श्री बी० के० दास चौधरी } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ग्रामीण और अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में विपणन केन्द्रों से पटसन खरीदने की बजाए इसे सहकारिताओं और संघों से खरीद रही है जिससे पटसन उत्पादकों के लिये गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम समूचा पटसन उत्पादन खरीदने और उसे बिचौलियों से बिल्कुल न खरीदने के अपने वचन कैसे पूरे करेगी ; और

(ग) भारतीय पटसन निगम का कार्यकरण सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय पटसन निगम ने पटसन की खरीद के लिये 30 विभागीय खरीद केन्द्र स्थापित किये हैं। इसके अलावा निगम लगभग 90 बाजार केन्द्रों में उपजकर्ता सहकारी समितियों के माध्यम से भी खरीद करेगा। यह कार्य पूर्ण रूप से उपजकर्ताओं के हितार्थ है।

(ख) तथा (ग) भारतीय पटसन निगम का खरीद कार्य कुल उत्पादन के लगभग 30 प्रतिशत के बराबर होगा। इसमें कोई बिचौलिये नहीं हैं। भारतीय पटसन निगम यथासम्भव उपजकर्ता सहकारी समितियों का प्रयोग करेगा तथा अनुभव प्राप्त होने के फलस्वरूप भारतीय पटसन निगम की गतिविधियों का उत्तरोत्तर विस्तार होगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

4129. श्री एस०एम० सिद्धय्या : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के संबंध में कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये दिसम्बर, 1972 में हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की चौथी बैठक में यह निर्णय किया गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के एसोसियेशन के नियमों में जहां कहीं आवश्यक हो, सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण की व्यवस्था के लिये और इस संबंध में जारी किये गए निदेशों के क्रियान्वयन के बारे में कुछ उपक्रमों का अध्ययन करने के लिये संशोधन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके एसोसियेशन के नियमों में पहले ही संशोधन किया जा चुका है और जिनके संबंध में उपरोक्त अध्ययन कर लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी उपक्रमों की अन्तर्नियमावली में जहां आवश्यक है, संशोधन करने के प्रश्न पर सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रशासनिक मन्त्रालयों के साथ दिसम्बर, 1972 से भी पहले लिखा पढ़ी की थी ताकि केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये पदों के आरक्षण के बारे में निर्देश जारी कर सके। इसके परिणाम स्वरूप अनुबन्ध में दिये गये 83 उपक्रमों को आवश्यक निदेश जारी किये गये हैं। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5481/73)। अन्य उपक्रमों ने भी इन आदेशों को मान लिया है। सरकारी उद्यम कार्यालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों से सम्बन्धित आदेशों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। इस सम्बन्ध में, यह निश्चय किया गया है कि सबसे बड़े 15 उद्यमों पर विशेष नजर रखी जाये जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों को ऊंचे पदो पर भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। इन 15 उद्यमों के नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5481/73)

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशियों के लिए अपेक्षाकृत कम योग्यता तथा निम्नअर्हता मानकों का निर्धारण

4130. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशियों के मामले में अपेक्षाकृत कम योग्यतामान तथा निम्नआर्हता मानक निर्धारित किये हैं और यदि हां, तो इसके प्रमाण क्या हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किये गये निदेशों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपना लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बैंकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में भर्ती करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशियों को शैक्षित अर्हताओं और योग्यताओं में दी गई छूट संलग्न विवरण में दिखायी गयी है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5482/73)

(ख) और (ग) सभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए पद सुरक्षित करने के सम्बन्ध में सरकार की हिदायतों को अपना लिया है। लेकिन कर्मचारी संघों के साथ किये गये करारों/समझौतों और न्यूनतम अर्हकारी सेवा वाले व्यक्तियों की कमी के कारण बैंक पदोन्नति के पदों को सुरक्षित करने के सम्बन्ध में सरकार की हिदायतों को नहीं अपना सके हैं।

आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोडयूसर्स आफ इंडिया, बम्बई से आयकर की वसूली

4131. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **वित्त** मंत्री आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोडयूसर्स आफ इंडिया, बम्बई से आयकर आदि की वसूली के संबंध में 11 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10006 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे अब सभा पटल पर रखा जायगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इसमें और कितना समय लगेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० गणेश): (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बारे में सूचना एकत्र की जा चुकी है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क माल पर लगता है और उसकी अदायगी केवल माल के उत्पादनकर्ता अथवा निर्माणकर्त्ता द्वारा की जानी होती है। आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोडयूसर्स आफ इंडिया बम्बई, ऐसे उत्पादकर्ताओं की संस्था होने से, उसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा नहीं करना पड़ता है।

आय-कर के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभापटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय सांख्यिकी सेवा में ग्रेड IV में तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों को वेतन स्लिपें जारी करने की समान प्रक्रिया

4132. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री 4 मई 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9060 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग ने 30 जून 1973 तक भारतीय सांख्यिकी सेवा में ग्रेड IV में सभी तदर्थ पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए संघीय लोक सेवा आयोग की स्वीकृति महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के पास भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके लेखापरीक्षा नियंत्रण के अन्तर्गत सभी तदर्थ पदोन्नत व्यक्तियों को वेतन स्लिप जारी करने की समान प्रक्रिया न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन कुछ तदर्थ पदोन्नत व्यक्तियों को जिन्हें 30 जून 1973 तक की सीमित अवधि के लिए अस्थायी वेतन स्लिप जारी की गई थी अब से आगे नियमित स्लिप जारी करने के लिए क्या कदम उठाये जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 30 जून 1973 तक भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV के सभी तदर्थ पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति संबंधी कोई पत्र कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से महालेखाकार केंद्रीय राजस्व को प्राप्त नहीं हुआ है। कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति उन विभागों को भेज दी है जहां वे अधिकारी काम कर रहे हैं और ये विभाग बाद में इस सूचना को संबंधित महालेखाकार के पास भेजते हैं ।

(ख) सरकारी आदेशों में जहां कहीं तदर्थ नियुक्तियों को 'अगले आदेशों तक' लिखा जाता है, उनमें यदि तदर्थ नियुक्तियां स्थायी पदों पर हों तो वेतन पर्चियां, समय अवधि का उल्लेख किए बिना जारी की जाती हैं। और यदि तदर्थ नियुक्तियां अस्थायी पदों पर हों तो वेतन पर्चियां उन पदों के लिये मंजूरी की समाप्ति की तारीख तक ही सीमित रहती हैं। यदि सरकारी आदेशों मे यह उल्लेख हो कि तदर्थ नियुक्तियां विशिष्ट अवधियों के लिए हैं तो वेतन पर्चियां इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि तक ही सीमित रहती हैं ।

(ग) अक्तूबर 1973 तक की नियमित वेतन पर्चियां उन दो अधिकारियों को जारी की गयी हैं जो अभी सेवा में हैं और जिनके संबंध में वेतन पर्चियां पहले 30 जून 1973 तक जारी की गयी थी। लेकिन, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने हाल ही में विभिन्न विभागों को सलाह दी है कि भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV के अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियों को 'अगले आदेशों तक' के रूप में अधिसूचित किया जाय ।

Prosecution Against Companies Violating Import Regulations

4133. Shri M. S. Purty: Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given on 30th March, 1973 to Unstarred Question No. 5440 regarding misuse of import licences and state :

(a) whether Government have launched prosecutions against the Companies violating import regulations and if so, the names of those companies; and

(b) the gist of the charges for which the prosecutions have been launched against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George). (a) The violations of import control regulations in the year 1972-73 are still under investigation. After the investigation reports are received, Government will take a decision whether in specific cases prosecution should be launched. Till now no prosecution has been launched.

(b) Does not arise.

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सरकारी लेखा सेक्सन आदि में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण

4134. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने जून और जुलाई 1973 के दौरान दुरुपयोग, भ्रष्टाचार तथा रिश्वत के मामलों की जांच के लिये सरकारी लेखा सेक्शन तथा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की नई दिल्ली शाखा का विशेष निरीक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने सूचित किया है कि उसके मुख्य सतर्कता अधिकारी, उसके सरकारी लेखा सेक्शन और उसके नयी दिल्ली शाखा में लेखन सामग्री की खरीद के संबंध में हुई कुछ अनियमितताओं के सबंध में तथा बैंक की न्यू रोहतक रोड पर स्थित नयी दिल्ली शाखा में छोटे औद्योगिक एककों को दिये गये कुछ अग्रिमों के बारे में भी इनके आरोपों की जांच कर रहा है । बैंक के अनुसार जांच कार्य अभी भी जारी है और उसे अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है ।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट

4135. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री 27 जुलाई 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 810 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के संबंध में कराये गये निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे अन्तिम रूप देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर तथा जयपुर के संबंध में कराये गये निरीक्षण की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिजर्व बैंक के अनुसार, स्टेट बैंक आफ बीकानेर तथा जयपुर जैसे आकार के बैंकों के लिये निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने में लिये गए साधारण समय को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इस विशिष्ट मामले में जो समय लिया गया है उसे अनुचित रूप से अधिक समय नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि रिजर्व बैंक अपने निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र लिखने के लिए सलाह देता रहा है परन्तु ऐसा विचार है कि रिजर्व बैंक को दो या तीन महीने रिपोर्ट को प्राप्त करने में और उसे अन्तिम रूप देने में लगेंगे।

आयात क्षतिपूर्ति लाइसेंस देने के लिये प्रक्रिया को सुगम बनाना

4136. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री यमुना प्रसाद मंडल } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात क्षतिपूर्ति लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) निर्यातों के सम्बन्ध में सहायता करन के लिये वर्तमान नीतियों व कार्यविधियों का पुनर्विलोकन करने तथा उनमें और आगे परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए हाल ही में कार्यकारी दल स्थापित किये गये हैं। उनके प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Recovery of Arrears of Income Tax from Modi Spinning and Weaving Mills Co. Ltd.

4137. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 6783 on the 19th May, 1972 and state :

(a) the action taken by the Government to realise the arrears of Rs. 41,000 of Income-tax from M/s. Modi Spinning and Weaving Mills Limited, Modinagar ;

(b) the reasons for which the Income-tax arrears have not been realised from them; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The Income-tax arrears of Rs. 41,000 outstanding against M/s. Modi Spinning and Weaving Mills Ltd., Modinagar relate to the assessment year 1961-62. The demand is disputed in a revision petition pending before the Commissioner of Income-tax. The Commissioner has stayed the collection of the demand till the decision of the revision petition. This revision petition has not yet been decided by the Commissioner because references on identical points relating to the earlier assessment years are pending before the Allahabad High Court.

Seizure of Smuggling Articles by Customs Officials in North Bombay

4138. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether huge quantity of smuggled articles such as watches, sarees and watch straps were recovered by the Customs officials from some cars in North Bombay in the second fortnight of June, 1973; and

(b) if so, the value of the recovered articles in Indian currency and the number of persons against whom action has been taken in this regard indicating the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) On the 14th-15th June, 1973 the officials of the Bombay Custom House seized the following articles from three Ambassador cars at Deonar in North Bombay. No arrests have been made in this regard so far as the drivers managed to escape under cover of darkness :

Articles	Value (at Indian market rate) Rs.
Wrist watches	16,66,400
Watch parts	76,800
Watch straps	11,100
Stop watches	30,000
Gun metal (stones)	75,000
Dress material	800
Other articles	600
Cars	45,000
Total ..	19,05,700

अहमदाबाद में चैकों के भुगतान के बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, गुजरात और अहमदाबाद मिल मालिक संघ के प्रतिनिधि मडंल की वित्त मंत्री से भेंट

4139. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, गुजरात और अहमदाबाद मिल मालिक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 24 जुलाई 1973 को उनसे मिला था और उसने अहमदाबाद में चैकों का उचित भुगतान सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या थीं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) गुजरात वाणिज्य और उद्योग मण्डल का एक एक प्रतिनिधि मण्डल 24 जुलाई, को वित्त मंत्री से मिला था जिसमें उन्होंने बैंक आफ बड़ौदा में अन्तरसंघीय (यूनियन) संघर्ष के कारण अहमदाबाद में क्लियरिंग हाऊस में काम-काज ठप्प हो जाने से व्यापारिक समुदाय के सामने आई कठिनाइयों के बारे में बताया। व्यापारिक समुदाय को इन कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने और क्लियरिंग हाऊस में निर्विघ्न रूप से कार्य को चलाने को ध्यान में रखते हुए, बैंक आफ बड़ौदा 30-7-1973 से अस्थायी अवधि के लिये, अहमदाबाद में क्लियरिंग हाऊस से स्वेच्छा से अलग हो गया है ।

गुजरात निर्यात निगम द्वारा अच्छा कार्य

4140. **श्री प्रभु दास पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात निर्यात निगम ने, जो राज्य के लघु तथा मध्यम स्तर के निर्माताओं की ओर से निर्यात कार्य करता है, अच्छा कार्य किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दूसरे राज्यों में भी ऐसी कार्यवाही करने को प्रोत्साहन देगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक द्वारा गुजरात के बड़ौदा जिले का रुई विकास परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये प्रायोगिक आधार पर चयन

4141. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक ने इस वर्ष से गुजरात के बड़ौदा जिले का रुई विकास परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये प्रायोगिक आधार पर चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं की मोटी रूप रेखा क्या है ;

(ग) क्या भिन्न भिन्न राज्यों में बैंक द्वारा अन्य परियोजनाएं भी आरम्भ की जायेगी ; और

(घ) बड़ौदा परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा और कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिये दिये गये ऋण

4142. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया द्वारा 20 मई 1973 को परिचलित उस समाचार को देखा है कि वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिये दिये गये ऋणों संबंधी स्थिति निराशाजनक रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी : (क) जी हां।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि कार्य के लिए दिया गया ऋण निराशाजनक था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये गये ऋणों का प्रतिशत जून 1969 (बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तत्काल पहले) में 5.5 था जो बढ़कर दिसम्बर 1971 में 8.09 प्रतिशत और दिसम्बर 1972 में 9.55 प्रतिशत हो गया।

कृषि के लिए ऋण देने के काम में और तेजी लाने के लिए बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शाखाएं खोलने, अधिक तकनीकी कर्मचारी भर्ती करके अपने संगठन तंत्र को सुदृढ़ करने, अपनी ऋण देने की प्रक्रिया और आवेदन के फार्मों को सरल बनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। बैंक अब 'क्षेत्र विशेष में पहुंचने' का मार्ग अपना रहे हैं और अधिक वित्त पोषण के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए बैंक 8 राज्यों में प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को भी वित्त प्रदान कर रहे हैं।

Loans given to Small and Marginal Farmers by Commercial Banks

4143. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans given to those small and marginal farmers who own land between 5 and 10 acres of land to improve their agricultural land by the commercial banks from January to June, 1973;

(b) the number of farmers having less than 5, 10, 15 and 20 acres of land respectively in each State State-wise;

(c) the State-wise number of such banks and the name of the bank which advanced the maximum amount of loan; and

(d) the action taken by Government in respect of the banks which did not advance any loan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The information in the manner asked for is not maintained. However the total direct agricultural advances by scheduled commercial banks outstanding at the end of December 1972 amounted to Rs. 310·52 crores.

(b) The latest information on such break-up is not readily available.

(c) Statement is enclosed. [Placed in Library, See No. L.T. 5483/73].

(d) All public sector banks have taken action to advance agricultural loans to farmers in the States in which they operate. At the instance of Government, they are increasing the number of trained agricultural field staff to process and supervise the agricultural loan applications received in the rural and and semi-urban branches.

Property Mortgage and Own Your House Scheme

4144. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether 'property mortgage and own your house scheme' are still in force and if so, the main facts thereof;

(b) the names of the States in which houses were constructed under these schmes in 1970, 1971 and 1972 indicating the number of houses constructed in each state ; and

(c) the total amount given so far as loan under these schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) Yes, Sir, The salient feature of the Property Mortgages Scheme and 'OYH' Scheme are given below :—

A. *Property Mortgage Scheme*

(i) Minimum loan Rs. 25,000.

(ii) Maximum loan Rs. 5,00,000.

(For construction of Hotels maximum limit is Rs. 25,00,000)

(iii) Loan is to be repaid in 15 years;

(iv) Current rates of interest are:

(a) Residential construction/extensions—9½%

(b) Commercial purposes—11%

(c) Cinema House construction—12%

In case of default in repayment, 2½% additional interest is charged.

B. *'OYH' Scheme*

(i) Minimum loan Rs. 10,000 (Rs. 7,500 for extension purpose).

(ii) Maximum loan Rs. 1,00,000.

(iii) Loan to be repaid in 20 years.

(iv) Current rates of interest are 9½% with 1% rebate for proved self-occupation. However, if the amount of loan is upto Rs. 25,000 the rebate is 2% subject to proved self-occupation and the value of property not being in excess of Rs. 75,000. Additional interest at 2½% for 'defaults' in repayment is charged.

(b) Loans were given under these schemes in 1969-70, 1970-71 and 1971-72 in all States and Union Territories except Himachal Pradesh and Manipur. In Tripura, 'OYH' scheme loans were disbursed only in 1971-72. The information regarding the number of houses constructed in each of the states under these schemes is not readily available.

(c) The total amounts of loans advanced upto 31-3-1972 against the two schemes are as under :—

(Rupees in lakhs)

Property Mortgage Scheme	2088·71
'OYH' Scheme	2092·25

रक्षा लेखा नियंत्रक, इलाहाबाद द्वारा भारतीय सेना के पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान

4145. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा नियत्रंक, इलाहाबाद ने पंजाब पोस्टल सर्किल के, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सम्मलित है कुछ कार्यालयों में भारतीय सेना के पेंशन भोगियों को पेंशन के भुगतान का कार्य अपने हाथ में लेने के बारे में जून 1973 में निर्णय किया है ;

(ख) क्या हैड पोस्ट आफिस, ऊना (हिमाचल प्रदेश) के क्षेत्राधिकार मे पेंशन के भुगतान का कार्य पेंशन पे मास्टर होशियारपुर को सौंपा गया था यद्यपि ऊना हेड पोस्ट आफिस और उसका सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्य के होशियारपुर के अंतर्गत है ;

(ग) क्या रक्षा लेखा नियत्रंक इलाहाबाद द्वारा की गई इस कार्यवाही के कारण हमीरपुर पोस्टल डिवीजन से सभी संबध रिकार्डों को पेंशन पै मास्टर होशियारपुर को भेजे जाने की आवश्यकता पड़ी तथा हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को भारी असंतोष तथा असुविधा हुई ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य मे पेंशन लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों की असुविधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार ने अगस्त 1972 में निर्णय किया कि भारतीय सैनिक पेंशनरों को मासिक पेंशन बाटनें के लिए, रोहतक, हिसार और होशियारपुर में पेंशन पे मास्टर के दफ्तर खोले जायें, जो नियत्रंक रक्षा लेखा (पेंशन) इलाहाबाद के अधीन काम करेंगे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऊना और हमीरपुर डाकघरों से पेंशन पे मास्टर होशियारपुर को रिकार्ड स्थानान्तरित नहीं किये गए हैं । परन्तु, कुछ गलतफहमियों के कारण हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान करने में विलम्ब हो गया ।

(घ) भुतपूर्व सैनिकों की असुविधा, दूर करने के उपाये किए गये हैं । हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों के सैनिक पेंशनरों को पेंशन का भुगतान अब तक की तरह ही डाकघरों द्वारा किया जाता रहेगा । इस संबंध में डाक-अधिकारियों ने भी संबंधित डाकपालों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं ।

उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि और लाभ

4146. श्री डी० के० पंडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–1972 और 1972–1973 के दौरान उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यूनिटवार कितना लाभ अथवा हानि हुई ।

(ख) यदि हानि हुई तो उसे पुरा करने और उद्योगों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये और उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या हानि को पूरा करने के उपाय के रुप में प्रबंन्ध में कर्मचारियों के योग को आवश्यक उपाय समझा जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकार के उदयमों के उड़ीसा में काम कर रहे एकक तथा 1971–1972 और 1972–1973 (अन्तिम) के कार्यचालन परिणाम इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

सरकारी उद्यमों के एकक	कार्यचालन परिणाम 1971–72	अन्तिम कार्यचालन परिणाम 1972–73
1	2	3
1. हिन्दुस्तान स्टील लि०		
राउरकेला इस्पात संयंत्र	(–) 68.87	1.60
राउरकेला उर्वरक संयंत्र	(–) 17.07	(–) 1.98

(1)	(2)	(3)
2. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम		
तलचर		
देअलबड़ा		
दक्षिणी बलन्दा कोयला खानें	(–) 39.71	(–) 45.85 (–) 20.69 14.89 (–) 51.65
3. हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लि०		
मिग भाग, कोरापुट	59.40	कोरापुट प्रभाग के कार्यचालन परिणाम अलग से उपलब्ध हैं। हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लि० के द्वारा कुल 3.23 करोड़ रूपये का लाभ उठाने की संभावना है।

(ख) सरकारी उद्यमों की कार्यसमिति की सिफारिशों के आधार पर खनिज धातु, चूना पत्थर, क्रशिंग कोक निकालने, अतिरिक्त कोयला धमन भट्टियों के लिए तथा धमन भट्टी को कच्चे माल की लगातार सप्लाई तथा बैंडिंग एंव ब्लैंडिंग की सुविधाएं प्रदान करने के के लिए अतिरिक्त कारखाने की स्थापना एल्यूमिनियम सलोन्ट के उत्पादन के लिए मरम्मत की तथा अन्य सुविधाएं आदि बढ़ाने के लिए राउरकेला में कदम उठाए जा रहे हैं ; सभी स्तरों पर संगठनात्मक ढाँचे, औद्योगिक संबधों तथा संचार प्रणाली में सुधार करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ; जिनमें प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं, अनुरक्षण, किस्म तथा देसी सामग्री की उपलब्धता आदि में सुधार करने के उपाय भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के संबंध में, तलचर की खानों का विकास किया जा रहा है ताकि मशीनों का उपयोग बढ़ाया जा सके तथा उत्पादन का खर्च कम किया जा सके। अभी स्थापित किए गये कोयला खान प्रधिकरण के अन्तर्गत कोयला खानों को फिर से संगठित किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने इस दृष्टिकोण को मान लिया है कि सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध में मजदूरों के द्वारा भाग लिये जाने से सभी ओर कार्य में सुधार हो सकेगा। कुछ उद्योगों के प्रबंधक बोर्डों में मजदूरों के प्रतिनिधि नियुक्त करने की योजना अपना ली गई है। सर्व-प्रथम हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में एक मजदूर निर्देशक नियुक्त किया गया है।

73-M/88LSS—5

विदेशी यात्रियों द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा के विरुद्ध शिकायतें

4147. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई, 1973 के "इंडियन एक्सप्रैस" में **विदेशी** यात्रियों द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा के विरुद्ध **विदेशी** मुद्रा के विनिमय के बारे में की गई शिकायतों के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) करैंसी नोटों को बदलने से सम्बन्द्ध लेन देन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक केवल पौण्ड और डालर के दरों का निर्धारण करता है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चालू दरें इस प्रकार हैं :—

	बैंक की खरीद दर	बैंक की बिक्री दर
	रूपये	रूपये
पौण्ड स्टर्लिंग	18.50	19.10
अमरीकी डालर	7.30	7.70

अन्य मुद्राओं के सम्बन्ध में अधिकृत व्यापारियों और मुद्रा बदलने वालों से बाजार की स्थितियों के अनुसार दरें अपनाने की अपेक्षा की जाती है । इसके अलावा नियमों में, बिक्री पर कमीशन दिये जाने की भी व्यवस्था है। इन कारणों से, यह बिल्कुल सम्भव है कि किसी बैंक द्वारा अपनायी गयी दर और अधिकृत विनिमय दर के बीच अन्तर हो। फिर भी, रिर्जव बैंक नें बैंकों से कहा है कि वे यथासम्भव जनता को बेहतर विनिमय दरें पेश करें ।

पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करार

4148. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार की सम्भावनाएं बहुत उज्जवल हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ कोई व्यापार करार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो करारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां भारत तथा पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाएं अच्छी हैं ।

(ख) तथा (ग) पूर्वी अफ्रीका में उगांडा ही केवल ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने 1965 में व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये । यह एक सामान्य प्रयोजनीय व्यापार करार है और दोनों में से किसी भी पक्ष पर कोई दायित्व नहीं आता है ।

सूडान, मिस्र तथा अन्य देशों से आयात की गई रुई की मात्रा

4149. श्री वसन्त साठे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूडान, मिश्र तथा अन्य देशों से कितनी कितनी मात्रा में रुई का आयात किया गया और गत तीन वर्षों में उनका वर्षवार और स्रोतवार आयात बिल कितना था ;

(ख) रुई पर आयात शुल्क दर कितनी है और गत तीन वर्षों में इससे वर्षवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या मिल मालिक आयात शुल्क में कमी करने के लिये सरकार पर दबाव डाल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : *

(क)

	वर्ष	मात्रा गांठों में	लगभग मूल्य (करोड़ रु० में)
सूडान	1970–71	2,09,000	26.96
	1971–72	3,23,200	42.75
	1972–73	2,01,100	29.39
मिस्र का अरब गणराज्य	1970–71	1,78,625	31.26
	1971–72	1,45,700	28.43
	1972–73	57,075	11.41
संयुक्त राज्य अमरीका	1970–71	3,40,000	31.93
	1971–72	27,300	3.64
	1972–73	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अन्य	1970–71	2,46,900	26.28
	1971–72	96,100	13.98
	1972–73	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सोवियत संघ (रुई संपरिवर्तन सौदे के अन्तर्गत)	1970–71	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1971–72	37,450	3.70
	1972–73	72,550	7.28

73-M/S8LSL—5(a)

(ख)

वर्ष	आयात शुल्क की दर	प्राप्त धनराशि (करोड़ रुपये में)
1970–71	10 पैसे प्रति कि० ग्रा०	1.45
1971–72	10 पैसे प्रति कि० ग्रा०	
	2–1/2 प्रतिशत यथामूल्य	2.22
1972–73	40 प्रतिशत यथामूल्य	3.65

(ग) तथा (घ) भारतीय सूती मिल फेडरेशन के माध्यम से मिलों ने 1–3–1973 से लागू किये गये यथामूल्य 40 प्रतिशत आयात शुल्क को घटाने के लिये सरकार को अभ्यावेदन दिया। तथापि, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस कटौती के लिये सहमत नहीं हुआ।

सहकारी क्षेत्र में शक्तिचालित करघों के वित्त पोषण के सम्बन्ध में ब्याज पर दी जाने वाली राज सहायता देने के बारे में निर्णय

4150. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र में शक्तिचालित करघों के वित्त पोषण के बारे में ब्याज के सम्बन्ध में राज सहायता देने के प्रश्न पर कोई निर्णय किया है ताकि समितियां 4–1/2 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर सहायता प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) 17 अगस्त 1973 को इसी प्रकार के प्रश्न (अतारांकित प्रश्न संख्या 3531) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

भारत में नशीली वस्तुओं के व्यापारियों को पकड़ने के लिये कार्यवाही

4151. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारत में अफीम, हशीश और नशीली वस्तुओं के व्यापारियों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों को मार्ग में रोकने के लिये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की प्रवर्तन एजेंसियां, जैसे राज्य आबकारी विभाग, पुलिस, औषधि नियंत्रण प्रशासन, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नार्कोटिक्स विभाग, सीमा सुरक्षा दल, रेलवे सुरक्षा दल आदि, सदैव

सतर्क रहते हैं। देश के अन्दरूनी स्थानों तथा सीमा पर निगरानी रखी जाती है। तस्कर-व्यापार विरोधी उपायों को सुदृढ़ बनाने और उनका समन्वय करने की दृष्टि से इन संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य नियतकालिक बैठकों की व्यवस्था की जाती है।

कच्चे पटसन के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण

4152. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे पटसन के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण रखने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अनुमान है कि कुछ वर्षों तक भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन के पूरे व्यापार को अपने अधिकार में लेने की स्थिति में हो जायेगा ।

(ख) इससे सट्टे पर नियंत्रण हो जायेगा, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमत मिलना सुनिश्चित होगा और उद्योग को रेशे की लगातार सप्लाई हो सकेगी।

रतनमल हिल्ज का पर्यटकों के लिये पर्वतीय केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये गुजरात सरकार का प्रस्ताव

4153. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंचमहल जिले के लिमखेड़ा तालुके में रतनमल हिल्ज को पर्यटकों के लिये पर्वतीय केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये आय का लक्ष्य

4154. **श्री चौधरी राम प्रकाश :**
श्री प्रबोध चन्द्र : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये आय का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु लाभ के विनियोजन के बारे में एक ठोस नीति के निर्धारण के लिये कुछ मार्ग दर्शक सिद्धांत बनाए गए हैं। सरकारी उद्यमों के लिये वित्तीय और अन्य लक्ष्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

अखबारी कागज के आयात के लिये कनाडा के साथ करार

4155. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की सप्लाई के लिये कनाडा सरकार के साथ हाल ही में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) करार में 1973-74 के दौरान कनाडा से 64,000 मि० टन अखबारी कागज आयात करने की व्यवस्था है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का सम्मेलन

4157. श्री के० लकप्पा :
श्री पी० गंगा देव : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक सम्मेलन 19 जून, 1973 को नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सहकारी उपक्रमों में भ्रष्टाचार और ईमानदारी के अभाव की रोकथाम के लिये किन्हीं उपायों पर विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक सम्मेलन 19–20 जून 1973 को नयी दिल्ली में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) यह निर्णय किया गया था कि सरकारी उद्यमों को चाहिये कि जिन स्थानों पर सतर्कता एकक नहीं हैं वहां पूरा समय कार्य करने वाले सतर्कता एकक स्थापित करें तथा उनमें प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जायें। सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि सरकारी उद्यमों में 1,000 रुपये प्रतिमास से अधिक आधारभूत वेतन पाने वाले अधिकारी, विभागीय जांच के आयुक्त के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाये जायें। सम्मेलन में यह भी निर्णय किया गया कि सरकारी उद्यमों के लिये

आदर्श आचरण और अनुशासन नियमावली की मुख्य-मुख्य सामान्य बातों का भी पता चलाया जाय ताकि उपहार तथा अतिथ्य सत्कार स्वीकार करना दण्डनीय करार दिया जा सके, आय के अनुपात में अधिक परिसम्पत्तियां रखने, बीमा तथा अन्य व्यवसायिक अभिकरणों के प्राप्त करने, गैर-सरकारी निवेश, ऋण देना, और ऋण लेना, जैसे मामलों की रोकथाम की जा सके और चल तथा अचल सम्पत्ति के विवरण प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया जा सके ।

नार्थ कर्नाटक-गुलबर्गा में सुखे का सामना करने के लिये वहां के बुनकरों द्वारा किये गये त्याग के कारण मैसूर राज्य में बुनकरों को धागे की सप्लाई

4158. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री सी० के ०जाफरशरीफ : } क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत वर्ष मैसूर ने नार्थ कर्नाटक-गुलबर्ग में बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षेत्र के 3.5 लाख बुनकरों जिन्हें धागे की अध्याधिक आवश्यकता है, को धागा सप्लाई करके उनकी सहायता करने का निर्णय किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बुनकरों की सहायता के लिए, फरवरी, 1973 में राज्य को 20 काउंट (हैंक्स) के 54,450 कि० ग्रा० सूत का विशेष आबंटन किया गया था। वितरण की स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत, राज्य के आबंटन में नवम्बर 1972 के दौरान आबंटित किए गए सूत की मात्रा की तुलना में 50,000 कि०ग्रा० की वृद्धि भी कर दी गई थी और दिसम्बर, 1972—फरवरी 1973 के दौरान आबंटनों में 50,000 कि०ग्रा० की और वृद्धि कर दी गई थी । बाद में साँविधिक योजना के अन्तर्गत, आबंटन करते समय राज्य सरकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

साइकिलों और फालतू पुर्जों का निर्यात

4159. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 के दौरान लगभग 12 देशों को 10.3 करोड़ रुपये के मूल्य की साइकिलों और फालतू पुर्जों का निर्यात किया गया ;

(ख) राशि के रुप में निर्यात संबंधी ये आंकड़े पहले वर्ष की तुलना में कम है अथवा अधिक ;

(ग) क्या साइकिलों के निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई है ; और

(घ) हमारे साइकिलों को सबसे अधिक खरीदने वाला कौन सा देश है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वर्ष 1972–73 के दौरान लगभग 80 देशों को 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की साइकिलों तथा उनके पुर्जों के निर्यात किए गए, जबकि उससे विगत वर्ष (1971–72) के दौरान 8.04 करोड़ रुपये के निर्यात किये गये थे ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) भारत से साइकिलों तथा उनके पुर्जों का अधिकतम आयात करने वाला देश नाईजीरिया था ।

जंजीबार में एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना के लिये सहयोग

4161. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सहयोग से जंजीबार में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां । भारत सरकार आद्योपांत आधार पर एक औद्योगिक एस्टेट की स्थापना में जंजीबार प्राधिकारियों की सहायता करने तथा इस प्रयोजन के लिए भारतीय विशेषज्ञों का एक दल भेजने के लिए सहमत हो गई है । दल के गठन के बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जाएगा ।

Non-availability of Industrial Loans to Weavers of Burhanpur (MP)

4162. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether the weavers of Burhanpur (Madhya Pradesh) working either on handlooms or powerlooms could neither utilise their full capacity nor could aise the standard of production due to shortage of money and non-availability of industrial loans even after the nationalisation of banks; and

(b) If so, the action proposed to be taken by Government in this regard.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Demand by Indian Pilots Guild for Representation in Management of Indian Airlines

4163. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Indian Pilots Guild has asked for representation in the Management of Indian Airlines; and

(b) If so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir, but the Indian Pilots Guild has suggested that at least 1/3rd of the members of the Board of Directors of Air-India should be appointed from amongst the employees.

(b) All relevant factors are taken into account by Government in appointing Directors.

निर्यात गृहों को नियति के लिये प्राप्त नकद राजसहायता

4164. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्यात गृहों के नाम और ब्यौरा क्या है जिन्हें गत दो वर्षों में निर्यात के लिये नकद राज सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) प्रत्येक निर्यात गृह को कितनी राजसहायता प्राप्त हुई ;

(ग) नकद राजसहायता से देश के निर्यात व्यापार की वृद्धि को कहां तक सहायता प्राप्त हुई ; और

(घ) क्या नकद राजसहायता के वितरण में कुछ अनियमितताओं का पता लगा है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्षों से निर्यातो, विशेष रुप से गैर-परम्परागत माल के निर्यातों में, वृद्धि का रुख प्रतिकर सहायता के वर्तमान स्तर की उपयोगिता का स्पष्ट संकेत है।

(घ) प्रतिकर सहायता के वितरण के सम्बन्ध में कोई अनियमितताएं हमारे ध्यान में नहीं आई हैं। तथापि, जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आल इंडिया नेशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक एम्पलाइज फैडरेशन द्वारा बैंक के कलकत्ता स्थित कार्यालय को अन्यत्र ले जाने के बारे में ज्ञापन का दिया जाना

4165. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक एम्पलाइज फेडरेशन द्वारा उनको भारत में कलकता बैंक के मुख्य कार्यालय को अन्यत्र ले जाये जाने के कथित समाचार के बारे में 18 जुलाई, 1973 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था ;

(ख) यदि ह, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) 18 जुलाई 1973 के ज्ञापन में उठाये गये मद्दों और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

विवरण

अखिल भारतीय नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक कर्मचारी संघ से प्राप्त 18 जुलाई 1973 के ज्ञापन में उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों और उन पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है :

1. नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लि० के महाप्रबन्धक को सउके तीन सहायकों सहित कलकत्ता से बम्बई में बदली करना जबकि महाप्रबन्धक के कार्यालय को कलकत्ता में ही रखा गया है।	बैंक को यह बता दिया गया है कि राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना प्रस्तावित बदली उचित नहीं है।
2. फस्ट नेशनल सिटी बैंक के साथ तकनीकी सेवाओं के लिए और उस बैंक को तकनीकी शुल्क की अदायगी के लिए करार।	तकनीकी शुल्क की अदायगी नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लि० और फस्ट नेशनल सिटी बैंक के बीच मार्च, 31 1974 तक हुए करार द्वारा शासित है। नवम्बर 1972 में रिजर्व बक ने तकनीकी अथवा प्रबन्ध संबंधी सलाह देने के लिए, भारत में बैंकिंग कम्पनियों के सलाहकार के रूप में किसी व्यक्ति/ भारत से बाहर नियमित की हुई कोई फर्म/बैंकिंग संस्थान/बैंकिंग कम्पनी की नियुक्तियों को नियमित करने का निर्णय किया। ऐसे किसी भी करार के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लि० ने यह बात मान ली है कि मार्च 1974 में करार का नवीकरण करने के बारे में उसने जो प्रबन्ध करने हैं उससे पहले वे इस मामले को रिजर्व बैंक को भेजेंगे।
3. भारतीय कर्मचारियों को देय इंगलैण्ड में पेंशन निधि के धन में गबन	नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लि० ने रिजर्व बैंक को रिपोर्ट दी है कि उसने भारतीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में इगंलैण्ड में किसी भी समय कोई पेंशन निधि नहीं रखी है।

4. नियमों में संशोधन किये जाने के कारण सेंविगस बैंक खाते और स्थिर जमा में न्यूनतम राशि रखने पर की गई वृद्धि और उसके कारण छोटे जमाकर्ताओं को हुई कठिनाइयां ।

जमा पर ब्याज की दर को छोड़ कर रिजर्व बैंक ने विदेशी बकों सहित वाणिज्यक बैंकों के पास जमा खाते रखने पर, कोई अन्य शर्त नहीं लगाई है । बचत खाते के जमाकर्ताओं के लिए यह खुली छूट है कि जो लोग बैंकों द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने में असमर्थ हैं वे अन्य बैंकों में विशेषकर भारतीय बैंकों के पास अपनी रकमें जमा करा सकते हैं ।

5. बैंक द्वारा भारत में अधिग्रहीत/निर्मित और स्वामित्व वाले भवनों का लंदन कार्यालय की किताबों में स्थानान्तरण और इसके परिणामस्वरूप भारतीय शाखाओं द्वारा लन्दन में मुख्यालय को किराये की अदायगी ।

भारतीय रिजर्व बैंक इसकी जांच कर रहा है ।

बन्द तथा संकटग्रस्त चाय बागानों को अधिकार में लेने का अधिकार दिये जाने के लिये पश्चिम बंगालऔर असम सरकारों का अनुरोध

4166. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नें पश्चिम बंगाल और आसाम सरकार के उनके द्वारा राज्य में बंद तथा संकटग्रस्त चायबागान को अपने अधिकार में लेने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनका अनुरोध अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का उक्त राज्यों में बन्द और संकटग्रस्त चायबागानों को पुन: खोलने के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल तथा आसाम की सरकारों से प्राप्त कुछ प्रस्थापनाओं में अन्य बातों के साथ साथ, इन राज्यों में बन्द/संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने की शक्तियों के लिए भी अनुरोध किया गया था । इन पर इस बीच चाय सम्बन्धी कृतिक दल ने विचार कर लिया है । बन्द तथा संकटग्रस्त चाय बागानों की पुन:स्थापना के लिए सरकार कृतिक दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और आगे कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष

4167. **श्री रानेन सेन**
श्री झारखण्डे राय } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1973 के 'इकानोमिक टाइम्स' में 'एल आई सी स्टाफ सोर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) इस समाचार का संबंध, मुख्यत : तृतीय श्रेणी कर्मचारियों और प्रथम श्रेणी अधिकारियों के नवम्बर, 1972 तथा मार्च 1973 में महंगाई भत्ते के संशोधन से है । जहां तक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनका मंहगाई भत्ता जब और जैसे देय हुआ वैसे ही संशोधित किया गया । प्रथम श्रेणी अधिकारियों के बारे में भी निर्णय किया गया है कि 800 रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले अधिकारियों का समायोजन भत्ता संशोधित किया जाये । 800 रु० प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों का मामला विचाराधीन है । जीवन बीमा निगम अधिनियम तथा कर्मचारी विनियमों के उपबंधों के अनुसार मामले में सरकार का पूर्व-अनुमोदन आवश्यक है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा पेश की जाने वाली वार्षिक रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष बराबर रखी जाती हैं ।

'होप फोर एल० आई० सी० आफिसर्ज' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया

4168. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई 1973 के 'नेशनल हेरल्ड' में 'होप फोर एल० आई० सी० आफिसर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां । प्रश्नगत समाचार का संबंध इन बातों से है : प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को बढ़ी हुई दरों पर समायोजन भत्ते का भुगतान, प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों के भाग लेने के प्रस्ताव का अकार्यान्वयन, निगम के रोजमर्रा के कार्यचालन में अधिक स्वायत्तता के लिए फेडरेशन की मांग जिसकी सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, तथा पालिसी-धारियों की बेहतर सेवा के लिए अधिक कार्यालयों का खोलना ।

(ख) (i) 800 रु० प्रति मास तक वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये समायोजन भत्ते में वृद्धि का निर्णय हाल ही में किया गया है । 800 रु० प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों का मामला विचाराधीन है ।

(ii) प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों को शामिल करने के सरकारी निर्णय को अभी तक लागू करना इसलिये संभव नहीं हो सका है क्योंकि कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने के तंत्र को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(iii) प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रभागीय तथा शाखा कार्यालयों को अधिक शक्तियां अंतरण करने के बारे में सिफारिश की है । यह एक सतत प्रक्रिया है और इसको पूरा करने के उपाय के रूप में पालिसीधारियों को आवश्यक सेवा-कार्य उपलब्ध कराने के लिए शाखाओं को शक्तियों का उपयुक्त अंतरण किया गया है ।

'एल० आई० सी० गोज आल आउट टू हैल्प मोनोपोलीज' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

4169. श्री सरजू पांडे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून 1973 के 'न्युवेव' में 'एल० आई० सी० गोज आल आउट टू हैल्प मोनोपोलीज' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां । इस समाचार का संबंध निम्नलिखित से है : – निगम के कर्मचारियों का बोर्ड में प्रतिनिधित्व, एकाधिकार गृहों में उदारतापूर्ण निवेश का आरोप, श्रेणी 1 के अधिकारियों को बढ़े हुए समायोजन भत्ते की अदायगी संबंधी मांग, निगम की पदोन्नति तथा स्थानान्तरण विषयक नीति और कर्मचारी विनियमों में संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन ।

(ख) (i) निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व से सबंधित सरकार के निर्णय को अब तक क्रियान्वित करना इसलिए संभव नहीं हो सका है क्योंकि कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने के तंत्र को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ii) जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश का मुख्य सिद्धान्त यह है कि निगम इतमीनान करे कि पूंजी की सुरक्षा के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हो । जहां तक एकाधिकार गृहों को औद्योगिक लाइसेंस दिए जाते हैं, जीवन बीमा निगम इन गृहों से उदभूत लाभप्रद प्रस्तावों के लिए धन की व्यवस्था करने से इन्कार नहीं कर सकता ।

(iii) 800 रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले अधिकारियों के समायोजन भत्ते में वृद्धि करने का हाल ही में निर्णय किया गया है । 800 रु० प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों का मामला विचाराधीन है ।

(iv) निगम में वरिष्ठता, उपयुक्तता तथा गुणावगुणों के आधार पर पदोन्नतियां की जाती हैं । स्थानान्तरण भी निगम की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही किए जाते हैं ।

(v) कर्मचारी संघों ने अपने ताजा मांग पत्र में, अन्य बातों के साथ साथ, 'कर्मचारी विनियम 1960' में निहित कुछ उपबंधों के संशोधन/रूपान्तर/विलोपन की मांग की है । जब संघों के साथ वार्ता की जायेगी तब जीवन बीमा निगम इन मांगों के बारे में चर्चा करेगा ।

केन्द्रीय उत्पादन और सीमाशुल्क विभागों में काम कर रहे लेबोरेटरी एटेन्डेन्ट और लेबोरेटरी क्लर्क

4170. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन और सीमाशुल्क बोर्ड ने अपनी प्रयोगशालाओं में काम कर रहे लेबोरेटरी एटेन्डेन्ट और लेबोरटरी क्लर्कों के पदनाम बदल कर क्रमश: जूनियर और सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट करने के बारे में क्या निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) परीक्षणशाला परिचारकों और परीक्षणशाला लिपिकों के पदनामों को परिवर्तित करने का प्रश्न, तृतीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए, इन पदों के लिये संशोधित वेतन-मानों के निर्धारण के प्रश्न के साथ निकट रूप से संबंधित है। यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

राजधानी में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 'टैलर प्रणाली' का अपनाना

4171. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 'टैलर प्रणाली' अपनायी है और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या अन्य बैंकों द्वारा उक्त प्रणाली न अपनाये जाने के कारण ग्राहकों को रुपया निकालने अथवा जमा करने के लिए बहुत अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राजधानी के सब बैंकों को 'टैलर प्रणाली' अपनाने के निर्देश जारी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने दिल्ली/नई दिल्ली के अपने कुछ कार्यालयों में 'टैलर प्रणाली' अपनाई है।

(ख) जिन बैंकों ने यह प्रणाली नहीं अपनाई है, उनका विचार है कि उनकी जो मौजूदा प्रणाली है उससे ग्राहकों की सेवा शीघ्रतापूर्वक हो जाती है।

(ग) कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राजधानी से बाहर अपनी कुछ शाखाओं में या तो यह टैलर प्रणाली अपना ली है अथवा अपनाने का विचार कर रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण बैंकों की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में 'टैलर प्रणाली' अपनाने की बैंकिंग आयोग की सिफारिश सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

अभ्रक उद्योग में संकट

4172. श्री शशि भूषण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जलाई, 1973 के 'इकानोमिक टाइम्स' में 'माइका युनिट्स फेस क्राइसेस' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अभ्रक उद्योग द्वारा सामना किये जा रहे संकट का उल्लेख किया गया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त उद्योग को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 1 जनवरी 1972 से खनिज तथा धातु व्यापार निगम विदेशी क्रेताओं से प्राप्त अभ्रक के 30 प्रतिशत क्रयादेशों को व्यापार के अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग के माध्यम से पूरा कराने के लिये रिजर्व कर रही है । वर्ष के पर्वाद्ध में अभ्रक के निर्यातों में कुछ कमी आई थी परन्तु अब खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पर्याप्त संविदाएं कर ली हैं जिनसे अभ्रक के निर्यातों में आगे कोई गिरावट नहीं आ पायेगी ।

'काटन टैक्सटाईल एक्सपोर्ट फालिंग' शीर्षक से समाचार

4173. श्री शशि भूषण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1973 के 'फाइनेन्शल एक्सप्रेस' में "काटन टैक्स-टाइल एक्सपोर्ट फालिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1973 के पहले छः महीनों के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यात वर्ष 1972 की उसी अवधि के निर्यात के मुकाबले अधिक हैं। जून, 1973 में थोड़ी गिरावट आई थी किन्तु जुलाई में 15.98 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए । उद्योग ने जनवरी–दिसम्बर, 1973 के दौरान अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत भाग निर्यात करने के लिए पहले ही स्वैच्छिक रूप से निर्यात दायित्व स्वीकार कर लिया है । सरकार ने निर्यात निष्पादन पर निगरानी रखी हुई है और यदि किन्हीं उपायों की आवश्यकता पड़ी तो उन पर विचार करेगी ।

पालम हवाई अड्डे पर अवतरण प्रणाली यंत्र की देखभाल और सर्विसिंग के लिये भारतीय वायुसेना द्वारा सहायता देने का प्रस्ताव

4174. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने पालम हवाई अड्डे पर अवतरण प्रणाली यंत्र की देखभाल और सर्विसिंग के लिये पेशकश की है ;

(ख) यह पेशकश कब की गयी थी और उक्त प्रस्ताव के बारे में मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया; और

(ग) इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Export Obligation in Lieu of Import Licences for Capital Goods

4175. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of persons to whom licences for the import of capital goods were issued last year and this year and the names of goods for which the licences were issued ;

(b) whether a condition was laid down while issuing the import licences that the importers will export the prescribed quantity of their products; and

(c) if so, the value of goods exported during the last year and this year under the aforesaid arrangement indicating the names of exporters and the quantity of goods exported by them, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The information sought is available in the form of published Document viz. Weekly Bulletins of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences issued by the Director of Statistics, Office of the C.C.I. & E. and can be had from these Weekly Bulletins copies of which are available in Parliament Library.

(b) The required information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

(c) The commencement of export obligation imposed on C.G. licences is generally 18 months after the date of installation/commissioning of the plant and machinery imported against such licences. Therefore, in the case of C.G. licences with the export obligation issued during the period April '72—March '73, the period of export obligation will commence from 1st September 1973 only. Hence it is now premature to furnish the required information against this part of the question.

Criteria for Payment of Compensation to Passengers involved in Air Accidents during 1973

4176. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total amount of compensation paid to the passengers involved in the air accidents that took place after the 1st January, 1973 till date indicating the criteria observed in making the payments; and

(b) the amount of compensation given to each passenger ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) There has been only one such accident in Indian Airlines, viz. the unfortunate crash of a Boeing 737 on 31 May 1973. 48 persons, including 5 members of the crew were killed. There were 17 survivors including 2 members of the crew.

The liability of the carrier in respect of passengers is as under :

Domestic Carriage

(i) In the event of the death of a passenger or any bodily injury which results in permanent disablement—Rs. 1,00,000 if the passenger is 12 or more years of age ;

Rs. 50,000 if the passenger is below 12.

(ii) In the event of a passenger sustaining wounds or bodily injury which results in temporary disablement—Rs. 100 per day, or Rs. 20,000, whichever is less.

International Carriage

In the case of international passengers, compensation to be paid is laid down in the Warsaw Convention of 1929 and the Hague Protocol of 1955. The Carriage by Air Act of 1972 which gives effect to the Warsaw Convention and the Hague Protocol came into effect on May 15, 1973. Under the first schedule of the Act (Warsaw Convention). the compensation is limited to 1,25,000 francs (which is equivalent to approximately Rs. 65,000 at the present rate of exchange). Under the second schedule of the Act (the Hague Protocol), the compensation to be paid is limited to 2,50,000 francs (which is equivalent to Rs. 1,30,000 at the present rate of exchange).

NOTE : Compensation laid down in the first schedule is applicable if the place of departure and the place of destination shown on the ticket of the passenger are situated within the territories of two States which are parties to the Warsaw Convention.

Compensation laid down in the second schedule is applicable if the place of departure and the place of destination shown on the ticket of the passenger are situated within the territories of two States which are parties to the Hague Protocol.

Compensation claims in respect of 8 deceased passengers have been settled: other claims received are being processed. A sum of Rs. 2,000 was paid to each of the 15 survivors to help cover their out of pocket expenses during hospitalisation.

Indian Airlines has also received a bill in respect of one surviving passenger and a claim from another on account of temporary disablement. One of these claims has been since settled while the other is in the process of being settled.

Benefit to Farmers from Nationalised Banks

4177. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published under the caption 'Kisano Ko Bankon Se Pura Labh Nahin' (farmers do not get full benefit from banks) on page 4 of 'Hindustan' dated the 6th June 1973; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi):

(a) Yes, Sir.

(b) In order to accelerate lending in the field of agriculture and especially to the small farmers, the public sector banks have been taking steps by opening a larger number of branches in the rural areas, strengthening their organisational machinery by recruiting more technical field staff, simplifying their lending procedures and application forms. The banks are also adopting the "area approach" and evolving programmes for specific areas for intensive financing. In 8 States, they are also financing primary cooperative societies for extending credit facilities to the farmers. Most of public sector banks have introduced concessional interest rates according to the size of holdings, and absorb legal charges for loan proposals from small and marginal farmers. They are also actively associating their lending programmes with small/marginal farmers and agricultural labourers agencies.

ऊनी चिथड़ों के आयात के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का नियतन

4178. श्री डी०के० पण्डा :
श्री सी०के० जाफर शरीफ : } क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊनी चिथड़ों के आयात के लिये हाल ही में प्रतिरिक्त विदेशी मुद्रा नियत की है और उसका कुछ और विदेशी मुद्रा नियत करने का भी विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इस वर्ष कुल कितने ऊनी चिथड़े आयात करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊन वर्ष 1972-73 के लिये चिथड़ों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा का कुल वास्तविक प्रयोक्ता आबंटन 1.80 करोड़ रुपये है। विदेशों में कीमतों में जल्दी जल्दी परिवर्तन को देखते हुए इसका अनुमान लगाना कठिन होगा कि कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा।

"दिल्ली आई० एल० एस० अगेन आउट आफ आर्डर" शीर्षक से समाचार

4179. श्री वयालार रवि :
श्री जी०पी० यादव : } क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अगस्त, 1973 के टाइम्स आफ इंडिया में "दिल्ली आई० एल० एस० अगेन आऊट आफ आर्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार गलत था। 31 जुलाई, 1973 को यांत्रिक अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०) सेवा को कुछ समय के लिये अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था ताकि निर्माताओं के परामर्श-विशेषज्ञ द्वारा, जिसे विशेष रूप से इस कार्य के लिये आमंत्रित किया गया था, इस व्यवस्था की पूर्ण-रूपेण जांच की जा सके। जांच से ज्ञात हुआ कि यांत्रिक अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०) गुंजाइश की निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत सामान्य रूप से कार्य कर रही थी।

देश में कम लागत वाले होटलों का निर्माण

4181. श्री सतपाल कपूर :
श्री पी० जी० मावलंकर : } **क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कम लागत वाले और अधिक होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नए होटलों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा; और

(ग) वर्ष 1972-73 में कितने ऐसे होटलों का निर्माण हुआ तथा किन-किन स्थानों पर उनका निर्माण हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार की यह नीति है कि विभिन्न आय के वर्गों के अनुकूल उचित स्तरों के होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए तथा एक स्टार से पांच स्टार तक के समस्त वर्गों के होटलों के लिए, जिनका कि विदेशी पर्यटकों के लिये उनकी उपयुक्तता के दृष्टिकोण से अनुमोदन किया जा चुका है, टैक्स व माली राहतों तथा

वित्तीय सहायता आदि जैसे प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। यद्यपि देश भर में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर बहुत सी होटल प्रायोजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है, उन होटलों के स्थानों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है जो कि निम्न आय वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे क्योंकि उन होटलों में ली जाने वाली दरों का निर्धारण केवल उनके पूरा होने पर तथा उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के आधार पर किया जायेगा।

सरकार ने 1972-73 के दौरान कम दरों वाले ऐसे किन्हीं भी होटलों की स्थापना नहीं की है, तथापि पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम (जो एक सरकारी क्षेत्रीय उद्यम है) की होटलों, यात्री लाजों, वन लाजों, युवा होस्टलों, तथा शिविर स्थलों के रूप में अनुपूरक आवास की व्यवस्था करके निम्न तथा मध्यम आय वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योजनाएं हैं।

कर्मचारी संबंधी श्रमिक-विरोधी विनियमनों का पुनरीक्षण करने के लिये जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी एसोसिएशन संघ द्वारा की गई मांग

4182. **श्री झारखंण्डे राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी एसोसियेशन संघ ने 'श्रमिक-विरोधी' कर्मचारी संबंधी विनियमनों का पुनरीक्षण करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम ने उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) एसोशिएशन ने अपने मांग-पत्र में, अन्य बातों के साथ साथ, कर्मचारी-विनियम 1960 में निहित कुछ विनियमों के संशोधन/रूपान्तर/हटाये जाने की मांग की है। जब एसोसिएशन के साथ समझौता-वार्ता की जायेगी तब जीवन बीमा निगम इन मांगों के बारे में भी चर्चा करेगा।

जीवन बीमा निगम तथा फेडरेशन आफ एल० आई० सी० क्लास वन आफिसर्स एसोसिएशन के बीच हुए करार का क्रियान्वित न किया जाना

4183. **श्री झारखंण्डे राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने उसके तथा फेडरेशन आफ एल० आई० सी० क्लास वन आफिसर्स एसोसिएशन के बीच 29 मार्च 1973 को हुए करार का पालन नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) श्रेणी-1 के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने यह आशा प्रकट की थी कि समायोजन भत्ते में वृद्धि का निर्णय 15 अप्रैल तक दिया जा सकता है। यह आशा पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि सरकार को इस प्रश्न की जांच बहुत सावधानी से करनी पड़ी जिसमें कुछ अधिक समय लगा।

(ख) अब निर्णय किया जा चुका है कि 800 रू० प्रति मास तक वेतन पाने वाले अधिकारियों के समायोजन भत्ते में वृद्धि की जाये। 800 रु० से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों का मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन द्वारा भारत में परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता

4184. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री वीरभद्र सिंह : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ने गत तीन वर्षों में किन-किन परियोजनाओं को सहायता दी है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उन परियोजनाओं के नाम जिनके लिए पहली अप्रैल, 1970 से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायता दी गयी है

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	करार की तिथि	रकम (करोड़ डालरों में)
1	2	3	4
1	छठी औद्योगिक आयात परियोजना	24-4-70	7·500
2	गुजरात कृषि ऋण परियोजना	3-6-70	3·500
3	पंजाब कृषि ऋण परियोजना	24-6-70	2·750
4	आन्ध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना	8-1-71	2·440
5	कृषि सम्बन्धी विमानन परियोजना	28-1-71	0·600
6	चौथी दूर-संचार परियोजना	3-5-71	7·800
7	दूसरी बिजली पारेषण परियोजना	3-5-71	7·500
8	हरियाणा कृषि ऋण परियोजना	11-6-71	2·500
9	तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना	11-6-71	3·500
10	कोचीन उर्वरक परियोजना, दूसरा चरण	30-7-71	2·000
11	गेहूं भंडारण परियोजना	23-8-71	0·500
12	पोचपद सिंचाई परियोजना	23-8-71	3·900
13	मैसूर कृषि ऋण परियोजना	7-1-72	4·000
14	गोरखपुर उर्वरक परियोजना	7-1-72	1·000

1	2	3	4
15	ग्यारहवीं रेल परियोजना	24-1-72	7·500
16	महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना	29-3-72	3·000
17	बिहार कृषि बाजार परियोजना	29-3-72	1·400
18	जनसंख्या परियोजना (मैसूर तथा उत्तर प्रदेश)	14-6-72	2·120
19	सातवीं औद्योगिक आयात परियोजना	26-9-72	7·500
20	नौवहन परियोजना	26-9-72	8·300
21	कृषि शिक्षा परियोजना (असम और बिहार के कृषि विश्वविद्यालय)	10-11-72	1·200
22	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक परियोजना	9-2-73	2·500
23	नांगल उर्वरक विस्तार परियोजना	9-2-73	5·800
24	तीसरी बिजली पारेषण परियोजना	9-5-73	8·500
25	मैसूर कृषि थोक बाजार परियोजना	9-5-73	0·800
26	बम्बई जल पूर्ति तथा जल निकासी परियोजना	8-6-73	5·500
27	मध्य प्रदेश कृषि ऋण परियोजना	8-6-73	3·300
28	उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना	8-6-73	3·800
29	आठवीं औद्योगिक आयात परियोजना	25-6-73	10·000
30	पांचवीं दुर-संचार परियोजना	25-6-73	8·000

आयकर से छूट की सीमा बढ़ाना

4185. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर से छूट की 5,000 रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो छूट की नई सीमा क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क संबंधी परामर्शदात्री परिषद् की जून 1973 में बैठक

4186. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० लकप्पा : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क संबंधी परामर्शदात्री परिषद् की बठक 15 जून, 1973 को नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस में किन विषयों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बैंकों द्वारा वसूल करने पर भी विचार किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) परिषद् ने माल और यात्रियों की निकासी से संबंधित कार्यविधियों की सामान्य समस्याओं पर, जहां तक उनका संबंध सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कानूनों, नियमों और कार्यविधियों से है, चर्चा की थी ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क स्वीकार किये जाने के प्रश्न पर बंगलौर में जून, 1972 में उससे पूर्व हुई (17वीं) बैठक में चर्चा की गई थी, जब 50 प्रायोगिक केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया था जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को केन्द्रीय शुल्कों की वसूली का कार्य सौंपा जा सकेगा । इस मामले में की गई प्रगति का उल्लेख करते हुए 15 जून, 1973 को हुई 18वीं बैठक में परिषद् को सूचित किया गया था कि व्यापारी वर्ग तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संमाहर्ताओं के साथ परामर्श करके 52 प्रायोगिक केन्द्रों की एक सूची बनाई गई है जहां राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी कार्य कर सकेंगे और इस सूची को भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया था । इन प्रायोगिक केन्द्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राधिकृत करने के बारे में आगे कार्यवाही जारी है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में अर्जित लाभ

4187. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों में कितना लाभ अर्जित किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : विगत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित किये गये लाभ इस प्रकार थे :

(करोड़ रु० में)

	1970-71	1971-72	1972-73
कर से पहले लाभ	6.4	14.2	11.7
कर के बाद लाभ	1.7	5.2	5.1

गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जीवन बीमा निगम के शेयर

4188. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० लकप्पा : } क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में जीवन बीमा निगम एक मुख्य अंशधारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं जिससे जीवन बीमा निगम इन के प्रबंध तथा नियंत्रण में भाग ले सके ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम के निवेशों के लिए वैधानिक ढांचा बीमा अधिनियम की धारा 27 ए (जैसा कि इस पर लागू है) में निहित है। निजी क्षेत्र की उन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गयी है जिनमें कंपनी की कुल अभिदत्त सामान्य शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, जीवन बीमा निगम द्वारा लिए गए सामान्य शेयरों के रुप में है :—

कंपनियों की संख्या	कुल अभिदत्त सामान्य शेयर पूंजी में जीवन बीमा निगम की अधिकृत पूंजी का अनुपात
11	30 प्रतिशत और उस से अधिक ।
19	25 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत से कम तक ।
43	20 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत से कम तक ।

(अधिकृत पूंजी के उपर्युक्त आंकड़े 31–3–1972 की स्थिति के अनुसार संकलित किए गए हैं और ये जीवन बीमा विभाग से संबंधित हैं।)

(ख) सरकार द्वारा जारी किए गए 'मार्गदर्शक सिद्धांतों' में अन्य बातों के साथ साथ यह परिकल्पना की गयी है कि उन कम्पनियों के बोर्डों में मनोनीत व्यक्तियों की नियुक्ति करना चाहिए जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमानत के रूप में तथा/अथवा शेयर पूंजी में अंशदान के रूप में अथवा सावधिक ऋणों की मंजूरी के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाती है। परिणामतः, जमानत/अंशदान तथा सावधिक ऋण से संबंधित व्यवस्थाओं में जीवन बीमा निगम ने बोर्ड में मनोनीत व्यक्ति की नियुक्ति करने के अधिकार को आरक्षित रखने की शर्त जोड़ना आरंभ कर दिया है। जीवन बीमा निगम अब तक 20 कंपनियों के बोर्डों में अपने नामजद व्यक्तियों को नियुक्त कर चुका है।

बिश्व व्यापार को उदार बनाने हेतु टोकियो सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का भाग लेना

4189. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिनिधि ने टोकियो में आयोजित उस सम्मेलन में भाग लिया था जिसमें लगभग 70 देशों ने एक राजनीतिक घोषणा के लिए 28 जुलाई, 1973 को समझौता किया था जिसका उद्देश्य आगामी सितम्बर में विश्व व्यापार को उदार बनाने के लिए होने वाले सम्मेलन में बातचीत का मार्ग प्रशस्त करना था ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे राष्ट्रीय हित को देखते हुए बातचीत सफल रही थी ; और

(ग) क्या उक्त घोषणा में कम विकसित देशों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देने तथा गरम देशों के उत्पादों को विशेष ओर प्राथमिक क्षेत्र मानने में सहमति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह बैठक 12 सितम्बर 1973 को टोकियो में होगी

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

चाय बोर्ड द्वारा जापान में काली चाय के लिए संवर्धन अभियान

4190. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड का विचार जापान में, जो अब काली चाय का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करता है, अपना संवर्धन अभियान चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो हमारी काली चाय का अधिकतम उपयोग करने वाले देशों में दूसरा और तीसरा स्थान किन का है ; और

(ग) क्या हाल के वर्षों में इन देशों को हमारी काली चाय के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथापि, जापान भारतीय काली चाय का सबसे बड़ा आयातक नहीं है । वर्ष 1972 के दौरान उस क्रम में ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा सूडान भारतीय काली चाय के पहले तीन बड़े उपभोक्ता रहे हैं ।

(ग) ब्रिटेन को काली चाय के निर्यात में 1970 तथा 1971 की तुलना में 1972 में गिरावट आई । दूसरी तरफ सोवियत संघ तथा सूडान को 1970 तथा 1971 की तुलना में 1972 के दौरान निर्यातों में वृद्धि हुई । जापान ने 1972 के दौरान भारत से 6 लाख कि० ग्रा० काली चाय का आयात किया जबकि 1971 में 10 लाख कि० ग्रा० तथा 1970 में 8 लाख कि० ग्रा० का आयात किया था ।

काजू की गिरी के निर्यात में वृद्धि

4191. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान काजू की गिरी का निर्यात बहुत अधिक हुआ था ;

(ख) क्या यह प्रति वर्ष निर्यात बढ़ाने का निरन्तर प्रयास का परिणाम है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या बढ़ते हुए निर्यात की इस गति को आने वाले वर्षों में बनाये रखा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) आने वाले वर्षों में काजू की गिरी के निर्यात में वृद्धि, कच्चे नटों की, विशेषत: विदेशी स्त्रोतों से, प्राप्ति पर निर्भर करेगी। तथापि, इन स्त्रोतों से आयातों के स्तर में कमी होने की संभावना है। निर्यातों का स्तर और उच्च करने के लिए देशी उत्पादन को बढ़ाने तथा साथ ही सप्लाई के अन्य विदेशी स्त्रोतों का पता लगाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

उड़ीसा को वित्तीय सहायता

4192. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने उड़ीसा को वर्ष 1971-72 और 1972-73 में सूखा और बाढ़ का मुकाबला करने के लिये कितना धन दिया है ; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने लोगों को राहत देने के लिये पूरा धन व्यय कर दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 1971–72 के दौरान बाढ़ और समुद्री तूफान सहायता कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा सूचित 18.86 करोड़ रुपये के खर्च के मुकाबले राज्य सरकार को 15.11 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी थी। 1972-73 के दौरान बाढ़, समुद्री तूफान और सूखा कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा सूचित 15.39 करोड़ रुपय के खर्च के मुकाबले राज्य सरकार को 9.52 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है।

मनीपुर के बुनकरों को सस्ते मूल्य पर धागा सप्लाई करने के लिए मनीपुर सरकार की व्यवस्था

4193. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के उन बुनकरों को यथासंभव सस्ते मूल्यों पर धागा पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने तथा उसका सही काउण्ट देने की विशेष व्यवस्था की है जो उचित मूल्यों पर धागे का सही काउण्ट नहीं पाने के कारण अपना काम करने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) इस समय धागा किस प्रकार वसूल तथा वितरित किया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार इस समस्या का अध्ययन करने तथा इसके समाधान के लिए उपाय सुझाने के लिये कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रही है और यदि हां, तो ऐसा अध्ययन कब किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सूत के उत्पादन, की मत-निर्धारण और वितरण से संबंधित संविधिक नियंत्रण के अंतर्गत 40 से अधिक काउंटों के धागे का बल्क आवंटन मनीपुर सरकार को वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाता है । और बुनकरों को वास्तविक वितरण मनीपुर सरकार द्वारा उनके नामित व्यक्तियों के माध्यम से मिलों से, जिनके पक्ष में आवंटन किये जाते हैं धागा प्राप्त करके उनको किये गए बल्क आबंटनों में से किया जाता है । बुनकरों को 40 काउंटों तक का धागा परम्परागत माध्यमों से अब उपलब्ध है ।

(घ) ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन के विकास के लिए विशेष सहायता देने का अनुरोध

4194. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए तथा विशेष कर पर्यटन के उद्देश्य से समूचे राज्य को तीन समूहों यथा राम, कृष्ण और बुद्ध में पुनर्गठित करने के संबंध में भारत सरकार से विशेष सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मथुरा जिले में कृष्ण समूह, जिसमें अनेक तीर्थस्थान हैं, में एक ओर वहां व्याप्त कठिन स्थितियों और दूसरी ओर भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण उसकी ओर केन्द्रीय पर्यटम विभाग के तात्कालिक ध्यान देने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, दो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) इस प्रकार के सुविधाओं को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । परन्तु राज्य सरकार ने पर्यटन संबंधी अपनी पांचवी योजना में धार्मिक-सांस्कृतिक स्थानों का विकास करने के लिए व्यवस्था की है । पांचवी योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में चुने हुए बौद्ध केन्द्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है

मनीपुर में पर्यटक आकर्षण स्थलों के लिये विस्तृत पर्यटक योजना

4195. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार मनीपुर में अधिक पर्यटक आकर्षण स्थल बनाने के लिए एक विस्तृत पर्यटक योजना तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा वहां पर्यटन के लिए वर्तमान प्रबन्ध कौन से हैं;

(ग) बंगलों के आस पास पर्यटक आकर्षक स्थलों के अभाव के कारण कितने पर्यटक बंगले अधूरे अथवा बेकार पड़े हैं ; और

(घ) नेथोड, कैना तथा अन्य स्थलों पर नए बनाए गए पर्यटक भवनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) मणिपुर में पर्यटन विकास के विस्तृत प्रस्तावों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है और आशा है कि इन प्रस्तावों पर योजना आयोग से इसी महीने के दौरान विचार-विमर्श किया जायेगा ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने मणिपुर में किसी पर्यटक बंगले का निर्माण हाथ में नहीं लिया है ।

इम्फाल हवाई अड्डे पर टर्मिनल इमारत के निर्माण में विलम्ब

4196. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इम्फाल हवाई अड्डे पर प्रस्तावित टर्मिनल इमारत के निर्माण में असाधारण विलम्ब की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या प्रथम टैण्डर आमंत्रित करते समय मनीपुर में स्थानीय मण्डी में विद्यमान दरों को ध्यान में नही रखा गया था जिसके फलस्वरूप किसी ठेकेदार ने भी टैण्डर नहीं दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को पता है कि इम्फाल में नए टर्मिनल भवन के निर्माण मे कुछ देरी हुई है । टर्मिनल भवन की कीमत में कटौती करने के लिए उसके लिये दूसरे 'स्पीसिफिकेशन' अपनाने की सम्भावना की जांच की जा रही है ।

(ग) व्यय के प्राक्कलन तैयार करते समय चालू मार्किट दरों को ध्यान में रखा गया था ।

(घ) टर्मिनल भवन के लिए, वैकल्पिक 'स्पीसिफिकेशनों' सहित व्यय के प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं ।

आयात की बढ़ी हुई लागत के फलस्वरूप देश में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4197. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को आगामी महीनों और अगले वर्ष के दौरान अतिरिक्त मद्रा-स्फीति में दबाव तथा आयात की बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ेगा जिससे देश में वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ेगे; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिससे आयात से देश के भीतर मूल्यों में वृद्धि न हो ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) निःसन्देह यह सत्य है कि अशोधित पैट्रोलियम, धातुओं तथा उर्वरकों जैसे कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण देश में वस्तुओं की लागत तथा उनका मूल्य बढ़ जायगा ।

(ख) आयातित कच्चे माल की कुशलतापूर्वक खरीद, चुनी हुई अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनके वितरण पर नियन्त्रण और देश में आयातित माल के उत्पादन में वृद्धि करने जैसे उपायों द्वारा देश के मूल्य स्तर पर आयात की बढ़ी हुई लागत के प्रभाव को कम करने के यथा सम्भव उपाय किए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीयकृत निजी तथा विदेशी बैंकों के जमाखाते, पूंजीगत आस्तियां तथा उनके द्वारा दिए गए ऋण

4198. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विदेशी बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी बैंकों के प्रत्येक बैंक के जमा-खाते पूंजीगत आस्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : उपलब्ध सूचना अनुबन्ध 1 और 11 में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5484/73)

भारत में निजी तथा विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण

4199. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बैंकिंग पद्धति में समानता तथा एकरूपता लाने के लिए विदेशी बैंकों सहित शेष निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विदेशी बैंको सहित शेष निजी बैंको के राष्ट्रीयकरण न करने के कारणों को संसद को कई बार बताया जा चुका है । इस संबध में सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

सूती कपड़ा उद्योग को अपने निर्यात संबंधी वादों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त सहायता

4200. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती-कपड़ा उद्योग को अक्तूबर, 1973 से 3 मार्च, 1974 तक की अवधि के लिए उसके निर्यात संबंधी वादे पूरे करने हेतू अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मोटी रुप रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा स्वैच्छिक आधार पर जो नकद सहायता योजना चलाई जा रही है उसकी घोषणा उसने 1–10–1973 से 31–3–74 तक की अविध के लिए अभी नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा प्रोत्साहन मल्य न देने की शिकायत

4201. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयातकों ने यह शिकायत की है कि भारतीय सूती कपड़ा मिल एसोशिएशन उन्हें इस वर्ष जनवरी से दिया जाने वाला प्रोत्साहन मूल्य न देकर परेशान कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां , तो इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन स्वैच्छिक आधार पर, सूती वस्त्रों के निर्यातों हेतु सेहायता की एक योजना का परिचालन करती रही है । इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस योजना के अन्तर्गत देय राशियों का भुगतान नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) आशा की जाती है कि इंडियन काटन मिल्स् फैडरेशन उस राशि में से बकाया राशियों का भुगतान करेगी जो उन्हें विपणन विकास निधि से और स्वैच्छिक तौर पर एकत्र की गई राशि में से प्राप्त होगी।

पुनरीक्षित फार्मों की अनुपलब्धता के कारण आयकर तथा धनकर की विवरणिकाएं भरने की तिथि का बढ़ाया जाना

4202. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या आय तथा शुद्ध धनकर के बारे में विवरणिका भरने के लिए पुनरीक्षित फार्मों की अनुपलब्ता के कारण सरकार को चालू आय–निर्धारण वर्ष के लिए विवरणिका भरने के समय को 15 अगस्त, 1973, तक बढ़ाने के लिए बाध्य होना पढ़ा था; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) कागज की कमी के कारण आय तथा शुद्ध धन की विवरणों के फार्मों की छपाई समय पर पूरी नहीं हुई। इसके अलावा, रेलवे द्वारा अनाज को लाने ले जाने के लिए दी गयी प्राथमिकता के कारण पार्सलों को उठाने में भी देरी हुई।

Names of Projects, Airport-wise, for which Government have decided to Allocate Funds during Fifth Plan

4203. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the names of projects, airport-wise, in respect of which Government have decided to allocate funds during the Fifth Five Year Plan and the amount to be spent on each of them?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The Fifth Plan proposals relating to various airports/aerodromes are still under consideration of Government.

पटसन बोर्डों का पुनर्गठन

4204. श्री धनशाह प्रधान : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन बोर्डों के पुनर्गठन के लिए, जिसमें कर्मचारियों का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा, सरकार को ज्ञापन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शाखाओं के विस्तार के लिए तीन वर्षीय योजना बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंक को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त

4206. श्री अर्जुन सेठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य बैंकों की शाखा विस्तार के लिए 1973--75 की अवधि के लिए तीन वर्षीय योजना बनाने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बैंकों के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों को अब के बाद से जो योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है उनमें 1973--75 की अवधि के लिए शाखा विस्तार की तीन वर्षीय आयोजना, क्रमिक योजनाओं में से पहली है। पहले वर्ष के लिए आयोजना अधिक ब्यौरेवार है, जबकि बाद के दो वर्षों के लिए बनी योजनाएं मिली जुली हैं। इन आयोजनाओं का निर्माण करने में, बैंकों को अपने शीर्ष जिले की आवश्यकताओं को तथा अपेक्षाकृत अर्धविकसित/कम बैंकों वाले राज्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। लीड बैंकों को, विशेष रूप से उन शीर्ष-जिलों में शाखायें खोलने पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया है जिनकी जन-संख्या जून, 1972 के अन्त में प्रति बैंक कार्यालय 100,000 से अधिक थी।

तीहीदी (उड़ीसा) में राष्ट्रीय बैंकों की शाखा खोलना

4207. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री 4 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9190 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीहीदी (उड़ीसा) में समय सूची अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रस्तावित शाखा इस बीच खोल दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक समय-सूची के अनुसार तीहीदी (उड़ीसा) में अपनी प्रस्तावित शाखा समुचित स्थान न मिलने के कारण नहीं खोल सका है। बैंक ने सूचना दी है कि सितम्बर 1973 के अन्त से पहले पहले इस शाखा के खोलने के बारे में आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में बेरोजगार स्नातकों को दिया गया ऋण

4208. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में रोजगार चलाने के लिए कितने बेरोजगार स्नातकों को ऋण दिया है ; और

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में उन्हें अब तक कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यथा सम्भव सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा द्वारा दिया गया ऋण

4209. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5561 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया से प्राप्त सूचना नीचे दी गई है।

कृषि, छोटे व्यापार और छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इंडिया की भद्रक शाखा द्वारा स्वीकृत बकाया अग्रिमों का विवरण :–

वर्ष	बकाया राशि (लाख रुपये)
1970	40.92
1971	43.03
1972	43.42

सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों द्वारा 1972-73 में विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि

4210. **श्री वरके जार्ज**
श्री आर० एन० बर्मन } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों की विदेशी मुद्रा की आय में 1972-73 में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां । भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों की विदेशी मुद्रा की आय 1971-72 की तुलना में 1972-73 में 67.89 लाख रुपए अर्थात 27.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

भारतीय रक्षा नियम के अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना

4211. **श्री वरके जार्ज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में गत महीने भारतीय रक्षा नियम के अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों और वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा सरकार ने क्या मूल्य निर्धारित किया है और सरकार ने समूचे देश में इनके मूल्यों को निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारें खाद्य पदार्थों को छोड़कर अत्यावश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए सक्षम हैं । जहां तक खाद्य पदार्थों का सम्बन्ध है, केन्द्र को जुलाई 1973 तक राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था ।

निर्धारित उड़ानों को चलाने के लिए इथोपियन एयर लाइंस के साथ करार

4212. **श्री वरके जार्ज :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इथोपियन एयरलाइंस में उनकी निर्धारित उड़ानों को चलाने के बारे में हाल में कोई करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 3 अगस्त 1967 के विमान सेवा करार के अनुसार अन्तर-सरकारी परामर्श 24 से 27 अक्तूबर 1972 तक अदीस अबाबा में किये गये थे। किये गये समझौते में यह व्यवस्था है कि इथोपियन एयरलाइंस भारत के रास्ते चीन के लिए विमान सेवाएं परिचालित कर सकेगी तथा बम्बई में उसे यातायात अधिकार प्राप्त होंगे। इसी तरह एयर इंडिया अदीस अबाबा के रास्ते अफ्रीकी महाद्वीप के स्थानों, हिन्द महासागर के द्वीपों तथा वापस भारत के स्थानों के लिए सेवाएं परिचालित करने की हकदार होगी। ये सेवाएं दक्षिणावर्त्त अथवा वामावर्त किसी भी दिशा में परिचालित की जा सकती हैं।

आयातित कच्चे माल की समूची बिक्री मूल्य पर राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा वितरकों का सर्विस के रूप में लाभ

4213. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम तथा वाणिज्य तथा धातु व्यापार निगम जैसे सरकारी एजेंसियों तथा वितरकों को आयातित कच्चे माल के समूचे बिक्री मूल्य पर मध्यवार तथा वितरक-वार सर्विस के रूप में कितना लाभ होता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : विभिन्न कच्चे माल के वितरण के लिए राज्य व्यापार निगम तथा खनिज व धातु व्यापार निगम के लाभ की सीमा एक अत: मंत्रालय कीमत पुनर्विलोकन समिति द्वारा निश्चित की जाती है। लाभ सामान्यत: निम्नोक्त प्रकार है :—

आर ई पी रिलीज आर्डर होल्डर लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 1%
ए यू (पी) रिलीज आर्डर होल्डर्ज लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 2%
ए यू रिलीज आर्डर होल्डर्स लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 5%

राज्य व्यापार निगम कतिपय आयातित रासायनिक पदार्थ सुस्थापित वितरकों के माध्यम स वितरित करता है। वितरक राज्य व्यापार निगम द्वारा अनुमोदित लाभ लेते हैं जिससे कि उनका वास्तविक खर्च, अवरुध पूंजी पर ब्याज, गोदाम किराया, बीमा, उपरी खर्च तथा पारिश्रमिक पूरा हो जाये।

आयातित कच्चे माल के वितरण के लिए गैर-सरकारी संगठन पर नियंत्रण

4214. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात करने वाली सरकारी एजेंसियों का उस गैर-सरकारी संगठन द्वारा आयातित कच्चे माल का वितरण करने के कार्य पर कोई प्रभावी नियंत्रण है जिसको आयातित अथवा गैर आयातित वस्तुओं का वितरण करने का अधिकार दिया गया है ; और

(ख) क्या उनको वितरण करने का अधिकार दिये जाने की अवधि से अब तक वितरण के मामले में कोई अनियमितता पाई गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, आयातित कच्चा माल राज्य व्यापार निगम द्वारा जारी किये गये डिलीवरी आर्डरों/रिलीज आर्डरों में निर्दिष्ट मात्रा तथा विक्रय कीमतों के अनुसार राज्य व्यापार निगम के विधिवत नियुक्त वितरकों के माध्यम से वितरित

किया जाता है। राज्य व्यापार निगम गोदाम, स्टाक रजिस्टर तथा लेखा पुस्तकों आदि का किसी समय भी निरीक्षण कर सकता है और उनकी आकस्मिक तथा आवधिक जांच की जा सकती है।

(ख) वितरण में कोई अनियमितताएं ध्यान में नहीं आई हैं।

गैर-सरकारी संगठनों को आयातित कच्चा माल वितरण करने का एकमात्र अधिकार देना

4215. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात करने वाली सरकारी एजेंसियों ने कुछ गैर सरकारी संगठनों को आयातित कच्चा माल वितरण करने का एकमात्र अधिकार दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम, गठन और भारत तथा विदेशों में उनकी शाखा कार्यालयों के नाम क्या हैं तथा वे किन वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित लौंग और सुपारी के वितरण की जांच

4216. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित लौंग और सुपारी के वितरण में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गए कदाचारों के आधार पर गत पांच वर्षों के दौरान कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है और वितरण के लिये उत्तरदायी मार्गों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को खपाने के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो द्वारा आदेश जारी किये जाना

4217. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनमें खपाने के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी ब्यूरो द्वारा कोई आदेश जारी किये गये हैं। जिनमें इस बारे में मोटे तौर पर शर्तें भी दी गई हैं ; यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभापटल पर रखी जाएगी ;

(ख) क्या ये आदेश सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये राज्य सरकार के कर्मचारियों को किसी सरकारी उपक्रम में खपाने के बारे में लागू होते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ; और

(घ) यदि मामले की अभी भी जांच की जा रही है तो निर्णय लेने में ब्यूरो को कितना समय और लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विषयक अपनी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसरण में ये आदेश जारी किए जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार की सेवाओं के जो कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे या तो उन उद्यमों में जिनमें वे सेवारत हैं स्थायी तौर पर संविलीन कर लिया जाय या उन्हें निर्धारित अवधि के अन्दर अपने मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाय। जो सरकारी कर्मचारी उद्यमों में संविलयन के पक्ष में निर्णय करें उनके हितों की रक्षा करने तथा उन्हें कुछ प्रोत्साहन देने के प्रयोजनार्थ सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुपातिक दर से पेंशन/उपदान, अर्जित छुट्टी, भविष्य निधि के अन्तरण आदि से सम्बन्धित कुछ शर्तें निर्धारित की हैं जो अनुबन्ध में दी गयी हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5485/73]

(ख) जी, नहीं। राज्य सरकार के कर्मचारियों पर राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

(ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सेवाओं से केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनी नीति सम्बन्धी निर्णयों से राज्य सरकारों को अवगत कर दिया है और उन्हें सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें भी समान कार्रवाई करने के लिए विचार कर सकती है।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

वेतन के मामले पर जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित हड़ताल

4218. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' नई दिल्ली में 'एल० आई० सी० आफिसिज में स्ट्राइक आन पे ईशू' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार का सम्बन्ध नवम्बर 1972 तथा फरवरी 1973 में अधिकारियों द्वारा समायोजन भत्ते में वृद्धि के लिए की गई मांग से है। जीवन बीमा निगम तथा प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संघ के बीच हुए करार के अनुसार मंहगाई भत्ता जीवन निर्वाह-मूल्य सूचकांक के साथ स्वत: सम्बद्ध नहीं है। फिर भी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लागू मंहगाई भत्ते की दर में यदि 6 प्रतिशत

की वृद्धि अथवा कमी होती है तो निगम को संघ के साथ समायोजन भत्ते की समीक्षा के लिए वार्ता करनी होती है। 800 रु० प्रति माह तक वेतन पाने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में समायोजन भत्ते में वृद्धि करने के लिए सरकार हाल ही में सहमत हुई है। 800 रु० प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों का मामला अभी विचाराधीन है।

बम्बई में हुगे रोड़ प्लाट बेचने के बारे में जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी एसोसिएशन द्वारा विरोध

4219. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी एसोसिएशन संघ ने बम्बई में हुगे रोड प्लाट बेचने के बारे में जीवन बीमा निगम के प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) फेडरेशन के जीवन बीमा निगम से अनुरोध किया था कि प्रश्नगत प्लाट पर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाये जाएं। लेकिन इस जमीन के उंचे मूल्य को ध्यान में रखते हुए और उतनी ही लागत से कम मूल्य के अन्य प्लाट पर अधिक संख्या में क्वार्टर बनाना सम्भव होने से, जीवन बीमा निगम ने उक्त प्लाट को, सबसे उंची बोली देने वाले को, सर्वोत्तम उपलब्ध शर्तों पर पट्टे पर देने का निर्णय किया।

पांचवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में विकास के लिये चुने गये पर्यटक स्थल

4220. **श्री जी० विश्वनाथन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में कौन-कौन से पर्यटक स्थल विकास के लिये चुने गये हैं; और

(ख) इस बारे में विकास कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के प्रारूप में केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन के अन्तर्गत मद्रास महाबलिपुरम् एवं मदुरै में आवास के निर्माण तथा विस्तार को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस के अतिरिक्त महाबलिपुरम् को सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास करने के लिये भी चुना गया है। महाबलिपुरम् में प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं की प्रकृति और कार्य-विस्तार के बारे में अन्तिम निर्णय के लिये 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समुद्र तटीय विहार-स्थल सर्वेक्षण दल, की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर क्षेत्र में अधिक कार्यालय खोलने के बारे में फेडरेशन आफ एल० आई० सी० क्लास वन आफिसर्स एसोसियेशन द्वारा दिया गया प्रस्ताव

4221. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ एल० आई० सी० क्लास वन आफिसर्स एसोसिएशन ने उत्तर क्षेत्र में अधिक कार्यालय, विशेषकर जयपुर, रोहतक और अमृतसर में डिवीजनल कार्यालय खोलने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ; और

(ख) इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये जीवन बीमा निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में प्रभागीय और शाखा कार्यालय खोलने के लिये जीवन बीमा निगम को अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें एक प्रस्ताव अधिकारी संघ से भी प्राप्त हुआ है और ये सब विचाराधीन हैं ।

Export of Railway Wagons to Poland

4222. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether a deal for the export of railway wagons to Poland was executed through Jessop and Company (Calcutta), a firm controlled by Government of India;

(b) whether a loss of about rupees two crore is likely to be suffered in this deal; and

(c) if so, the fact of the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The Projects and Equipment Corporation have a contract with Jessop & Co., for the manufacture and supply of 500 wagons for export to Poland.

(b) It is not possible to estimate the loss at this time as the accounts will be finalised after the complete delivery is effected.

(c) The main reasons for likely loss are increase in steel and other raw material prices, labour costs and freight.

Loans given by State Bank of Indore and State Bank of India to People in Indore, Ujjain and Jawra (District Ratlam)

4223. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of loans given to be the people in Indore, Ujjain, and Jawra (District Ratlam) by the State Bank of Indore and State Bank of India during the period from 1969-70 to 1971-72 in regard to which proceedings are going on in courts and the total amount involved therein ; and

(b) the names of the firms concerned ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) The information to the extent feasible is being collected and will be placed on the Table of the House.

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्रांत संपत्ति के लिए मुआवजा देने हेतु आवेदन-पत्र

4224. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस प्रकार देश के विभाजन के बाद पश्चिम पाकिस्तान और सिंध से आये विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त संपत्ति के लिये मुआवजा दिया गया था, उसी प्रकार एनेमी प्रापर्टीज एक्ट आफ पाकिस्तान का प्रभाव जो वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद लागू किया गया था, मुख्यत: भूतपूर्व 'पूर्वी पाकिस्तान' निष्क्रान्त व्यक्तियों पर पड़ता है ;

(ख) क्या भूतपूर्व 'पूर्वी पाकिस्तान' की सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई निष्क्रांत संपत्ति के लिये मुआवजे के अवेदन पत्रों के साथ कारगर ढंग से निपटने के लिये पाकिस्तान एनेमी प्रापर्टीज एक्ट से संबंधित निष्क्रांत संपत्ति का मुआवजा देने के लिये संबंधित कार्यालयों को कलकत्ता स्थानांतरित किया जायेगा और इन कार्यालयों में ऐसे व्यक्तियों सहित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जायेगी जिन्हें भूतपूर्व 'पूर्वी पाकिस्तान' से आये विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं की पर्याप्त जानकारी हो ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) कुछ अंतरिम राहत देने के विचार से भारत सरकार ने उन भारतीय राष्ट्रिकों तथा कंपनियों को भारतीय समेकित निधि में से अनुग्रह पूर्वक अनुदान देने का विनिश्चय किया है जिन की आस्तियां सितम्बर, 1965 के संघर्ष के दौरान तथा बाद में पकड़ ली गई थी । दावों का सत्यापन दस्तावेजों के आधार पर भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा किया जाता है जिसके कार्यालय को दावों का सत्यापन तथा अनुग्रह पूर्वक अनुदान की अदायगी को शीघ्रता से निपटान के लिये सदृढ़ किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन के विकास में बाधक कमियों को दूर करने हेतु कार्यवाही

4225. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित कमियों के कारण पर्यटन का विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विकास नहीं हो रहा है ;

(1) दार्जीलिंग तथा इसके अन्य पर्वतीय क्षेत्रों को जाने के इच्छुक यात्रियों पर लगे प्रतिबंन्ध (2) अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीयों द्वारा डम डम हवाई अड्डे पर अपनी उड़ानों को स्थगित करना (3) कलकत्ता नगर में स्टेण्डर्ड तथा

अधिक स्थान वाले होटल और डम डम हवाई अड्डे से संलग्न विश्रामगृहों के अभाव (4) दीघा समुद्र तट पर यात्रियों के लिए परिवहन तथा होटल की उचित सुविधाओं का न होना (5) बांकुरा, माल्दा और मुर्शिदाबाद के एतिहासिक स्थानों के लिए प्रचार का अभाव और (6) केंद्रीय तथा राज्य पर्यटन विभागों द्वारा समन्वित प्रयास का अभाव ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में पर्यटन के विकास में बाधक इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि पश्चिम बंगाल में अंतराष्ट्रिय पर्यटकों का आगमन-प्रवाह उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना कि देश के कुछ अन्य भागों में। पिछले पांच वर्षों के दौरान (1967–72) कलकत्ता विमानक्षेत्र से प्रवेश करने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है जबकि यह दर मद्रास में 7.5%, दिल्ली में 16.5% तथा बम्बई में 18.5% है । पश्चिम बंगाल के पर्यटन यातायात की वृद्धि पर राज्य की कानून एंव व्यवस्था की दुर्दशा का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके कारण-स्वरूप कई अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों की कलकत्ता से होकर जाने वाली अपनी विमान सेवाओं का परिचालन बन्द कर देना पड़ा। पूर्वी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास के मार्ग में अनेक क्षेत्रों में जो पर्यटक आकर्षण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, विदेशियों के निर्बाध प्रवेश पर कतिपय प्रति-बन्धों को लागू करने की अनिवार्यता का भी सामान्यत: कुछ प्रतिरोधात्मक प्रभाव पड़ा है। अपेक्षित स्तर के होटल आवास और सड़क परिवहन की कमी को विदेशी पर्यटकों के यातायात पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता है यद्यपि गत वर्षों की अपेक्षा आवास और परिवहन सुविधाओं को और अधिक तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक दीघा का प्रश्न है, दीघा का समुद्रतटीय विहार-स्थल के रूप में विकास अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की अपेक्षा देशी पर्यटकों के लिए अधिक किया गया है। बांकुरा, माल्दा और मुर्शिदाबाद के लिए भी इन क्षेत्रों का अधिक व्यापक प्रचार करने पर भी निकट भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास करने की कोई संभावना नहीं है ।

(ख) पश्चिम बंगाल में पर्यटन के विकास का कार्य केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा समन्वित रूप से किया जा रहा है। पांचवीं योजनावधि में साधन उपलब्ध होने की अवस्था में इस काम के लिए और अधिक पूजी-निवेश किया जायेगा। मार्च, 1973 में कलकत्ता में केन्द्री सरकार व पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पर्यटन सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास में पत्र पड़नें वाली कठिनाइयों की जांच की गई। जिन विमान-कम्पनियों ने कलकत्ता को/कलकत्ता से होने वाली अपनी उड़ानें बन्द कर दी थीं, उनसे इन सेवाओं को पुन: चालू करवाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा डम डम विमान क्षेत्र के निकट एक होटल का निर्माण किया जा रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में होटलों के निर्माण की कुछ परियोजनाओं की जांच की जा रही है। विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्त होटल निर्माण में निजी व्यवसायियों की सहायता के लिए संस्थागत वित्त (इंस्टीट्युशनल फिनांस) की सुविधायें उपलब्ध हैं। हाल ही में कलकत्ता में ऐसे तीन होटलों का 'होटल विकास ऋण निधि') के ऋणों से निर्माण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अनुमोदित होटल कमरों में 400 की वृद्धि

हो गई है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कलकत्ता में पर्यटकों के लिए एक परिवहन बेड़े का परिचालन किया जा यहा है। पर्यटन कार परिचालकों को अपने कार-बेड़ों में वृद्धि करने के के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों से सरलतापूर्वक वित्त उपलब्ध है। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार पूर्वी क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंधों में पर्यटन आकर्षण स्थलों के लिए विदेशी यात्रियों के प्रवेश को सुगम बनाने की दृष्टि से ढ़ील देने की संभावनाओं की जांच कर रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़नों के चार्ट में डम डम हवाई अड्डे को शामिल करने हेतु राजी करने का प्रयास

4226. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विमान कम्पनियों के विमान अब भी डम डम हवाई अड्डे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को इस बात के लिए राजी करने, कि वे अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के चार्ट में डम डम हवाई अड्डे को शामिल करें, के लिए विशेष प्रयास किये हैं; और

(घ) यदि हां , तो ऐसे प्रयासों के क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इस समय सात विदेशी विमान कम्पनियां (अर्थात एरोफ्लोट, बंगलादेश विमान, बी०ओ०ए०सी०, रायल नेपाल एयरलाईन्स कारपोरेशन, स्कैंडिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम थाई एयरवेज़ और बर्मा एयरवेज़) कलकत्ता को/कलकत्ता से होते हुए प्रति सप्ताह 87 उड़ानों का परिचालन कर रही है।

(ग) और (घ) भारत सरकार विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा अपने अपने अधिकारों के अनुसार कलकत्ता को/कलकत्ता से होते हुए अनुसूचित उड़ानों के परिचालन का अवश्य स्वागत करेगी। किन्तु इस सम्बन्ध में कार्यवाही की पहल करना संबधित विमान कम्पनियों पर निर्भर करता है।

देश के विभिन्न सरकारी होटलों को होने वाली हानि के कारणों का पता लगाने हेतु स्थापित की गई समिति के निष्कर्ष

4227. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अकबर होटल, रंजीत होटल, बंगलौर में अशोक होटल और औरगांबाद में औरंगाबाद होटल जैसे सरकारी होटल भारी घाटे पर चल रहे हैं और भारत सरकार के खजाने पर दबाब डाल रहे हैं ;

(ख) यदि हा, तो क्या हानि के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने एक समिति स्थापित की है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नई दिल्ली स्थित अशोक तथा जनपथ होटल पिछले कई वर्षों से लगातार लाभ कमा रहें हैं। नई दिल्ली के अकबर होटल और बंगलौर के होटल अशोक द्वारा, जिन का परिचालन क्रमश: 27-1-72 तथा 1-5-71 को प्रारम्भ किया गया था, 1972–73 के दौरान लाभ कमाने की आशा है परन्तु नई दिल्ली स्थित रणजीत तथा लोधी होटल और उदयपुर का लक्ष्मी विलास पैलेस होटल घाटे पर चल रहे हैं। औरंगाबाद होटल भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा रेलवे से 1-10-72 को अपने अधिकार में लिया गया था तथा 1972–73 के दौरान इसे थोडी सी हानि होने की सम्भावना है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा 1972–73 के दौरान समस्तरुप से 65·00 लाख रुपये से अधिक का लाभ कमाने की आशा है, परन्तु लेखा परीक्षा अभी होनी है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Performance of Lead Bank of Jaipur District (U.C.B.)

4228. Shri Naval Kishore Sharma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Lead Bank Schemes of the nationalised banks has not yielded the desired results because of the area of their functioning being limited to a radius of 10 miles of the District concerned ;

(b) the number of Branches opened by the Lead Bank of Jaipur District viz., the United Commercial Bank, during the last three years and whether these Branches are adequate to meet the needs of Jaipur District ;

(c) if not, the action being taken by the Government in this regard, and

(d) the amount of loans advanced to the farmers, labourers, artisans, craftsmen and small shopkeepers by this bank ; and if not, the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The implementation of the Lead Bank Scheme has no direct bearing on the command area of any particular bank branch. With reference to its organisational capacity to effectively supervise the end-use of advances sanctioned, each branch decides on its optimum area of operation.

(b) and (c) The number of offices of the commercial banks in Jiapur District increased from 57 as on the eve of nationalisation to 90 as at the end of June, 1973. Of these, 12 offices were of the United Commercial Bank which has the lead responsibility for Jaipur District. 19 Licences/allotments

made to the banks for opening offices in Jaipur District are currently outstanding. Population per bank office in Jaipur District as at the end of June, 1973 was 29,000 as compared to 36,000 for the country as a whole. However, branch expansion is a continuous process, with the banks assessing the potentiality of centres regularly to judge their suitability for opening bank offices.

(d) The details of loans advanced to farmers, small business, artisans and craftsmen by the offices of United Commercial Bank in Jaipur District are given below :

(Rs. in thousands)

	Outstanding advances as on		
	31-12-71	31-12-72	30-6-73
Farmers	39	1,599	1,838
Small Business	21	39	72
Artisans and craftsmen	—	16	19

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ब्याज की दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति में रुकावट

4229. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ब्याज की दर में वृद्धि करने की घोषणा की है ;

(ख) क्या बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों में भी ब्याज की दर बढ़ा दी है ; और

(ग) यदि हां, तो ब्याज की दर में बृद्धि होने से राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों और विशेषकर जयपुर जिले में प्रगति कार्य में किस हद तक रुकावट पड़ेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने ब्याज की दरों में 1/2 प्रतिशत से लेकर 1 प्रतिशत तक की वृद्धि 16 जून 1973 से लागू कर दी है ।

(ख) जी हां, विकास बैंक ने प्रत्यक्ष और पुनर्वित्त दोनों दरों में वृद्धि की है जो विशेष रुप से औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित जिलो/क्षेत्रों में स्थित पात्र औद्यौगिक कम्पनियों के लिए प्रत्यक्ष सहायता के मामले में 1/2 प्रतिशत वार्षिक अर्थात 7 से 7½ प्रतिशत वार्षिक और पुनर्वित्त सहायता के मामले में 3½ प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर दी गयी है ।

(ग) यद्यपि विशेष रुप से औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित जिलों/क्षेत्रों के लिए लागू ब्याज की दर में 1/2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन विकास की सामान्य दर और रियायती दर के बीच का भेद 1½ प्रतिशत ही रहा है । इसलिए ऐसे जिलों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं

के लिये वही विभेदी प्रोत्साहन उपलब्ध हैं । चालू बाजार के वक्त को ध्यान में रखते हुए ब्याज की दर में वृद्धि कर दिये जाने से विभिन्न राज्यों में जिसमें राजस्थान भी शामिल है औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित विष्शिट क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में प्रगति में रुकावट पड़ने की सम्भावना नहीं है । यह भी कहा जा सकता है कि राजस्थान में जयपुर का जिला औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित निर्दिष्ट जिला नहीं है ।

राजधानी में सरकार द्वारा चलाये जा रहे अशोक होटल में दिखाये गए कत्थक तथा शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रमों पर आपत्ति

4230. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सरकार द्वारा चलाये जा रहे अशोक होटल मे एक 'सुपर क्लब' है जहां कत्थक और शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम हल्के-फुल्के मनोरंजन के रूप में पेश किए जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं से इन कार्यक्रमों पर गहरी और निरन्तर आपत्ति-भरे संदेश प्राप्त हुए हैं जिन्हें वे शास्त्रीय नृत्य-मुद्रा और विधि को तोड़-मरोड़ कर पेश किया मानते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) नई दिल्ली में अशोक होटल का एक रेस्टोरेंट, सुपर क्लब समय-समय पर लोकप्रिय भारतीय हल्के किस्म के शास्त्रीय तथा कत्थक दरबारी नृत्य प्रस्तुत करता है ।

(ख) कुछ आक्षेप प्राप्त हुए हैं ।

(ग) सरकार महसूस करती है कि सरकारी क्षेत्रीय होटलों के रेस्टोरेंटों में मनोरंजन के विषय केवल आकर्षक एवं रोचक ही नहीं होने चाहिएं बल्कि उनमें भारतीय परम्पराओं का भी निरूपण होना चाहिए । तथापि, समस्त नीति की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जा रही है ।

आयकर अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

4231. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों के कितने आयकर अधिकारियों के विरुद्ध इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ;

(ख) क्या उक्त आयकर अधिकारियों को अपने सलाहकारों के माध्यम से अपने बचाव के अधिकार से वंचित रखा गया है और यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के निष्कर्षों से सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाता है ; और

(घ) क्या आयकर अधिकारियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही के अन्त में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है और यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों को, जिन पर इस प्रकार आरोप लगाये जातें हैं, अपने वकीलों के माध्यम से अपने पक्ष को पेश करने का अवसर दिया जाता है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 19 (उन्नीस)

(ख) जी, नहीं। अपने बचाव के लिए, नियमों अथवा कानून के अन्तर्गत, जो भी सहायता वे ले सकते हैं, उसका वे हमेशा उपयोग कर सकते हैं।

(ग) यद्यपि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की प्रति संबधित अधिकारी को नहीं दी जाती, क्योंकि वह गोपनीय दस्तावेज होता है, फिर भी उसे, उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों का ब्योरा और आरोपों के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां भी नियमों के अनुसार दे दी जाती हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के विभागों के राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच विभागीय जांच आयुक्तों द्वारा की जाती है जो जांच-अधिकारी के रूप में कार्य करते है। जिस पार्टी पर आरोप लगाये गये हों उसे मौखिक पूछताछ के समय, वकील की सहायता लेने दी जाय या नहीं, इसका निर्णय करना सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी का काम है।

बम्बई-दिल्ली उड़ान संख्या 185 में 23 जुलाई, 1973 को हुआ विलम्ब

4232. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ान संख्या 185 वाला वह विमान, जिसे 23 जुलाई, 1973 को बम्बई से दिल्ली के लिए प्रातः 11 बज कर 55 मिनट (निर्धारित समय) पर रवाना होना चाहिए था, कांग्रेस अध्यक्ष श्री एस० डी० शर्मा को उसी विमान में चढ़ने देने के लिए बीस मिनट विलम्ब से रवाना हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण अन्य यात्रियों को असुविधा हुई थी और क्या उनमें से एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई शिकायत की गई थी ; और

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स नें "अति विशिष्ट व्यक्तियों" के लिए कोइ विनियम तथा आरक्षण किये है और यदि हां, तो उनका संक्षिप्त विवरण क्या है और "अति विशिष्ट व्यक्तियों" की श्रेणीयों की परिभाषा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) उक्त उड़ान 20 मिनट देर से की गई क्योंकि मौसमी परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त ईधन (फ्यूल) लेना पड़ा था। कांग्रेस अध्यक्ष भी उड़ान की घोषणा करने से पूर्व ही अन्य यात्रियों के साथ यात्रा के लिए उपस्थित हुए थे।

(ग) उड़ानों में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए देरी नही की जाती तथापि, उनके प्रति सामान्य शिष्टाचार दर्शाया जाता है।

बसंत बिहार, नई दिल्ली स्थित दुकान में आयातित वस्तुओं की बिक्री

4233. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री 4 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9256 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बाजार में अभी भी आयातित माल बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत लगभग 2400 रुपये से अधिक के माल के कपड़े पकड़े जाने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) इस समय ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि नयी दिल्ली में बसन्त विहार स्थित 'मार्डन बाजार' में आयातित वस्तुओं की बिक्री हो रही है ।

(ग) अप्रेल, 1973 में पकड़ी गयी लगभग 2400 रुपये के मूल्य की वस्तुओं को अब जब्त कर लिया गया है और संबंधित व्यक्ति पर 400 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया है ।

मध्य प्रदेश में पशुओं के संरक्षण के लिए अधिकाधिक शरण्य-स्थलों की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव

4234. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और क्रीड़ा शरण्य, स्थलों की संख्या क्या है जहां पशुओं का वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षण किया जाता है ;

(ख) पशुओं के संरक्षण के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में कुछ और शरण्य स्थलों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्या रुप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में तीन राष्ट्रीय उद्यान तथा नौ वन्य जीव शरण-स्थान हैं । वन एक राज्यीय विषय होने के कारण शरण-स्थानों की स्थापना राज्य सरकार के क्षेत्र में आती है तथा राज्य वन्यजीव बोर्ड ने कुछ और शरण-स्थान स्थापित करने का सुझाव दिया है जिन में जंगली भैंसों तथा सोहन चिड़िया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के बचाव के लिए एक-एक शरण-स्थान सम्मिलित है । यद्यपि पर्यटन विभाग सामान्यता शरण-स्थानों के अन्दर पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास संबंधी प्रायोजनाएं ही हाथ में लेता है । बारासिंगा वसंवर्धन प्रायोजना के लिए 1969–70 में मध्य प्रदेश सरकार को 52,500 रुपए की राशी दी गयी थी । वन्य जीव पर्यटन के विकास के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में हाथ में ली जाने वाली स्कीमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

Set Back to Film Industry due to Customs and excise duty on Raw Films

4235. Shri Rana Bahadur Singh : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether the film industry of the country has suffered a set-back and the progress of Hindi and other regional languages has been hampered as a result of the imposition of Excise and Customs duties on the raw films.

(b) if so, whether Government are taking some steps to encourage the production of films in the country by reducing these duties ;

(c) whether Government have also received some representations from the film industry in this regard ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No definite information about the production of any film having been suspended due to the enhancement of customs duty on raw films has been reported by the industry ;

(b) to (d) The position has been explained in the answer given on 27th July, 1973 to unstarred Question No 877.

Foreign Exchange Earnings of Indian Industries Set up Abroad

4236. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the **Minister of Commerce be** pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned during 1972-73 by the Indian Industries set up in foreign countries in the shape of profit, technical know-how fees and the management charges; and

(b) the approximate amount of foreign exchange likely to be earned from the above sources in 1973-74.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) (a) The amount of foreign exchange earned during 1972-73 by the Indian industrial joint ventures abroad by way of dividends, technical know-how fee, management charges etc. was Rs. 49,14 lakhs ;

(b) it is too early to estimate the foreign exchange likely to be earned from the above sources in 1973-74.

"इंडिया लूजिंग आयरिश टी मार्केट (आयरलैंड में भारत द्वारा चाय का बाजार खोना)

4237. **श्री आर० के० सिन्हा) :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1973 के 'इकोनामिक टाईम्स' में इंडिया लूजिंग आयरिश की मार्किट' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रीया है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित रिपोर्ट में जिस की चर्चा है वैसा कोई खतरा नहीं है।

विमान दुर्घटनाओं के बारे में जांच न्यायालयों तथा समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की तत्काल क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त समिति

4238. **श्री आर के० सिन्हा**
श्री मुहम्मद शरीफ } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री विमान दुर्घटनाओं के बारे में जांच न्यायालयों तथा समितियों की तत्काल क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए समिति की नियुक्ति के बारे में 10 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2876 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि समिति की इस बीच कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं और उनमें किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : ग्रुप की तीन बैठकें हो चुकी हैं। निम्नलिखित विमान दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच न्यायालयों की रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों पर विचार किया गया था :

(i) 11-8-1972 को दिल्ली हवाई अड्डे के निकट इण्डियन एयरलाइंस के एफ-27 विमान वी० टी०डी० एम० ई की दुर्घटना ;

(ii) 15-3-73 को सिकंदराबाद में इंडियन एयरलाइंस के एच०एस०-748 विमान वी०टी०-ई०ए०यू० की दुर्घटना; तथा

(iii) 29-8-1970 को सिलचर में इंडियन एयर लाइंस के एफ-27 विमान वी टी० टी० डब्ल्यू टी की दुर्घटना।

'स्लो डिसबर्समेंट आफ आई० एफ० सी० लोनस इन यू० पी० (उत्तर प्रदेश में आई० एफ० सी० ऋणों के वितरण की मन्द गति)

4239. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जुलाई, 1973 के "टाइम्स आफ इंडिया" में 'स्लो डिसबर्समेंट आफ आई० एफ० सी० लोन्स इन उत्तर प्रदेश' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित समाचार देखा है। यद्यपि समाचार का शीर्षक 'स्लो डिस्बर्समेंट्स आफ आई० एफ० सी० लोन्स इन यू० पी०' है, इसके विषय वस्तु में वास्तव में उत्तर प्रदेश वित्त निगम के कार्यचालन का उल्लेख किया गया है (उत्तर प्रदेश औद्योगिक वित्त निगम का नहीं जैसा कि समाचार के विवरण में उल्लेख किया गया है)

2. पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश वित्त निगम की वास्तविक स्वीकृतियां और भुगतान और इसके लाभ (करापान से पूर्व) इस प्रकार थे :

लाख रुपयों में

	1970-71	1971-72	1972-73
वास्तविक स्वीकृतियां	2200.06	3329.04	4399.05
भुगतान	1362.34	1856.97	2413.85
लाभ (कराधान से पूर्व)	20.65	28.48	42.25

करोड़ों में नहीं जैसा कि समाचार में दिया गया है।

3. ऋणों की स्वीकृति और भुगतान के बीच समय के अन्तर के कारण, निगम ने ये बताये हैं :–

(क) ऋण की स्वीकृति देने की तेज गति ;

(ख) उद्यम कर्त्ता द्वारा निगम के बन्धक रखने के लिए प्रस्तावित सम्पत्तियों के स्पष्ट और बिक्री योग्य मालिकाना हक देने में लगाया गया समय और भुगतान करने से पहले कानूनी और अन्य औपचारिकताएं पूरा करना।

(ग) बिजली की कमी के कारण होने वाली कठिनाईयों जिनके परिणामस्वरूप अनेक नये उद्यम कर्त्ताओं ने अपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के काम को स्थगित कर दिया है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा शहरी सम्पत्ति के अन्तरण पर फिलहाल लगाये गये प्रतिबन्ध जिसके परिणामस्वरूप जो उद्यमकर्ता ऐसे क्षेत्रों में अपने एकक लगाना चाहते थे ऋण का उपयोग करने की स्थति में नहीं है।

(ङ) परियोजना के लिये आवश्यक इमारती सामग्री और अन्य अनिवार्य कच्चे माल की समय पर प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयां।

4. उत्तर प्रदेश वित्त निगम मंजूरशुदा ऋणों के इस्तेमाल में होने वाली देरी को कम करने की आवश्यकता के विषय में सचेत हैं और उससे पहले ही कुछ कदम उठा लिये हैं जैसे :—

(1) तकनीकी कक्ष को सुदृढ़ करना और विधि अधिकारी और भुगतान अधिकारी जैसे उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त करना,

(2) कानूनी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना,

(3) जहां सम्भव हो कानूनी बन्धक के बजाय न्यायसंगत बंधक स्वीकार करना,

(4) सहायता के लिये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के साथ साथ कानूनी दस्तावेजों की छानबीन करना, और

(5) शाखाओं में प्रलेख-पोषण के काम का विकेन्द्रीकरण करना।

ऋणराशि के प्रयोग की गति में तेजी लाने के लिए निगम मामले की लगातार समीक्षा करता रहता है।

फटे हुए दोषयुक्त नोटों का बदलना

4240 **श्री पिलू मोदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फटे हुए दोषयुक्त करेंसी नोटों को बदलने के कौन कौन से आधार हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : ऐसे करेंसी नोट जो तेल अथवा अन्य पदार्थों के लगने से खराब हो गए हों लेकिन जिन्हें असली नोटों के रूप में पहचाना जा सकता हो, और ऐसे मामूली कटे-फटे नोट जिनके असली होने के बारे में रत्तीभर शंका न हो अथवा वे जाली न लगते हों, राजकोषों, उप-राजकोषों और स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा उसके सहायक बैंकों की उन शाखाओं में बदलवाये जा सकते हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार राजकोष नियमावली खण्ड I के संकलन के पैरा 81(2) और भाग XIV (कार्य-कारी अनुदेश) के पैरा 83 की टिप्पणी I की शर्तों के अनुसार करेंसी चेस्ट हों। रेलों और डाक-तार विभाग को भी उन्हें चुकायी जाने वाली रकमों की अदायगी के संबंध में ऐसे मामूली कटे-फटे अथवा मैले नोट स्वीकार करने के अनुदेश दिए गए हैं। एक रुपये के नोट, जो बीचों बीच फट गए हों अथवा सामान्यतः एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने के कारण उनके आधे-आधे भाग फट कर अलग हो गए हों, उक्त अभिकरणों से बदलवाये जा सकते हैं बशर्ते कि वे अभिकरण इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट हों कि नोट के दोनों भाग एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने के कारण ही अलग हो गए हैं और ये दोनों भाग एक ही नोट के हैं और नोट अन्यथा असली है। अन्य मूल्यों के सभी कटे-फटे/दोषपूर्ण नोटों के दावे जांच और कृपापूर्ण अदायगी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (नोट प्रत्यर्पण) नियमावली 1935 की सीमाओं और शर्तों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में पेश करने पड़ते हैं। यदि ऐसे नोट असली तथा पहचाने जा सकते हों तो बैंक का काउन्टर क्लर्क स्वयं उस दावे पर सीधे विचार कर सकता है और उनके बदले सीधे ही रकम दे सकता है। सन्देह की स्थिति में, काउन्टर क्लर्क दावे को सहायक करेंसी अधिकारी के पास भेज देता है जो दावों के मामलों में आवश्यक कार्यवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं। यदि सहायक करेंसी अधिकारी को संदेह हो तो वह उसके बारे में दावेदार को तुरन्त सूचित कर देता है और उसे यह परामर्श दे देता है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (नोट प्रत्यर्पण) नियमावली 1935 के अन्तर्गत आवेदन प्रपत्र भर कर करेंसी अधिकारी के पास भेज दे।

स्थिरिकरण निधि बनाना

4241. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमी वाली अवधि में दीर्घावधि ऋण देने वाले संस्थाओं की सहायता करने की दृष्टि से क्या सरकार को स्थितिकरण निधि बनाने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के एक निदेशक ने, दीर्घावधि ऋण ढांचे में स्थिरिकरण निधि बनाने और संवर्धन के लिये सुझाव दिया है।

(ख) सुझाव यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध बैंक से सम्बद्ध है, से मिलने वाले ऋणों पर भारत सरकार को जो ब्याज का मार्जिन प्राप्त होता है उसका प्रयोग भारत सरकार द्वारा स्थिरिकरण निधि स्थापित करने के लिये किया जाये जो कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को सहायता देने के लिये इस्तेमाल किया जाय और इस रकम की वापसी की अवधि एक या दो वर्ष कर दी जाय। राज्य सरकार और भूमि विकास बैंक भी कुछ भाग तक इस निधि में बराबर बराबर का अंशदान कर सकता है। इस सुझाव पर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और कृषि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके विचार किया जा रहा है।

पांचवीं योजना के दौरान हस्तशिल्प का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए इसके बारे में टास्क फोर्स

4242. **श्री धर्मराज अफजलपुरकर :**
श्री एम० एस० पुरती : } क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हस्तशिल्प के संबंध में नियुक्त टास्क फोर्स में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प का उत्पादन और उसके निर्यात में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय और राज्य की योजनाओं के लिये 40 करोड़ रुपये नियुक्त करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र और राज्यों में धन आबंटन का ब्यौरा क्या है और कारीगरों की कम मजूरी और काम की शर्तों को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार हस्त शिल्प की आन्तरिक बिक्री में हुई वृद्धि की समस्या हल करने तथा उसका निर्यात करने के लिये क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरेवार आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। त ापि टास्क फोर्स ने केन्द्र के लिये 17 करोड़ रुपये तथा राज्यों के लिये 23 करोड़ रुपये के आबंटन का सुझाव दिया है।

किए जा रहे उपायों का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के और आधिक निर्यात करना, शिलपियों को अधिक पारिश्रमिक सुनिश्चित करना होगा।

प्रशीतकों का निर्यात

4243. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों को प्रशीतकों का निर्यात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को तथा गत दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान रेफ्रिजरेटरों तथा उनके हिस्सों के निर्यात निम्न प्रकार रहे हैं :–

1971-72	11.74 लाख रुपये
1972-73	27.41 लाख रुपये (अनंतिम)

भारतीय रेफ्रिजरेटरों का आयात करने वाले मुख्य देश निम्नोक्त हैं :–

आबूढाबी
दुबाई
कुवैत
सूडान
जाम्बिया
हांग कांग
मिस्र का अरब गण राज्य
पोलेंड
श्रीलंका

(स्रोत : इंजीनियरी निर्यात संबर्धन परिषद्, कलकत्ता)

जम्मू के कटरा क्षेत्र और उत्तर प्रदश के गढ़वाल जिला, उत्तराखण्ड क्षेत्र में पेड़ लगाने का विकास

4244. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू के कटरा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के उत्तरखंड क्षेत्र में पेड़े लगाने के विकास की व्यवहार्यता का अध्ययन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1966 में चाय बोर्ड के एक विशेषज्ञ दल ने चाय उगाने की सम्भाव्यताओं का अनुमान लगाने के लिए जम्मू में कटरा के कुछ चाय क्षेत्रों का दौरा किया । पांच विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया गया है । इसके अलावा राज्य सरकार ने कुछ दीर्घावधि परीक्षण भी किये हैं । अभी तक प्राप्त परिणामों पर विचार किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर वर्तमान चाय क्षेत्रों की

पुनर्स्थापना की सम्भावनाओं के अध्ययन के लिए तथा चाय के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्रों के विस्तार तथा विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अक्तूबर, 1966 में चाय बोर्ड ने एक दल उत्तर खण्ड क्षेत्र भेजा था। वर्तमान झाड़ियों को नवजीवन प्रदान करने के लिए भारी कांट छांट के अच्छे परिणाम निकले हैं तथा दार्जिलिंग किस्म के बीज बहुत अच्छे साबित हुए हैं। यह समझा जाता है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में चाय क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बना रही है।

गत दो वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों का सरकार द्वारा चलाये गये होटलों मे ठहरना

4225. श्री मधु दंडवते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान विदेशों से भारत में आने वाले और सरकार द्वारा चलाये गये पर्यटक होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों की संख्या क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित 6 बड़े होटलों में पिछले दो वर्षों के दौरान ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार थी :–

	1971-72	1972-73
अशोक होटल	35,920	37,400
जनपथ होटल	10,106	10,866
रणजीत होटल	6,719	6,055
लोधी होटल	6,802	5,709
होटल अशोक, बंगलौर (1-5-1971 को चालू किया गया)	2,906	3,554
अकबर होटल (27-1-1972 को चालू किया गया)	1,484	16,119
योग	63,937	79,703

पांचवीं योजना के दौरान धनराशि के उपयोग के लिये इंडियन एयरलाइंस द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताएं

4246. श्री मधु दंडवते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स को 110 करोड़ रुपये दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि के उपयोग के लिये क्या-क्या प्राथमिकताएं रखी जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स की पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी योजना आयोग के विचाराधीन है ।

स्वर्गीय नागरवाला से सम्बंधित स्टेट बैंक मामले में 60 लाख रुपये की वसूली

4247. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्टेट बैंक के मामले में स्वर्गीय नागरवाला से 60 लाख रुपये की पूर्ण राशि वसूल कर ली गई थी ;

(ख) क्या नागरवाला द्वारा किए गए कथित अपराध के विषय के रुप में सारी राशि सरकार को दे दी गई थी ;

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 517 अथवा किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत इस मामले का किस प्रकार निपटारा किया गया था ; और

(घ) यह राशि अब किसके कब्जे में है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) 24 मई 1971 को दिल्ली पुलिस ने (स्वर्गीय) श्री नागरवाला से 59,94,300 रुपयों की वसूली की थी । बाद में 25 मई 1971 को 2,600 रुपयों की एक और राशि वसूल की गयी थी । इन मूल्यांकनों के न्यायालय के समक्ष पेश करने पर, न्यायलय ने 'सुपरदारी' बांडों के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इंडिया को यह राशि सुपुर्द करने की आज्ञा दे दी ।

श्री आर० एस० नागरवाला की मृत्यु पर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिल्ली ने आज्ञा दी कि स्टेट बैंक आफ इंडिया को सौंपे गये नकद 59,94,300 रुपये और 2,600 रुपये स्टेट बैंक आफ इंडिया को दे दिये जायें । स्टेट बैंक आफ इंडिया के अनुसार उक्त राशि बैंक के सामान्य व्यवसाय में खर्च कर दी गई ।

भारत से वस्तुएं निर्यात करने वाली विदेशी कम्पनियों द्वारा धन बाहर भेजना

4248. **श्री मधु लिमये** :
श्री ज्योतिर्मय वसु : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से वस्तुओं का निर्यात करने वाली विदेशी कम्पनियों को लाभ, विभिन्न शीर्षों के अधीन व्यय, आयात की गई वस्तुओं के मूल्य आदि के रुप में निर्यात की गयी वस्तुओं के एक ओ० बी० मूल्य के 80 प्रतिशत मूल्य के बराबर अधिकतम राशि बाहर भेजने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस विशेषाधिकार का लाभ उठाने वाली कम्पनियों के क्या नाम हैं ;

(ग) 1970 से 1973 तक के वर्षों में इनमें से प्रत्येक कंपनी ने कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया और विभिन्न शीर्षों के अधीन कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी; और

(घ) क्या सरकार भौतिक संसाधनों के रुप में इन निर्यातों को और धन के इस 80 प्रतिशत के विदेश भेजे जाने को देश के लिए घाटा नहीं मानती ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत से वस्तुओं का निर्यात करने वाली विदेशी कम्पनियों के मामले में लाभ, खर्च, आयात आदि की रकमों को बाहर भेजा जाना आम-तौर पर निर्यातों के जहाज पर्यन्त मूल्य के साथ सम्बन्धित नहीं होता। किन्तु लाभ आदि की रकमों के बाहर भेजे जाने को सीमित करने की दृष्टि से कोका-कोला के मामले में सभी शीषर्कों (लाभ, व्यय, आयात) के अधीन रकमों के बाहर भेजी जाने वाली रकमों को जनवरी, 1969 से मार्च, 1972 के दौरान निर्यात से हुई आय के 80 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। अप्रैल, 1972 से इस प्रकार बाहर भेजी जाने वाली रकमें स्वयं कारपोरेशन द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के निर्यात से हुई आय तक ही सीमित कर दी गई हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1970–72 के दौरान कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की भारतीय शाखा द्वारा किए गए निर्यात (मात्रा और मूल्य में) का ब्यौरा दिया गया है। इन्हीं वर्षों के दौरान, इसके द्वारा विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत बाहर भेजी गई रकमें इस प्रकार हैं :—

	1970–72 में बाहर भेजी गई रकम (लाख रुपयों में)
(i) कच्चा माल और सम्बद्ध अंश	46·0
(ii) लाभ	104·6
(iii) प्रधान कार्यालय व्यय	43·2
(iv) सेवा प्रभार	2·6
	196·4

(घ) चूंकि इससे सभी प्रकार के शीर्षकों (आयात, लाभ, व्यय) के अन्तर्गत बाहर भेजी जाने वाली रकमों को घटाने के बाद निर्यात प्राप्तियों के 20 प्रतिशत के बराबर शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, इसलिए विदेशी मुद्रा के घाटे का सवाल पैदा हीं नहीं होता।

विवरण

अमरीका की कोका-कोला ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन की भारतीय शाखा द्वारा 1970–72 के दौरान किये गये निर्यातों का विवरण

	मात्रा	रकम
	(किलोग्राम)	(लाख रुपयों में)
1. एलकोहल—भिन्न पेय मूलांश (कोका-कोला सान्द्रण और नीम्बू जाति के फलों और अन्य फलों के पेयों के मूलांश)	10,28,422	384·84
2. खाद्य वनस्पति गोंद	39,30,725	103·06
3. आम की लुगदी	73,974	4·34
4. काजू	92,988	11·07
5. चाय	97,660	6·71
6. काफी	153,120	11·48
7. चिड़वा	3,024	0·27
जोड़	53,79,913	521·77

विदेशी फर्मों द्वारा अपने देशों को भेजा गया धन

4249. **श्री मधु लमये :**
श्री ज्योतिमय बसु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिजर्व बैंक को आवश्यक अनुदेश दिए हैं कि वह विदेशी कम्पनियों या उनके कार्यालयों द्वारा अपने देशों को भेजे गए धन के आंकड़े कम्पनीवार निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रखें :—

लाभ—मुख्य, कार्यालय व्यय, एरिया या क्षेत्रीय कार्यालय व्यय, प्रशासनिक कार्यालय व्यय, रोयल्टीज, तकनीकी, सुविधाएं, विज्ञापन तथा पी० आर० व्यय, कच्चे माल के आयात के लिए भुगतान पूंजीगत वस्तुएं, फालतू पुर्जे आदि ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत कितना वास्तविक धन विदेशों को भेजा गया और

(ग) इस समय इन आंकड़ों की किस ढंग से जांच की जाती है और भविष्य में किस प्रकार जांच की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) सरकार द्वारा 1970 में जारी किए गए अनुदेशों की शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी निगमित कम्पनियों की भारतीय शाखाओं और विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली रकमों का कम्पनीवार हिसाब, लाभ लाभांश, तकनीकी जानकारी शुल्क, रायल्टी और प्रधान कार्यालय व्यय जैसे महत्वपूर्ण शीर्षकों के अधीन रखता है। लोक सभा पटल पर दो विवरण रख दिए गए हैं, जिन में 1969-70 से 1971-72 तक के दौरान (i) विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं और (ii) विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा उपर्यूक्त शीर्षकों के अधीन भेजी गयी रकमें दिखायी गयी हैं (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5486/73) अन्य शीर्षकों के अधीन बाहर भेजी गयी रकमों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और सहायक कम्पनियों द्वारा भेजी जाने वाली सभी रकमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है और इन रकमों की जांच-पड़ताल इस प्रकार की जाती है :—

(1) लाभों की रकमें भेजे जाने के संबंध में सभी प्रार्थनापत्र, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रार्थी के बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाने चाहिए :—

(क) जिस वर्ष से लाभ का संबंध है, उस वर्ष का लेखा परीक्षित सन्तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा विवरण।

(ख) लेखा परीक्षिक का प्रमाण पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि भेजी जाने वाली रकम किस तरह निकाली गयी और इस में यह प्रमाणित किया गया हो कि वर्ष के लेखे-में शामिल कम्पनी-फर्म की सारी आय भारत में ही उपार्जित की गयी थी।

(ग) लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र जिस में लिखा हो कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधि* नियम 1947 की धारा 18ए के उपबन्धों का पालन किया गया है; और

(घ) आयकर निर्धारण आदेश तथा जिस वर्ष के लाभ की रकमें प्रेषित की जानी हों उसके आयकर और अन्य करों की अदायगी का लिखित प्रमाण-पत्र

अथवा

आवेदक कम्पनी के लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र कि कर संबंधी सभी भारतीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रकमें अलग रख ली गयी हैं।

(2) पहली मार्च 1969 के बाद, रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना भारत में स्थापित विदेशी फर्मों और कम्पनियों के लाभों की रकमों को प्रेषित करने के आवेदन पत्र रद्द किए जा सकते हैं।

(3) शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों की लाभांशों की राशियां पूर्व संचित लाभ राशियों में से पूर्णतः अथवा अंशतः प्रेषित किए जाने की सुविधाएं तभी दी जाती हैं जब भारतीय रिजर्व बैंक इन बातों से सन्तुष्ट हो,

(क) प्रारक्षित निधियों से रकमें पिछले पांच वर्षों के लाभांश के औसत अथवा चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत के, इनमें से जो भी अधिक हो स्तर के बनाये रखने के लिए निकाली गयी है।

(ख) प्रारक्षित निधियों से निकाली गयी रकमें, वर्ष के शुरु में कम्पनी की चुकता पूंजी और मुक्त प्रारिक्षत निधियों की रकमों के जोड़ के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं: और

(ग) जैसाकि उपयुक्त (ख) में बताया गया है; रकमें निकालने के बाद मुक्त प्रारक्षित की शेष रकम चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधियों की राशियों के जोड़ के 15 प्रतिशत से कम नहीं है।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक रायल्टियों और तकनीकी जानकारी शुल्कों की उन रकमों के बाहर भेजे जाने की अनुमति देता है, जो सरकार द्वारा विशेष रुप से अनुमोदित करारों के अनुसार भारतीय पार्टियों द्वारा विदेशी सहयोगियों को अदा की जानी हो अदायगियों के लिए अनुमति देने से पहले, बैंक इस बात को सुनिश्चय कर लेता है कि ये अदायगियां, सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार की जा रही हैं।

(5) वर्तमान विनियमों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधान कार्यालय के व्यय की राशियों प्रेषित किए जाने की अनुमति तभी देता है, जब इस आशय का लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए कि कर-निर्धारण के प्रयोजन के लिए भारतीय शाखा के लाभों की रकमों में से वैध रूप से काटी जाने वाली रकमों के रूप में प्रेषित की जाने वाली इन प्रस्तावित रकमों के बारे में आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमति दे दी गई है अथवा दे दी जायगी। 1973 से बैंक का विचार है कि आयकर अधिकारी का मूल कर निर्धारण आदेश प्रस्तुत किए जाने पर ही उस व्यय के लिए अनुमति दी जाए।

आल इण्डिया लाइफ इंश्योंरस एम्पलाईज एसोसियेशन तथा ए० आई० आई० ए० की ओर से जीवन बीमा निगम को प्राप्त मांग पत्र

4250. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया लाइफ इंस्योरेंस एम्पलाईज एसीसियेशन तथा ए० आई० आई० ए० की ओर से जीवन बीमा निगम को एक मांग पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर जीवन बीमा निगम के चैयरमैन ने बातचीत करने की सहमति व्यक्त की है ;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने इस "स्वायत्त-शासी निकाय" को इस आशय के लिखित अथवा मौखिक आदेश दिये हैं कि मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना अतिरिकत व्यय/देयता के बारे में कोई बातचीत न की जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या अब इस बारे में सहमति दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच तथा पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया की हतोत्साहित करने की सरकार ने नई नीति अपनाई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष ने सरकार के साथ अनौपचारिक चर्चा की थी और उनको सलाह दी गई कि कर्मचारी संघों के साथ बातचीत करें।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऋणों पर रोक

4252. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री प्रबोध चन्द्र : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऋण पर रोक लगाई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की रोक लगाई गयी है ; और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) और (ख) बैंक की नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति में हाल के महीनों में तेजी से होने वाली वृद्धि और ऋण देने की शर्तों में छूट देने के प्रवृत्ति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंक ऋण के अधिक विस्तार को रोकने के विचार से अनेक उपाय किये हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) रिजर्व बैंक ने न्यूनतम परिसम्पत्ति के अनुपात को कुछ देनदारियों के 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अन्तर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति के रूप में रखना आवश्यक है, जो 17 नवम्बर, 1972 से लागू हो गया है ।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नकद प्रारक्षित निधि का जो अनुपात रखना आवश्यक है वह 20 जून, 1973 से 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया और फिर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया । इस पिछली वृद्धि का दो चरणों में प्राप्त किया जाना है, अर्थात् एक प्रतिशत 8 सितम्बर, 1973 से और दूसरा प्रतिशत 22 सितम्बर, 1973 से प्राप्त करना है ।

(3) बैंको को रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त मांगने से रोकने के लिये इसने वास्तविक नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति के अनुपात में अक्तूबर, 1972 से चार बार वृद्धि की है । इस समय वास्तविक नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति का अनुपात 39 है । 8 सितम्बर, 1973 से इसे बढ़ाकर 40 कर दिया जायगा । वास्तविक नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति के अनुपात में वृद्धि किये जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेना महंगा पड़ेगा । वास्तविक नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति के अनुपात में प्रत्येक 1 प्रतिशत की गिरावट आने से भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने पर ब्याज की दर में 1 प्रतशत की वृद्धि हो जाती है । भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने की ब्याज की अधिकतम दर 12 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त औसर्त वार्षिक निर्यात ऋण के दस प्रतिशत के मामले को छोड़कर प्राथमिक ऋण संस्थाओं और किसानों की सेवा संस्थाओं को बैंक द्वारा दी जाने वाली रकमों के पुनर्वित्त को छोड़कर बैंक दर या उससे कम दर पर पुनर्वित्त का अधिकार वापस ले लिया गया है । नयी हुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत हुण्डियों को फिर से भुनाने की दर बैंक दर पर जारी रहेगी ।

(4) ऋण की ऊंची दरों पर और बैंक दर में 6 प्रतशत 7 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 31 मई, 1973 से बैंकों को सलाह दी गयी है कि प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के कुछ वर्गों को छोड़कर ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं होनी चाहिए ।

(5) ब्याज की दर, मार्जिन और अधिकतम सीमा नियंत्रण के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के चयनात्मक ऋण उपायों को कड़ा कर दिया गया है । संवेदनशील वस्तुओं पर ऋण देने के सम्बन्ध में न्यूनतम दर 12 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गयी है ।

भारत और जापान के बीच व्यापार करार

4253. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान के बीच हाल ही में कोई व्यापार करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत द्वारा मांगी गई वित्तीय एवं तकनीकी सहायता की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । 1958 में भारत तथा जापान के बीच एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) करार सामान्य प्रकार का है और इसमें किसी वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता की व्यवस्था नहीं है । परन्तु इसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी के अधिक आदान-प्रदान और प्रयोग के लिये सहयोग की व्यवस्था की गई है ।

कलकत्ते में ट की 'आसाम बाटम' किस्म के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने हेतु जट कारपोरेशन आफ इण्डिया को सुझाव

4254. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट कारपोरेशन आफ इण्डिया को सुझाव दिया है कि कलकत्ता में जूट की 'आसाम बाटम' किस्म का समर्थन मूल्य 115 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 157.68 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाए ; और

(ख) यदि हाँ तो क्या कारपोरेशन ने ये सुझाव मान लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय पटसन निगम को हिदायत दी गई है कि वह वर्ष के दौरान आसाम बाटम किस्म के कच्चे पटसन के लिए औसतन कीमत 157.68 रुपये प्रति क्विंटल लाने के उद्देश्य से यथा संभव खरीद करे ।

(ख) जी, हां

पूर्वी क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलना

4255. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार ने केन्द्रीय सरकार से पूर्वी क्षेत्र में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक सभी ऐसे क्षेत्रों, जहां पर बैंक कम हैं, की ओर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं, इनमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार तथा अण्डमान और निकोबार के संघीय राज्य क्षेत्र जो सभी पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं, शामिल हैं । जैसा कि संलग्न विवरण से पता लगेगा, राष्ट्रीयकरण के बाद इन राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों में खोले गये बैंक कार्यालयों की संख्या पूरे देश के मुकाबले अधिक थी । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5487/73] सभी वाणिज्यिक बैंकों को 1973–75 की अवधि में तीन वर्षीय शाखा विस्तार आयोजना बनाने के लिए कहा गया है । बैंकों को सलाह दी गयी है कि इन आयोजनाओं को बनाते समय वे अपने शीर्ष उत्तरदायित्व और शाखा विस्तार के मामले में सापेक्ष रूप से विकासाधीन क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जहां बैंक कम हैं, को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखें । नेता बैंकों को विषेष रूप से कहा गया है कि वे अपने शीर्ष जिलों में, जहां जून 1972 के अन्त में प्रति बैंक के पीछे 1,00,000 से अधिक जनसंख्या थी, शाखा विस्तार की आवश्यकता की ओर अधिक ध्यान दें ।

मैसूर राज्य में गोकर्ण को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करना

4256. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में गोकर्ण को, जिसे दक्षिण काशी के रूप में भी जाना जाता है विकसित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसे विकास कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में राज-समिति का प्रतिवेदन

4257. **श्री बी० वी० नायक :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : } क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में राज-समिति के निष्कर्षों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सरकार ने कृषि भिन्न आय पर कर की दर का निर्धारिण करने के लिए कृषि आय को कृषिभिन्न आय के साथ आर्षक रूप में एकीकृत कर दिये जाने के संबंध में राज समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को पहले ही स्वीकार कर लिया है और वित्त अधिनियम 1973 के अधीन उन्हें क्रियान्वित कर दिया है। कृषि जोतसंबंधी कर के सम्बंध में दी गयी समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय राज्य सरकारें करेंगी जिन्हें उचित कार्यवाही करने के लिए कह दिया गया है।

राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की विकास दर

4258. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश के गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की विकास दर की तुलना राष्ट्रीयकृत बैंकों की विकास दर से की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्री श्री (यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) शाखा-विस्तार, जमा और अग्रिमों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विकास दर का एक विवरण संलग्न है ?। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5488/73] ।

भारत से निर्यात किये जाने वाले माल को केवल भारतीय जहाजों में ही ले जाने का प्रस्ताव

4259. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से निर्यात किये जाने वाले माल को केवल भारतीय जहाजों में ही ले जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारती निर्यातय माल को केवल भारतीय जहाजों में ही ले जाने की कोई प्रस्थापना नहीं है। लक्ष्य यह है कि हमारे विदेशी व्यापार का 50 प्रतिशत भाग भारतीय जहाजों में ले जाया जाये।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में आई० डी० बी० आई० आई० सी० आई० सी० आई० तथा आई० एफ० सी० आई० द्वारा किया गया पूंजी निवेश

4260. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० तथा आई० एफ० सी० आई० द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक कितना पूंजी निवेश किया गया है और देश के विभिन्न भागों में इन संगठनों के क्या-क्या कार्यक्रम हैं और कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत और वितरित की गयी वित्तीय सहायता का राज्य/क्षेत्रवार विभाजन सम्बन्ध विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5489/73]

इन तीनों अखिल भारतीय सांविधिक वित्तीय संस्थानों का प्रयत्न यह सुनिश्चित करना है कि संस्थागत वित्त व्यवस्था के अभाव में किसी भी उपयोगी परियोजना को हानि न पहुंचे। इस सामान्य प्रयोजन के अधीन वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी सहायता से पिछड़े प्रदेशों में परियोजनाएं प्रायोजित हों। वास्तव में उनमें से सभी सरकार द्वारा निर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में उद्योगों के विकास के लिए रियायती सहायता की योजनाएं बनायी हैं। फिर भी, सहायता का वितरण सहायता प्राप्त करने वाली औद्योगिक कम्पनी की स्थिति पर निर्भर करता है, इस स्थिति के सम्बन्ध में, जहां आवश्यक होता है औद्योगिक लाइसेंस में संकेत दिया होता है जब कि अन्य मामलों में इसका निर्णय उद्यमकर्ता द्वारा किया जाता है। यद्यपि संस्थाएं सभी मामलों में स्थान की उपयुक्तता की जांच करती है और परियोजना की तकनीकी आर्थिक संक्षमता के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होने पर ही सहायता मंजूर करती है, इन संस्थाओं का प्रारम्भ में, अपनी सहायता के राज्यवार वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वे संस्थाएं, जिनका मुख्य उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास में तेजी लाना है, स्पष्टतः प्रत्येक राज्य के लिए सहायता का अंश या हिस्सा निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दिशा में उठाये गये किसी भी कदम से, कुछ उन राज्यों में केवल संस्थागत धन गतिशील नहीं रह सकेगा, क्योंकि उद्यमकर्ता काफी सक्षम परियोजनाएं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं होते हैं। फिर भी, इन संस्थाओं ने औद्योगिक रूप से पिछड़े देश के लगभग सभी राज्यों में, औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण किये हैं।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा विनियोजित ऋण नियंत्रण नीति

4261. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण दिए जाने और ऋण की मांग में विद्यमान असंतुलन तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल में भंडार वायदा बाजार और जमाखोरी के लिए ऋणों में कमर्शियल बैंकों से असाधारण विस्तार की प्रवृत्ति को देखते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा विनियमित सरकार की विशेष ऋण नियंत्रण नीति क्या है ; और

(ख) इस नीति का अनुसरण करने से क्या लाभ हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अर्थ व्यवस्था में कुल मांग और कुल पूर्ति के बीच बराबर चले आ रहे असंतुलन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गई मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीति का उद्देश्य निम्नलिखित उपायों द्वारा ऋण के प्रसार को रोक कर अर्थव्यवस्था में विद्यमान अतिरिक्त मांग के दबाव को कम करना है :

(i) बैंक ऋण की लागत में वृद्धि करना और

(ii) ऋण के विस्तार के लिए वाणिज्यिक बैंकों के साधनों की उपलब्धता को कम करना; तथा (iii) बैंकों के धन को सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल

किए जाने को रोकने के लिए संवेदनशील अर्थात् कम्पनियों से शीघ्र प्रभावित होने वाली कुछ जिन्सों के बदले चयनात्मक ऋण नियंत्रणों द्वारा ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाना ।

इस नीति के अनुसार रिजर्व बैंक ने 30 मई, 1973 को बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया। रिजर्व बैंक ने, विभिन्न निर्दिष्ट क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों को छोड़ कर अन्य ऋणों को ब्याज की न्यूनतम दरों को भी 10 प्रतिशत से अनधिक निर्धारित कर दिया। नकदी और नकदी जैसी परिसम्पति के न्यूनतम शुद्ध अनुपात में, जिससे अलग-अलग बकों द्वारा रिजर्व बैंक के लिए जाने वालें ऋण की दर तय होती है, वृद्धि करके वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋणो की लागत में वृद्धि कर दी गयी है। नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति के अनुपात में 29 जून, 1973 से 2 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 39 प्रतिशत कर दिया गया और 8 सितम्बर, 1973 से इसमें और वृद्धि कर के 40 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है। रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अन्य उपायों में, एक सीमित राशि तक निर्यात ऋणों तथा प्राथमिक, ऋण सहकारी समितियों और कृषक सेवा समितियों को दिये जाने वाले ऋणों को छोड़ कर बैंकों से उन्हें बैंक दर या उससे कम दर पर उपलब्ध पुनर्वित्त सम्बन्धी विभिन्न रियायती अधिकारों का वापस ले लिया जाना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जून, 1973 से प्रारक्षित निधि सम्बन्धी सांविधिक आवश्यकताओं को 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दिया था। अब उसने प्रारक्षित निधि सम्बन्धी सांविधिक आवश्यकताओं को 8 सितम्बर, से बढ़ा कर 6 प्रतिशत करने तथा 22 सितम्बर, 1973 को और बढ़ा कर 7 प्रतिशत करने के अपने निश्चय की घोषणा कर दी है। रिजर्व बैंक की चयनात्मक ऋण नियंत्रण विषयक नीति का उद्देश्य यह है कि सट्टेबाजी के प्रयोजन से विभिन्न अत्यावश्यक जिंसों के भण्डार में की जाने वाली वृद्धि को रोकने के लिए बैंक ऋण के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

(ख) चूंकि, प्रारक्षित निधि सम्बन्धी सांविधिक रकमों की आवश्यकताओं को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर, 7 प्रतिशत किये जाने का रिजर्व बैंक का निर्णय, पूरी तरह से 27 सितम्बर, 1973 से लागू होगा, इसलिए इस स्थिति में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अभी हाल के महीनों में अपनाये गये ऋण-नीति विषयक विभिन्न उपायों का पूरा प्रभाव क्या होगा। फिर भी, 30 मई, 1973 से अपनाये गये विभिन्न प्रतिबन्धात्मक उपायों के परिणाम स्वरूप बैंक ऋण के विस्तार की गति काफी धीमी हो गयी है। 25 मई, 1973 (अर्थात् बैंक दर में वृद्धि किये जाने से पहले) और 3 अगस्त, 1973 के बीच की अवधि में जहां बैंकों की कुल जमा रकमों में 475 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, वहां बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में केवल 16 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप ऋण-जमा अनुपात घट कर 3 अगस्त, 1973 को 67.4 प्रतिशत हो गया जबकि 25 मई, 1973 को यह अनुपात 70.9 प्रतिशत था। किन्तु मूल्यों में वृद्धि मूलत: अन्न तथा वनस्पति तेलों जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पानन कम होने के फलस्वरूप हुई है। अत: ऋण नीति विषयक उपाय मूल्य वृद्धि को रोकने में केवल समर्थक भूमिका अदा कर सकते हैं।

सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक आफ इण्डिया की निक्षेप विस्तार तथा ऋण निक्षेप अनुपात की दर

4262. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक आफ इण्डिया की निक्षेप विस्तार दर में वर्ष 1972 में काफी कमी हुई है ; और

(ख) वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में इन तीनों बैंकों का निक्षेप-विस्तार दर तथा ऋण-निक्षेप अनुपात क्या रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया तथा पंजाब नैशनल बैंक की जमा वृद्धि की दर तथा ऋण जमा अनुपात की दर नीचे दी गयी है :

	जमा वृद्धि की प्रतिशत दर			ऋण जमा अनुपात		
	1970	1971	1972	1970	1971	1972
सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया	11.5	23.3	16.6	76.5	75.5	63.8
बैंक आफ इण्डिया	16.0	14.8	16.9	73.8	75.9	67.4
पंजाब नेशनल बैंक	16.9	20.3	16.1	68.7	67.1	54.9

भारत स्थित विदेशी दूतावास आदि द्वारा भारत में विदेशी करंसी को लाने संबंधी नियम

4263. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रहे सब विदेशी दूतावास, संगठन, राहत संस्थाएं आदि सरकार की अनुमति के बिना या किसी प्रकार के प्रतिबन्धों के बिना देश में कितनी भी विदेशी करेंसी ला सकते हैं अथवा विदेशी करेंसी को आयात कर सकती है ;

(ख) यदि नहीं, तो विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा चलाए जा रहे संगठनों को भारत में विदेशी मुद्रा लाने की किस आधार पर अनुमति दी जाती है और इस संबंध में क्या नियम एवं विनियम बनाए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार उन विदेशी संगठनों और जो देश में धन खर्च करते हैं, नजर रखती है और क्या ये संगठन सरकार को अपना लेखा-जोखा देने के लिए बाध्य हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन देश में धन लाने पर तब तक कोई प्रतिबन्ध नहीं है जब तक यह विदेशी मुद्रा सामान्य बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त होती हो। बैंक, इन प्राप्तियों की रुपयों के रूप में रकमें प्राप्तकर्त्ता के खाते में

†वर्ष के अन्तिम शुक्रवार को। ‡आंकड़े अनन्तिम हैं।

जमा कर देते हैं। इस समय भारत में विदेशी धन की आमद को रोकने के लिए कोई कानून या तंत्र नहीं है। विदेशी संस्थाओं, अभिकरणों अथवा व्यक्तियों से, सामान्य और प्रमाणित लेनदेनों से भिन्न तरीके से विदेशी राशियों की प्राप्ति पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के प्रयोजन से वैधानिक प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कानपुर से बम्बई और कलकत्ता को सीधी विमान सेवा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

4264. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर से बम्बई और कलकत्ता को सीधी विमान सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुरोध किया गया है ; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स को कानपुर से बम्बई और कलकत्ता के लिये ऐसी सीधे उड़ानों के बारे में कभी-कभी अनुरोध प्राप्त हुए हैं किन्तु संभावित यातायात की मात्रा को दृष्टि में रखते हुए इन सेवाओं को प्रारम्भ करने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

1973 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की गई वस्तुएं

4265. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से और अधिक वस्तुएं आयात की जाने की संम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो ये वस्तुएं कौन सी हैं ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1973 के लिए फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यकरण की जांच करने हेतु नियुक्त विभिन्न समितियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करना

4266. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडिण्यन एयरलाइन्स के कार्यकरण की जांच करने हेतु नियुक्त की गई विभिन्न समितियों में एक भी कर्मचारी-प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किए जाने की सम्भावना है; और यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की गयी है।

उच्च श्रेणी लिपिकों के बारे में 40 सूत्रीय साम्प्रदायिक रोस्टर रखने के बारे में की गई अनियमितताओं के बारे में पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

4267. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों में निर्धारित प्रावधान के अनुसार उच्च श्रेणी लिपिकों के बारे में 40 सूत्रीय रोस्टर रखने के बारे में की गई अनियमितताओं के बारे में पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों को अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ख) क्या पर्यटन विभाग में उच्च श्रेणी लिपी के ग्रेड के कुछ रिक्त पद जो रोस्टर के अनुसार अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिये जाने चाहिए थे, उन पदों पर गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया और जो रिक्त पद गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिये जाने चाहिए थे वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिये गए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस विषय में एक कर्मचारी से तथा 'केन्द्रीय सरकार के कलर्कस् यूनियन' से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों पर कार्मिक विभाग के साथ परामर्श कर के ध्यान पूर्वक विचार किया गया और कार्मिक विभाग ने इस बात की पुष्टि कर दी कि पर्यटन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही उचित थी।

(ख) और (ग) उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में एक रिक्त पद था जो 40 सूत्रीय साम्प्रदायिक रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित था लेकिन इसे गैर-अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की नियुक्ति से भर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों पर बनाई गई सफल उम्मीदवारों की सूची में अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त को सूचना दे कर रिक्त पद के आरक्षण को समाप्त करने के मामले को कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है।

तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणीयों के कर्मचारियों की कठिनाइयां कम करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर राजसहायता देना

4268. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच सदस्यों के परिवार वाले, 200 रु० मासिक वेतन प्राप्त करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और 400 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करने वाले

तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के मासिक बजट पर मूल्य-बृद्धि के प्रभाव का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार शीघ्र ही ऐसा अध्ययन करने का है ; और

(ग) क्या उपभोक्ता वस्तुओं पर राजसहायता देने के रूप में आवश्यक कदम उठाकर उक्त कठिनाईयों को कम करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) कीमतों में वृद्धि होने के कारण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की, विभिन्न स्तरों पर राहत , देने के प्रश्न की कई उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकायों ने समय समय पर जांच की है और मंहगाई भत्ता मन्जूर करने की सिफारिश की हैं । हाल ही में तृतीय वेतन आयोग ने इस मामले में कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

प्रत्येक बैंक कार्यालय द्वारा सेवा किये जाने वाला औसत क्षेत्र और देश के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में नई शाखाओं का खोला जाना

4269. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 जुलाई, 1973 को देश में प्रत्येक बैंक कार्यालय द्वारा औसतन कितने क्षेत्र की सेवा की जाती थी ;

(ख) प्रत्येक बैंक द्वारा सेवा किये जाने वाले औसत क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश म पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए प्रति बैंकसेवा की जाने वाली जन संख्या के बजाय प्रति बैंकसेवा किये जाने वाले क्षेत्र एवं जन-संख्या के मानदण्ड को प्राथमिकता दी जायगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 30 जून 1973 को प्रत्येक बैंक कार्यालय द्वारा औसतन 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सेवा की जाती है ।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गयी है ।

(ग) बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नये बैंक खोलने के लिए निजी क्षेत्र का निर्धारण करते समय अपनाये जाने वाले कई मानदण्डों में जन संख्या भी एक मानदण्ड है हालांकि यह एक महत्वपूर्ण मानदण्ड है । कालम्पिक बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक, नये बैंक कार्यालय खोलने के बारे में विचार करते समय जनसंख्या के अतिरिक्त अन्य बातों अर्थात् क्षेत्र में विद्यमान बैंक सुविधाओं प्रस्तावित कार्यालय का कार्यक्षेत्र, उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं, उस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही हैं विशेष विकास परियोजनाओं और उनकी मानी सम्भाव्यता जैसी बातों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं ।

विवरण

राज्यवार प्रति वाणिज्यिक बैंक द्वारा काम किये जाने वाले औसत क्षेत्र को दिखाने वाला विवरण

राज्य	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)
आन्ध्र प्रदेश	251
असम	593
बिहार	293
गुजरात	149
हरियाणा	131
हिमाचल प्रदेश	409
जम्मू और काश्मीर	1599
केरल	36
मध्य प्रदेश	592
महाराष्ट्र	165
मणिपुर	2484
मेघालय	1223
मैसूर	130
नागालैण्ड	2755
उड़ीसा	692
पंजाब	65
राजस्थान	515
तमिलनाडु	79
त्रिपुरा	748
उत्तर प्रदेश	197
पश्चिम बंगाल	100
संघीय राज्य क्षेत्र	148
अखिल भारतीय	214

हिमाचल प्रदेश के जिलों में बैंक कार्यालय

4270. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जुलाई, 1973 को हिमाचल प्रदेश के सभी बारह जिलों में बैंक-कम-कार्यालयों का जिला-बार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त तारीख को आवंटन के लिये कोई लाइसेंस विचाराधीन है ; और यदि हां, तो जिले सहित उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां के लिए लाइसेंस विचाराधीन हैं ; और

(ग) किन तारीखों तक इन शाखाओं के खुल जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना विवरण में दी गयी है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बैंक कार्यालय खोलने के लिये जारी किये गये लाइसेंस की वैधता सामान्यतः छः महीने होती है । परन्तु जहां कहीं जन-शक्ति के साधनों का अभाव, उपयुक्त इमारत आदि की कमी के कारण बैंकों को अपने कार्यालय खोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहां अवधि में उचित वृद्धि कर दी जाती है । हिमाचल प्रदेश में कार्यालय खोलने के लिये बैंकों के पास पड़े लाइसेंसों की वैध अवधि, फरवरी, 1974 के अन्त तक विभिन्न तारीखों तक है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में बैंक कार्यालयों का जिलेवार वितरण तथा ऐसे केन्द्रों, जहां पर बैंक कार्यालय खोलने के लिये लाइसेंस आवंटन विचाराधीन है, का विवरण–

जिले का नाम	कार्यालयों की संख्या	केन्द्र जिनके लिए लाइसेंस/आवंटन विचाराधीन है ।
बिलासपुर	6	झुखाला
चम्बा	10	उदमपुर पंगी
हमीरपुर	4	—
†कांगड़ा	50	बरसार, रानीताल, बनखण्डी, गढ़-जरोत, ऊना, गज्जाल, कुल्लू मनाली ।
किन्नारन	—	काल्पा, फूह
लाहोल और स्पीती	—	कज़ा, कीलोंग
मण्डी	12	बग्गी, खालसर, चनुतरा पहाड़ी नैर-चौक, मण्डी
शिमला	23	शोगी, शिमला, संजोली, सपरून
सिरमूर	10	पाओन्टा साहेब
सोलन	15	सोलन, बरोटीवाला, गड़खल, ओछगढ़, सीरी
ऊना	6	सीरी गगरेट
	136	

†इसमें कुल्लू जिले के बैंक कार्यालय शामिल हैं ।

रक्षा लेखा नियन्त्रक (सी० डी० ए०) पटना के कार्यालय में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को परेशान किये जाने का आरोप

4271. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री के० एम० मधुकर } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक (सी० डी० ए०), पटना के कार्यालय में स्थानान्तरण अनुशासन की कार्यवाही प्रारम्भ करने आदि के रूप में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर परेशान किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय में भर्ती

4272. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में हाल ही में भर्त्ती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने लोवर डिवीजन क्लर्क तथा कितने अपर डिवीजन क्लर्क भर्ती किये गये तथा उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) भर्ती का तरीका क्या था ;

(घ) क्या पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों के कुछ बेरोज़गार आश्रितों और सम्बन्धियों ने भी आवेदन पत्र दिये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के चीफ इंजीनियर का विश्व का दौरा

4273. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री के० एम० मधुकर } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के चीफ इंजीनियर अपने परिवार सहित सरकारी तौर पर विश्व के दौरे पर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके परिवार के सदस्य कौन-कौन थे ; और

(ग) उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिये उक्त इंजीनियर को विदेशी मुद्रा किस प्रकार प्राप्त हुई तथा उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कसौटी बनाई हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के चीफ इंजीनियर निगम के कार्य के लिये जर्मनी, स्विटजरलैण्ड, बरतानिया, हालैंड और आस्ट्रिया की यात्रा पर गये थे। उनकी पत्नी उन के साथ गई थी और कुछ दिन जर्मनी में अपनी पुत्री एवं दामाद के पास ठहरी थीं।

(ग) चीफ इंजीनियर के लिये भारत पर्यटन विकास निगम की सिफारिश पर सरकार ने विदेशी-मुद्रा निर्मुक्त (रिलीज) की थी। चीफ इंजीनियर की पत्नी ने यह यात्रा सामान्य-नियमों और विनियमों की पूर्ति के आधार तथा नियमानुसार रिजर्व बैंक से 100 डालर की नियुक्ति प्राप्त करके की। उसकी विमान टिकट का व्यय चीफ इंजीनियर ने रुपये की मुद्रा में किया जबकि अन्य व्ययों का वहन उसकी पुत्री और दामाद द्वारा किया गया था।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और बिक्री कर की मात्रा

4274. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक किलो चीनी, एक किलो चावल, एक किलो गेहूं, एक किलो दाल, एक मीटर कपड़ा (मानक), माचिस की एक डिब्बी, एक लिटर मिट्टी का तेल और एक लिटर पैट्रोल पर अलग-अलग कितना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और बिक्री कर लगता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : चीनी, सूती कपड़े, माचिस, मिट्टी के तेल तथा पैट्रोल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की मात्रा का एक विवरण पत्र संलग्न है। चावल, गेहूं और दाल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगता।

केन्द्रीय बिक्री कर, स्थानीय बिक्री कर लगने के सम्पूरक के रूप में है और इसका किसी माल पर लगाया जाना इस पर निर्भर करता है कि ऐसे माल पर स्थानीय बिक्री कर लगता है या नहीं। इसके अलावा, यह कर मूल्यनुसार होता है और इसकी मात्रा उस राज्य में माल के मूल्य पर निर्भर करती है जहां से बिक्री शुरु हुई हो। इसके अतिरिक्त, बिक्री कर का प्रशासन तथा इस कर से छूट देने का अधिकार कानून द्वारा उन राज्य को दिया गया है जो इसे वसूल करते हैं और इसकी राशि अपने पास रखते हैं। इन कारणों से प्रश्नगत माल पर केन्द्रीय अथवा स्थानीय बिक्री कर की मात्रा बताना सामान्यतः सम्भव नहीं होगा।

विवरण

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की मात्रा का विवरण -पत्र पैसों में

विवरण	यूनिट	शुल्क की मात्रा			विशेष
		मूल	अतिरिक्त	जोड़	
1	2	3	4	5	6
†1. चीनी (रवेदार)					
(i) खुले बाजार में बिकने वाली चीनी	प्रति किलोग्राम	64.80	16.20	81.00	
(ii) लेवी चीनी	यथोपरि	28.69 (न्यूनतम) से 39.03 (अधिकतम) तक	8.60 (न्यूनतम) से 11.71 (अधिकतम) तक	37.29 (न्यूनतम) से 50.74 (अधिकतम) तक	लेवी चीनी पर प्रति किलोग्राम शुल्क की मात्रा विभिन्न आई० एस० एस० ग्रेडों तथा उन क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग है जिन में कारखानें स्थित हैं। इसलिए न्यूनतम तथा अधिकतम शुल्क की मात्राएं दी गई हैं।
2. माचिस					
(i) यदि विद्युत चालित कारखाने में निर्मित हो।	50 तीलियों की प्रति डिब्बी	3.194	—	3.194	

1	2	3	4	5	6
(ii) गैर-विद्युत चालित कारखाने में निर्मित	50 तीलियों की प्रति डिब्बी	2.986	–	2.986	
3. मिट्टी का तेल					
(i) बढ़िया	प्रति लिटर 15 सी पर	26.500	6.845	††33.345	
(ii) घटिया	–यथोपरि–	5.090	8.770	††13.860	
4. पेट्रोल (मोटर स्प्रिट)	–यथोपरि–	100.000	8.155	††108.155	

†5. सूती कपड़ा (संयुक्त मिल में निर्मित)	प्रति वर्ग मीटर	धागा शुल्क	कपड़ा शुल्क		
			मूल	अतिरिक्त हथ-करघा उपकर	जोड़
(i) मध्यम-बी कोरा कपड़ा		4.40	–	6.00 1.90	12.30
(ii) मोटा-कोरा कपड़ा		2·20	–	3.60 1.90	7.70

†चीनी तथा सूती कपड़े के मामले में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, बिक्री कर के स्थान पर लगाया जाता है।

††अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की मात्रा को तेल कम्पनियों द्वारा वहन किये जाने की अपेक्षा है।

कराधान व्यवस्था में सुधारों के बारे में भारी उद्योग मंत्री के सुझाव

4275. **श्री मुहम्मद शरीफ**
श्री ईरा सैझियान } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कराधान व्यवस्था में सुधार के बारे में 23 जून, 1973 को भारी उद्योग मंत्री द्वारा हैदराबाद में दिये गये सुझावों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 23 जून, 1973 को हैदराबाद में दिये गये अपने भाषाणों में भारी उद्योग मंत्री श्री टी० ए० पै ने कर प्रणाली में सुधार करने का कोई सुझाव नहीं दिया था। इसलिये, इस सम्बन्ध में, किसी प्रस्ताव पर विचार किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

Loan given by Nationalised Banks to Persons in Gujarat District having less than Five Bighas of Land

4276. Shri Amar Singh Chaudhary : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether nationalised banks have given loans to persons in Surat District (Gujarat) having less than five bighas of land during the last two years ;

(b) whether loans have been given to the persons having more than five bighas of land ; and

(c) the names of the banks which gave loans indicating the total amount of loan given by each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) and (b) The public sector banks have been laying special emphasis on meeting the needs of small farmers.

(c) Bankwise data on loans given to cultivators in Surat District are not readily available. The aggregate outstanding advances to agriculture (excluding plantations) in respect of 86 reporting offices out of 99 offices of scheduled commercial banks in Surat District at the end of June 1972 amounted to Rs. 1·29 crores.

Fixation of Jute Price

4277. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of jute likely to be produced in the ensuing season and the cost of production of jute per quintal;

(b) whether the trade unions have demanded that the price of jute should be fixed at least at Rs. 60 per maund; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The industry and trade expect it to be about 75 lakh bales. The cost of production has been estimated to be ranging between Rs. 56·81 and Rs. 73 per quintal.

(b) There have been varying claims made by the different trade Unions.

(c) On the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission, Government have fixed the minimum support price of raw jute (Assam bottom variety) at Rs. 125 per quintal during the current season. However, it has been suggested to the Jute corporation of India to purchase raw jute as far as possible with a view to achieve on the average a price of Rs. 157·68 per quintal.

जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को एसोसिएशनों के संघ के साथ वर्ष 1970 में किये पदोन्नति नीति संबंधी करार का उल्लंघन

4278. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की एसोसिएशनों के संघ के साथ वर्ष 1970 में किये गये पदोन्नति नीति सम्बन्धी करार का उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम में नियुक्त भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा वरीयता और वेतन के निर्धारण में सुविधा हेतु किए गए अभ्यावेदन

4279. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय जीवन बीमा निगम म पुन: नियुक्त भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा दिए गए अध्यावेदनों की ओर दिलाया गया है जिनमें उन्होंने मांग की है कि उनको बरीयता और वेतन निर्धारण की सुविधा दी जाए जैसी कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में पुन: नियुक्त भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी विनियम 1960 की शर्तों के अनुसार सीधे भर्ती द्वारा आये सभी उम्मीदवारों को बराबर रखा जाना है, इसलिए जीवन बीमा निगम ने भूतपूर्व आपात कमीशन अधिकारियों को वरीयता और वेतन निर्धारण के मामले में विशेष लाभ देना सम्भव नहीं पाया। उनको पद-आरक्षण, आयु तथा शैक्षिक योग्यताओं में ढील का लाभ तो दिया ही गया है।

Fixing of Jute procurement target by JCI

4280. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the procurement target for jute fixed by Jute Corporation of India for the ensuing crop ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : The Jute Corporation of India plans to purchase 10 to 12 lakh bales of raw jute as a part of its commercial operation during 1973-74 season. In addition another 5 to 10 lakh bales is proposed to be purchased for building up a buffer stock

फाइव स्टार होटलों में ठहरने के किराये में वृद्धि

4281. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में देश में फाइव स्टार होटलों में ठहरने के किरायों में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में गत तीन वर्षों में 1 जनवरी को इन होटलों में एक पलंग वाले कमरों में ठहरने का कितना किराया लिया जाता था ;

(ग) किरायों में वृद्धि करने के क्या कारण थे ; और

(घ) विदेशों से अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिये किरायों को उचित सीमा के अन्दर रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। पांच स्टार श्रेणी में अभी तक वर्गीकृत होटलों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(ग) होटल दरों (होटल टैरिफ्स) में वृद्धि के मुख्य कारण हैं सामान्य मूल्य वृद्धि के कारण उच्च परिचालन व्यय तथा ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं व सेवाओं पर व्यय जिनकी व्यवस्था करने में भारी वित्तीय परिव्यय सम्मिलित होता है, की व्यवस्था पर व्यय।

(घ) पर्यटन विभाग ने अपनी अनुमोदित सूची में सम्मिलित सभी होटलों के लिए कुछ विनियामक शर्तें निर्धारित की हैं जिन के अनुसार उन्हें दरों में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में 5-स्टार होटलों में एक पलंग वाले कमरों का किराया (सिंगल अकुपैंसी टैरिफ) दिखाने वाला विवरण

	1 जनवरी, 1971	1 जनवरी, 1972	1 जनवरी, 1973
	रुपये	रुपये	रुपये
दिल्ली			
(i) अशोक होटल	80-90	85-90	120
(ii) ओबेराय इन्टरकान्टीनेन्टल	100-120	120-150	130-170
(iii) क्लेरिजिस होटल	65-70	85	85
(iv) होटल इम्पीरियल	70*	70-90*	85*
बम्बई			
(i) ताज महल होटल	75	90-110	90-110
(ii) सन-एन-सैंड होटल	70-80	75	80-104
कलकत्ता			
(i) ओबेराय ग्रांड	85	75-95	95-135
(ii) होटल हिन्दुस्तान इन्टरकांटीनेंटल	70-95	85	95

*इन दरों में सुबह का नाश्ता भी शामिल है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई कुल कारों में से भारतीय पर्यटन विकास निगम को आवंटित कारें

4282. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत् तीन वर्षों में भारतीय राज्य व्यापार निगम ने प्रति वर्ष कुल कितनी कारें आयात कीं ;

(ख) इन में से पर्यटकों को लाने ले जाने के लिये भारतीय पर्यटन विकास निगम को कितनी कारें आवंटित की गई तथा कितनी कारें उन गैर-सरकारी आपरेटरों को आवंटित की गई जो सारे देश में यही कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या गैर-सरकारी आपरेटरों से घटे मूल्य पर आयातित कारों को राज्य व्यापार निगम को लौटाने का आदेश दिया गया है, और यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(घ) क्या इस आदेश के विरोध में गैर-सरकारी आपरेटरों ने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) शून्य।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी गई आयातित कारों में से भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा गैर-सरकारी आपरेटरों को आवंटित की गई कारों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	भा० प० वि० नि०	गैर-सरकारी आपरेटर	योग
1970-71	0	77	77
1971-72	1	76	77
1972-73	8	50	58

(ग) गैर-सरकारी आपरेटरों को अनुचित रूप से मुनाफा कमाने से रोकने के लिए राज्य व्यापार निगम इन कारों को घटी कीमत पर दोबारा खरीद सकती है।

(घ) जी हां। सरकार ने उनका सुझाव स्वीकार नहीं किया है।

गत तीन वर्षों में भारतीय पर्यटन विकास निगम को मोटर कारों से हुआ लाभ/हानि

4283. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रयोग में लाई जा रही कारों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितनी कारें आयातित हैं और कितनी भारत में निर्मित हैं ;

(ग) कितनी बड़ी आयातित कारें अधिकारियों के काम में लाई जा रही हैं और पर्यटन के प्रयोजन के लिये उनका प्रयोग न किये जाने का क्या औचित्य है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में भारतीय पर्यटन विकास निगम की मोटरगाड़ियों के चलन से कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) निगम के चालू बेड़े (फ्लीट) में 173 कारें हैं।

(ख) आयातित कारें 107
भारत में निर्मित कारें 66
(अम्बेसेडर)

(ग) कोई भी आयातित पर्यटक कारें स्टाफ कार के रूप में प्रयोग में नहीं लायी जा रही हैं ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिये परिवहन परिचालनों के लाभ/हानि की स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लाभ/हानि
	(लाख रुपयों में)
1970-71	0.19 (−)
1971-72	0.36 (+)
1972-73	1.99 (+)*

*लेखा-परीक्षा होनी है ।

Sale of Smuggled Goods in Bihar

4285. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published under the caption "Videshi mal ka taskar vyapar" (Smuggling of foreign goods) in the 'Pradeep' the 29th July, 1973 brought out from Patna; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes. The news-item has come to the notice of the Government.

(b) The news-item refers to smuggling in the Nirmali Sector (Bihar) of the Indo-Nepal Border. Smuggling of foreign goods imported by Nepal as well as Nepal produced ganja has been in existence. Smuggling by men as well as women and involvement of inter-state smugglers have also come to notice earlier.

Nepalese motor vehicles are permitted to travel upto the nearest rail-head in India subject to supervision by Indian Customs authorities.

Customs Preventive Units are posted all over the Indo-Nepal Border including Nirmali and Jhanjarpur in this sector. These preventive units have adequate supervisory officers and the entire border is under the overall charge of a Collector of Customs (Preventive) at Patna.

Motor vehicle, fire-arms and specialised training has been arranged for these Customs Preventive Units.

Prohibitions and restrictions have been imposed on goods being smuggled between India and Nepal.

H.M.G. Nepal have also been persuaded to revise their Trade and Tariff Policy to curb Indo-Nepal smuggling and deflection of trade. Their recent measures—canalisation of export of raw jute only through the Public Sector curbs on sale and cultivation of ganja, anti-smuggling measures of Nepalese Customs Staff, have all been further helping prevention of Indo-Nepal smuggling.

Special arrangements have also been made for better collection of intelligence and co-ordination of preventive drive by different agencies of the State and Central Government.

Time bound programme in regard to make available Text Books on Banking and, other allied subjects in Hindi

4283. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 989 on the 27th July, 1973 and state :

(a) whether Government have some time-bound programme to make available text books on Banking and other allied subjects in Hindi ;

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) Under the scheme of production of University level books in Indian languages including Hindi, five autonomous organisations called Hindi Granth Akademies set up in Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh have selected 18 titles on Banking for translation from English to Hindi. Two books, viz. (i) Money Theory by George N. Halm; and (ii) Modern Banking by R.S. Sayers have since been produced. Sixteen other books are under process of Hindi translation. The work is in progress. No time-bound programme has been envisaged.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या

4287. श्री आर० एन० वर्मन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये, श्रेणीवार, आरक्षित कितने रिक्त स्थान वर्ष 1972 में नहीं भरे गये और आगामी वर्ष में ले जाये गये हैं ; और

(ग) उस वर्ष में ये रिक्त स्थान न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) मंत्रालय (मुख्य)-**पर्यटन विभाग**, भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा रेल सुरक्षा आयोग के बारे में अपेक्षित सूचना

दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । नागर विमानन विभाग के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में काम करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये श्रेणीवार आरक्षित रिक्त स्थान जो वर्ष 1972 में नहीं भरे गये और वर्ष 1973 में ले जाये गये तथा उस वर्ष में ये रिक्त स्थान न भरे जाने के कारणों को दिखाने वाला विवरण

(क) कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
मंत्रालय (मुख्य)	53	4
पर्यटन विभाग	49	12
भारत मौसम-विज्ञान विभाग	773	149
रेल सुरक्षा आयोग	9	—

(ख) रिक्त स्थान जो वर्ष 1972 में नहीं भरे गये और आगामी वर्ष में ले जाये गये

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
मंत्रालय (मुख्य)		
श्रेणी –II	1	1
श्रेणी–III	3	3
पर्यटन विभाग		
श्रेणी–III	1	1
भारत मौसम-विज्ञान विभाग		
श्रेणी–I	—	3
श्रेणी–II	5	11
श्रेणी–III	—	11

	रिक्त स्थान जो वर्ष 1972 में नहीं भरे गये और आगामी वर्ष में ले जाये गये	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
रेल सुरक्षा आयोग		
श्रेणी–III		1
(ग)	उक्त वर्ष के दौरान ये रिक्त स्थान न भरे जाने के कारण योग्य उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना ।	

वाणिज्य मंत्रालय में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4288. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में इस समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये श्रेणीवार आरक्षित कितने स्थान वर्ष 1972 में नहीं भरे गये थे और आगामी वर्ष में ले जाये गये थे ; और

(ग) उस वर्ष में इन रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5490/73]

भारत और अमरीका के बीच आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाया जाना

4289. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटिड स्टेट्स बिजनेस मिशन हाल ही में भारत में आया था और दो देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये भारत सरकार के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मिशन के साथ हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप कोई करार किया गया है या किये गये हैं ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक सम्बन्ध कहां तक सुदृढ़ होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

1973–74 में विदेशी मुद्रा की आय

4290. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ख) क्या चालू वर्ष में विदेशी मुद्रा की आय में कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप भुगतान शेष की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख) शोधन शेष के सम्बन्ध में 1971–72 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी विभाग द्वारा संकलित सीमाशुल्क के आंकड़ों के अनुसार, 1971–72 में दिए गए 1607 करोड़ रुपये के निर्यात के मुकाबले 1972–73 में 1,961.5 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया। यह भी पता चला है कि गत वर्ष में लगभग 42 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुकाबले 1972–73 में प्रारक्षित निधि में कमी हुई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के वित्त–पोषण के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधाएं देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से अनुरोध

4291. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधाएं दिये जाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोष से कितना ऋण मांगा गया है ; और

(ग) उसकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

Loan asked for by Electricity Board of U.P. for Rural Electrification from Punjab National Bank

4292. Dr. Govind Das Richhariya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Electricity Board of Uttar Pradesh has asked for a loan from the Punjab National Bank for rural electrification programme keeping in view the backwardness of Jhansi ;

(b) if so, the amount of loan asked for; and

(c) the time by which the said loan would be sanctioned ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) The Punjab National Bank has received proposals for rural electrification in respect of four districts of Uttar Pradesh, including Jhansi, for an amount

of Rs. 302·54 lakhs. These proposals are being technically appraised in consultation with the Rural Electrification Corporation and a decision will be taken on them after careful consideration of all the issues involved.

Development of Places of Cultural and Historical Importance in Bundelkhand Area

4293. Dr. Govind Das Richhariya : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are many worth-seeing places of cultural and historical importance in Bundelkhand area and particularly in Jhansi District;

(b) if so, the action being taken by Government particularly for the development and maintenance of Jhansi Fort, Palace of Rani Laxmi Bai, Gangadhar Rao Memorial, ancient temples of Porcha, ancient fort and Ashram of Barua Sagar, ancient temples of Deogara, Chitrakoot, Mahowa and Kalinjhar with a view to promote tourism; and

(c) the amount provided by Government for the promotion of tourism in the Bundelkhand area ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Ye Sir.

(b) The Department of Tourism has no funds for the preservation and maintenance of historical and archaeological monuments; this is the responsibility of the Archaeological Departments of the Central and State Governments.

(c) Due to constraint on resources and other priorities no funds have been earmarked in the central sector for the development of tourism in the Bundelkhand area.

फालतू पुर्जों की कमी के कारण अप्रयुक्त पड़े निर्माण उपकरण

4294. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1973 के "कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आइडलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सामान्य बनाने के लिये फालतू पुर्जों का आयात करने अथवा देशी उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा का आवंटन इस उद्देश्य से किया गया है कि मूल्य सुव्यवस्थित आयातक अपने पास निर्माण सम्बन्धी उपकरणों के लिये आवश्यक फालतू पुर्जों का

पर्याप्त भंडार रख सकें ताकि निर्माण सम्बन्धी ऐसे उपकरण फालतू पुर्जों की कमी के कारण बन्द न हो जायें। जहां तक सम्भव है आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में वैसी वस्तुएं बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पूना और कोल्हापुर में चीनी का वायदा बाजार

4295. **श्री वसंत साठे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जुलाई, 1973 के "इकानोमिक टाइम्स" में "इल्लीगल हैजिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) वायदा बाजार आयोग मामले की जांच कर रहा है तथा अपेक्षित रूप में उचित कार्यवाही करेगा।

लोह अयस्क का निर्यात

4296. **श्री देवेन्द्र सिंह गरवा**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से लौह अयस्क का निर्यात करने में उचित परिवहन व्यवस्था, पत्तन सुविधाओं और बड़े पैमाने की आधुनिक खनन सुविधाओं का अभाव बाधक है और यह इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मुकाबला करने में रुकावट है ;

(ख) क्या गंदगी से बचने और अधिक श्रम लागत के कारण आयातकर्ता देश केवल परिष्कृत लौह अयस्क खरीदने के पक्ष में दिखाई देते हैं ताकि वे उसे सीधे अपनी धमन भट्टियों में भेज सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या तुरन्त उपाय किये जा रहे हैं कि भारत अपने प्रतिद्वन्दी देशों के सख्त मुकाबले के कारण विदेशी मंडियों को अपने हाथ से खो न बैठे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) सरकार, गहरे डुबाव वाले पक्षों के विकास, रेल परिवहन क्षमताओं के संवंधन तथा खानों के बड़े पैमाने पर मशीनी कारण के लिए बहुत सी परियोजनाएं पर कार्य कर रही है। अयस्क के पेलिटिजेशन तथा बैनीफिकेशन के लिए परियोजनाएं विचाराधीन है। एक पेलीटि-जेशन संयंत्र निर्माणाधीन है।

सरकारी उद्यम ब्यूरो के कार्य के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विचार

4297. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० पाठक के सभापतित्व में बनाई गई सरकारी उद्यमों सम्बन्धी कार्यवाही समिति ने सरकारी उद्यम ब्यूरो के कार्य के बारे में कुछ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विचार पूछे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही समिति को सभी उद्यमों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ग) क्या सरकारी उद्यमों के अधिकांश मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने सरकारी उद्यम ब्यूरो के कार्य की आलोचना की है और ब्यूरो को बन्द करने के पक्ष में जोरदार तर्क दिये हैं ताकि वे उसके हस्तक्षेप के बिना अधिक कार्यकुशलता से काम कर सकें ; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जिन उद्यमों को लिखा गया था उनमें से कुछ ने उत्तर भेज दिये हैं।

(ग) जी, नहीं। किन्तु उद्यम कार्यालय के कार्यों और काम करने के उसके तरीकों में सुधार करने तथा उनमें फेर बदल करने के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं।

(घ) कार्यवाही समिति की रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है।

देश की सांस्कृतिक परम्परा पर वृत्त चित्र बनाने और उन्हें कुछ चुने हुए पर्यटक स्थलों पर दिखाने का प्रस्ताव

4298. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सांस्कृतिक परम्परा पर वृत्त चित्र बनाने और उन्हें चुने हुए पर्यटक स्थलों पर दिखाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में भारत की सांस्कृतिक परम्परा तथा प्राकृतिक दृश्यों व पर्यटक आकर्षणों पर कई वृत्तचित्र सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग तथा अन्य स्रोतों से खरीदे हैं। ये चित्र भारतीय तथा विदेश-स्थित पर्यटन कार्यालयों की फिल्म लाइब्रेरियों में दिखाने के लिए रखे हुए हैं। हमारे भारतीय तथा विदेश-स्थित पर्यटन कार्यालयों में स्टाक की गयी भारत की सांस्कृतिक परम्परा सम्बन्धी कुछ चुनी हुई फिल्मों की सची संलग्न है।

विवरण

फिल्मों की सूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	प्रदर्शन समय
1	बनारस	17 मिनट
2	भारत नाट्यम	12½ मिनट
3	डांसिंग फीट	20 मिनट
4	दिल्ली-भारत की ऐतिहासिक राजधानी	20 मिनट
5	स्त्रियों के फैशन (भारतीय ज्यूलरी)	12 मिनट
6	त्यौहार-समय	10 मिनट
7	चार शताब्दी पूर्व-फतहपुर सीकरी तथा ताजमहल की कहानी	11 मिनट
8	भारतीय शादी पर निमंत्रण	20 मिनट
9	खजुराहो	16 मिनट
10	कोणार्क	22 मिनट
11	भारतीय संगीत (ड्रम्स)	10 मिनट
12	भारतीय संगीत (वाद्य)	10 मिनट
13	राधा तथा कृष्ण—लघु हस्तचित्रों (पेंटिंग्स) के माध्यम से राधा और कृष्ण की कहानी	10 मिनट
14	ताजमहल	12 मिनट
15	पूवनम–दक्षिण भारत की सैर	
16	अकबर	
17	बुद्ध के चरण चिन्हों पर—1971 में टोकियो में उत्पादित	20 मिनट

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सीधे ऋण देने की दर का बढ़ाया जाना

4299. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने भी सीधे ऋण देने की दर बढ़ाने का निर्णय किया है जैसा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, बैंक दर में वृद्धि के बाद किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने प्रतिशत ; और

(ग) नई दर कब से लागू होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने जो ऋण रुपये तथा विदेशी मुद्रा के रूप में मंजूर किये हैं उनके सम्बन्ध में लिये जाने वाले ब्याज की दरों में 12 जुलाई, 1973 से 1/2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। संशोधित ब्याज की दरें तथा संशोधन से पूर्व की दरें निम्न प्रकार हैं :—

रुपया ऋण	12 जुलाई, 1973 से ब्याज की दरें (सकल)	संशोधन से पूर्व ब्याज की दरें (सकल)
(क) सामान्य दरें	9½ प्रतिशत प्रतिवर्ष	9 प्रतिशत प्रति वर्ष
(ख) जूट उद्योग तथा निर्यात प्रधान सूती वस्त्र मिलों को ऋण देने की नरम दरें	8½ प्रतिशत प्रतिवर्ष	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ग) अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिये रुपया ऋणों के लिए ब्याज की दरें	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष	7 प्रतिशत प्रतिवर्ष
विदेशी मुद्राओं में उप-ऋण	10 प्रतिशत प्रतिवर्ष	9½ प्रतिशत प्रतिवर्ष

मूलधन की किस्तों की पुर्नअदायगी और ब्याज की अदायगी ठीक समय पर की जाय तो ब्याज की उपर्युक्त दरों में आधा प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से और छूट दी जायेगी।

उपर्युक्त संशोधन, सार्वधिक ऋण दात्री अन्य संस्थाओं के अनुरूप, अन्य बातों के साथ-साथ बाजार में प्रचलित ब्याज की दरों के ढ़ांचे और बैंक ब्याज की दर में 31 मई, 1973 से 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत थी, की गयी वृद्धि तथा निगम द्वारा उधार लेने पर आये खर्च में हुई वृद्धि को ध्यान में रख कर किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित दुकानों पर जब्त किये गये माल का बेचा जाना

4300. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित दुकानों पर तस्करी का माल बेचा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस समय सहकारी भण्डारों और अन्य सरकारी दुकानों पर तस्करी का माल बेचा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस नये निर्णय से क्या लाभप्रद प्रयोजन सिद्ध होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने 'जब्त किये गये माल के निपटान पर समिति' की सिफारिश स्वीकार कर ली है और ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि जब्त की गयी घड़ियों को, जो पर्यटकों की पसंद की हो सकती हैं, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित पारगमन विश्राम-कक्षों में भारतीय पर्यटन तथा विकास निगम द्वारा चलाई जाने वाली शुल्क-मुक्त दुकानों में विदेशी मुद्रा के एवज में बेचा जाय। जब्त किये गये अन्य माल की ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में हाल ही में दिया गया एक सुझाव विचाराधीन है।

(ख) ऐसी बिक्री द्वारा सरकार कुछ विदेशी-मुद्रा अर्जित कर सकेगी।

(ग) जब्त किया गया उपभोक्ता माल सहकारी समितियों तथा सुपर बाजारों द्वारा बेचा जा रहा है, जिनको ऐसे माल की सप्लाई राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ अथवा इसके संघटक एककों से प्राप्त होती है।

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) में कहा गया है।

डालर के मूल्य में गिरावट का भारत के निर्यात पर प्रभाव

4301. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालर के मूल्य में गिरावट का भारत के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या पटसन से बनी वस्तुओं के मूल्य अधिक होने के कारण भारतीय निर्यातक अमरीकी बाजार में माल बेचने में असमर्थ हो रहे हैं ; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) क्योंकि 1973 की वर्तमान अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को भारत के निर्यातों के बारे में व्यापार आंकड़े उपलब्ध नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है, अतः संयुक्त राज्य अमरीका को किये जाने वाले हमारे निर्यातों पर डालर के अवमूल्यन के प्रभाव के बारे में सही सही बताना संभव नहीं है। तथापि, अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य बढ़ने के कारण (जिससे कि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद पहले की अपेक्षा कुछ अधिक मंहगे हो जाने की संभावना है) संयुक्त राज्य अमरीका को हमारे निर्यातों में कुछ कमी आने की संभावना है।

अमरीका तथा अन्य बाजारों में भारतीय पटसन माल की प्रतियोगिता स्थिति सुधारने के उद्देश्य से 12 जून, 1973 से प्राथमिक कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क को 300 रु० प्रति मे० टन से घटा कर 200 रु० प्रति मे० टन और गौण कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क को 700 रु० प्रति मे० टन से घटा कर 300 रु० प्रति मे० टन कर दिया गया है।

30 जुलाई, 1973 को पालम हवाई अड्डे पर एक विमान में बम रखे जाने सम्बन्धी झूठे खतरे के कारण उड़ानों में विलम्ब

4302. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री पी० ए० स्वामिनाथन } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जुलाई, 1973 को पालम हवाई अड्डे पर एक विमान में बम रखे जाने के बारे में झूठे खतरे के कारण उड़ानों में विलम्ब हुआ था ;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय सुदृढ़ करने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या इन हवाई अड्डों पर कुछ गुप्तचर भी तैनात किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। 30 जुलाई, 1973 को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को टेलिफोन द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति से बम रखे जाने की धमकी प्राप्त हुई थी। किन्तु इस कारण दिल्ली से बाहर जाने वाली इंडियन एयरलाइन्स की किसी उड़ान में विलम्ब नहीं हुआ।

(ख) और (ग) चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर सुरक्षा प्रबन्धों को सुव्यवस्थित करने के लिये पहले से ही उपाय कर लिये गये हैं। यह भी निर्णय कर लिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों पर चौकीदारी व्यवस्था के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया जायेगा। दिल्ली में यह बल पहले से ही अर्थात् 10 अगस्त, 1973 से तैनात है।

(घ) इस की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है।

मैसूर में उद्योगों के विकास में संस्थागत वित्त संस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश

4303. **श्री टी० वी० चन्द्र शेखर-पा बीरबासप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० एफ० सी० ; आई० सी० आई० सी० आई० ; आई० डी० बी०_जैसे संस्थागत वित्तीय संस्थाओं ने महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश की तुलना में मैसूर राज्य में उद्योग के विकास में कितना पूंजी निवेश किया ; और

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश की तुलना में मैसूर में सूखा की स्थिति का सामना करने के लिये वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक कितनी राशि दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसी अखिल भारतीय सावधिक वित्तीय संस्थान, विभिन्न राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक सहकारिताओं को नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना तथा वर्तमान औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक सहकारिताओं के विस्तार आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता देते हैं। वे राज्यों को अभाव की स्थिति को दूर करने के लिये सहायता नहीं देते।

मैसर, महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत और वितरित सहायता इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	निम्न द्वारा दी गई वित्तीय सहायता					
	औद्योगिक वित्त निगम (30-6-73 को)		भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (31-3-73 को)		भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निगम (30-6-73 को)	
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित
मैसूर	2,949.96	2,265.54	2,231.00	1,516.00	4,779.00	2,800.00
महाराष्ट्र	9,937.42	8,052.96	14,177.00	10,612.00	19,808.00	16,671.00
गुजरात	3,133.74	2,562.81	4,622.00	3,508.00	7,929.00	5,819.00
आन्ध्र प्रदेश	2,889.68	2,547.80	1,485.00	1,043.00	3,196.00	2,987.00

एयर इंडिया की मास्को की उड़ान

4304. श्री हरिकिशोर सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने मास्कों को सप्ताह में तीन बार तक विमान सेवाएं बढ़ाने सम्बन्धी अपनी योजना स्थगित कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एयर इंडिया की मास्कों के लिये अपनी उड़ानों में वृद्धि करने की कोई योजनाएं नहीं हैं, क्योंकि ऐसा विचार है कि यातायात वहन की इसकी प्रस्तुत क्षमता वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है।

भारत-जर्मन व्यापार पर जर्मन करेन्सी के पुनर्मूल्यन का प्रभाव

4305. श्री हरिकिशोर सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी की मुद्रा में हाल ही में हुए 5.5 प्रतिशत पुर्नमूल्यन से भारत-जर्मन व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाईन्स द्वारा अपने भूतपूर्व कर्मचारियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा

4306. श्री हरिकिशोर सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाईन्स ने अपने भूतपूर्व कर्मचारियों को निशुल्क यात्रा की सुविधाएं दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इण्डियन एयरलाईन्स को इस के कारण कितने अनुमानित राजस्व की हानि हुई है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस के सेवा विनियमों में 1 अप्रैल 1973 को संशोधन किया गया था जिसके अनुसार यदि कोई कर्मचारी लगातार कम से कम 20 वर्ष की सेवा कर के कारपोरेशन से सेवानिवृत होता है तो वह हर कैलेंडर

वर्ष में एक नि:शुल्क टिकट अथवा हर दूसरे कैलेंडर वर्ष 2 नि: शुल्क टिकट तथा हरेक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दो 75 प्रतिशत छूट प्राप्त टिकट ले सकता है। यह व्यवस्था वास्तव में 1-1-1973 से लागू की गयी थी तथा कर्मचारी कल्याण उपायों के एक अंग के रुप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नि:शुल्क अथवा रियायती टिकटें दी जा रही हैं।

(ग) और (घ) क्योंकि ये टिकटें तभी प्रदान की जाती हैं जब बची हुई खाली सीट उपलब्ध होती हैं इसलिए कारपोरेशन को किसी प्रकार के राजस्व की हानि नहीं उठानी पड़ती।

संयुक्त राज्य अमेरिका को कटलरी का निर्यात

4307. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को कटलरी के निर्यात पर कोटा प्रणाली का किस हद तक प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) बाधाओं को हटाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका के कतिपय किस्मों के स्टेनलेस स्टील टेबलबेयर/फ्लैटवेयर के आयात के लिए 19.44 करोड़ अदद प्रति वर्ष का कोटा निर्धारित किया है। कोटे का अधिकांश भाग उन देशों को आबंटित किया गया है जो संयुक्त राज्य अमरीका को इन मदों के मुख्य निर्यातक रहे हैं। उसमें से लघु अवशिष्ट मात्रा अन्य देशों के लिए रखी गयी है जिनमें भारत भी शामिल है संयुक्त राज्य अमरीका के कोटा स्तर पर जो आयात किये जाते हैं उन पर आयात शुल्क अपेक्षाकृत कम दर पर चार्ज किया जाता है जब कोटा सीमा से बाहर आयातों पर किए जाने वाले आयात शुल्क की दर अपेक्षाकृत ऊंची होती है इस प्रकार भारत से ऐसे टेबलवेयर के निर्यात के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) इस बात के प्रयास किये गए थे कि भारत के लिए एक पृथक कोटा आबंटित कराया जाए परन्तु ये प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दिया जाना

4308. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिज़र्व बैंक द्वारा चालू वर्ष में केरल राज्य में सहकारी कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता दी जायगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी क्षेत्र को कोई प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता किन्तु बैंकों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल राज्य सहकारी बैंक को, केरल में विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए मौसमी कृषि कार्यों के लिए 18.50 करोड़ रुपये, कृषि प्रयोजनों के लिए मध्यम अवधि के ऋणों के लिए 38 लाख रुपये और बुनकर समितियों को वित्त देने के लिए 64.82 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। केरल हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के लिए ऋण सीमा के रूप में कुल 60 लाख रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने (जो भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक है) अपनी स्थापना से लेकर 30 जून, 1973 तक केरल राज्य के विभिन्न औद्योगिक एककों के लिए 17.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं।

केरल के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा दिया गया ऋण

4309. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) जून, 1972 से जून, 1973 तक जिलावार कितने-आवेदन पत्र दिये गये थे ;

(ग) क्या आदिवासी और अनुसूचित जाति के आवेदकों को ऋण नहीं दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केरल राज्य में जून, 1972 के अंतिम शुक्रवार को राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जिलावार बकाया अग्रिमों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है :

जिले का नाम	अग्रिम (लाख रुपयों में)
त्रिवेन्द्रम	1,632
क्वीलोन	2,101
एलेप्पी	1,019
कोट्टायम	933
अर्नाकुलम	5,022
त्रिचूर	1,151
पालघाट	473
इदिक्की	77
कोजीकोडे	1,215
मालापुरम	200
कन्नानोर	910
जोड़ ..	14,733

(ख) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को जो नियत कालिक सूचना भेजी जाती है उसमें बैंक कार्यालयों द्वारा कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं होती है ।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों सहित सभी आवेदन पत्रों पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ इस बारे में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है ।

केरल में कोचीन में एक असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण

4310. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोचीन में असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण में अब तक कुछ प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) संभावित स्थलों की सर्वेक्षण रिपोर्टों का मूलांकन किया जा रहा है ।

केरल में कालीकट के निकट काड़ीपुर में हवाई अड्डे का निर्माण

4311. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कालीकट के निकट काड़ीपुर में हवाई अड्डे के निर्माण में अब तक कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और कब पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) और (ख) योजनाऐं तथा प्राक्कलन तैयार कर लिए गए तथा कार्य के पांचवीं योजनावधि के दौरान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

भारत में घड़ियों की तस्करी को रोकने के लिए कार्यवाही

4312. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घड़ियों की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी तस्करी को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में तस्कर-आयात की कोशिश किये जाते समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर पकड़ी गई विदेशी घड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश में विदेशी घड़ियों का तस्कर-आयात भारी मात्रा में किया जा रहा है ।

(ख) तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय तथा इस संबंध में किये जाने के लिए प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार हैं :—

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह हो उनकी निगरानी करना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना तथा समुद्रतट और भूसीमाओं के सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना प्रभावी रूप से मार्ग में रोकने, रोकथाम आदि के लिए समय-समय पर अतिरिक्त लांच-नौकाओं और वाहनों की व्यवस्था की जा रही है । सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तस्कर-विरोधी कार्य की अनन्य रूप से देखभाल करने के लिए सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, सीमाशुल्क के अपर समाहर्ताओं तथा सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है । कतिपय वस्तुओं के अवैध आयात को रोकने और उनके पता लगाये जाने को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन के निमित्त विशेष उपाय करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं । तस्कर-व्यापार संबंधी अपराधों के लिए अधिक कठोर दण्ड देने तथा खामियों को दूर करने के निमित्त सीमाशुल्क अधिनियम 1962 से अतिरिक्त संशोधन करने के लिए संसद द्वारा विधेयक पास किया गया है । समुद्र में तेज रफ्तार में चलने वाली नौकाओं को प्राप्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

तस्कर व्यापार विरोधी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है । स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

बम्बई और कलकत्ता के मिट्रो सिनेमा घरों को नियंत्रण में लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रस्ताव

4313. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री बम्बई और कलकत्ता के मीट्रो सिनेमाघरों को नियंत्रण में लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव के बारे में 27 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता और बम्बई के मीट्रो सिनेमाघरों के शेयरों के मैसर्स ट्रामरसा एस० ए० आफ जैनेवा की स्थानान्तरण के कानूनी औचित्य को अब अस्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स ट्रामरसा की ओर से कार्य कर रही कुछ भारतीय निजी पार्टियों द्वारा इन सिनेमाघरों की कथित अनियमित खरीद के बारे में अभी तक जांच की जा रही है; और

(ग) यदि जांच कार्य बीच में ही समाप्त कर दिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यह लेन-देन एक अनिवासी कम्पनी के शेयरों के सम्बन्ध में दो अनिवासियों के बीच था । चूंकि विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनिवासी हैं, इसलिये विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1947 के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में विमानों की कुल उपलब्धता/आवश्यकता

4314. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में कुल कितने विमान हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने विमान अब भी चलाए जा रहे हैं जिनकी जीवनावधि पूरी हो चुकी समझी जाती है ;

(ग) इन दोनों सेवाओं में विमानों की पृथक्-पृथक् उपलब्धता/आवश्यकता कितनी-कितनी है ; और

(घ) उपलब्धता और आवश्यकता का अन्तर दूर करने और इन सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइंस के विमानों की संख्या तथा उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

एयर इण्डिया		**इण्डियन एयरलाइंस**	
विमान का प्रकार	संख्या	विमान का प्रकार	संख्या
बोइंग–707	9	बोइंग 737	6
बोइंग-747	4	कारवेल	7
		एफ-27	9
कुल	13		
		एच० एस०-748	15
		वाई काऊंट	6
		डी० सी०-3	7 (इस में एक माल-वाहक भी सम्मिलित है)
		कुल	50

(ख) कोई निश्चित जीवनावधि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इंण्डिया द्वारा परिचालित सभी विमान उड़न-योग्यता प्रमाण पत्रों के अन्तगत आते हैं । तथापि, इण्डियन एयरलाइंस का, पांचवीं योजनावधि के दौरान अपने कुछ पुराने विमानों की छटनी करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) एयर इण्डिया ने दिसम्बर 1974 में सप्लाई किये जाने के लिए एक बोइंग 747 विमान की खरीद के लिए बोइंग कम्पनी को एक आशयपत्र दिया है। उन का पांचवीं योजना के दौरान दो चौड़े ढांचे वाले सबसौनिक जेट विमान खरीदने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने इण्डियन एयरलाइंस द्वारा 3 कारवेल विमान 18 महीने की अवधि के लिए लीज़ पर प्राप्त करने तथा 31 मई 1973 को नष्ट हुए विमान के स्थान पर एक बोइंग 737 की खरीद के लिए बोइंग कम्पनी को आशयपत्र देने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। यह विमान अक्तूबर/नवम्बर 1974 के दौरान प्राप्त हो जाएगा। अपने विमान बेड़े की धारिता को बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इण्डियन एयरलाइंस ने सरकार को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जोकि विचाराधीन हैं।

त्रिपुरा में मध्यम दर्जे का एक पटसन कारखाना लगाना

4315. श्री दशरथ देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में मध्यम दर्जे का एक पटसन कारखाना लगाने के लिए कोई अन्तिम योजना बना ली है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह योजना कब तैयार की जाएगी और घोषणानुसार त्रिपुरा में कार्य कब आरम्भ हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 13,872 मे० टन टाट तथा हेसियन का उत्पादन करने के लिए 200 करघों की क्षमता वाला पटसन मिल स्थापित करने के लिए त्रिपुरा सरकार को एक आशय पत्र जारी किया गया है। आशय पत्र 29 जुलाई, 1974 तक वैध है।

त्रिपुरा में हथकरघा कुटीर उद्योग के लिए सूत की कमी

4316. श्री दशरथ देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में उचित दामों पर सूत न मिलने से वहां के हथकरघा कुटीर उद्योगों, विशेषकर उन उद्यागों को जो आदिवासी मणिपुरी महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, बहुत हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कुटीर उद्योगों को बचाने के लिए सरकार राज्य सरकार के माध्यम से क्या सहायता देगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) बिजली की कटौतियों के परिणामस्वरूप देश में धागा उत्पादन में कमी आई है। इस संदर्भ में, सरकार को त्रिपुरा राज्य में धागे की कमी के सम्बन्ध में कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं।

(ख) वस्त्र आयुक्त आबंटन हेतु उपलब्ध मात्राओं में से राज्य सरकार की आवश्यकताओं के पैटर्न के अनुसार धागे के आबंटन कर रहा है। बिजली की कटौतियों के हटाये जाने के परिणामस्वरूप धागे के उत्पादन में भी सुधार होने की संभावना है।

बंगला देश को निर्यात और इस देश से आयात

4317. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने बंगला देश को अब तक कितने मूल्य का निर्यात और बंगला देश से कितने मूल्य का आयात किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वाणिज्य जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के अनुसार अप्रैल--दिसम्बर, 1972 के दौरान बंगला देश को भारत के निर्यात 59.80 करोड़ रुपये के थे जब कि इसी अवधि के लिये आयात 1·64 करोड़ रुपये मूल्य के थे। दिसम्बर, 1972 के बाद बंगला देश के साथ हुए हमारे व्यापार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अफीमचियों को विशुद्ध अफीम देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा केन्द्र से अनुमति मांगना

4318. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अपने राज्य में अफीमचियों को विशुद्ध अफीम देने के लिए केन्द्र से अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) राज्य सरकारों को जिसमें पंजाब भी शामिल है, उनके द्वारा की गयी मांग के आधार पर, अफीम के पंजीकृत व्यसनियों को डाक्टरी आधार पर देने के लिये ऐसी अफीम की सप्लाई की जाती है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। 1972-73 में पंजाब सरकार को 16.5 किलोग्राम अफीम सप्लाई की गयी थी । पंजाब सरकार से वर्ष 1973-74 के लिये कोई मांग अथवा इस संबंध में कोई अन्य सुझाव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र का उद्देश्य और विकास

4319. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ (गुजरात) में कांडला, निर्बाध व्यापार क्षेत्र के स्थापित करने की तिथि तथा उदेश्य क्या हैं ;

(ख) क्या इसकी स्थापना उचित विधान बनाने के बाद की गई थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र की स्थापना कैसे की गई थी और इसके विकास के लिये कौन सा सरकारी प्राधिकरण उत्तरदायी है ; और

(घ) प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र निम्नलिखित उद्देश्य के साथ 7-3-1965 को अस्तित्व में आया :–

1. भारतीय निर्यातों को बढ़ाना और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना ;
2. कांडला पतन पर पहले ही विकसित सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना ;
3. कांडला गांधीधाम क्षेत्र की रोजगार संभाव्यता में वृद्धि करना ।

(ख) किसी पृथक विधान द्वारा नहीं ।

(ग) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु योजना को नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्थापनाओं के आधार पर संघ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था इस विषय को उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया ।

(घ) निर्यातों के आधार पर क्षेत्र की प्रगति नीचे दी गई है :–

वर्ष	निर्यात रुपयों में
1966-67	7,48,832
1967-68	8,94,789
1968-69	51,80,642
1969-70	60,18,344
1970-71	34,44,245
1971-72	79,78,056
1972-73	1,51,17,167
1973-74	(6-8-73 तक) 54,69,439

पटसन के मूल्यों के बारे में भारत और बंगला देश के बीच समझौता

4320. श्री एम० एस० संजीवीराव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के मूल्यों के बारे में भारत-बंगलादेश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) साझा पटसन नीति बनाने के लिये एक संयुक्त भारत-बंगला देश अध्ययन दल स्थापित किया गया है । अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है ।

निश्चित वेतन न पाने वाले वर्ग, छोटे व्यापारियों आदि की आय का पता लगाने के उपाय

4321. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों, शिल्पियों और अन्य मजदूरी वाले व्यक्तियों सहित निश्चित वेतन न पाने वाले वर्ग की आय का पता लगाने के लिए कौन से उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : कर अपवंचन के बारे में समय-समय पर किये गये प्रशासनिक और वैधानिक उपाय बड़े तथा छोटे मामलों में समान रूप से लागू होते हैं। विशेषत: हाल में जो उपाय किये गये हैं—जैसे, मौके पर ही कर निर्धारण करने की योजना, संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना, जन-सम्पर्क कार्यक्रम और सर्वेक्षण-कार्य पर अधिक बल देना—इन सब का आशय ऐसी आय को करों के अन्तर्गत लाना है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की अपर्याप्त मात्रा की खरीद

4322. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन का समर्थन मूल्य 40 और 50 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है जब कि इसकी उत्पादन लागत लगभग 72 रुपये प्रति मन बैठती है ;

(ख) क्या पटसन उद्योग के लिये आवश्यक 78 लाख मन पटसन में से भारतीय पटसन निगम केवल लगभग 4 लाख टन जूट ही खरीदता है जबकि बाकी पटसन प्राइवेट व्यापारियों द्वारा बहुत कम मूल्य पर जो लगभग 40 रुपये प्रति मन है, खरीदा जाता है और यह पटसन ही लगभग 70 रुपये मन से मिलों में पहुंचती है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय पटसन निगम द्वारा कम वसूली करने और बिचौलियों के लिये पर्याप्त चोर बाजारी करने की गुंजाइश होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भारतीय पटसन निगम में वर्तमान पून्जी निवेश कितना है और पटसन की वसूली बढ़ाने और बिचौलियों द्वारा उत्पादकों का शोषण रोकने की दृष्टि से इस के क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ाने और इसका विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पटसन का समर्थन मूल्य सामान्यत: कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित किया जाता है। पटसन उत्पादन लागत का अनुमान भिन्न-भिन्न लगाया गया है और पटसन विकास निदेशालय ने 20 से 26 रु० प्रति मन के बीच के आंकड़े दिये थे।

(ख) भारतीय पटसन निगम का विचार चालूवर्ष के दौरान वाणिज्यिक खरीददारियों के रूप में 10 से 12 लाख गांठे खरीदने का है और साथ ही सभी प्राथमिक तथा गौण बाजारों में मूल्य समर्थन कार्यवाही करने का है जिसका योग कुल उत्पादन के 30 प्रतिशत के आसपास होगा। इससे बहुत कम दरों पर गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा की जाने वाली खरीदारियां भी कम हो जायेंगी।

(ग) पटसन निगम ने पहले ही अपने कार्य का विस्तार कर दिया है और उसका विचार प्राप्त अनुभव के आधार पर और विस्तार करने का है। इसके परिणामस्वरूप चोर बाजारी की गुंजाइश कम हो जाएगी।

(घ) इस निगम की वर्तमान शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपये है। पटसन निगम ने अपने कार्य कलापों के व्यापक विस्तार के लिए योजनाएं पहले ही तैयार कर ली हैं और कच्ची पटसन के खरीद कार्यों को उत्तरोत्तर अपने हाथ में लेगी।

नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिए खुदरा दुकानें

4323. श्री जी० विश्वनाथन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपड़ा मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिये प्रत्येक राज्य में कितनी खुदरा दुकानें खोली गयी हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कपड़े के कुल उत्पादन में से नियंत्रित कपड़े का उत्पादन कितने प्रतिशत है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) राज्य का नाम	मिलों की अपनी खुदरा दुकानों की संख्या
गुजरात	102
राजस्थान	19
महाराष्ट्र	204
आन्ध्र प्रदेश	13
पश्चिम बंगाल	33
उड़ीसा	2
तामिलनाडु	34
मैसूर	39
केरल	1
उत्तरप्रदेश	32
दिल्ली	218
पंजाब	2
पांडीचेरी	1
मध्य प्रदेश	15
	715

(ख) अवधि	मात्रा लाख वर्गमीटर में	पैकड़ उत्पादन के सम्बन्ध में प्रतिशतता
मई/जुलाई, 1970	736	7.61
अगस्त/अक्तूबर, 1970	407	4.47
नवम्बर 1970 जनवरी, 1971	252	2.61
फरवरी/अप्रैल, 1971	91	1.06
मई, 1971	25	0.87
जून/अगस्त, 1971	1,012	11.12
सितम्बर/नवम्बर, 1971	1,033	11.36
दिसम्बर/फरवरी, 1972	987	10.31
मार्च/मई, 1972	979	10.19
जून/दिसम्बर, 1972	1,680	7.34
जनवरी/मार्च, 1973	645	6.87

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बैंक आफ बड़ौदा, बम्बई में धोखा धड़ी का समाचार

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent Public impor ance and I request that he may make a statement thereon :

"the reported fraud in the Bank of Baroda, Bombay, involving an amount of Rupees seventy lakhs".

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : बैंक आफ बड़ौदा ने सूचना दी है कि उनकी बम्बई शाखाओं में किसी भी खाते में 70 लाख रुपये तक की कोई जालसाजी का मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। तथापि 1970 और 1971 के वर्षों में महाराष्ट्र में उनकी मुख्य शाखा में बड़ी संख्या में कृषि ऋण मंजूर किए गए थे। बाद में इनमें से कुछ अनियमित पाए गये। शाखा के तत्कालीन एजेंट द्वारा दिए गए ऐसे ऋणों की राशि 71 लाख रुपये के आस-पास बतायी जाती है। बैंक को जब इन राशियों के वितरण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई तो बैंक आफ बड़ौदा के व्यवस्थापकों ने उक्त शाखा द्वारा मन्जूर किए गए सभी कृषि ऋणों का निरीक्षण करवाया।

2. बैंक के अनुसार, बैंक के तत्कालीन एजेन्ट द्वारा वितरित किए गए कृषि ऋणों में से 98,400 रुपये के 18 उधार खातों में 47,850 रुपये तक की प्रतिभूति में कमी पायी गयी। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला है कि 56 ऋणकर्त्ताओं को दिए गए 95,000 रुपये की राशि का उपयोग इन प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया जिनके लिए वे ऋण स्वीकृत किए गए थे।

3. बैंक ने यह सूचित किया है कि निरीक्षण के फलस्वरूप प्रकाश में आए तथ्यों और तत्कालीन एजेंट द्वारा स्वीकार की गयी बातों के आधार पर बैंक ने उक्त एजेंट के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की ओर जिसके परिणामस्वरूप उसे बैंक की नौकरी से बरखास्त कर दिया गया। बैंक ने यह भी सूचना दी है कि जहां पर भी आवश्यक समझा गया बैंक ने असामियों के विरुद्ध ऋणों की वसूली के लिए अनेक दीवानी दावे दायर कर दिए हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I am thankful to you for allowing this matter to be raised otherwise the true fact would not have been revealed and the Minister would have been ignorant of this incident.

I had written a letter to the Minister in this regard and then I gave this notice, which you have admitted. I have contacted the Private Secsetary to the minister also and I wrote a letter to the Minister and then the Minister has given this information in the House.

I have been in correspondence with the Minister for a very long time. I had stated some facts about Nayagang Branch of the Bank in Kanpur at the time when discussion was going on in the refinance corporation. I have a list of 73 Checks about Nayaganj Branch. With your permission, I will place it on the Table of the House.*

Banking Commission has submitted many recommandations but this House has not been given any opportunity to have discussion on this report. (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : यह एक धोखा धड़ी का मामला है। मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है और आप अपने आप को उस मामले तक ही सीमित रख सकते हैं।

यदि आप चाहते हैं, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, किन्तु आप सभी बातों को इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की परिधि में नहीं ला सकते हैं।

Shri Madhu Limye : I am only narrating the relevant facts. I have no objection if you want to follow the procedure that direct question should be asked but you cannot say that this matter is not of Public Importance.

Mr. Speaker : You should limit yourself to the scope of this calling attention motion.

Shri Madhu Limaye : At the time of nationalisation of Banks, the Prime Minister had given some assurances. Inspite of those assurances, there are cases of frauds and bunglings. I want to say that the Bank of Baroda's

*अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण कागजात दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

**The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the paper/document was not treated as paper laid on the Table.*

authorities have not supplied the full facts of the matter to the Minister. The minister should have enquired himself and told us whether the Government have received any other complaint and whether any such enquiry is being conducted by C.B.I.

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बैंक आफ बड़ौदा में धोखाधड़ी के समाचार के संबंध में था ।

Shri Madhu Limaye : If there is a separate set of rules, then I can sit.

Mr. Speaker : You have put your question. If you sit down, then what can I do ?

Shri Madhu Limaye : All these restrictions are only for me.

अध्यक्ष महोदय : मैं यह चाहता हूं कि विषय की परिधि के भीतर रहा जाये । अन्य सदस्य दस मिनट से अधिक नहीं लेंगे ।

Shri Madhu Limaye : All members speak beyond the scope, but they are allowed to speak. Alirght I have nothing to say.

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अधिक कह चुके हैं । अब आप कहते हैं "मैंने अब और कुछ नहीं कहना है" ।

Shri Madhu Limaye : You may appoint a committee of enquiry to find out the subjects which come under the Calling Attention.

अध्यक्ष महोदय : बैठक में समय-सीमा निर्धारित किये जाने के पश्चात् उसका कड़ाई से पालन किया जाता है ।

Dr. Kailas (Bombay South) : Mr Speaker, the allegation, that you don't impose restriction on other members, is not correct. You always ask all the members to limit themselves according to the scope.

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण की परिधि सीमित होती है । किन्तु जब कोई सदस्य पूरी तरह इस परिधि से बाहर बोलने लगता है, तो इसकी ओर ध्यान दिलाना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य हो जाता है ।

Shri Madhu Limaye : I can't understand that how the matter regarding frauds and bunglings is irrelevant.

Mr. Speaker : If the member has to judge whether he is relevant, there is no use of my sitting here.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि बैंकों की कुछ अनियमितताओं, धोखा-धड़ियों का पता लगाया जाये और इसके लिये ऐसे प्रश्नों का पूछना आवश्यक है । मैं इस बात का स्वागत करता हूं ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या किसी अन्य मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है । मैंने पूछताछ की है और मुझे यह पता चला है कि इस मामले के बारे में

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है। हम इस संबंधित धनराशि को बरामद करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। निश्चय ही इसमें अपराधिक दण्ड अन्तर्ग्रस्त है। अतः बैंक केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है कि वह इस मामले को अपने हाथ में ले ले। किन्तु, उसने परामर्श दिया है कि इस मामले की जांच कराने के लिये स्थानीय पुलिस से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये।

दूसरा प्रश्न बैंकों के सामान्य कार्यकरण के संबंध में है। हमें इस संबंध में कुछ पग उठाने होंगे और हमें बैंकों, विशेषकर को रिजर्व बैंक को बैंकों की पद्धतियों, प्रक्रियाओं और कार्यकरण के बारे में अध्ययन करने के लिये कहना होगा। वे कुछ अध्ययन कर भी रहे हैं। किन्तु जब तक हमें उस अध्ययन के परिणामों का पता नहीं चलता, तब तक हम चुप रहेंगे। हमने बैंकों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सामान्य नियमों का पूरी तरह पालन किया जाये।

पुनर्गठन के सामान्य प्रश्न के बारे में यदि सदस्य महोदय के पास कोई सुझाव है, तो वह निश्चय ही प्रधान मंत्री अथवा मुझे सूचित कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : I want to ask whether we would get opportunity to discuss the first report of the Banking Commision during the present session ?

Mr. Speaker : I have already stated that there should be seprate discussion on other matters including Banking Commission. In the end we can discuss everything.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधि-सूचना संख्या सा० आ० 215(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 1 दिया हुआ है।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5472/73]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 आदि के अन्तर्गत पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 387 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5473/73]

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और (सातवां संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1973 में अधिसूचना सं० सा० सां० नि० 374 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5474/73]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 374 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त 1973 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 386 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 अगस्त 1973 में प्रकाशित हुये तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5475/73]

(4) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 72 की उपधारा (4) के अन्तर्गत आन्ध्र-प्रदेश उत्पाद-शुल्क (अपराधों का शमन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल 1973 में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 94 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये बिलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5476/73]

(5) उड़ीसा राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उड़ीसा विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति का 1973 अधिनियम संख्या 6), जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उड़ीसा मनोरंजन कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति का 1973 का अधिनियम संख्या 7), जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 जुलाई, 1973 मे प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उड़ीसा मोटरगाड़ी कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 राष्ट्रपति का 1973 का अधिनियम संख्या 8), जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5477/73]

(6) मणिपुर राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, मणिपुर कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (राष्ट्रपति का 1973 का अधिनियम संख्या 9), की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5478/73]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पत्र

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारण्टी कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1971 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1971 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा लेखे और उन पर नियन्त्रक तथा महा-लेखा-परीक्षा की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5479/73]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सदन को देनी है :

(एक) कि राज्य सभा 22 अगस्त, 1973 की अपनी बैठक में कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1973 से, जो लोक सभा द्वारा 13 अगस्त, 1973 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 20 अगस्त, 1973 की अपनी बैठक में कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 1973 पास कर दिया है ।

(तीन) कि राज्य सभा को विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 17 अगस्त, 1973 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

कोककारी और गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक
COKING AND NON-COKING COAL MINES (NATIONALISATION) AMENDMENT BILL

सचिव : मैं कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 1973, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

11 वां प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 27 अगस्त, 1973 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार करना ।

(2) चर्चा और मतदान :

(एक) वर्ष 1973–74 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (उड़ीसा),

(दो) वर्ष 1973–74 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (मणिपुर) ।

(3) प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार तथा पास करना ।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, आगे विचार तथा पास करना ।

(5) भारतीय रेल (संशोधन), विधेयक, 1973 पर आगे विचार तथा पास करना ।

(6) निम्नलिखित विधेयकों पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार तथा पास करना :

(एक) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1973,

(दो) कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1973 ।

(7) शुक्रवार, 31 अगस्त, 1973 को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर चर्चा ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार संविधान (32वां) संशोधन विधेयक, 1973 पर विचार करने का है जो कि इस वर्ष 16 मई को पुनःस्थापित किया गया था । मानसून सत्र समाप्त होने को है, पर सरकार ने अभी कुछ नहीं बताया कि क्या इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार किया जाएगा या नहीं । अतः मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक पर इस सत्र के दौरान विचार किया जाएगा या नहीं ।

दूसरे, मैं विदेश मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अल्जीरिया में गुट-निरपेक्ष देशों के होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत का क्या रवैया होगा । पहले तो यह समाचार था कि प्रधान मंत्री उसमें भाग नहीं लेंगी, पर अब 'स्टेटसमैन' और 'पैट्रियाट' अखबारों ने लिखा है कि वह इसमें भाग लेने जा रहीं हैं । सत्र चालू है, फिर भी हमें कोई खबर नहीं दी गई । यह बहुत महत्व-पूर्ण विषय है । अतः सरकार इस बारे में वक्तव्य दे । अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1970–71 के प्रतिवेदन पर पिछले वर्ष के ग्रीष्मकालीन सत्र में चर्चा होनी थी लेकिन इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है और कल हमें वर्ष 1971–72 का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है । अतः पहले इन्हीं दोनों प्रतिवेदनों पर चर्चा कर ली जाए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से अगले सप्ताह दो वक्त य प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। एक तो सरकार डाक्टरों की हड़ताल के बारे में वक्त य दे। यदि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी ।

दूसरे, कल श्रद्धानन्द कालेज के विद्यार्थियों पर बर्बरतापूर्ण लाठी प्रहार किया गया तथा अश्रु गैस छोड़ी गई। 50 विद्यार्थी जखमी हो गए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में भी वक्त य दें।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सदन को आश्वासन दें कि वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के उपरान्त निर्णय को लागू करने से पहले इसकी सदन में उचित चर्चा की जाएगी, क्योंकि कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी तथा अन्य सिफारिशें स्वीकार्य नहीं हैं ।

मैंने बोनस संशोधन विधेयक देखा है, किन्तु इसमें सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अतः इस विषय पर भी चर्चा की जाए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति बहुत खराब है। मैं नहीं जानता कि सरकार की वसूली निति क्या है। हाल ही में सरकार ने मिल मालिकों को 50 प्रतिशत खुले बाजार में बिक्री की इजाजत दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार एक तरह से जमाखोरी और काला बाजारी का विनियमन कर रही है।

इसी संदर्भ में, मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। उड़ीसा, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग सयालदह तथा हावड़ा स्टेशन की ओर जा रहे हैं। स्थिति बड़ी गम्भीर है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यह धमकी दी है कि जूट उत्पादन वाली भूमि में अब धान का उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि उन्हें केन्द्र से चावल का अपेक्षित कोटा नहीं मिल रहा। अतः मैं मंत्री महोदय से पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति के बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूँ ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : लोकपाल तथा लोकायुक्त बिधेयक वर्ष 1971 में सदन म पुर:स्थापित किया गया था। तब से यह विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या चालू सत्र के दौरान इस विधेयक पर चर्चा की जाएगी।

दूसरे, दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा को पिछले सत्र में इस सत्र के लिए स्थगित किया गया था। इस बारे में क्या स्थिति है। तीसरे, क्या सरकार भारत-पाक वार्ता के लिए समय निकालने जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कारोमंडल फर्टीलाइजर्स में जहां कि 2000 कर्मचारी काम करते हैं, उन्होंने काम रोक दिया है, जिसके परिणामस्वरूप, वहां होने वाला उत्पादन रुक हो गया है। क्या इस भीषण संकट की स्थिति में हमारा इस तरह गुजारा हो सकता है। सरकार इस बारे में वक्तव्य दे।

मारूति के मामले ने भी एक नया रुख लिया है। वायु सेना के मुख्य अध्यक्ष श्री ओ० पी० मेहरा का कहना है कि भूमि रक्षा निषेधात्मक आदेश के अधीन है । इसे कार्य सूची में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया. . . .(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि इस मामले पर सदन में चर्चा की जाए ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : बिहार विधान मंडल में एक केन्द्रीय मंत्री पर आरोप लगाया गया लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसी भी केन्द्रीय मंत्री के बारे में सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें ।

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं सदन को सूचना देता हूं कि प्रधान मंत्री गट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने अल्जीरिया जा रही हैं। यह सम्मेलन 2 तारीख से शुरु हो रहा है 2, 3 और 4 तारीख तक विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत होगी। 5 तारीख से शिखर स्तर पर वार्ता शुरु होगी। अत: प्रधान मंत्री वहां पर 4 तारीख तक पहुंच जाएंगी।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जब हम पहली बार मिले तो स्टाफ के प्रतिनिधियों ने इच्छा व्यक्त की थी कि मंत्री महोदय उनसे फिर मिलें। इस माह की 30 तारिख को हमारा उन प्रतिनिधियों से मिलने का विचार है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि 30 तारीख को मंत्री महोदय से मिल रहे हैं और यह भी कहा गया है कि लोक-सभा के स्थगित होने से पहले निर्णय की घोषणा कर दी जाएगी, पर मेरा निवेदन है कि निर्णय को तैयार रूप में सभा-पटल पर न रखा जाए, बल्कि सदस्यों को प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अवसर दिया जाए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्री मावलंकर ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बार में पूछा है। इसे स्वीकार कर लिया गया है। दूसरे विषयों के मामले में मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है ।

सूती कपड़ों की कीमतों और कपड़ा मिलों के लाभ में कमी करने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBERS RE: STEPS TO REDUCE THE PRICES OF COTTON FABRICS AND PROFITS OF TEXTILE MILLS

Shri Madhu Limaye (Banka) : On 27th July, 1973 I had asked a question from the hon. Commerce Minister whether the Government was aware of the fact that in 1972-73 Cotton mill-owners had earned exorbitant profits but the Government said that it did not have any knowledge of it, but this is not correct.

Is it not the duty of the Government to study the economic and financial journals which publish news about prices and profits. The "Commerce" is a well known Journal, the authenticity of its reports is acknowledged even by the Supreme Court and High Courts. After reading the news reports, there remains no doubt about the fact that in 1972-73 the mill owners made enormous profits.

The mill-owners and Government are in collusion and this collusion has proved quite harmful to the interests of the agriculturist, the small weaver and the general consumer.

The figures which I had submitted were not fictitious. Economic journals prepare these figures on the basis of the annual reports of different mills and companies. These reports are filed with the registrars. If the hon. Minister is not prepared to accept my figures as authentic, he could have sought the information from the Textile Commissioner working under the Ministry of Commerce.

The context in which this question was raised is worth considering (*Interruptions*), I am simply reading what you have passed without adding a single word. The Government has been criticised for increase in the prices of yarn and cotton cloth. The hon. Minister has denied about the profits by the mills which is mispresentation of the facts.

Mr. Speaker : The translation of reprimand is very difficult for me . . .

Shri Madhu Limaye : This is correct translation. Nothing has been added.

Mr. Speaker : Dictionary will have to be consulted.

Shri Madhu Limaye : It is in English version.

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये का प्रश्न (अतारांकित सं० 900) रूई तथा कपड़े की कीमतों और वस्त्र मिलों द्वारा लिये गये लाभों से सम्बन्धित था। सरकार के पास जो जानकारी उपलब्ध थी उसे उत्तर में दे दिया गया था और सदन् को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

2. प्रश्न में "वस्त्र मिलों द्वारा 50 से 1500 प्रतिशत तक लिये जाने वाले अंधाधुंध लाभ", का उल्लेख किया गया था। माननीय सदस्य के दिनांक 12-6-1973 और 25-6-1973 के पत्रों से यह स्पष्ट था कि ऐसा उनके द्वारा 11 मिलों के सम्बन्ध में उल्लिखित आंकड़ों के आधार पर बताया जा रहा था। माननीय सदस्य द्वारा अब वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के आंकड़े कुछ वित्तीय जरनलों में दिये गये हैं। यह मानना होगा कि इन जरनलों में जो कुछ भी आंकड़े दिये गये हों, सभा पटल पर कोई भी वक्तव्य दिये जाने से पूर्व, सरकार को सम्यक रूप से उनको प्रोसेस करना होगा और उनकी जांच करनी होगी। इसके अतिरिक्त, 11 मिलों के सम्बन्ध में दिये गये आंकड़े सम्पूर्ण उद्योग के द्योतक नहीं माने जा सकते। इस सन्दर्भ में, दिये गये उत्तर को न तो गलत ही और न ही गुमराह करने वाला बताया जा सकता है ।

3. हमने हमेशा वस्त्र उद्योग के सभी पहलुओं, जिनमें सूती कपड़े की कीमत आदि से सम्बन्धित प्रश्न शामिल हैं, के सम्बन्ध में सच्ची तथा सही जानकारी देने की कोशिश की है। इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य के तर्क अमान्य तथा अनुचित हैं।

Shri Madhu Limaye : Their reply was :

"सरकार को कोई सूचना नही मिली"।

Was it a correct reply ?

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

Shri Madhu Limaye : You have been pointing at us even if we are not at mistake.

Mr. Speaker : I do not want to say anything regarding your Hindi transcription.

श्रद्धानंद कालेज दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में
Re. incidents at Shradhanand College, Delhi

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We have Sought permission under rule 377 for taking up the issue of Delhi Colleges. There is discontentment among the students in Delhi. You may ask the Minister to give a statement on this issue. Our calling attention may be admitted.

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को इस पर वक्तव्य देने के लिये कहूंगा।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक
Taxation Laws (Amendment) Bill

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1974) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है"।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इन सभी स्थानों पर जा रहे हैं–कलकत्ता, नागपुर, बम्बई और अहमदाबाद ?

श्री पी० जी० मावलंकर : जी, हां ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : चेयरमैन ने मुझे कल बताया कि इन्होंने इन स्थानों पर जाने का प्रोग्राम छोड़ दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया है । आप अपनी समिति तक ही अपने आप को सीमित रखें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे चेयरमैन ने बताया है कि ये नहीं जा रहे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह ठीक है ?

श्री पी० जी० मावलंकर : मुझे इस बात की कोई सूचना नहीं है । लेकिन हमें समय की जरूरत पड़ेगी, चाहे दिल्ली रहें अथवा बाहर जायें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी, (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1974) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उड़ीसा) 1973–74
Supplementary Demands for Grants (Orissa), 1973-74

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1973-74 के लिये उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (मणिपुर)
Supplementary Demands for Grants (Manipur)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1973-74 के लिये मणिपुर राज्य के बजट के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगे दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक
Foreign Exchange Regulation Bill.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि देश के विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिये और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिये कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जो विदेशी मुद्रा के देश में अपने और देश के बाहर जाने, प्रतिभूतियों और मुद्रा तथा सोना-चांदी के आयात और निर्यात को विनियमित करता है, को 1947 में अधिनियमित किया गया था । अनुभव से पता चलता है कि 25 वर्षों के दौरान इस अधिनियम से जहां हमारे वे उद्देश्य पूरे हुए हैं, जिनके लिये इसे बनाया गया था, वहीं इसमें कुछ त्रुटियां और दोष भी नजर आये हैं ।

लोक लेखा समिति द्वारा 1968-69 के 56वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया था जिसने समस्या का व्यापक रूप से अध्ययन किया और सरकार से बहुत सी सिफारिशें की ।

विधि आयोग ने अपने 47वें प्रतिवेदन में इस अधिनियम सहित कतिपय अन्य अधिनियमों के प्रभावी रूप में कार्यान्वित करने सम्बन्धी अनेक सिफारिशें की हैं ।

इन त्रुटियों और अनियमितताओं को दूर करने तथा अध्ययन दल और विधि-आयोग की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के सम्मिलित करने के लिये मैंने सभा में गत वर्ष 29 अगस्त को एक विधेयक पुर:स्थापित किया था । राज्य सभा की सहमति से विधेयक दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंप दिया गया । संयुक्त समिति ने अनेक उपयोगी सिफारिशें की हैं । समिति द्वारा इस सभा को प्रस्तुत विधेयक में भी उन्हें सम्मिलित किया गया है ।

विदेशी मुद्रा के आगमन का विनियमन तो वर्तमान अधिनियम द्वारा पहले से ही हो रहा है, किन्तु जिस विदेशी मुद्रा का निवेश कम्पनियों, फर्मों, व्यक्तियों, संस्थाओं, विदेशों में रहने वालों आदि द्वारा भारत में नई शाखायें खोलने में किया जाता है, उस पर इस अधिनियम का नियंत्रण नहीं था । अब प्रस्तुत विधेयक के खंड 28 द्वारा इन त्रुटियों को दूर किया गया है ।

खंड 29 में यह उपबंध है कि भारत में व्यापारिक, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक गतिविधियां चलाने अथवा ऐसी गतिविधियों के लिये किसी शाखा, कार्यालय स्थापित करने अथवा इस कार्य के लिये कोई स्थान निर्धारित करने का भारत में किसी गैर-आवासीय विदेशी, गैर-आवासीय कम्पनी और ऐसी कम्पनी जिसमें गैर-आवासीय शेयर 40 प्रतिशत से अधिक हों, उन्हें अपने क्रियाकलापों के लिये रिज़र्व बैंक की अनुमति लेनी चाहिये ।

अनुभव किया गया है कि भू-सम्पत्ति विदेशियों द्वारा निर्मित भवन और विदेशियों के नियंत्रणाधीन कम्पनियों में विदेशी मुद्रा के निवेश की अनुमति न दी जाये क्योंकि इस प्रकार से काफी पूंजी लगायी जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी पूंजी भेजने सम्बन्धी सापेक्ष दायित्व में भी वृद्धि की जायेगी। उद्योगों की कुछ आधुनिकतम शाखाओं में विदेशी मुद्राओं के निवेश की आवश्यकता हो सकती है किन्तु इस बात का कोई कारण नहीं कि हम विदेशियों और विदेशी कम्पनियों के वास्तविक सम्पदा व्यापार में भी निवेश की अनुमति दें। विधेयक के खंड 31 को इसी प्रयोजन से रखा गया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, जिसका सम्बन्ध निर्यात से है, विधेयक के खंड 18 को रखा जायेगा। इस खंड में केन्द्र सरकार को यह अधिकार देने की व्यवस्था है कि बाहर भेजे जाने वाले माल के सम्बन्ध में वह निर्यातकों को अनुदेश दे सकती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अधिसूचित मूल्यों से कम मूल्य पर वस्तुओं को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना न बेचे।

इस खंड द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त होते हैं कि वह संविदों को अग्रमि दजे करने, किसी विशेष प्राधिकारी अथवा संगठन द्वारा निर्यात किये जाने वाले माल का मूल्यांकन सम्बन्धी प्रमाण पत्र देने, रिजर्व बैंक को उसकी पूर्वानुमति के लिये निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करने और अप्रतिसंहार्य साख पत्रों द्वारा निर्यात किये गये माल के लिये, अदायगियां सुरक्षित करने सम्बन्धी मामलों के लिये वह निर्यातकों को निदेश दे सकता है। इन शक्तियों का रिजर्व बैंक द्वारा उचित मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयोग किया जायेगा कि माल का पूरा निर्यात मूल्य अथवा निर्यातक ने जो मूल्य घोषित किया है अविलम्ब मिल जाये।

अनुभव किया गया है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन किये जाने पर पर्याप्त निवारक उपाय के रूप में अधिक कड़ी सजा दी जानी चाहिये। विधि आयोग ने इस सम्बन्ध में विभिन्न सिफारिशें की हैं। विधि आयोग की सिफारिशें तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में अनेक उपाय किये गये हैं। ये उपाय खंड 50, 56, 59, 64 और 69 में हैं।

इस बात की आवश्यकता भी अनुभव की गयी कि 'भारत में निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति' की परिभाषा की जाये क्योंकि विधेयक के अनेक उपबंधों की प्रयोज्यता सम्बद्ध व्यक्ति के "निवासी" होने पर निर्भर करती है। अतः विधेयक के खंड 2 के उपखंड (त) और (थ) में इन शब्दों की परिभाषा दी गई है।

वर्तमान अधिनियम में निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों का अभिग्रहण, उन्हें जमा करने तथा उनके निपटाने के विनियमन की व्यवस्था है लेकिन विदेशों की उनकी अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण, जमा करने तथा निपटान के विनियमन के लिये कोई भी उपबंध नहीं है। यह कार्य सरकार के ध्यान में विशेषरूप से कतिपय भूतपूर्व नरेशों के मामले में आई। विधेयक के खंड 25 में इस दोष को दूर करने की व्यवस्था की गई है।

भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में वहां के व्यापार गृहों के सहयोग से उन देशों में लगाये जाने वाले उद्यमों में हो रही वृद्धि को देखते हुए कुछ समय से यह आवश्यकता अनुभव हुई कि इस प्रकार के उद्यमों के निर्माण तथा संचालन पर कुछ नियंत्रण रखा जाये। विशेषरूप से इस विचार से कि उन उद्यमों के कार्यकरण के बारे में तथा भारतीय भागीदारों द्वारा लाभांश को स्वदेश भेजने के बारे में सुनिश्चित करने के लिये पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। विधेयक के खंड 26 में यह व्यवस्था की गई है।

उपरोक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त विधेयक में विविध—अथवा स्पष्टीकरण करने वाले अनेक अन्य संशोधन भी किये गये हैं और इस अवसर का लाभ उठाते हुए, इस अधिनियम में संशोधन तथा इसे समेकित भी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि देश के विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिये और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिये कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : विदेशी व्यापारिक हित बहुदेशीय नियमों का नियन्त्रण करते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कार्यों में मेरे देश पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब तक यह सरकार सत्तारूढ़ है, यह प्रक्रिया चलती रहेगी।

केवल चार क्षेत्रों में ही 466 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगाई गई है। समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रसंघ ने बहु-देशीय कम्पनियों के विशाल उद्योगों के लिये किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण व्यवस्था निर्धारित करने की दृष्टि से उनकी जांच करने का निर्णय किया है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कोई सरकारी अथवा गैर-सरकारी प्रतिनिधि भेजा है? सरकार की इन तत्वों के साथ साँठ-गाँठ है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री गुप्ता काजी : विदेशी मुद्रा द्वारा स्विट्जरलैण्ड के मैट्रो गोल्डविन मेयर्स से बम्बई और कलकत्ता के मैट्रो सिनेमागृहों की खरीद कर रहा है। मन्त्रियों से भेंट करने और पत्र लिखने का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ।

17 अगस्त, 1973 को पूछे गये एक प्रश्न के अनुसार विदेशी कम्पनियों पर लाखों रुपये की राशि आयकर के रूप में बकाया है। विदेशी कम्पनियां लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक मात्रा में उत्पादन कर रही हैं। विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय कम्पनियों में इक्विटी पूंजी लगाने के बारे में मैं समयाभाव के कारण ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। सरकार इन सभी बुराइयों को रोकने के लिये उत्सुक नहीं है।

यह विधेयक मात्र एक धोखा है । अन्यथा विदेशी बैंकों को इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों रखा गया है ?

नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज की आयातित पूंजी 1.72 करोड़ रुपये थी। उनकी भारतीय जमा राशि 291.51 करोड़ रुपये है । नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक ने 75 करोड़ रु० के आयकर का अपवंचन किया है, परन्तु उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती, क्योंकि वे मारुति के बैंकर हैं । नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक ने एक वित्त सचिव के पुत्र को नौकरी दी हुई है ।

विधेयक में कदाचार की मात्रा और सरकार की व्यग्रता को प्रदर्शित नहीं किया गया है । रिजर्व बैंक को 1947 के अधिनियम के अधीन व्यापक अधिकार प्राप्त थे । परन्तु उन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया गया । प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 1970 और 1971 में विदशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिये क्रमशः 1112 और 1235 तलाशियां लीं । बेकार सिद्ध हुई तलाशियों की संख्या वर्ष 1970 और 1971 में क्रमशः 428 और 459 थी ।

सीमा शुल्क अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे तस्करी के केवल 10 प्रतिशत मामलों का ही पता लगाने में सफल होते हैं । यह अधिनियम एक मामूली संशोधन मात्र है और इससे मौलिक तथा वास्तविक सुधार नहीं किया जा सकता । यह रिपोर्ट बेकार है । यह सरकार विदेशी पूंजीपतियों की सहायता करने के लिये अधिक उत्सुक है । इन्होंने इस प्रकार के कदाचारों से 240 करोड़ रु० की हानि होने का अनुमान लगाया है । इसमें आमन्त्रित किया गया था श्री पालकीवाला और एक वाणिज्य मण्डल के किसी प्रतिनिधि को । यह एक सर्वविदित तथ्य है कि इस प्रकार के कदाचारों से 1000 करोड़ रु० की हानि होती है ।

"एकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली" के अनुसार भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा के कारण और आवश्यकता एवं हकदारी से अधिक मात्रा में प्रतिष्ठित निर्यातकर्त्ताओं और वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयात लाइसेन्स प्रदान करने आदि का रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । उक्त पत्रिका के अनुसार इन कारणों से 450 से 500 करोड़ रु० के बीच प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की हानि होती है ।

रिजर्व बैंक के पास व्यापक अधिकार हैं, परन्तु स्थिति में सुधार करने अथवा बिगड़ती स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने में रिजर्व बैंक असफल रहा । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने विदेशों में अनियमित और अवैधानिक ढंग से धन भेजने के कार्य को क्यों नियमित किया ?

वर्ष 1967 में नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक ने मुख्यालय व्यय के रूप में 50.78 लाख रुपये और लाभ के रूप में 80.50 लाख रुपए भेजे । 1968 में 58.25 लाख रुपये मुख्यालय व्यय और 74,97,000 रु० लाभ के रूप में भेजे । 1969 में मुख्यालय व्यय बढ़कर 78,41,000 रु० हो गये । 1970 में यह बढ़कर 1,05,31,000 रु० हो गया । विदेशी तकनीकी जानकारी, रायल्टी और तकनीकी फीस आदि के लिये वर्ष 1968-69 में कुल 38.67 करोड़ रु० की राशि भेजी गई और उसके अगले वर्ष ही यह राशि बढ़कर 51.86 करोड़ हो गई ।

पूंजी से अधिक मात्रा में धन विदेशों में भेजा जा रहा है । इण्डियन टोबेको कम्पनी की पूंजी लागत 4.9 करोड़ रु० है । परन्तु इस कम्पनी ने एक साल के अन्दर 66.6 लाख रुपये विदेश भेजे ।

विधेयक में भारतीय उत्पादों पर अर्जित धन को विदेशों में भेजने पर रोक लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कम्पनियां अपनी अधिष्ठापित क्षमता से 900 प्रतिशत अधिक उत्पादन कर रही हैं। कुछ कम्पनियों के अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	प्रतिशत
ब्रिटिश इण्डिया इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन कं०	100
इण्डियन एक्स्प्लोसिव्स लि० आई० पी० आई०	54.93
इण्डियन एक्स्प्लोसिव्स लि०	66.50
कन्टैनर्स एण्ड क्लोजर्स लि०	112.58
बाटा शू कम्पनी	107.05
गैस्ट कीन एण्ड विलियम्स लि०	248.59
फाइजर लि०, चण्डीगढ़	286.67
बरोज वैल्काम एण्ड कं० (इण्डिया) लि०	375

यही नहीं, वर्ष 1968-69 की लोक लेखा समिति की 56 वीं रिपोर्ट के अनुसार 1,03,500 रु० मूल्य की वस्तुओं का बीजक में 1,54,32,438 रु० मूल्य दिखाया गया था। कुछ वस्तुओं का मूल्य 228 गुना अधिक बीजक में दिखाया गया था।

बहुत अधिक वेतन पर विदेशों से कार्यकारी अधिकारियों को यहां नियुक्त करने के कार्य पर भी हमने अभी तक रोक नहीं लगाई है। 15 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों को विदेशी कम्पनी घोषित किया जाना चाहिए। किसका वास्तविक नियन्त्रण है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में आर्थिक सहयोग पर रोक लगनी चाहिये। विदेशों में धन भेजने की अधिकतम मात्रा निश्चित की जानी चाहिये। बैंकों अथवा कम्पनियों को भारतीय स्रोतों से ऋण लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गैर-निवासी व्यक्ति अपनी सम्पत्तियों और आस्तियों का हस्तान्तरण करते समय बहुत कम मूल्य दिखाते हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार के एक मन्त्री खाद्य तथा कृषि संगठन की चाय समिति की बैठक में भाग लेने के लिये रोम गये। मुझे लन्दन से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि मंत्री महोदय ने पूरे दो सप्ताह में सिर्फ एक घण्टे बैठक में भाग लिया होगा, परन्तु उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूरे यूरोप की यात्रा की, जिस पर लगभग 7,000 पौण्ड खर्च आया। वित्त मन्त्री अपने उत्तर में इसका भी उल्लेख करें।

*श्री चित्ति बाबू (चिंगलपुर) : वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक में 57 खण्ड शब्दशः पुराने अधिनियम से लिये गये हैं।

वर्ष 1968 की लोक लेखा समिति की 56वीं रिपोर्ट के अनुसार आयातित वस्तुओं के मूल्य को बीजक में अधिक दिखाकर विदेशी मुद्रा का क्षरण होता रहा है। पिछले वर्षों के अनुभवों से लाभ उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने देश में विदेशी मुद्रा के आयात को विनियमित करने की आवश्यकता को महसूस किया। रिजर्व बैंक ने भी इसकी आवश्यकता महसूस की और विदेशी मुद्रा के क्षरण को रोकने के लिये सिफारिश की थी।

किसी भी देश के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी भण्डार से ही उसकी आर्थिक स्थित की सुदृढ़ता का पता चलता है। देश के वर्तमान संकटों के लिये केन्द्रीय सरकार की गलत और निस्प्रभावी नीतियां हैं।

वर्ष 1972-73 की भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा में भी यह बात स्वीकार की गई है कि पिछले वर्ष के विरुद्ध इस वर्ष विदेशी मुद्रा के भण्डार में काफी कमी होगी।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त कौल समिति ने यह अनुमान लगाया है कि विदेशी मुद्रा की वार्षिक क्षति 240 करोड़ रुपये होती है जब की संयुक्त समिति के समक्ष आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा दिये गये साक्ष्य के अनुसार विदेशी मुद्रा की प्रति वर्ष क्षति 1,000 करोड़ रु० है। उन्होंने यह भी कहा कि भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की कमी को रोकने में यह विधेयक सहायक सिद्ध नहीं होगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इतना अधिकार प्राप्त है कि वह विधेयक की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित कर सकें। जब उन्हें इतना अधिकार नहीं है, तो दोनों सदनों के सदस्यों की नियुक्त समिति द्वारा इसकी समीक्षा कराने का क्या अर्थ था ?

इस विधेयक के उपबन्धों के कार्यान्वयन की शक्ति मंत्रीमंडल सचिवालय के अन्तर्गत कार्मिक विभाग में निहित है और यह विभाग प्रधान मंत्री के अधीन है। अतः इस विधेयक को प्रधान मंत्री को ही प्रस्तुत करना चाहिये था।

हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो इस विधेयक की सार्थकता को समझ सकें। देश के साधारण व्यक्ति विदशी मुद्रा के उपयोग की बात समझने में असमर्थ हैं। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि यह विधेयक देश में समाजवाद की स्थापना की ओर पहला प्रयास है। सरकार ने विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने की दिशा में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। यदि सरकार गरीबों की मदद करने के प्रति गंभीर होती तो देश के सारे आयात निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता। परन्तु सरकार उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहती जिनसे उसे चुनावों के लिए धन प्राप्त होता है।

आयात-निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने वाले लोग साधारण नहीं हैं। इस प्रकार के सभी लाइसेंस एकाधिकार घरानों को दिये जाते हैं और केन्द्रीय सरकार की प्रशासकीय अकुशलता का निहित स्वार्थों द्वारा लाभ उठाया जाता है। इस दृष्टि से निर्यात-आयात बीजकों में राशियां बढ़ा चढ़ा कर

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

व घटा कर दिखाई जाती हैं। टाटा जैसे लोगों को यदि विदेश यात्रा के लिए 40 पाऊंड की राशि दी जाए और वह फिर भी न्यूयार्क लन्दन जैसे नगरों में बड़े बड़े होटलों में ठहरे तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि उनके विदेशी साझेदार उनका व्यय कर रहे हैं। इस तरह से राष्ट्र को मूल्यवान विदेशी मुद्रा से वंचित रखा जा रहा है।

चलचित्र निर्माताओं को विदेशों में जाकर चलचित्र निर्माण के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा दी जाती है जो कि व्यर्थ का व्यय है। तमिलनाडु के एक निर्माता को 75,000 रुपये की विदेशी मुद्रा इस शर्त पर दी गई कि वह भारत में उक्त चलचित्र के प्रदर्शन से पूर्व उसे विदेशों में प्रदर्शित करके 4.5 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा सरकार को देगा और साथ ही स्वीकृत विदेशी मुद्रा के व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। चित्र विदेशों में प्रदर्शित नहीं हुआ अत: 4.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के स्थान पर उसने 4.5 लाख रु० की भारतीय मुद्रा में दी। इसी प्रकार व्यय का भी ब्यौरा नहीं दिया गया। यह सरकारी शर्तों का उल्लघंन है। क्या इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री गणेश ने एक प्रश्न के उत्तर में सदन को बताया था कि उक्त निर्माता ने 4.5 लाख रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा की है। ऐसा व्यक्ति जो अपना आयकर नहीं दे सकता वह 4.5 लाख कहां से दे सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी के चरित्र के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन (वांदीवाश) : उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया। माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों का ही हवाला दिया है।

श्री सी० चित्ती बाबू : आज समय आ गया है कि जनता को सत्तारूढ़ दल की राजनैतिक चालों का पता लगना चाहिये। उक्त व्यक्ति के साथ जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है वह राजनैतिक सौदेबाजी के कारण है। केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु की सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध विदेशी मुद्रा अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। जब वह भयभीत हो गए तो उन्हें तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल को छोड़ने को कहा गया और बाद में नोटिस देने वाले अधिकारियों ने ही उन्हें नोटिस का जवाब लिखने में सहायता की।

संसद में एक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा ने स्वीकार किया कि उनके विरुद्ध जांच की जा रही है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री ने बताया कि उक्त व्यक्ति से प्राप्त स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक प्रतीत होता है। यह समझ में नहीं आता कि यह दो तरफी बातें क्यों कि जा रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इन में से कौन मंत्री उनके साथ सांठगांठ में हैं इस सारे घोटाले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

विदेशी मुद्रा की चोरी के साथ-साथ काले धन का भी मामला है। एक मंत्री ने मद्रास में कर्मचारियों के समक्ष विचार करते हुए उन्हें कहा कि सरकार में निहित शक्तियां काले धन की समस्या के निपटान के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: वे सरकार से सहयोग करें। परन्तु विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक विषयक संयुक्त समिति ने रिजर्व बैंक कर्मचारी संगठन के सुझाव नहीं माने। एक ओर तो कर्मचारियों से सहयोग मांगा जाता है दूसरी ओर उनके सुझावों को नहीं माना जाता है।

इस सब से यह स्पष्ट है कि लोगों के कल्याण के लिये कानूनों का उपयोग करने के स्थान पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल के लाभ के लिए किया जा रहा है। इस विधेयक से भी देश का आर्थिक पुनोंद्धार नहीं होने वाला। इससे भी अमीर तथा निहित स्वार्थी वाले व्यक्ति ही लाभान्वित होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए उनका समुचित उपयोग है। देश में पिछले कई वर्षों से विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक चोरी होती आ रही है। अतः हमें देखना चाहिये कि क्या इस विधेयक से उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है अथवा नहीं। मेरे विचार से इस विधेयक में दिखावा अधिक है। यह ठीक है कि कुछ उपबन्ध अवश्य ही कुछ कमियों को दूर करने में सहायक होंगे परन्तु अधिकतर मुख्य कमियों की ओर इसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि निहित स्वार्थ संयुक्त समिति पर अपना अधिक दबाव डालने में सफल रहे। इसके कारण यह विधेयक विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रभावी शस्त्र नहीं रह पाया।

रिजर्व बैंक में पहले से ही बहुत अधिक शक्तियां निहित हैं। परन्तु इतना होते हुए भी विदेशी मुद्रा की चोरी को नहीं रोका जा सका है। श्री चव्हाण ने अभी अभी उल्लेख किया कि रिजर्व बैंक को नयें उत्तरदायित्व दिये गये हैं व उनसे उसके कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है। परन्तु इस सब से यह सुनिश्चित तो नहीं होता कि इन सब शक्तियों का पहले से अधिक उपयोग होगा। निहित स्वार्थों द्वारा मांग की जा रही है कि रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में ढील की जाए। इसके लिये दबाव भी डाला जा रहा है। विधेयक की धारा 74 के अनुसार रिजर्व बैंक की कुछ शक्तियां अधिकृत डीलरों व मुद्रा परिवर्तन का काम करने वालों को दी गई है जो कि हमारे देश में अधिकतर विदेशी बैंक हैं। निहित स्वार्थों द्वारा इसका स्वागत किया जायेगा। यह तो उनकी मांग से भी अधिक है।

खंड 26 (4) के द्वारा किसी भी विदेशी द्वारा अपने व्यवहिक हितों को किसी अन्य विदेशी के नाम करने से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की शर्त सराहनीय कार्यवाही है। परन्तु इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना चाहिये जिससे कि पिछले कुछ समय में हुए हस्तान्तरणों पर भी इसे लागू किया जा सके।

विधेयक में जो उपबन्ध रखा गया है कि किसी भी विदेशी के पास 40 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं होने चाहिये। अन्यथा इसे 'नान-रेजीडेन्ट' माना जायेगा। वास्तव में आज की स्थिति में किसी भी कम्पनी पर नियन्त्रण 20 प्रतिशत शेयरों से भी किया जा सकता है। अतः इस पर 40 प्रतिशत सीमा को घटा कर 15 प्रतिशत किया जाना चाहिये।

इस विधेयक में उन भारतीय औद्योगिक घरानों पर नजर रखने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं जिन्हें विदेशों में निर्माण एकक स्थापित करने अथवा व्यापार प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः उन पर कड़ी नजर की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री चव्हाण ने कहा है कि बीजकों में राशि को घटा-बढ़ा कर लिखने की स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिये सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। मेरे विचार से इस पर नियन्त्रण बहुत कठिन हैं

क्योंकि इन लोगों ने इस में बहुत अधिक दक्षता प्राप्त करली है। इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध रखा जाना चाहिये कि संविदाओं और 'बिल-आफ-लोडिंग' की प्रमाणीकृत प्रतियां रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत करानी जरूरी हों। इनमें हेराफेरी के द्वारा ही बीजकों में घट-बढ़ सम्भव होती है।

जहां तक विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभांश के प्रत्यावर्त्तन की अधिकतम सीमा की बात है, इसके लिए हमें इन विदेशी कम्पनियों के काम करने के ढंग को देखना चाहिये। 'नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक' द्वारा "फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक" को बहुत अधिक राशि तकनीकी फीस के रूप में अदा की जा रही है। इस राशि के रूप में 1970-71 में 28.80 लाख रुपये तथा 1971-72 में 29.70 लाख रुपये की राशि प्रत्यावर्तित की गई। यह विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन का एक नया तरीका है। अन्यथा 110 वर्षों से बैंकिंग का कार्य करने वाले बैंक को किसी दूसरे बैंक को तकनीकी फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय लाभ से बनाई गई एवं खरीदी गई इमारतें इंगलैंड स्थित मुख्य कार्यालय के नाम हस्तान्तरित करदी गई हैं और देश स्थिति शाखाएं अब उनके किराये देती हैं। इन सब बातों पर भी रोक लगाने का कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

मेरे विचार से इस विधेयक के खण्ड 26, 27 और 28 ही इसका सार हैं तथा सरकार की इस ईमानदारी का प्रतीक है कि सरकार किस प्रकार विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकना चाहती है। यद्यपि स्वयं श्री चव्हाण ने खण्ड 28 के लिये संशोधन पेश किया है परन्तु इस समय इसका अर्थ यह है कि कोई भारतीय कंपनी देश में ही किसी विदेशी कंपनी से उसका माल सीधे ही खरीद कर परचून विक्रेताओं के द्वारा सीधे ही विक्रय कर सकती है बशर्ते कि वह उस विदेशी कंपनी द्वारा निश्चित किये गये ट्रेड मार्क को उपयोग में लाये। परन्तु वस्तुतः यह हो रहा है कि विदेशी कंपनियां यहीं भारत में ही माल तैयार करके उस पर अपने विदेशी ट्रेड मार्क लगाकर यहां बेच देती है तथा फिर उस पर होने वाले लाभ को अपने देशों में भेज देती है और इस प्रकार मूल्यवान विदेशी मुद्रा की चोरी होती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस को रोकने के लिये मैंने श्री मधुलिमये का संशोधन स्वीकार कर लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री मधुलिमये के संशोधन से यह दोष दूर हो जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संशोधन की बातें तो बाद में आयेंगी। अब तो उपरोक्त भारतीय कंपनियां यह कह देती हैं कि हमारा विदेशी कंपनियों से कोई संबंध नहीं है। हम तो स्वतंत्र रूप से माल खरीदते हैं तथा उस विदेशी कम्पनी का ट्रेड मार्क लगाकर ही बेच देते हैं। मुझे आशा है कि नये संशोधन से यह त्रुटि दूर हो जायेगी।

विदेशी कंपनियां तो यहां भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत होती है परन्तु उनकी शाखाऐं नहीं होती जैसा कि इस समय कानून है। इन उप-कंपनियों को श्री जयोतिर्मय बसु ने बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा है जोकि वस्तुतः अनेक देशों का अर्थ व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर रही हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत न होने के कारण इन शाखाओं पर हमारे कम्पनी विनियम या कानून लागू नहीं हो जाते और इस प्रकार इन कंपनियों को दोहरा लाभ रहता है। और ये कंपनियां (शाखाऐं) कोई कमजोर कंपनियां नहीं होतीं बल्कि हमारी

कंपनियों से भी कहीं अधिक सशक्त और समर्थ होती हैं। अपने देश में आत्मनिर्भरता लाने के लिये प्रयत्नशील हमारे हजारों उद्योग धन्धों की तुलना में ये शाखायें बहुत सम्पन्न तथा शक्तिशाली हैं तथा अपने स्रोतों तथा संसाधनों के बल पर ये हमारे किसी भी अनुष्ठान से प्रतियोगिता कर जाती हैं। दूसरे हमारे कंपनी अधिनियम के सीमा से बाहर रहते हुए ये शाखाऐं स्वतंत्रता के साथ अपना कार्य करती हैं। इस विधेयक में यह सब से बड़ी त्रुटि है तथा मुझे आश्चर्य है कि श्री चव्हाण इस त्रुटि को नहीं देख पाये। अतः मेरा अनुरोध है कि वह रखे गये संशोधनों पर अधिकाधिक ध्यान दें। हमें कम से कम इतना तो करना चाहिये कि विदेशी कम्पनियों का इन शाखाओं को भी भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने को कहें हम इनका राष्ट्रीयकरण करने को नहीं कह रहें हैं जिनसे कि सरकार बहुत घबराती है। यदि ये शाखाऐं पंजीकृत न होना चाहें तो इन्हें इस देश में अपना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मुझे यह तो नहीं पता कि अन्य देशों में भारतीय कंपनियों तथा उनकी शाखाओं पर उन देशों के कैसे नियम या कानून लागू होते हैं। परन्तु यह निश्चित है कि इससे किसी भी देश की अर्थव्यस्था में गड़बड़ी बहुत पैदा हो जाती है। अतः इस खण्ड 26 में संशोधन किया जाना चाहिये अन्यथा इस से समूचा प्रवर्त्तन निदेशालय हतोत्साह होता है और यह बड़ी खतरनाक बात है। पहले अनेक बड़े बड़े अनुष्ठानों पर छापे मारे गये थे जिसमें पटसन निर्यात संबंधी बड़े-बड़े अनुष्ठान भी थे। उन लोगों ने इस पर बड़ा हुलड़ मचाया था और कहा था कि उन्हें इस प्रकार की कष्टकर तलाशी से मुक्त रखा जाना चाहिये। अब यदि ऐसा किया गया तो फिर आपका प्रर्वत्तन निदेशालय तथा उसके अधिकारियों का तो सारा उत्साह ही टूट जायेगा और वे लोग बड़े अशक्त हो जायेंगे। मैं समझता हूं सरकार ऐसा नहीं होने देगी। अतः कम से कम इतना तो होना चाहिये कि विदेशी कंपनियों की शाखायें भी अपने को भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत अवश्य करायें।

खण्ड 27 में ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण विदेशों में कार्य कर रहे बड़े-बड़े उद्यम वहां अपने निर्माण और वाणिज्यिक एकक स्थापित करके सभी प्रकार के कदाचार कर सकते हैं। खण्ड 28 के बारे में मैं पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुका हूं। इसके फलस्वरूप तो लम्बी मुकदमेबाजी के द्वार खुल जाते हैं क्योंकि यह कौन सिद्ध करेगा कि अमुक तलाशी केवल परेशान करने के लिये ली गई थी। यदि कोई कष्टकारी तलाशी ली भी गई है तथा कुछ बरामद भी हुआ है तो भी उसको चुनौती दी जा सकेगी। इस प्रकार क्या सहृदयता से अपना कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियों के दण्डित होने के अवसर पैदा होंगे क्योंकि संभव है न्यायालय यह निर्णय दे दे कि अमुक कष्टकारी तलाशी के फलस्वरूप कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

ऐसी ही अनेक बातें है परन्तु उन सबको यहां कहने का समय ही नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि यह संशोधन विधेयक अनेक वर्षों के पश्चात् उस सभा में लाया गया है अब कृपया इसमें निहित त्रुटियों को दूर कीजिये तथा इस विधेयक को प्रभावी बनाइये क्योंकि हम इस समय भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। राष्ट्र ऐसे कदाचारों को सहन नहीं कर पायेगा जोकि विदेशी मुद्रा के संबंध में आज कल किये जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार भी इस संबंध में चिन्तित है तथा मंत्री महोदय किसी प्रकार के दबाव में आये बिना उचित उपाय करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ राव ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : यह संशोधन विधेयक विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक, 1947 का स्थान लेने के लिये लाया गया है क्योंकि उक्त विधेयक में कुछ खामियां तथा त्रुटियां रह गई थी जिन्हें दूर करना था ताकि यह कानून अधिक प्रभावशाली हो सके और विदेशी मुद्रा का अपवंचन रुक सके । परन्तु मुझे यह भय है कि यह विधेयक अपने उद्देश्यों में शायद सफल न हो सकेगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि, जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, विदेशी फर्मों की शाखाओं, उपशाखाओं आर्थिक रूप में देश में आने वाली विदेशी पूंजी कैसे रोकी जा सकेगी ? उस विधेयक का खण्ड 26 पुराने अधिनियम की धारा 18 जैसा ही है बल्कि उक्त धारा उस खण्ड से कहीं अधिक प्रभावशाली थी जिसमें कहा गया है कि कोई भी कंपनी जिसके 10 प्रतिशत शेयर हों अथवा कोई भी व्यक्ति जिसके 10 प्रतिशत शेयर हों या शेयरों में 10 प्रतिशत तक का हित निहित हो, वह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आ जाता है परन्तु अब हम नये विधेयक के अनुसार यह सीमा 49 अथवा 40 प्रतिशत तक ही सीमित रह गई है । जबकि वस्तुत: ऐसा होता है कि 10 प्रतिशत शेयर वाला व्यक्ति भी किसी कंपनी के कार्यकरण का नियन्त्रण कर सकता है । फिर इस उद्देश्य के लिये 40 प्रतिशत की शर्त क्यों है ?

फिर कोई भी विदेशी कंपनी यदि भारत में व्यापार करे तो उसे स्वयं को भारत में पंजीकृत अवश्य करना चाहिये तथा उसे देश के अनुसानाधीन होना चाहिये । वर्तमान प्रावधान का अर्थ है कि 40 प्रतिशत शेयर होने पर ही पद अधिनियम लागू होगा । परन्तु जहां एक विदेशी कंपनी या विदेशी गैर-निवासी 40 प्रतिशत या उससे कम शेयर रखता है वह इस अधिनियम की शर्तों से मुक्त है । यह बात मेरी समझ में सही नहीं है ।

विदेशी कंपनियों की शाखाओं को भारत में भारतीय कंपनी कानून तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन पंजीकृत क्यों नहीं होना चाहियें ? मुझे सन्देह है कि इस मामले में वित्त मंत्रालय ने विधि विभाग से विचार-विमर्श नहीं किया है । वह विभाग इन कंपनियों की कमियों तथा कदाचारों को भली प्रकार जानता है ।

फिर विदेशों में धन भेजने की कोई सीमा नहीं रखी गई है । वे कंपनियां विभिन्न शीर्षकों के अधीन विदेशों में पैसा भेज देती हैं तथा इस प्रकार हर वर्ष करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है । अत: विदेशी पूंजी की भी हमें कोई अन्तिम सीमा निश्चित करनी चाहिये । हमारे यहां पूंजी की कमी नहीं है । हमारे देश में काफी पैसा है । अत: हमें विदेशी पूंजी का 20 से 25 प्रतिशत तक की सीमा निश्चित कर देनी चाहिये ।

हमारे देश में किसी विदेशी या गैर-निवासी को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । यदि देश में ही प्रतिभा उपलब्ध हो तब किसी विदेशी तकनीकी व्यक्ति को भी इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । हमें अपने देश की प्रतिभा को बढ़ावा देना चाहिये ।

किसी विदेशी बैंक को भी धन वितरण या मुद्रा बदलने का कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । यह कार्य हमारा रिजर्व बैंक या हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक करें ।

अध्ययन दल के अनुसार विदेशी मुद्रा की एक चौथाई चोरी आपके तथा कम राशि के बीजक बनाकर की जाती है। यह कदाचार बड़े बड़े व्यापार गृह करते हैं। उन्हें पकड़ना भी बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिये रिजर्व बैंक के अधिकारियों को विदेशों में सक्रिय होकर इन व्यापार-गृहों द्वारा दस्तावेज तथा करार आदि जमा कराते समय पकड़ना होगा। इस कदाचार को रोकने के लिये बड़ा सावधान होकर खोजबीन द्वारा कार्य करना होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि खण्ड 28 में संशोधन किया जा रहा है अन्यथा बड़ी भारी गलती रह जाती जिसके कारण यह बुराई जारी रह सकती थी।

जिस रूप में विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है, इसमें अपराधों की परिभाषा देने और सख्त दंड देने की व्यवस्था की गई है, इस खण्ड के पहले भाग को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कठोर दंड दिया जायेगा परन्तु जब हम दूसरे भाग को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि न्यायालय को कम दंड देने की भी शक्ति दी गई है। सरकार ने यह दूसरी बार अपराध करने पर कठोर दंड देने की वयवस्था की है परन्तु ऐसे मामलों में भी न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह 6 महीने से कम कारावास का दंड दे सकता है, यह बात मेरी समझ नहीं आती।

गरीबी उन्मूलन योजना विधेयक
Eradication of Poverty Scheme Bill

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill to provide for a Scheme for eradication of poverty from the Country."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : --

"कि देश से गरीबी उन्मूलन करने की योजना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

Shri Yamuna Prasad Mandal : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(नए अनुच्छेद 125 क और 221 क की अन्तःस्थापना)

Shri Madhu Limaye (Banka) : I beg to move.

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : Introduce the Bill.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक
University Grants Commission (Amendment) Bill
(नई धारा 12ख का अन्तः स्थापन और धारा 14 का संशोधन)

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the University Grants Commission Act, 1956."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill,

परिसीमन (संशोधन) विधेयक
DELIMITATION (AMENDMENT) BILL.
(नइ धारा 9क का अन्तः स्थापन)

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill to amend the Delimitation Act, 1972."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परिसीमन अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL
(धारा 107 और 109 का लोप)

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

रेल पटरी की समीपस्थ भूमि का उपयोग विधेयक
UTILISATION OF LAND ADJOINING RAILWAY TRACK BILL

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेल पटरी के दोनों ओर की समीपस्थ भूमि का खेतीबाड़ी के लिये उपयोग करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल पटरी के दोनों ओर की समीपस्थ भूमि का खेतीबाड़ी के लिये उपयोग करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The mo ion was adopted.

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : मैं विधेयक को पुर : स्थापित करता हूं।

कुष्ट रोग नियंत्रण तथा कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास विधेयक
LEPROSY CONTROL AND REHABILITATION OF LEPERS BILL

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुष्ठ रोग के निवारण तथा नियंत्रण और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुष्ठ रोग के निवारण नियंत्रण और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

नेताजी राष्ट्री अकादमी र विधेयक
NETAJI NATIONAL ACADEMY BILL

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देशभक्ति की भावना से इस विधेयक का समर्थन किया है। केवल एक राज्य को छोड़ कर सभी राज्यों में नेता जी की मूर्तियां स्थापित की गई है। मैंने संसद भवन के सेंट्रल हाल में नेता जी की मूर्ति लगाने का कई बार अनुरोध किया है परन्तु इस देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया है। यह बड़े खेद की बात है। इस साधारण और शासक दल के विचारों में भारी अन्तर है।

इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में कुछ भ्रम है। कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे विचार व्यक्त किये हैं कि मैं नेताजी राष्ट्रीय अकादमी विधेयक के नाम पर कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग कर रहा हूं। मंत्री महोदय ने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं। नेता जी चाहते थे कि उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि एक देश भक्ति भारतीय यात्री के रूप से माना जाये। मैं एक ऐसी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना चाहता हूं कि जिसमें राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया जाये। में चाहता हूं कि इस अकादमी में योजना का आर्थिक पहलू, राजनीतिक दर्शन, अग्रिम सैनिक विज्ञान और राष्ट्रीय एकता की समस्याओं जैसे विषयों का अध्ययन किया जाये। म इस संस्था के साथ नेताजी का नाम इस लिये सम्बद्ध करना चाहता हूं क्योंकि नेताजी को भारतीय राष्ट्र योजना का जन्मदाता कहा गया है। सरकार के योजना विभाग हैं परन्तु हमें राष्ट्रीय योजना के विषय में अधिक अनुसन्धान और अध्ययन करना चाहिये। लोकतंत्रीय ढांचे में राष्ट्रीय योजना बनाना कोई सरल काम नहीं है। हम वस्तुत : अपनी अपनी योजना का सिद्धान्तों का अपने लोकतंत्र के सिद्धान्तों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ रहे हैं। नेता जी ने हरिपुरा कांग्रेस के समक्ष अपने अध्यक्षीय अधिभाषण में योजना के मूल सिद्धान्तों की रूपरेखा का उल्लेख किया था। यदि इस समाजवादी सिद्धान्तों पर आधारित लोकतंत्रीय समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो योजना के लक्ष्य का उच्चतर अध्ययन करने के लिये एक स्वायत संस्था स्थापित करना अत्यावश्यक है। इसीलिये मैं चाहता था कि नेताजी राष्ट्रीय अकादमी के लिये निर्धारित विषयों में राष्ट्रीय योजना के अधिक पहलू को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

सम्पूर्ण विश्व में सैनिक विज्ञान के विकास को ध्यान में रखते हुए हमें देश की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का बोझ केवल सेना पर ही नहीं डालना चाहिये बल्कि इस समस्या का निष्पक्ष अध्ययन करने के लिये एक उच्चतर स्वायत संस्था स्थापित की जानी चाहिये। महान क्रन्तिकारी शिवाजी के बाद नेताजी सैनिक दृष्टि से प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हैं। अत: राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के अध्ययन में हमें नेताजी से पर्याप्त प्रेरणा मिल सकती है।

इस अकादमी का तीसरा लक्ष्य राष्ट्रीय एकता की समस्या का अध्ययन करना है, आज देश में साम्प्रदायिक समस्या ही नहीं बल्कि प्रदेश, भाषा, प्रान्त, जाति तथा अन्य अनेक प्रकार की पृथकतावादी शक्तियों का बोलबाला है और एक खतरनाक स्थिति का प्रादुर्भाव हो रहा है।

आज एक नई स्थिति सामने आ रही है। हस देश में हर भाग में सुनते हैं कि एक प्रान्त का व्यक्ति दूसरे प्रान्त में काम नहीं कर सकेगा राष्ट्रीय एकता की समस्या गम्भीर रूप लेती जा रही है। यदि हमने इस समस्या का समाधान न किया तो योरुप की तरह भारत के भी कई टुकड़े हो जायेंगे कुछ शताब्दियों पूर्व भारत राजनीतिक दृष्टि से अनेक प्रभुतासम्पन्न राज्यों में विभक्त था परन्तु साँस्कृतिक दृष्टि से एक था। सर्वप्रथम आजाद हिन्द फ़ौज में धर्म और जातिपाति के भेद को समाप्त किया गया था देश के विभाजन के समय आज़ाद हिन्द फ़ौज के अधिकारियों ने पाकिस्तान बनाये जाने का विरोध किया था राष्ट्रीय एकता को यथार्थ रूप देने के लिये नये मार्ग खोजने हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय अकादमी में इस समस्या का अध्ययन किया जाना चाहिये। नेता जी ने कहा था कि भारत को स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समाजवाद की संकल्पना पर आधारित राष्ट्रीय विचारधारा को अपनाना होगा। उन्होंने किसी विचारधारा का विरोध नहीं किया क्योंकि उनके विचार में कोई भी विचार

धारा स्वतःपूर्ण नहीं है क्योंकि उस में सुधार की गुंजाइश सदा बनी रहती है। इसीलिये मैंने सुझाव दिया है कि नेताजी राष्ट्रीय अकादमी राजनीतिक दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिये। मैंने किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव नहीं दिया है बल्कि मैं चाहता हूं कि उपरोक्त अकादमी में उच्चतर अध्ययन और अनुसन्धान कार्य किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि संवैधानिक कारणों से यह विधेयक स्वीकार नहीं किया जा सकता मानो यह कोई संवैधानिक समस्या है।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय को इन्स्टीच्यूट आफ़ एडवांस स्टीडीज़, शिमला की जानकारी होगी। यह संस्था कैसे स्थापित हुई थी। संविधान के उपबन्ध इस संस्था की स्थापना में क्यों बाधक नहीं हुए? फिर जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय कैसे बन गया? वह भी केन्द्रीय सरकार की अनुमति से बनाया गया है। नेहरु के नाम पर देश में कई संस्थान हैं ये सब कैसे स्थापित हुए? इस सभा ने उनको स्थापित करने की स्वीकृति दी। अत: इस प्रकार के तर्क देना उचित नहीं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि उसे यह विधेयक स्वीकार्य नहीं है।

नेता जी ने कभी राजनीतिक सम्मान पाने की इच्छा व्यक्त नहीं की। मैं चाहता हूं कि नेता जी के नाम पर कोई ऐसा काम किया जाये जिससे भविष्य में नवयुवकों को प्ररेणा मिलती रहे।

नेताजी भारत की जनता के लिये देशभक्ति के प्रतीक हैं। यदि यह सरकार नेताजी राष्ट्रीय अकादमी स्थापित नहीं करती तो वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने से बंचित रह जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री डागा का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि नेताजी राष्ट्रीय अकादमी और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों संबंधी ज्ञान के प्रसार और उससे सम्बद्ध तथा अनुषगी मामलों के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 22 सदस्य हों, इस सभा से 15, अर्थात् :—

(1) श्री मधु दंडवते
(2) श्री समर गुह
(3) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(4) श्री डी० पी० जदेजा
(5) श्री भोगेन्द्र झा
(6) श्री जगन्नाथराव जोशी
(7) श्री प्रसन्नभाई मेहता
(8) श्री पाओकाई हाओकिप
(9) श्री प्रपात सिंह
(10) श्री रामभगत पासवान

(11) श्री अर्जुन सेठी

(12) श्री नवल किशोर शर्मा

(13) श्री नवल किशोर सिन्हा

(14) श्री डी० पी० यादव

(15) श्री मूल चन्द डागा

और राज्य-सभा से 7 ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति से संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को आगमी सत्र के सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य-सभा द्वारा नियुक्त किये जानें वाले 7 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है : "कि नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार और उससे सम्बद्ध तथा अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	=	19	विपक्ष में	=	74
Ayes	=	19	Noes	=	74

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was nagatived.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 124 का संशोधन)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India"

Article 124 is related to Union judiciary, I would like to suggest that the following may be read after Clause (i) of Article 124 :

"The seniormost judge of the Supreme Court of India shall be the Chief Justice of India".

डा० सरदीश पीठासीन हुए
Dr. Saradish Roy in the Chair

There is no provision regarding appointment of Chief Justice of India in the Constitution. The Constitution makers might have thought that healthy Convention of promoting Senior Most Judge of the Supreme Court to the post of Chief Justice of India would be adhered to. As parliament is being taken above the Constitution and the Country, we fear that the appointment of Chief Justice of India may not be made on the basis of healthy convention and instead it may be done on political basis. I had given notice of the Bill on 20th May, 1971. My thought has been turned into reality. Three judges of Supreme Court have been superseded and a junior judge has been promoted to the post of Chief Justice of India. Hither-to-fore it was said that seniormost judge will become Chief Justice. This convention was being observed since independence which only one exception when justice Imam became medically unfit for the job. The arguments offered in case of exception, which has now been made, were not only ridiculous but they have revealed the intention of the Government as well. The Minister of Law has placed before the House the Report of the Law Commission which was submitted in 1958, and provided that Law Commission has recommended that the basis of appointment of Chief Justice of India should not be seniority only. But Law Commission had also recommended that if Government wants to adhere to seniority basis, they should establish this Convention and declare it as such. Had the recommendation of the Law Commission been accepted in 1958, it would have been a different matter. They brought this report before this House only when they decided to supersede three judges.

The Government should not accept one part and reject the other part of the Law Commission's report. It has been argued in the House that a Judge should be forward looking. What is meant by the term forward looking ? It has also been stated in the House that a Judge should be in tune with the philosophy of the Government and the Society. In fact the Judge should believe in the philosophy of the Constitution and deliver justice without fear and prejudice.

How can a common man get justice in a Court when a Judge sitting there is one who protect the interests of the Government. He will not get Justice, his individual freedom will not be protected and fundamental rights will not the protected.

There should be no controversy about the constitutional provision of appointing a seniormost Judge as chief Justice.

The Supreme Court Bar Association has expressed its concern over the independence of Judiciary in the Country.

It is surprising that the retiring Judge had no knowledge about the next Chief Justice. Even a formal courtesy was not shown towards the retiring Chief Justice.

The Government deferred the appointment of new Chief Justice till the announcement of Judgement on fundamental rights. Three Judges who de-delivered their Judgements against the Government were deprived of their Seniority and one of the Judges who delivered judgement in favour of the Government was honoured with the office of Chief Justice.

I have nothing to say against Chief Justice Ray. I am talking about a principle. I am stressing the growth of a convention. It can be provided in the Constitution that a seniormost Judge should be appointed as Chief Justice.

How can one say that three superseded Judges were not able to lead and deliver judgements ? But the Government wants Judges who are yesmen. I want the House to Consider and vote this bill.

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : श्री वाजपेयी ने अपने भाषण में विधि-आयोग की चर्चा भी की है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के बारे में भी कुछ कहा है। क्या मैं उन्हें याद दिला सकता हूं कि विधि आयोग ने स्वयं कहा है कि यह जरूरी नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश मुख्य न्यायधीश बनने के योग्य हो क्योंकि न्यायधीश को केवल निर्णय देने होते हैं जबकि मुख्य न्यायधीश को कुछ अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं।

संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हम लोगों को अपने आपको दिया है। यह बात दुर्भाग्य की है कि गत छः वर्षों के दौरान संविधान की व्याख्या एक मृत दस्तावेज के रूप में की गयी है। इसकी व्याख्या निहित स्वार्थी के हित में की गयी है। विश्व भर के प्रजातंत्रों से हमें ज्ञात होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के लिए विशिष्टता का मापदंड कभी नहीं रहा। दुर्भाग्य-वश गत 23 वर्षों में वरिष्ठता को ही मापदंड माना गया जिसके फलस्वरूप अनेक मुख्य न्यायधीश केवल कुछ महीनों तक ही अपने पद पर बने रह सके। इतने थोड़े से समय में एक मुख्य-न्यायधीश अपने पीछे क्या प्रभाव छोड़ सकता है। 24 वर्षों के दौरान हमारे देश में 14 मुख्य न्यायधीश रहे, जबकि 70 वर्ष के दौरान आस्ट्रेलिया में 7, 73 वर्षों के दौरान केनेडा में 10, 173 वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका में 15 और 73 वर्षों के दौरान बिट्रेन में 8 मुख्य न्यायधीश रहे।

देश में न्यायधीशों के अधिक्रमण का यह पहला अवसर नहीं है। ऐसा कहते हुये हम उच्च-न्यायालयों की बात भी करते हैं। उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायधीश का अधिक्रमण हुआ है। अब तक देश में .....(व्यवधान) 16 न्यायधीशों का अधिक्रमण हुआ है। इन 16 न्यायधीशों में न्यायमूर्ति हेगड़े तथा न्यायमूर्ति ग्रोवर भी शामिल हैं।

श्री वाजपेयी द्वारा दिये गये तर्क निराधार हैं क्योंकि एक न्यायधीश को अपना निर्णय देते हुये संविधान की व्याख्या इसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता। मेरे विचार में सरकार परम्परा को तोड़ कर मुख्य न्यायधीश को छोड़कर नियुक्ति करके एक बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि सरकार के सैना जैसे अन्य विभागों की सर्वोच्च नियुत्तियों के लिये वरिष्ठता का मापदंड अनिवार्य रूप से नहीं अपनाया जाता।

वरिष्ठतम न्यायधीश को मुख्य न्यायधीश नियुक्त करना एक अस्वस्थ प्रणाली है और इस प्रणाली को तोड़ने के लिये मैं सरकार को वधाई देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : इस विधेयक को श्री वाजपेयी ने 1971 में पेश किया था और मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति के संदर्भ में इस विधेयक के प्रति रुचि पैदा हो गयी है। हमारी विचारधारा यह रही है कि सरकार को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त होनी चाहिये जिससे कि वह अपनी इच्छा से न्यायधीशों की नियुक्ति कर सके। देश भर में यह भावना पैदा हो गयी है कि जो न्यायधीश सरकार की हां में हां नहीं मिलाते उन पर सरकार आक्रमण करती है। हम संविधान में ऐसी व्यवस्था करने का विरोध करते हैं जिसके द्वारा भारत के वरिष्ठतम न्यायधीश के पक्ष में संवैधानिक व्यवस्था हो सके। गोलखनाथ केस सम्बन्धी गलत निर्णय के फलस्वरूप संविधान का संशोधन करना पड़ा। मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बहुत पेंचीदा है और हम नहीं समझ सकते कि क्या निर्णय दिया गया।

अवकाश प्राप्त न्यायधीशों के बीच आज यह प्रतियोगिता चल रही है कि वे किस प्रकार सरकार से अधिकाधिक लाभ उठा सकें ? कार्यपालिका के अधीन अनेकों पदों पर अवकाश प्राप्त न्यायधीशों को नियुक्त करने से न्यायिक स्वतंत्रता और सच्चाई को आघात पहुंचा है। न्यायधीश विभिन्न आयोगों के सदस्य बनने के इच्छुक होते हैं। अधिकांश न्यायधीश आज रोज़गार पर हैं चाहे उनकी आयु 70 अथवा 75 ही क्यों न हुई हो।

संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्तों के अधीन लोगों को वे अधिकार नहीं मिले जो मिलने चाहिये थे। जो कुछ इस दिशा में सरकार कर सकती है उसे न्यायालय अपने निर्णय द्वारा रोक देती है। देश के सर्वसाधारण को विधि प्रणाली से सब से अधिक लाभ पहुंचना चाहिये। न्यायधीशों की नियुक्ति के लिये जनमत को स्वीकार किया जाना चाहिये।

हम इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते। हम सरकार को उस प्रकार की अनियंत्रित शक्तियां नहीं दे सकते जिसकी चर्चा स्वर्गीय कुमार मंगलम ने उस सदन में की थी।

यह बात सच है कि सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों को सन् 1959 से लागू नहीं किया। जिन बातों के बारे में विधि-आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं, उनके सम्बन्ध में निर्णय सरकार पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिये बल्कि जनप्रतिनिधियों के विचार को उन बातों के बारे में लिये जाने चाहिये :

जनता को कम से कम इतना अधिकार तो दिया ही जाना चाहिये कि उनके विवाद आदि न्यायधीशों के द्वारा हल किये जाएं। जजों की नियुक्ति के बारे में केवल संवैधानिक व्यवस्था होना पर्याप्त नहीं है।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है मैं इसका विरोध करता हूं। न्यायधीशों की नियुक्ति के बारे में सरकार को ही समस्त अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : I rise to oppose the constitution (Amendment) Bill moved by Shri Vajpayee. Under the provisions of this Bill only seniormost judge of Supreme Court can be promoted to the post of Chief Justice. In view of the fact that Shri Vajpayee ji has himself supported the decision of the Government regarding the supersession of Justice Imam on the basis of his ill health how can the strict adherance of seniority in such cases be said justified ? This proviso does not leave any discretionary power with the Government.

I personally feel that freedom should be given to judiciary and there should be no intervention in its working. But I can not appreciate the point that the act of promoting a justice at the post of Chief Justice in supersession of a senior justice should be considered intervention in the affairs of judiciary. Every one including judges, has one's own philosophy. It is also a fact that personal philosophy of a judge plays significant role in the field of interpretation of constitutional provisions. I fully agree to the statement of late Kumaramangalam that it should be the duty of the Government and the Parliament to see that persons, whose philosophy is against the interests of common people and who come in the way of programmes of the country and who are unable to solve the burning problems of the country are not appointed judges. It is not correct to say that the faith of people in judiciary would be lost since Government have promoted a junior justice. I would like to remind the hon. Member that our constitution framers were intelligent enough to give discretionary powers to the Government in this regard and that we are abiding by the constitutional provisions.

There is no dispute between the Government and the judiciary on the matter of rights or relations. The actual problem is and how and with what approach and philosophy the laws relating to fundamental rights should be interpreted by the judiciary. Law Commission has also supported the measures adopted by the Government in this regard.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Shri Vajpayee has again raised this question in the House by moving this Bill which is framed with the intention to exploit the whole situation. I am totally opposed to this Bill.

At the time of framing this constitution Dr. Ambedkar said that they wanted to adopt middle path. Therefore, the right to appoint Chief Justice was given to the President who would appoint other judges in consultation of Chief Justice. I am opposed to the proposal to continue the old practice of appointing the Chief Justice only on the basis of seniority even if the person concerned is physically unfit or so. In view of the changing conditions in the country we should not be so rigid in this matter. When there is a change in the thinking and attitudes of the people there should be a change in the approach of the persons who interpret the new ideology. Certain measures have been struck down. Under the Constitutional provisions backward Communities should be developed economically and socially. But they are coming in the way of such measures also. We don't want to intervene in the affairs of judiciary but we want to see that judgements are given according to the aspirations of the society. Shri Vajpayee would admit that our country has been developing. We want to see our country developing day by day.

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिये दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था। सूची अभी बहुत से सदस्यों के नाम हैं। क्या इसके लिये उचित समय दिया जाए ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : महोदय मैंने कुछ दलों के नेताओं से सलाह ली थी तथा उनसभी का विचार था कि इसके लिये दो घंटे का और समय दिया जाए।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : महोदय, मैंने श्री बाजपेयी के पहले 1971 में इसी प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया था। मैंने इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति के बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। अतः मैंने 1971 में ही सरकार की बुरी नीयत को पहचान लिया था। सम्भवतः भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश ने भी यही सिफारिश की थी उसके पश्चात् उनके पद पर न्यायधीश शैलट को नियुक्त किया जाए जो सबसे सीनियर थे। किन्तु सरकार ने उनके बजाय तीन न्यायधीशों से जूनियर न्यायधीश को इस पर नियुक्त किया जिससे सरकार निहित स्वार्थी का स्पष्ट पता लगता है।

मुझे याद है कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले पर सुनवाई के दौरान महान्यायवादी तथा केरल सरकार के कानूनी सलाहकार ने कहा था कि इसका वैकल्पिक हल "राजनीतिक हल" हो सकता है। अब हमें ज्ञात हुआ कि वह राजनीतिक हल क्या था।

सरकार की इस कार्यवाही से जिसमें तीन न्यायधीशों के साथ अन्याय किया गया है देश में असंतोष है। वकीलोंद्वारा न्यायालयों का बहिष्कार करने तथा लगभग प्रत्येक बार काउंसिल द्वारा सरकार की कार्यवाही की भर्त्सना करने से यह असंतोष स्पष्ट विदित होता है।

प्रश्न यह है कि क्या न्यायधीश राय की नियुक्ति योग्यता और प्रतिभा के आधार पर की गई अथवा उन तीन न्यायधीशों का बलिदान करके की गई जो अपनी निष्पक्ष विचारधारा तथा एकता के सिद्धांत पर अडिग थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को बहुमत से जिनमें यह तीन न्यायधीश भी थे यह फैसला दिया कि संसद को संविधान में ऐसा कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है जिससे संविधान के मौलिक स्वरूप में ही परिवर्तन आ जाए। इससे पूर्व मार्च 1972 को सर्वोच्च न्यायालय से मुकदमा संख्या 148 के बारे में यह फैसला दिया था कि लोअर घाटे की 325 संख्या 1 के बारे में फैसला गलत है। यह मामला श्री यशपाल कपूर के त्यागपत्र के बारे में था। उनका त्यागतपत्र 25 जून 1971 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था किन्तु चुनाव ट्रिबुनल ने उसके त्यागपत्र का 14 जून से माना था। श्री राज नारायण ने इस फैसले की अपील सर्वोच्च-न्यायालय में की थी। नियमानुसार श्री कपूर का त्यागपत्र 25 जनवरी से माना जाना चाहिये था जिसके फलस्वरूप श्रीमती इन्दिरा गांधी लोक सभा का चुनाव नहीं लड़ सकती थीं। इससे प्रधान मंत्री को अवश्य आघात पहुंचा होगा।

न्यायधीश राय को मुख्य न्यायधीश नियुक्त करने का एक कारण संवैधानिक वैध का गठन भी है। इस वैध का गठन मुख्य न्यायाधीश ही करता है। अतः सरकार ने अपने पक्ष में फैसला कराने के लिये अपने पक्ष के न्यायधीश को मुख्य न्यायधीश नियुक्ति कर दिया।

मेरे विचार से इसका एक कारण यह भी है कि स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम तथा श्री एस० एस० राय के विरुद्ध न्यायालय की गम्भीर मानहानि के मामले हैं। सरकार इन मामलों को भी दबाना चाहती है।

सत्तारूढ़ दल की यह आदत हो गई है कि न्यायालय की आलोचना की जाए। अपनी असफलताओं पर परदा डालने की लिये उसे न्यायपालिका में कुछ बली के बकरे भी मिल जाते हैं। हाल में बम्बई उच्च न्यायालय ने श्री शंकर दयाल शर्मा के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। सरकार इस मामले को भी दबाना चाहती है।

गत 25 वर्षों से हमारे देश में यह प्रथा रही है कि वरिष्ठतम न्यायधीश को मुख्य न्यायधीश बनाया जाए। अन्य देशों में भी अपनी-अपनी प्रथाएं हैं जिनका पालन किया जाता है। कई माननीय सदस्यों ने उनका उल्लेख भी किया है। इस मामले में सरकार का अपने देश की प्रथा का उल्लंघन करने में कोई औचित्य नहीं है। जहां तक प्रशासनिक योग्यता का प्रश्न है तीनों ही वरिष्ठ न्यायधीश उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश थे।

श्री गोखले ने सरकार के इस कदम को न्यायसंगत ठहराने के लिये विधि आयोग की सिफारिश का सहारा लिया है। वास्तव में सरकार ने आयोग की रिपोर्ट का गम्भीरता से अध्ययन ही नहीं किया क्योंकि स्वयं विधि आयोग के सदस्यों ने जैसा कि श्री सीतलवाद, श्री सीकरी, श्री पालकी वाला और श्री चागला ने सरकार की इस कार्यवाही की भर्त्सना की है। साथ ही मैं स्वर्गीय कुमार मंगलम की सराहना करता हूं जिन्होंने सच-सच कहा था। उनका कहना था कि मुख्य न्यायधीश सरकार की सहायता करेगा तथा उनकी राजनीतिक मान्यताएं सरकार की नीतियों के अनुरूप हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व न्यायधीश व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़ों को फैसला करते थे किन्तु अब स्वयं सरकार के विरुद्ध मामले होते हैं। अतः सरकार को न्यायधीशों की नियुक्ति का क्या अधिकार है? इस स्थित में तो न्याय पालिका पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये।

सरकार बार-बार अपने परमाधिकार (प्रीरोगेटिव) की दुहाई देती है । इस शब्द का प्रयोग राजा और तानाशाह करते थे । आश्चर्य है जो सरकार प्रजातंत्र प्रणाली और समाजवाद का नारा लगाती है वही सरकार इस शब्द का सहारा लेती है । केवल साम्यवादी देशों में जहां एक पार्टी का शासन होता है न्यायाधीश सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हैं । हमारे देश में विभिन्न पार्टी प्रणाली है तथा यह प्रथा हमारे देश के कतई अनुकूल नहीं है । श्री पालकी वाला के शब्दों में एक व्यक्ति न्यायाधीश होने के साथ-साथ पक्षपाती नहीं हो सकता । सरकार चाहे तो इस का खण्डन कर सकती है । वास्तव में अब श्री जवाहरलाल नेहरू का युग नहीं है जिन्होंने पटना उच्च न्यायालय के फैसले का आदर किया था तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था उच्च न्यायालय के फैसले का पूर्ण आदर किया जाना चाहिये अन्यथा इससे संवैधानिक ढांचे पर भारी आघात होगा । इस शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Vasant Sathe (Akola) : Shri Atal Bihari Vajpayee has framed this Bill with certain political motives. In view of the previous discussions held here he should not have moved such a Bill. In case this Bill is adopted it would create problems. It envisages a binding on the Government to appoint the seniormost justice Chief Justice of Supreme Court irrespective of his physical and mental illness.

Shri Vajpayee has presented a distorted version of the statement of late Shri Kumaramangalam. By philosophy he did not mean the philosophy of a particular party but the principles and the values which are embodied in the oath that we all take and subscribe. Actually, this problem emerged when judges did not keep the fundamental objectives in their minds while giving decisions. It has been given in the article 37 of the Constitution that :

"The provision, contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

I would like to draw the attention of the House to the fact that there courts struck down all such laws, as Bank Nationalisation, abolition of privy purses, etc., which were made to fulfil these fundamental objectives.

Provisions contained in article 19 have been given more importance in this regard by the judges of Supreme Court. They ignored the importance of the provisions contained in article 39 of the Constitution.

It is obvious that the judges have not remained faithful to the oath they took as a result of which fundamental principles enunciated in article 39 of the constitution were not protected. In there circumstances, execution of constitutional right to appoint the Chief Justice of his own choice by the President is justified. **(Interruptions).**

In this context I would also like to point out that in certain High courts junior judges were appointed Chief Justices. But in those cases no body raised any objection. Why are they criticising this step of the Government ?

I appreciate the step taken by the Government to deal with such senior justices who favoured the capitalists making hurdles in the progress of the

country. Thus the arguments placed by some hon. Members regarding the appointment of Chief Justice are baseless. Independance of judiciary would not be affected with this measure. I am opposed to this Bill totally.

Shri B.P. Maurya (Hapur) : In his amendment Bill Shri Atal Bihari Vajpayee has sought the amendment of article 124 of the Constitution. This Bill envisages the insertion of "The seniormost judge of the Supreme Court of India shall be the Chief Justice of India" after clause (1) of article 124 of the constitution. In the statement of objectives and reasons he has stated that no procedure has been laid down regarding the appointment of Chief Justice and that Government want to make the judiciary committed to their political philosophy.

I would like to point out that the procedure regardig the establishment and constitution of the Supreme Court has been laid down clearly under Article 124 of the constitution.

Shri Vajpayee has demanded that seniormost justice of Supreme Court should be appointed the Chief Justice of India. But he should also know that the proposed amendment would be in contravention of article 126 in which it is provided that any one of the other judges of the court may be appointed Chief Justice by the President.

Regarding appointment of judges and Chief Justice of India it is provided in the article 124 that a distinguished jurist can also be appointed as a judge of the Supreme Court. In view of all these provisions enunciated in the constiuttion how could seniority be adopted as only criterion in this respect ? Respected Baba Ambedkar classified slavery into three categories, that is, political, economical and social. No doubt we have achieved political freedom on 15 August, 1947 but economical and social desparity is still prevalent in our country. It has been observed very often that decisions of Supreme Court are favourable to the prosperous class of the society. If constitutional provisions are not interpreted in the interest of the common people and the exploited persons judiciary would be proved to be a great hurdle in the progress of the country. We should realise that constitution is made for the people and not the people for the constitution and that for the benefit of the people constitutional provisions should be amended accordingly.

Shri Madhu Limaye (Banka) : The question of appointment of judges should be considered anew. How the question in this, how can we achieve our political, economical and social objectives without interfering our judiciary and how can certain defects in the working of our judiciary be removed ?. I feel that this is not a real discussion. It is not correct to say that only judiciary is coming in the way of execution of directive principles.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगलीबार जारी रखें ।

*देश की सुरक्षा के लिये परमाणु शस्त्रास्त्रों का विकास
*Development of Nuclear Weapons for Defence of the Country.

श्री समरगुह (करांई) : जब भी चीन में परमाणु विस्फोट अथवा अन्तर्महाद्वीपीय प्रेक्षेपणास्त्रों के निर्माण की चीन की क्षमता के बारे में समाचार आते हैं तो भारतीय समाचार पत्र उनका पूरा प्रचार करते हैं। इस बात का भी गर्व किया जाता है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा के उपकरणों ने चीनी विस्फोट का सबसे पहले पता लगाया।

सरकार बड़े उत्साह से कहती है कि हम किसी भी ओर से उत्पन्न हर संकट का मुकाबला करने में समर्थ हैं। सरकार का यह दावा नितांत भ्रामक है। जब हमें परमाणु हथियारों के बारे में प्रारम्भिक जानकारी भी नहीं है तो हम चीन का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं।

आज राजनीतिक शक्ति परमाणु शक्ति का पर्यायवाची हो गया है। जिन पांच देशों को राजनितिक दृष्टि से समर्थ माना जाता है उनके पास परमाणु शक्ति भी है। मेरे विचार से फ्रांस तथा चीन ने परमाणु परीक्षण करके विश्व के उन देशों का उपकार किया है जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है क्योंकि इन दोनों देशों कुछ देशों के परमाणु शक्तियाँ एकाधिकार को समाप्त किया है। हमें इन परीक्षणों का विरोध करके अपने परमाणु-शक्ति-विकास के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करना चाहिये। अमरीका ने 1956 से 1973 तक 478 परमाणु परीक्षण किये हैं, रूस ने 232, ब्रिटेन ने 22 और फ्रांस ने 47 तथा चीन ने पंद्रह।

इन शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों ने अन्य देशों में यह धारणा उत्पन्न की है कि हमारे पास परमाणु हथियार होना न्यायोचित है तथा अन्यों के पास होना अनैतिक कार्य है।

आधुनिक युद्ध प्रणाली में भारी परिवर्तन हो गया है। आज पुरानी किस्म के हथियार बेकार हो गये हैं। इन शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों ने स्ट्रेटेनिक तथा टेक्टीकल दो प्रकार के परमाणु हथियारों का विकास किया है। स्ट्रेटेनिक परमाणु अस्त्रों का एक देश से दूसरे तथा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रक्षेपण किया जा सकता है। टैक्टीकल परमाणु अस्त्रों का अर्थ है आणविक हथियारों जिन्हें अब पारम्परिक हथियारों के रूप में बदला जा रहा है। परमाणु गन बनाई जा रही है तथा लेसीवीम का भी प्रयोग किया जा रहा है।

अतः यदि भारत का किसी पड़ौसी देश के साथ युद्ध होता है और वह देश कवल आर्णाक हथियारों का ही प्रयोग करता है तब भी हमारा देश मेरे विचार से उसका मुकबला नहीं कर सकता।

हम यह दुहाई देते हैं कि हमारा देश शांन्ति प्रिय देश है अतः हम परमाणु शस्त्रास्त्र नहीं बनाएंगे यह कहना तो ऐसे हुआ जैसे कोई नपुंशक व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन का उद्देश्य देने लगे।

---

*आधे घंटे की चर्चा

*Half an hour discussion.

मैं जानता हूं कि रात भर में परमाणु शस्त्रास्त्रों का विकास नहीं हो सकता । गत तीन वर्षों से सरकार कहती आ रही है कि यदि शांतिपूर्ण कार्यों के लिये आवश्यकता हुई तो हम परमाणु परीक्षण आरम्भ करेंगे किन्तु अभी तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाये गये । अपने देश में उपलब्ध अपेक्षित सामग्री को देखते हुए हम ऐसे डेड़ दजन बंम बना सकते हैं जिनको हीरोशिमा पर डाला गया था । किन्तु कनाडा के साथ करार के अन्तर्गत हम अपनी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते । भारत को आणविक शस्त्रों का विकास करना चाहिये और इसके लिये हमें तैयारियां आरम्भ कर देनी चाहिये ।

कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक दृष्टि से हमारे देश के लिये आणविक शस्त्रों का विकास करना संभव नहीं है । क्या देश के लिये यह शर्मनाक बात नहीं जहाँ 10,000 करोड़ रूपये के काले धन का लेन देन होता है और करोड़ों रूपये का करापवंभी होता है । इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपये की तस्करी होती है । क्या हमारे लिये यह कहना ठीक है कि आर्थिक कारणों से हम इस शस्त्र कार्यक्रम को नहीं चला सकते । जो कोई भी इस तर्क की पुनरावृति करेगा वह स्वयं अपनी निन्दा करेगा ।

डा० साराभाई ने देश की आणविक शक्ति के विकास हेतु एक दसवर्षीय रूप रेखा तैयार की थी । हमें इस सदन में आणविक शस्त्रों के बारे में बोलने का अवसर प्राय: नहीं मिलता । मैं कई वर्षों से आणविक परामर्शदात्री समिति का सदस्य रहा हूं पर न जाने इस वर्ष मेरा उस समिति से नाम क्यों बाहर कर दिया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें डा० साराभाई की 10 वर्षीय रूपरेखा को अपनाना चाहिये और इसके लिये मैं रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह इस रूपरेखा का उपयोग करें और इस पर अमल न करने के क्या कारण है क्या यह आणविक इंधन तैयार पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध तो नही है । ट्रामरा, तारापुर और प्रतापसागर में आणविक ईंधन तैयार किये जाते हैं पर उन्हें उपयोग में लाने की हमें स्वतंत्रता नहीं है । हम भूमिगत विस्फोट नहीं कर सकते । हमें कम से कम अपनी भावी पीढ़ी के लिये आणविक शस्त्रों के विकास हेतु कुछ प्रौधोगिकी समूह का विकास करना ही होगा ।

Shri M.C. Daga (Pali) : The Director of the institute of Defence Studies and analysis, Shri K. Subramanyam has made a recommendation that India should start making Atom Bombs. Do you agree with it or you consider it violence. Does the government entertain the impression that Russia would help India if China attacks India or does it be self sufficient.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदय मैं केवल तीन विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

क्या मंत्रालय को इस तथ्य का ज्ञान है कि स्वर्गीय डा० भाभा ने विशिष्ट रूप से बताया था कि 2 मैगाटन वजन वाले 50 एटम बमों के निर्माण पर 10 करोड़ रुपये तथा 2 मैगाटन वाले 50 हाईड्रोजन बमों के निर्माण पर 15 करोड़ रुपये व्यय होगा ।

दूसरा मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आणविक शक्ति का प्रयोग आणविक तकनीक के लिये किया जाएगा अथवा कि शस्त्रों के निर्माण के लिये किया जाएगा ।

तीसरा, क्या हमने आणविक शस्त्रों के निर्माण के बारे में कोई निर्णय ले लिया है । क्या आपने अपने पड़ौसी देशों को बता दिया है कि हमने आणविक शस्त्र निर्माण न करने का निर्णय ले लिया है ताकि उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिल जाए क्या हमें अपने पड़ौसी राज्यों पर कुछ ऐसा प्रभाव नहीं डालना चाहिये कि यदि हमें आणविक शस्त्रों का निर्माण करना आवश्यक प्रतीत हुआ तो जरूर करेंगे ।

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhun) : We believe in peace and this is our national issue and for that we have to look to our neighbouring countries China and Pakistan are busy in the production of nuclear weapons. I want to know whether we would like to have nuclear strength as compared to these countries.

The Government can show its inability to develop nuclear weapons from the economic point of view therefore do they want to close this chapter or to keep this chapter open.

श्री सी० के० चन्द्रापन (तेल्लीचेरी) : देश में लाखों लोग बेरोज़गार अशिक्षित और भूखे हैं सरकार इन व्यक्तियों की मुख्य आवश्यकताओं पर धन व्यय करने को प्राथमिकता देगी अथवा कि आणविक शस्त्रों के निर्माण पर ?

अमरीका अपनी आणविक धमकियों से एक छोटे से देश वियतनाम को नहीं जीत सका और न ही उसकी आणविक शक्ति का बंगला देश के मुक्ति संघर्ष पर कुछ प्रभाव पड़ा । यह सब जीवन की वास्तविकताऐं हैं ।

अंत में मैं यह जानना चाहता हूँ आणविक शक्ति के प्रयोग के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं क्या इसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों और विकास के लिये किया जाएगा । आणविक विस्तार रोकने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर करने के बारे में सरकार का क्या रवैया है ।

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हमें राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से आणविक हथियारों के विकास के प्रश्न पर विचार करना है । हम केवल चीन की नकल नहीं कर सकते । यदि चीन ने कोई विशेष नीति अपनाई है तो वह उसने अपनी परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर अपनाई है । हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम क्या हैं और हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हैं । निसंदेह हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का आणविक दबाव डालना चाहते हैं । हम किसी अन्य देश से आणविक संरक्षण नहीं चाहते । हमें यह देखना है कि हम किस स्थिति का सामना कर रहे हैं और हमें किन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा । सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इस समस्या की ओर हमारा व्यवहारिक और परिणामवादी दृष्टिकोण होना चाहिये । हमारे सामने यह विकल्प होना चाहिये कि हम आणविक शक्ति का प्रयोग कर या न कर । हमारा विकल्प हमारे सामने है । हम इस प्रकार के समझौते में शामिल नहीं हुऐ जो हम पर किसी भी समय दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार चलने के लिये बाध्य करे ।

इस समय हमारी नीति अल्पकालीन और दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों के अनुसार चल रही है हम अपनी नीति को अपने अनुरूप डालना चाहते हैं और शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये आणविक शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं।

जो सदस्य भारत द्वारा आणविक शस्त्रों के निर्माण के पक्ष में है मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि वह वास्तव में इसमें रूचि रखते हैं तो हम उनकी और कुछ वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की बैठक का आयोजन करा देते हैं ताकि वह अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें सुरक्षा के आधार के बारे में प्रश्न किया गया है प्रत्येक व्यक्ति हमारी सुरक्षा के अधार के बारे में जातते हैं। वास्तव में किसी देश की औद्योगिक और आर्थिक शक्ति राष्ट्र की सुरक्षा का आधार है। इसके बाद ही अन्य बातें आतीं हैं कि हम आणविक दबा ; में आ जाऐंगे जैसे यदि किसी देश का किसी आणविक शक्ति के साथ कोई मतभेद है तो उसे अपनी आणविक क्षमता का विकास करना चाहिये। अन्यथा वह अन्य देशों के आणविक दबाब में आ जाएगा। इसलिये हम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि चीन अपनी आणविक क्षमता का विकास कर हमारे उपर दबाव डालेगा।

लागत की बात की गई है। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। देश की सुरक्षा तथा हित के लिये जितनी धनराशि की भी आवश्यकता पड़ेगी, वह व्यय करनी ही पड़ेगी। किन्तु चूंकि यह प्रश्न उठाया गया है अतः मैं बताऊँ कि संयुक्त राष्द्र द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक दल ने इस प्रश्न पर विचार किया है और उन्होंने एक विश्वासनीय आणविक शक्ति को प्राप्त करने के लिये उसकी अधिकतम लागत का पता किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहूँचे हैं कि एक आधुनिक आणविक क्षमता को प्राप्त करने के लिये किसी देश को 17000 लाख डालर व्यय करने पड़ेगें।

इस आरम्भिक लागत के अतिरिक्त, यदि हम तकनीकी प्रगति के साथ साथ चलेंगे तो हमें अधिकाधिक धन राशि व्यय करनी पड़ेगी। तत्पश्चात् हथियार लाने ले जाने की प्रणाली को विक सित करने तथा उसे बनाए रखने पर और अधिक लागत आएगी। जो सदस्य इन बातों को समझते हैं यदि वे इसकी दीर्घावधि लागत पर विचार करे तो उन्हें स्वयं महसूस होगा कि आज हमारे देश के लिये आणविक आयुध की उस नीति का अनुसरण करना लाभदायक नहीं होगा। अतः श्री समर गुह द्वारा बताई गई नीति पर चलना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा राष्ट्र की सुरक्षा मुख्य बात है आज हम जिस नीति का अनुसरण कर रहे हैं वह वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छी नीति है। इससे हमारी सुरक्षा को कोई हानि नहीं है और न ही हम इस समय या भविष्य में किसी ब्लेकमेल का शिकार बनेगें।

उदाहरणार्थ यदि हम किसी प्रकार की आणविक क्षमता का विकास करोड़ों रूपये खर्च करते हैं और प्रति वर्ष उसको बनाए रखने पर भी करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तो इससे क्या लाभ होगा। क्या केवल इसी आणविक क्षमता पर देश की सुरक्षा संभव है। हमें फिर भी रक्षा सेनाओं, जल, थल, वायु इत्यादि को बनाए रखना होगा। बड़े बड़े देश जिन्होंने कि आणविक शस्त्रों के निर्माण पर इतना धन व्यय किया है आज वह समझते हैं कि इतना पैसा इन पर व्यय करना राष्ट्रीय हित में नहीं अतः जिस नीति का हम अनुसरण कर रहे है उससे हमारे देश की रक्षा और देश का हित खतरे में नहीं है।

श्री समर गुह : मैं मंत्री महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात मान ली है किन्तु हम एक वर्ष के भीतर अचानक ही आणविक शस्त्रों का विकास नहीं कर सकते । मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने डा० साराभाई द्वारा तैयार की गई दस वर्षीय रूपरेखा के बारे में क्या कार्य वाही करने का विचार किया है । संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा बताए गए अनुमान भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संगत नहीं है । भारतीय विशेषज्ञों की राय में यह अनुमान बहुत कम है । क्या सरकार का ध्यान भारतीय विशेषज्ञों और परमाणु वैज्ञानिकों की राय की ओर आकर्षित किया गया है ?

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 27 अगस्त 1973 के ग्यारह बजे तक के लिये स्थागित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, the 27 August 1973.

M/S8LSS—490—13-9-1973—GIPS

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]